म माला, खंड 31, अंक 31

बुधवार, 4 मई 1994

14, वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 31 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी क ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

4 मई, 1994 के लोकसभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
5	8	"(अनुवाद)" तथा (हिन्दी) का लोप करें।	
19	8,9	'Vikoryl, 'V' तथा 'W'	"विकोरिल" "वी" तथा "डब्ल्यू"
36	2	श्री वी॰शोभनाद्रीश्वर राव	श्री वी॰शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
123	13	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
161	नीचे से 6	श्री बालराज पासी	श्री बलराज पासी
207	15	श्री सी॰पी॰मुदानगिरियप्पा	श्री सी॰पी॰मुडला गिरियप्पा
256	3	श्री बीरसिंह महतो	श्री बीर सिंह महतो
263	22	श्री उद्धव वर्मन	श्री उद्धव बर्मन
270	9	श्री एन॰जे॰राठव	श्री एन॰जे॰राठवा
275	16	श्री डा॰के॰वी॰आर॰चौधरी	डा० के॰वी॰आर॰चौधरी
297	4	श्री जी॰ माडे गौढ़ा	श्री जी॰माडे गौडा
306	नीचे से 13	श्री ई॰ अहमद (मंजरी)	श्री ई॰अहमद (मंजिरी)
311	नीचे से 2	श्री पी॰सी॰थामस (मुवत्तुपुजा)	श्री पी॰सी॰थामस (मुवत्तुपुजा)
314	नीचे से 14	श्री एम प्रताप साय	श्री ए॰प्रताप साय
316	नीचे से 5	श्री पी॰कुमार स्वामी	श्री पी॰कुमारसामी
371	9	आगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल-डी 4 (ए॰एस॰एल॰वी॰डी॰-4) का प्रक्षेपण	आगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल डी-4 (ए॰एस॰एल॰वी॰डी॰-4) का प्रक्षेपण

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, नौवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 31, बुधवार, 4 मई, 1994/14 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1-24**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 541 से 544 और 547 से 549	1–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**24-312**
तारांकित प्रश्न संख्या : 545, 546 और 550 से 560	24-44
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6080 से 6104, 6106 से 6253 और 6255 से 6285	45-301
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**312**
गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	**313**
इकतीसवां प्रतिवेदन –प्रस्तुत	313
नियम 377 के अधीन मामले	**313-317**
(एक) विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने और बिजली के बिलों की बकाया राशि के भुगतान से छूट देने की आवश्यकता	313
श्री के॰जी॰ शिवप्पा	313

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी ही सदस्य ने पूछा था।

(दो)	उड़ीसा में नौपदा से गुन्नुपुर तक संकरी रेलवे लाइन (नैरो गेज) को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने और इसे रायगढ़ तक बढ़ाने की आवश्यकता	313
	श्री गोपीनाथ गजपति	313
(तीन)	रायाचौटी ग्रामीण विद्युत आपूर्ति सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, कुड्डप्पा जिला, आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	314
	श्री ए॰ प्रताप साय	314
(चार)	भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों, जो इस समय देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं, का दर्जा निर्धारित करने की आवश्यकता	315
	श्री मनोरंजन भक्त	315
(पांच)	डाक और तार विभाग के भर्ती नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता	315
	डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	315
(छह)	गुजरात के सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक केन्द्रीय योजना बनाने की आवश्यकता	316
	श्री चन्द्रेश पटेल	316
(सात)	तमिलनाडु के डिन्डीगुल अन्ना जिले में पलानी को एक पर्यटक केन्द्र के रुप में घोषित करने की आवश्यकता	316
	श्री पी॰ कुमारासामी	316
(आठ)	आंध्र प्रदेश में अमालापुरम में गौतमी और वैनेतेया–गोदावरी नदियों पर पक्के पुलों के निर्माण की आवश्यकता	317
	श्री जी॰एम॰सी॰ बालयोगी	317
वित्त विधेयक, 1994		**318-325**
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री मनमोहन सिंह	319
	श्री भगवान शंकर रावत	330
	डा॰ देवी प्रसाद पाल	347

विषय	पृष्ठ

श्री मोहन सिंह (देवरिया)	353
श्री अमल दत्त	358
श्री के॰टी॰ वान्डायार	365
डा॰ मुमताज अंसारी	367
श्री हरिन पाठक	370
मेजर जनरल आर॰ जी॰ विलियम्स	376
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	379
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	381
श्री आर जीवरत्नम	386
दक्षिण अफ्रीका में चुनाव परिणामों के बारे में	**325-330**
वित्त विधेयक, 1994—जारी	**330-339**
मंत्री द्वारा वक्तव्य	**339**
2 मई, 1994 को दक्षिण मध्य रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन वाले बीबीनगर—नडिकुडे खंड पर बिना चौकीदार वाले समपार पर 7424 नारायणाद्री एक्सप्रेस और एक ट्रैक्टर-ट्रेलर की दुर्घटना के बारे में	
श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ	339
2 मई 1994 को दक्षिण मध्य रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन वाले बीबीनगर-नडिकुडे खंड पर बिना चौकीदार वाले समपार पर 7424 नारायणाद्री एक्सप्रेस और एक ट्रैक्टर-ट्रेलर की दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य	**340-346**
वित्त विधेयक, 1994—जारी	**347-371**
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	**371-72**
ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल—डी-4 (एएसएलवीडी-4) का प्रक्षेपण	371
श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव	371
वित्त विधेयक, 1994—जारी	**372-390**

लोक सभा

बुधवार, 4 मई, 1994/14 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग

*541. **श्री जंगबीर सिंह**[†] :
डा. मुमताज अंसारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न उद्योग लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों से सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने उनमें से सेक्टर-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) ऐसे कितने उद्योगों में उत्पादन आरंभ हो चुका है;

(ङ) यदि उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है, तो कब तक हो जाएगा;

(च) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में भी ऐसे उद्योग लगाने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 1992 और 1993 में सरकार को प्राप्त 352 प्रस्तावों में से 330 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में होटल, अखबारी कागज, कंप्यूटर सोफ्टवेयर, कपड़ा, खाद प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 2031.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(च) और (छ) सरकार सामान्यतः सीधे उद्योग स्थापित नहीं करती है किन्तु इन्हें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं देती है।

[हिन्दी]

श्री जंगबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है, वह सही मायने

में संतोषजनक नहीं है और ऐसा लगता है कि सरकार का इन उद्योगों पर या उद्योग स्थापित करने वालों पर कोई सीधा नियंत्रण, चैक एंड बैलेंस नहीं है। मंत्री महोदया ने पार्ट डी के उत्तर में कहा है कि कितना प्रोडेक्शन हो चुका है, इसके बारे में सरकार कोई ब्यौरा नहीं रखती है। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों से इतनी ज्यादा पूंजी आ रही है, यह हवा का झौंका है, यह सुखद और सुहावना हो और भारतवासियों के मन की आशंकाओं का निराकरण करने में पूरा हो। यदि उत्पादन के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं है तो फूड प्रोसैसिंग की जो ऐग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें सरकार को यह देखना चाहिए कि किसानों को पूरा लाभ मिले।–**(व्यवधान)**–

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

श्री जंगबीर सिंह : मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो शुद्ध लाभ व अर्जित करेंगे, उस शुद्ध लाभ के बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या उस उद्योग को विस्तार के लिए लगाएंगे या किसी सहायक उद्योग के लिए लगाएंगे, सरकार इस बारे में नीति स्पष्ट करे ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार इसका ब्यौरा नहीं रखती है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय तो है लेकिन जहां तक विदेशी पूंजी निवेश का संबंध है, सरकार की नीति है और सरकार ने जो नई नीति की घोषणा की है, उसके तहत यह भी आता है कि विदेशी पूंजी निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन भारत सरकार विदेशी पूंजी के लिए स्वीकृति देती है और उसमें एन.आर. आईज भी इनक्लूडेड है। भारत सरकार जब स्वीकृति देती है उस समय यह निर्णय नहीं होता है कि उद्योग किस स्थान पर लगेगा। प्रदेश सरकार के पास जमीन, बिजली इत्यादि के लिए जाता है। फिर प्रदेश सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कैसे उसका लेखा-जोखा करे, उसका फौलो-अप हुआ कि नहीं या किस हद तक राज्य उनको आकर्षिक करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। ऐक्चुअल इनवैस्टमैंट का ब्यौरा राज्य सरकार रखती है जहां एन.आर.आई. द्वारा उद्योग स्थापित किया जाता है।

यह एन.आर.आईज पर निर्भर करता है वे डिविडैंट बैलेंस की नीति लागू करते हैं या दूसरी कोई करते हैं।

श्री जंगबीर सिंह : मैंने जो शुद्ध लाभ की बात की थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसके बारे में वह स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रही है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो लाभ कहां से होगा।

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने कहा है कि यह एन.आर.आईज. पर निर्भर करता है कि वह उसे कहां लगाते हैं ? सरकार के पास आने पर, उसको स्वीकृति दी जाती है।–**(व्यवधान)**–

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवधानों का उत्तर न दें।

[हिन्दी]

श्री जंगबीर सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न हरियाणा प्रदेश के बारे में है। हरियाणा में बहुत-सी स्कीमें चल रही हैं और हरियाणा सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए दूसरी सभी रियायतें दे रही है। मेरा भवानी संसदीय क्षेत्र टैक्सटाइल का एक प्रमुख केन्द्र है, लेकिन यह एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट

है। क्या सरकार एन.आर.आईज. को बैकवर्ड एरिया में उद्योग लगाने के लिए कोई दिशा निर्देश देगी ताकि उसका विकास हो सके और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी है ही लेकिन फिर भी उन्हें बताना चाहूंगी कि भारत सरकार 35 प्राथमिकता वाले उद्योगों में, जो कि अनैक्सचर तीन में दिया है, वहां अन्य विदेशी इन्वैस्टर्स 51 परसैंट शेयर ऑटोमैटिक बेसिस पर इनवैस्टमैंट कर सकते हैं वहीं एन.आर.आईज. को हैंडर्ड परसैंट इक्विटी शेयर इनवैस्ट करने की छूट है। इसके अतिरिक्त बजट में राज्य सरकार सामान्य औद्योगिकीकरण के लिए इनवैस्टमैंट और सब्सिडी देती है। जहां तक भिवानी का सम्बन्ध है, भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ ये चार बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहकर सरकार की कोई अलग से नीति नहीं है। बैकवर्ड स्टेट्स के लिये गोथ सैंटर की योजना है लेकिन विदेशी पूंजी के लिए अलग से कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयास करके अच्छे कदम उठाए हैं। एन.आर.आईज. को स्पैशल फैसिलिटीज दी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का आरक्षण भी किया है। जो सुविधाएं दी हैं, उनके मुताबिक मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

[अनुवाद]

विगत दो वर्षों के दौरान हरियाणा सरकार ने अनिवासी भारतीयों से हरियाणा में उद्योग लगाने के संबंध में 52 प्रस्ताव प्राप्त किये थे तथा हरियाणा सरकार द्वारा क्षेत्रावार 65 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे।

[हिन्दी]

अगर माननीय सदस्य और जानकारी चाहें तो भेज सकती हूं। ऐग्रो वेस्ड इंडस्ट्री में तीन है --**(व्यवधान)**--

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये अध्ययन से ऐसे चौंकाने वाले आंकड़ों का पता लगा है कि विदेशी निवेश की तुलना में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेश में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है तथा 1991 में यह सबसे कम अर्थात 3.69 प्रतिशत था जबकि 1992 में यह 11.55 प्रतिशत और जनवरी से मई, 1993 के बीच यह 1987 की तुलना में 5.29 प्रतिशत था जो सबसे अधिक अर्थात 19.29 प्रतिशत था।

अतः, मैं जानना चाहता हूं कि निवेश में कमी के क्या कारण थे तथा इन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा देश के उद्योगों में अनिवासी भारतीयों द्वारा अधिक-से-अधिक निवेश किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें कौन प्रेरक कार्य किये जाने वाले हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि 330 प्रस्तावों में से जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा। अब, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

मंत्री अपने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं और न कि दूसरे भाग का।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : आप को क्या पूछना है ? इन्फ्रास्ट्रक्चर पूछना चाहते हैं या···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक ही भाग की अनुमति दी है। वे और अधिक निवेश के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : मुझे आपका संरक्षण चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बिहार के सदस्यों को सख्त चेतावनी देता हूं कि वे शांति बनाये रखें।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं बता रही हूं। आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। जरा सुनिये तो। --**(व्यवधान)**-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं, उनकी मंशा तो यही होगी...

अध्यक्ष महोदय : सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

***श्रीमती कृष्णा साही** : मैं कहना चाहती हूं कि एन.आर.आई. इन्वेस्टमेंट अच्छा है,* कोई निराशाजनक नहीं है। टोटल 5430.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपैक्टेड है और फोरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट की भी आशा की जाती है कि 13,276 करोड़ का होगा। अभी 2038 करोड़ अनुमोदित की गई है और मैं कहना चाहती हूं कि यह अच्छा ही है। फोरेन इन्वेस्टमेंट इन्क्लूडिंग आर.बी.आई. 13,490 और एन.आर.आई. का जो आर.बी.आई. के सहित हैं, 5,834 करोड़ है तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, जैसा वह कह रहे हैं।

इन्होंने कहा है, यह जानना चाहते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है। दूसरा तो इनका यही प्रश्न था। इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्रीज को कैसे सबल किया जाए। इसमें एन.आर.आई. इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्रीज जैसे पावर है, स्टील है, पेट्रोलियम है, इन उद्योगों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार का ध्यान इस ओर है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्लान आउट ले को इस वर्ष बढ़ाया गया है।

पहले इन क्षेत्रों को पब्लिक सैक्टर के लिए आरक्षित रखा गया था लेकिन अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित किया गया है। अब एन.आर.आई. भी इन क्षेत्रों में सरकार की अनुमति प्राप्त करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुरली देवरा : क्या यह सही है कि कुछ अनिवासी भारतीयों ने वैसी ही दोहरी नागरिकता की सुविधा की मांग की है जैसा कि चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान जैसे अनेक देशों में किया गया है ? उन देशों में अनिवासी नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है जिससे निवेश को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा मिला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वास्तव में इस प्रश्न का ही परिणाम है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : उनको उत्तर मालूम है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही [अनुवाद] : नहीं महोदय **[हिन्दी]** यह तो गृह मंत्रालय से सबंधित है।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा इलाका पूर्वांचल है, जिसमें आपका मिर्जापुर और सोनभद्र आता है, क्या सरकार चालू वित्त वर्ष मे उत्तर प्रदेश के सीमान्त जिले मिर्जापुर, जहां पर कोयला, बिजली तथा जमीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, के बारे में भी अनिवासी भारतीयों को बताया गया है ताकि वह लोग वहां पर उद्योग लगा सकें ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास स्टेट वाइज नम्बर आफ एन.आर. आईज एप्रूवल प्लस एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स की एप्रूवल सूची है, जिलावाइज मैं नहीं बता सकती हूं। अगर आप चाहें तो हम भेज दें, यह लम्बी सूची है। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसके बारे में उन्होंने पूछा है। इसमें मैं कह सकती हूं कि 1992 में 15 थे और 1993 में 4 थे, यही दो आंकड़े हमारे पास है। --**(व्यवधान)**--

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने गत दो वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न उद्योग लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों से सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसके संदर्भ में पूछा है लेकिन माननीय मंत्री ने जवाब दिया है 1992 और 1993 का। जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें 352 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 330 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उनकी नेचर क्या है और अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में उद्योग बैठाने के लिए भारत को जो प्रस्ताव भेजा है, उनसे भारतीय नागरिकों को कितना रोजगार उपलब्ध होने की आशा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे लिखित में दीजिए।

लघु उद्योग क्षेत्र

*542. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लाइसेंस नीति के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र में किए गए नीतिगत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लघु औद्योगिक एककों मे व्यापार लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी है ताकि ये एकक अपने उत्पाद बेच सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में अपने उत्पादों को बेचने के लिए कोई व्यापार लाइसेंस प्रचलन में नहीं रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाने के परिणास्वरूप, लघु उद्योगों के लिए नीतिगत उपाय के संबंध में एक विस्तृत विवरण की 6 अगस्त, 1991 को घोषणा की गई थी। इस विवरण को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था।

लघु क्षेत्र के लिए नये नीतिगत उपायों में इस क्षेत्र के लिए पहले से अपनायी जा रही कई नीतियों को जारी रखा गया है। इनमें लघु उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र का ऋण देना, लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क छूट योजना, केवल लघु उद्योग में उत्पादन करने के लिए उत्पादों का आरक्षण करना तथा लघु उद्योग में निर्मित उत्पादों की खरीद व मूल्य वरीयता शामिल हैं।

नये तथा उदारीकृत आर्थिक वातावरण की अनुक्रिया में लघु क्षेत्र के लिए कई नये नीतिगत उपाय किये गये हैं। इन उपायों का सारांश इस प्रकार है :

(1) लघु उद्योगों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश सीमा 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई थी। अनुसंगी औद्योगिक उपक्रमों के मामले में यह सीमा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई थी। निर्यातोन्मुख लघु इकाई की एक नयी श्रेणी शुरू की गई है जिसकी निवेश सीमा 75 लाख रुपये है और एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित है, जो अपने उत्पादन का कम-से-कम 30 प्रतिशत निर्यात करती है।

(2) लघु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी मानदंड समाप्त कर दिया गया है।

(3) 5 लाख रुपये तक की भूमि तथा भवन को छोड़कर स्थायी परिसम्पत्तियों में निवेश के साथ लघु सेवा तथा व्यावसायिक उद्यमों से सम्बद्ध उद्योग को लघु उद्योग के बराबर दर्जा दिया गया है।

(4) लघु उद्योगों के बिलों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम, नामतः लघु तथा अनुसंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित भुगतानों पर ब्याज अधिनियम अप्रैल, 1993 में उद्घोषित किया गया है।

(5) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिक बैंक-अप सेवा सहित समेकित बुनियादी विकास की एक नयी योजना शुरू की गई है।

(6) लघु उद्योग तथा बड़े उद्योगों के बीच अधिकाधिक एकीकरण को बढ़ावा देना और लघु एककों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने, 24 प्रतिशत तक ईक्विटी भागीदारी करने की अनुमति दी गयी है।

(7) एक करोड़ रुपये तक कार्यशील पूंजी वाली लघु इकाइयां मानदंड के आधार पर कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के पात्र हैं जिसे नयी और मौजूदा इकाइयों के लिए अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर आंका गया है।

(8) वाणिजियक बैंक लघु औद्योगिक इकाई बहुल 62 जिलों में लघु उद्योग को ऋण देने के लिए मुख्य वित्त अभिकरण होंगे। ये बैंक सभी नयी लघु औद्योगिक इकाइयों जिन्हें सिंगल विंडों स्कीम के अधीन धन राशि दी जा सकती है, की कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अन्य 23 लघु उद्योग बहुल जिलों में राज्य वित्त निगम मुख्य वित्त अभिकरण होगा।

(9) लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए मार्च, 1994 में एक नयी योजना शुरू की गयी है जो आई.एस.ओ.-9000 श्रृंखला प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं। इस योजना में लागत का 50 प्रतिशत तक गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रभार की प्रतिभूति की परिकल्पना की गई है, बशर्ते न्यूनतम राशि 75000 रुपये हो।

(10) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना नामक एक नयी योजना 2 अक्तूबर, 1993 से शुरू की गयी है। इस योजना के आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लगभग 7 लाख माइक्रो उद्यमों के सृजन में सहायता करके लगभग 1.4 मिलियन रोंजगार के अवसर पैदा होने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार की वर्तमान नीति ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे हमारे देश के छोटे-छोटे उद्योग बन्द हो रहे हैं। लघु उद्योगों को सरकार ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। मंत्री महोदय छोटे उद्योगों के पक्ष में थे, क्योंकि भारत में बेरोजगार और जल संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार इन लघु उद्योगों को समाप्त करके मल्टीनेशनल कंपनियों को न्यौता दे रही है। ये हमारे परम्परागत उद्योग रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों की अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

एक तो आप पढ़ कर बोल रहे हैं और इतना लम्बा बोल रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए।

श्री लाल बाबू राय : मैं प्रश्न पूछता हूं। कुल निर्यात का 28 प्रतिशत इन्हीं लघु उद्योगों

के द्वारा उत्पादित होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सरकार ने लघु उद्योगों में उत्पादित करने के लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित की हैं, तो वे वस्तुएं क्या हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : जी हां, वर्तमान आरक्षण नीति में हमने पूर्णतः लघु क्षेत्र द्वारा निर्मित 836 मदों को आरक्षित किया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि नई आर्थिक नीति ने लघु क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है। यह सच नहीं है। यदि आप गत तीन वर्षों की औद्योगिक विकास दर को देखें, तो इससे पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर की तुलना में लघु उद्योगों की विकास दर अधिक रही है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, लघु उद्योग सम्बंधी वर्तमान नीति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्या सरकार ने उसकी समीक्षा की है ? अगर हां, तो उस समीक्षा का क्या परिणाम है ?

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, हमने इसकी समीक्षा की है। हमने लघु क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने के लिए नायक समिति नियुक्त की है। नायक समिति ने लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन क्षेत्रों को वित्तीय ऋण देने की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को ज्ञात है कि सभा पटल पर रखे गए लघु उद्योगों सम्बंधी दिशा निर्देशों के अनुसार लघु उद्योगों को दी गई रियायतों को समाप्त किया जा रहा है या हाल के बजट में लगाए गए नए करों के द्वारा छीना जा रहा है। लगभग 4000 लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई थी तथा लघु उद्योगों को दी गई रियायतों में से एक यह थी। चूंकि छूटों को पूर्ण रूप से छीना जा रहा है। उत्तर में निवेश सीमा को लघु उद्योगों के लिए मानदंड माना गया। अब केवल कारोबार को मानदंड माना गया है निवेश सीमा को नहीं। शुल्क को मूल्यानुसार परिवर्तित किया गया है। अतः लघु उद्योगों को अब तक मिलने वाले लाभों को हाल के बजट के पश्चात् पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है। लघु उद्योगों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री एम. अरुणाचलम : हमें देश के विभिन्न भागों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हमने वित्त मंत्री के समक्ष यह मामला उठाया और वित्त मंत्री ने 25 अप्रैल को सभा में लघु उद्योग को अनेक रियायतें देने की घोषणा की। हम कुछ और रियायतों के बारे में वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है, उद्योग मंत्रालय ने बजट से पहले छोटे उद्योगों के बारे में वित्त मंत्रालय को सिफारिशें की थीं, उनका बजट के निर्माण में ध्यान नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी, ऐसा पूछा जा सकता है क्या ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय कह सकते हैं कि पूरा ध्यान रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : वह तो केबीनेट सीक्रेट होता है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : आप यह मत बताइए कि जवाब क्या देना है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पर स्पीकर साहब तो पूछने ही नहीं दे रहे हैं। --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो पूछा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसको दूसरे ढंग से पूछिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों संबंधी वक्तव्य का हवाला उत्तर में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि छोटे उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी से बरी रखा जाएगा, लेकिन जो बजट पेश हुआ है, उसके द्वारा जो छोटे उद्योग एक्साइज ड्यूटी से मुक्त थे, उन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। क्या यह नीति का उल्लंघन नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि उद्योग मंत्रालय ने जो सिफारिशें की थी उन पर बजट बनाते समय वित्त मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि आज छोटे उद्योग संकट में हैं। देश में यह भावना दृढ़ हो रही है कि नए आर्थिक सुधारों के कारण छोटे उद्योग अब देश में पैरों पर खड़े नहीं रह सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योग सबसे बड़े रोजगार देने वाले उद्योग हैं और निर्यात में भी इनका योगदान है, लेकिन नई नीति उन उद्योगों के खिलाफ जा रही है। मंत्री महोदय बताएं कि वित्त मंत्री जी ने उनकी सिफारिशें कहां तक मानी हैं।

[अनुवाद]

श्री एम. अरुणाचलम : यह कहना सही नहीं है कि वित्त मंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी ; हमने इस सम्बन्ध में बात की, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कुछ रियायतों की घोषणा भी की।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह क्या है ? इससे सभा की संतुष्टि नहीं होगी। क्या यह सच नहीं है कि कुछ उद्योगों को छूट दी गई थी ?

श्री एम. अरुणाचलम : मैं कुछ उद्योगों का नाम गिना सकता हूं जिन्हें रियायतें दी गई हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : परन्तु मैं कुछ उद्योगों के नाम गिना सकता हूं जिन्हें रियायतें दिए जाने से इंकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सार यह है : क्या यह सच है कि नई कर प्रणाली के कारण लघु उद्योग को हानि होगी और यदि हां, तो क्या आप इसमें सुधार करेंगे ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इस सम्बंध में विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सम्बंधित मंत्री को और मुझे भी अभ्यावेदन किया गया है। **(व्यवधान)** हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। कुछ

रियायतों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। यदि कुछ और किए जाने की आवश्यकता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह किया जाएगा मैं सभा को आश्वास्त करना चाहता हूं कि बजट के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को हानि पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप को संतुष्ट होना चाहिए। आपको बहुत सकारात्मक उत्तर मिला है। अब कृपया अनावश्यक रूप से शिकायत मत कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लघु उद्योग को न केवल इस बजट द्वारा बल्कि इससे पहले के बजट द्वारा भी हानि पहुंचाई गई है। जब आप कहते हैं कि यदि लघु क्षेत्र की इकाई बैंक से 2 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेते हैं तो उन्हें बैंक अग्रिम से भी कोई विशेष रियायत नहीं मिलती है क्यों कि उस इकाई को भी उतनी ही ब्याज दर अदा करनी पड़ती है जितनी कि बड़े उद्योगों को। एक बात तो यह है।

दूसरे, इस बजट के अनुसार लघु क्षेत्र से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुल्क मिलने की भी संभावना है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बात से इंकार करें कि यह 100 करोड़ रुपये लघु उद्योगों को प्रतियोगिता से बाहर नहीं कर देगा। सार यह है कि हम बहुराष्ट्रिकों के बराबर हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीयकरण है और लघु उद्योग भारत के बड़े उद्योग के बराबर है और सभी क्षेत्र के उद्योगों को बराबर कर अदा करने पड़ेंगे। वित्त विधेयक का यही आघात है।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि न तो लघु क्षेत्र से खरीद करने में उपभोक्ताओं को हानि होनी चाहिए और न ही इससे लघु क्षेत्र को हानि होनी चाहिए। प्रश्न यह है और मैं उक्त आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार आम तौर पर इसी नीति का अनुसरण करती है।

श्री एम. अरुणाचलम : यदि आप लघु और ग्रामीण उद्योगों को ऋण देने की बात को देखें --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप लघु उद्योगों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाने जा रहे हैं ?

श्री एम. अरुणाचलम : जी हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरी समझ में उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है; वह इसका अनुपालन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, 6 अगस्त, 1991 को सरकार ने छोटे उद्योगों की सहायता के लिए एक नीति की घोषणा की थी, जिसमें दस सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था।

उसमें एक कार्यक्रम यह था कि ये उद्योग खासतौर से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और उन

क्षेत्रों में ज्यादा छोटे उद्योग भी हैं तो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह कहा गया था कि वहां जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उन पर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा और एक उसमें प्रधान मंत्री रोजगार योजना थी। लेकिन इन योजनाओं के बारे में ठोस नतीजे नहीं आ रहे हैं और प्रधान मंत्री जी ने यह वक्तव्य इस सदन में दिया था कि मैं पिछड़े जिलों को सांसदों को एक दिन बुलाकर उनसे बातचीत करूंगा। मैं जानता हूं कि व्यस्तता के कारण वे समय नहीं निकाल पाए।

श्री अटल बिहार बाजपेयी : पिछड़े सांसदों...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्रजीत यादव : पिछड़े इलाकों के सांसदों, उसमें शायद आप भी आएं...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहार बाजपेयी : मैं तो लखनऊ से हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधान मंत्री जी क्या इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके और जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना है उस पर कोई ठोस कदम उठायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं सभा को एक जानकारी दे सकता हूं। जिस दिन राष्ट्रपति जी ने हमें सम्बोधित किया, उनहोंने बताया कि 2000 लोगों को ऋण दिया जा चुका है। आज यह संख्या 40000 से अधिक है। यह है आज की स्थिति।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का संबंध है, मैं यह देखूंगा कि संसद सदस्यों के साथ जल्द से जल्द बैठक हो।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लघु क्षेत्र के लिए कोई नीति नहीं है। तो यह है जवाब।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संबंध है, लघु क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना के बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है और इस बारे में एक वक्तव्य भी दिया गया है। यह योजना पिछड़े क्षेत्रों का सन्तुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए है ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे इन क्षेत्रों में लघु उद्योग लग सके। इसी प्रकार विकास केन्द्र योजना (ग्रोथ सेन्टर स्कीम) नामक एक और योजना है यह भी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है ताकि वहां सन्तुलित विकास हो सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन दो योजनाओं की स्थिति क्या है जो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए बनाई है।

श्री एम. अरुणाचलम : समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना मार्च, 1994 में आरम्भ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े जिलों में 50 समेकित आधारभूत ढांचा विकास केन्द्र स्थापित करना है जहां लघु औौगिक एककों के लिए प्रर्याप्त आधारभूत ढांचा सृजित किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र पर पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी। और इसके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और तीन करोड़ रुपये एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा ऋण के रूप में दिए जाएंगे। अब तक चार परियोजनाओं

को मंजूरी दी गई है। एक परियोजना हरियाणा में, एक गुजरात में, एक कर्नाटक में और एक राजस्थान में है। इसके लिए भी धन उपलब्ध करा दिया गया है।

महोदय, जहां तक विकास केन्द्र योजना का संबंध है तो मुझे अपने माननीय सहयोगी जो इस विषय को दखे रहे हैं, से जानकारी एकत्र करनी है और तब मैं उन्हें जानकारी दे सकूंगा।

श्री ई. अहमद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि एक ही खिड़की पर पूरा कार्य योजना (सिंगल विंडो क्लीयेरेंस) आरम्भ की गई है। किन्तु, मंत्री महोदय के लम्बे-चौड़े दावों के बावजूद बहुत से राज्यों ने यह योजना कार्यन्वित नहीं की है। परिणाम स्वरूप उद्यमियों को मंजूरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और इसके मार्ग में बैंक भी रोड़ा अटकाए हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां, राज्य सरकारों ने एक ही खिड़की पर सारा कार्य योजना कार्यान्वित नहीं की है, वहां सरकार का क्या कदम उठाने का इरादा है।

श्री एम. अरुणाचलम : जहां तक इस पहलू का संबंध है, हमने दिल्ली में सभी राज्यों के लघु उद्योग मंत्रियों की बैठक की थी और सभी मंत्री एक ही खिड़की पर सारा कार्य योजना आरम्भ करने के लिए सहमत थे। कुछ राज्यों ने तो इस योजना को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, चार या पांच मंत्रालय इस काम में शामिल हैं। ये मंत्रालय हैं, उद्योग, पर्यावरण और वन, वित्त, तथा श्रम मंत्रालय जहां तक भारत सरकार का संबंध है हमने उद्योग मंत्रालय सम्मेलन में की गई सिफारिशों का पालन किया है।

अपशिष्ट पदार्थ उपयोग प्रणाली

*543. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में अपशिष्ट पदार्थ उपयोग प्रणाली के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अपशिष्ट पदार्थों और व्यक्त सामग्री को पुनः प्रयोग करने के संबंध में क्या प्रयास किए हैं और योजनाएं बनाई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तिमारपुर, दिल्ली स्थित अपशिष्ट पदार्थ निर्दहन एवं विद्युत उत्पादन संयंत्र (वेस्ट इंसीनेरशन-कम-पावर जनेरेशन प्लांट) को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(क) यह राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी है कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों सहित शहरी सफाई व्यवस्था की योजना बनाएं, उसे कार्यान्वित करें और उसका प्रचालन तथा रखरखाव करें। चुनिंदा शहरों में अपशिष्टों के उत्पादन और निपटान के लिए सर्वेक्षण करने हेतु केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कई नगर निगमों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) पुनःचक्रण और सामग्रियों के उत्पादन में पुनः इस्तेमाल के लिए उड़ने वाली राख (फ्लाई ऐश, तथा फास्फोजिप्सम के 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मात्रा में उपयोग हेतु उत्पाद शुल्क में छूट उपलब्ध है) फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम का इस्तेमाल करते हुए निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों, मशीनरी और पूंजीगत सामानों के आयात पर सीमा–शुल्क में छूट भी दी गई है। सौर तापीय विद्युत संयंत्रों को भी फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करने के निदेश दिए गए हैं।

पर्यावरणीय नियंत्रण और ऊर्जा प्रति प्राप्ति पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं तैयार की गई हैं और अपशिष्टों तथा अन्य निपटान सामग्रियों के पुनःचक्रण के लिए प्रचालन में हैं। विभिन्न शहरों के मलजल को मुख्य जल धाराओं में मिलने से पूर्व शोधित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत गंगा कार्य योजना यमुना कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार की गई हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने यू एन डी पी/जी ई एफ की सहायता से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा शहरी, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्टों से उच्च दर बायोमैथेनेशन प्रक्रियाओं के विकास पर एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि सम्पत्तियों के वैकल्पिक उपयोगों की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है क्योंकि संयंत्र को जैसे स्थापित किया गया था, वह उपलब्ध कूड़े-कचरे की अति निम्न किस्म/निम्न उष्मीय क्षमता के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दिखा पाया।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, देश के शहरों में ठोस कचरे की समस्या अत्याधिक बढ़ती जा रही है। विशेषकर मच्छरों का प्रकोप एक बड़ी समस्या है। बहुत से शहरों में कूड़े के बड़े-बड़े ढेर बन जाते हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि क्या कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समुचित अनुसंधान भी नहीं किया गया है। दिल्ली में 'तिमारपुर परियोजना' नाम की एक परियोजना बनाई गई थी। यह परियोजना 1984 में आरम्भ हुई थी। दुर्भाग्यवश, उष्मोत्पादक प्रभाव के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई है। इस परियोजना के लिए आवश्यक उष्मीय मूल्यांकन 1400 है जबकि यह 1600 से 800 है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस परियोजना में कोई तकनीकी संशोधन करना होगा, और यदि हां, तो क्या इसे लागू किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन चाकोल (काठकोयला) परियोजना है विशेष रूप से यह परियोजना मुम्बई में लागू की गई थी और इसको बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी चाकोल परियोजनाएं हैदराबाद, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में भी लागू की जाएगी।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के पहले भाग का जहां तक संबंध है, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो देश के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए एक मुख्य मंत्रालय है की कचरा उत्पत्ति संग्रहण और प्रबंध के व्यापक सर्वेक्षण के लिए महानगरों की सहायता की एक योजना है। इस योजना के अधीन सर्वेक्षण करने के लिए अनेक शहरों की सहायता की गई है और सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। कुछ परियोजनाएं पहले ही सूची में हैं।

दिल्ली की तिमारपुर परियोजना के बारे में, यह सच है कि 1990 के प्रारम्भ में 'डानिडा' की सहायता से 20 करोड़ रुपये की एक परियोजना मेरे मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश तकनीकी दृष्टि से यह परियोजना सफल नहीं रही क्योंकि कच्चे माल के रूप में जो कचरा उपलब्ध था उसका उष्मीय महतव मूल रूप से अनुमानित महत्व से काफी कम था। इसलिए मुकदमे बाजी हुई। हमने न्यायालय में फर्म के विरुद्ध केस लड़ा। न्यायनिर्णय के लिए यह मामला लंदन के न्यायालय में पहुंचा। परन्तु दुर्भाग्यवश, न्यायाधीशों ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया। हमारा कथन यह था कि परियोजना के सहभागियों ने कचरे को पहले ही देख लिया था, तथा परियोजना बनाते समय कचरे की गुणवत्ता पर भी विचार कर लिया था। परन्तु न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि समुचित गुणवत्ता वाला कचरा ढूंढना और उसे कच्चे माल के रूप में देना हमारा कार्य था। अब मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार संयंत्र बंद कर दिया गया है। हमारे निर्देश है कि हमें इन परिसम्पत्तियों का बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए तरीके ढूढंने चाहिए। हमने लगभग 20 करोड़ रुपये मूलय के इस संयंत्र के उपयोग के बारे में परामर्शदाताओं, तकनीशियनों और उद्यमियों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए हैं। हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। कचरे का स्तर बढ़ाकर या बेहतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इस संयंत्र का उपभोग करने की विभिन्न विधियां हैं। जैसे ही इन प्रस्तावों का मूल्यांकन हो जाएगा, हम शीघ्र निर्णय लेंगे और हमारा यह प्रयास होगा कि इनका अधिकतम प्रयौग किया जाए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मंत्री महोदय मुम्बई में शुरू की गई चाकोल परियोजना के बारे में उत्तर दें।

श्री एस॰ कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य का इशारा शायद उस प्रस्ताव की ओर है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभाग द्वारा रखा गया है और जो मुम्बई में श्री गौरीकर, जो उस मंत्रालय में सचिव थे, के नाम से कार्यान्वित किया जा रहा है। दो मीट्रिक टन प्रति घंटा वाला एक अग्रणी संयंत्र स्थापित किया गया है। उपलब्ध विभिन्न किस्म के कचरे के कारण इस परियोजना का भी मूल्याकंन किया जा रहा है। यह कचरा संग्रहण कचरे की छंटाई और कचरे के प्रयोग से सम्बंधित है। मुख्य संयंत्र ने कचरे से ईंधन गुटिकांए तैयार करने में अपनी तकनीकी क्षमता सिद्ध कर दी है। 80 टन ईंधन गटिकाएं प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है। ज्यों ही मूल्याकंन पूरा हो जाएगा, हम इस परियोजना को पूर्ण रूप से लागू कर देंगे और यह शायद हमारे देश के अन्य शहरों में कचरा निपटान से जुड़े अन्य संयंत्रों के लिए एक आदर्श होगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, एक ओर तो विद्युत उत्पादन की लागत बहुत अधिक है तथा दूसरी ओर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम भी बहुत जरूरी है। देश में बहुत अधिक मात्रा में कृषि कचरा उपलब्ध है। देश में कपास, पटसन और मक्का आदि का 370 टन कृषि कचरा मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन पदार्थों का इस्तेमाल करके ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं बनाएगी ? यदि ठीक तरीके से अनुसंधान किया जाए तो मैं आशा करता हूं कि किफायती विद्युतीकरण परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकती हैं।

श्री एस॰ कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में कृषि अपशिष्ट

और कृषि-औद्योगिक कचरे के रूप में अत्यधिक संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 32 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट और 5 करोड़ टन कृषि औद्योगिक कचरा प्रति वर्ष उपलब्ध होता है। मोटे तौर पर इस संसाधन का 30 प्रतिशत अब बेकार चला जाता है, खेतों में जला दिया जाता है, या उसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता। सैद्धान्तिक रूप से हम इस संसाधन से लगभग 17,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।

इस बारे में मंत्रालय का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। वास्तव में हमारा परम्परागत बायो गैस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के प्रयोजन से पशुओं के गोबर को इस्तेमाल करने का प्रयत्न है। देश भर में 1400 बायो-गैस संयंत्रों की मदद से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। हमने बायो-मास कार्यक्रम आरम्भ किया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न कृषि कचरे के बारे में है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, मैं अपना उत्तर सीमित कर रहा हूं। हमने कृषि कचरे से बायो-मास ब्रिकेटिंग कार्यक्रम आरम्भ किया है। आशा है इससे प्रतिवर्ष दस लाख टन कायेले की बचत होगी। हमने खोई से चीनी उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया है। ऐसे कई कार्यक्रम है और सरकार इस संसाधन का इस्तेमाल करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

श्री पाला के.एम. मैथ्यू : महोदय, प्रश्न कचरे के उपयोग का अध्ययन के बारे में है और इसमें कृषि कचरा, औद्योगिक कचरा तथा अन्य कई प्रकार का कचरा शामिल है। देश में काफी मात्रा में कृषि कचरा उपलब्ध है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश में विशेष कर केरल में और खासकर से मेरे कृषि प्रधान जिले इडुकी में, कृषि कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं प्रारम्भ और कार्यान्वित की हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, मैंने रूप देखा मैं इस मंत्रालय के तत्वाधान में पलने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। यह बायो-गैसीफिकेशन, बायोमास बिकेटिंग और खोई के इस्तेमाल से चीनी मिलों में सह-उत्पादन से संबंधित हैं। हमारे कुछ नए कार्यक्रम भी हैं जैसे बायोमास से इथनोल का उत्पादन जो अन्य देशों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है जो अभी अनुसंधान और विकास के चरण में हैं।

पंजाब में धान की भूसी पर आधारित एक 10 मेगावाट का विद्युत संयंत्र आरम्भ किया जा चुका है। केरल में इस प्रकार की कोई उल्लेखनीय परियोजना नहीं है। बायोमास, देश के सभी 430 जिलों और 6,00,000 गांवों में उपलब्ध है। हमारा एक कार्यक्रम जारी है और हमने नवीनीकृत ऊर्जा के इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : महोदय, कचरे की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। सभी देश रेडियो सक्रिय कचरे सहित अपना कचरा निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा प्रश्न दो भागों में है। पहला भाग यह है कि क्या पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका से पुनः प्रयोग के लिए भारत में कतिपय कचरे का आयात किया गया ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या इस बारे में कोई आपत्ति हुई थी। दूसरे

इस बारे में समाचार है कि अमरीका और कुछ यूरोपीय देश गहरे समुद्र में अपना रेडियोधर्मी कचरा डाल रहे हैं। क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाया है ताकि इससे हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : यह निपटान के बारे में नहीं है। यह तो अपशिष्ट के उपयोग के बारे में है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, मैं प्रश्न के पहले भाग का ही उत्तर दूंगा। हमारे पास कुछ भारतीयों तथा विदेशियों से भारत में बायोमास अपशिष्ट पदार्थ आयात करने के बारे में प्रस्ताव आये हैं। जिसे ऊर्जा और उर्वरक के उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यावरणीय संकट तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में ही उपयोग किए जाने के लिए बायोमास पर्याप्त उपलब्ध है, हमने इन प्रस्तावों पर गौर नहीं किया और हमने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

ओषध नीति

***544 श्री तेज नारायण सिंह : क्या रसायन ओर उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध नीति, 1986 के विभिन्न पहलुओं/प्रावधानों की पुनरीक्षा को अतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन से पहलुओं की अभी जांच की जा रही है; और

(घ) इन पहलुओं को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा और इस नीति को कब तक घोषित कर दिया जाएगा ?

[हिन्दी]

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) औषण नीति, 1986 के विभिन्न पहलुओं/प्रावधानों की पुनरीक्षा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विद्यमान प्रावधानों में अपेक्षित संशोधनों को अन्तिम रूप देने के बाद संशोधित औषध नीति की घोषणा की जाएगी।

श्री तेज नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जवाब पढ़ा और मुझे उम्मीद थी कि सरकार जवाब साफ देती। लोक सभा के चलने का भी समय 11 बजे फिक्स है लेकिन जवाब से मालूम होता है कि सरकार का कोई समय फिक्स नहीं है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने 1986 की ओषध नीति की पहलुओं का रेव्यू किया है ? अगर किया है तो किन–किन पहलुओं का रेव्यू किया है और अगर नहीं किया है तो कब तक इन पहलुओं का ऐक्जामिन कराएंगे ?

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष जी, विगत 1978 से यह पहलू लोगों के सामने है और खासतौर से 1986 से लगभग नौ साल बीत रहे हैं। उसमें हर पहलू पर एक बार नहीं, बीस बार तजबीज की गई और सारे पहलुओं का विचार में रखकर, स्टैण्डिंग कमेटी की रिर्पोट को, ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को, सेक्रेटेरिएट की रिर्पोट को, सभी को जमा करके एक साथ समीक्षा की जा रही है और निकट भविष्य में इसका रिजल्ट माननीय सदस्य पा जाएंगे।

श्री तेज नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, फिर मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि कितने दिन में यह कर लेंगें। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक महीना या दो महीने कितने समय में पूरा कर लेंगे। क्या सरकार को यह जानकारी है कि आखिर इस को जल्दी नहीं किए जाने के कारण दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग उन दवाइयों को नहीं खरीद पाते हैं और वह दवाओं के अभाव में मर जाते हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव : मैंने कहा कि अभी मात्र 9 साल ही बीत रहे हैं और निकट भविष्य में इसका समाधान हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जिन पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया है उन सारे पहलुओं पर हमारा ध्यान पहले से है और उन्हें सामने रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब इस सदन में ड्रग पोलिसी पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी मैंने इस सवाल को उठाया था कि भारत सरकार की जो ड्रग पौलिसी है वह सिर्फ एलोपैथी ड्रग पौलिसी है उस समय आपने भी सरकार से पूछा था कि क्या कोई नई ड्रग पोलिसी बनायी जाएगी और उसमें एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदी, यूनानी आदि देसी चिकित्सा प्रणाली पर आधारित जितनी दवायें हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए एक सम्यक नीति सरकार बनायेगी ?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : यहां हम नई औषध नीति के बारे में बातें कर रहे हैं। हम नई स्वास्थ्य नीति की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री नीतिश कुमार : यह क्या है ? क्या यह स्वास्थ्य नीति है ?

आपका मतलब है कि आयुर्वेदिक ड्रग कोई ड्रग ही नहीं है।

मैंने तो जानबूझकर छोटा-सा सवाल आपसे पूछा था।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह मामाला औषध नीति, 1986 की समीक्षा करने से संबंधित है। यह औषध नीति है। औषध नीति का सीमित दायरा है। यह औषध मूल्यों, उसकी गुणवत्ता और रसायनिक एककों से संबंधित हैं। तथापि, प्रधान मंत्री महोदय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यदि मैं ऐसा कहूं नई ओषध नीति में आगे से आयुर्वेद, सिध्दा, यूनानी आदि दवाइयों को परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विशेष उल्लेख किया जायेगा व बल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि औषध नीति के तहत आपने केवल एलोपेथी औषधियां और उनमें भी केवल रसायन को ही स्वीकार किया है। आयुर्वेद में रसायन का अलग से एक चैप्टर है जिसमें लिखा है-'यद्‌चरा व्याधि विद्धन्ति तत्सभ्यमं ही रसायनम्" - यहां जरा से मतलब बुढ़ापे से है जो बुढ़ापे और दूसरी व्याधियों को नष्ट करे ऐसी सब औषधियां रसायन औषधियां कहलाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सांगोपांग विचार न करके, आयुर्वेद पर भी आप विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है शायद आपने हिन्दी में उसे सुना नहीं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं सारी औषधियों की बात नहीं कर रहा हूं मेरा निवेदन करना है कि आयुर्वेद में अलग से जो रसायन का वर्णन किया गया है चूंकि आप रसायन मंत्री हैं क्या आप आयुर्वेद की रसायन पद्धति पर भी आप कोई नीति निर्धारित करेंगे ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में उपचार करने तथा क्लिनिक के कई फायदे हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैंने स्वास्थ्य नीति और औषध नीति का मुद्दा क्यों उठाया है। इसका कारण यह है कि यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन है। उदाहरण के लिए यूनानी और अन्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों स्वास्थ्य मंत्रालय के देखरेख में चलती हैं जबकि औषध नीति रसायन एकक इस मंत्रालय की निगरानी में चलते है।

तथापि मैं तो कहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता न केवल हमारे देश में है बल्कि इसकी मान्यता कई अन्य देशों में भी है। हम परम्परागत चिकित्सा पद्धति की 100 करोड़ रुपए से अधिक की औषधियों का जापान, इटली, ब्रिटेन, और कई अन्य देशों को निर्यात करते हैं । इस विषय की जांच की जा रही हैं। आयुर्वेद की पुस्तकों और उसकी कतिपय दुर्गम्य बातों के दायरे में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों पर अनुसंधान और विकास किया जा रहा है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि औषध नियंत्रक कार्यालय ने हाल ही में इन्जैक्शन से दिए जाने वाले गर्भ निरोधक हारमोन डेपो प्रोवेरा की अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण किए बिना इसके भारत में उत्पादन करने तथा बचने की अनुमति दे दी है। मैं यह जानना चहाता हूं कि औषध नीति की पुनरीक्षा से जिसके अन्तर्गत आयात उदारीकरण अपनाया गया है। यह मामला कैसे जुड़ा हुआ है इस पर पुनरीक्षा अभी चल रही है और यदि ऐसी पुनरीक्षा अभी भी चल रही है तो अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण किए बिना इस खतरनाक औषध का आयात क्यों किया जा रहा है ? क्या उदारीकरण से यही अर्थ है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह पूर्णतः सवास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रण में है यह मामला हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। औषध नियंत्रक स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। उसका कार्यकरण स्वास्थ्य मंत्रलाय की निगरानी में चलता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य से विशिष्ट है। यह नीति के सामान्य पहलुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विशेष मंत्रालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है सिक लार्च स्केल में बनने वाली दवाओं को बड़ी-बड़ी कंपनियां स्माल स्केल यूनिटों में बना रही हैं। ताकि वे प्राइस कन्ट्रोल से बाहर रह सकें और इस प्रकार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं ? इसी प्राकर की एक दवा **"Vikoryl"** हैं इसमें "V" को बदलकर "W" कर दिया गया है ओर यह दवा स्माल स्केल सैक्टर में बन रही है जिसके कारण करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और देश की जनता को दवा महंगी मिल रही है अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी दवा कंपनियां इस प्रकार से करोड़ों रुपए लूट मचा रही हैं और देश की जनता का शोषण हो रहा है यह विकोरल का 10 गोली का पत्ता 9 रुपए में मिलता था अब नाम बदलकर वही पत्ता जनता को 12 रुपए में मिल रहा है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है और क्या सरकार इसको कंट्रोल में लाना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें से नहीं आता है, तो भी मैं आपको अलाऊ करूंगा।

[अनुवाद]

मंत्री जी, यदि आपको जानकारी है तो आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ऐसी घटनाएं हो रही है जिनमें संगठित क्षेत्र मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए अपने सामने लघु औद्योगिक इकाई स्थापित कर देता है जब हम लघु औद्योगिक इकाई का समर्थन करते हैं तब यह समर्थन उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हम इस तरह के कदाचार को दूर करने के लिए औषध नीति की पुनरीक्षा करने में कुद उपाय ढूंढ निकालेंगे।

लघु उद्योग विकास संगठन

***547. श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम-सामान्य सुविधा केंद्रों के कार्यकरण में सुधार लाने, लघु उद्योग के एककों का आधुनिकीकरण करने, उनके उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने, उत्पादों के विपणन और परीक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं तथा चंडीगढ़ में लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत उद्यमों के विकास हेतु योजनाएं भी बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन पर कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय के लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) लुधियाना में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान (सीडी के अधीन) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है इसके अलावा चंडीगढ़ ओद्योगिक और पर्यटन विकास निगम और उद्योग निदेशक के जरिये चंड़ीगढ़ के उद्यमियों को सामान्य सुविधा, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता विपणन और परीक्षण तथा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता दी जाती है।

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सामान्य सुविधा केन्द्र और गुणवत्ता विपणन केन्द्रों पर चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम का खर्च क्रमशः 19.5 लाख रुपये, 21.5 लाख रुपए और 22.5 लाख रुपये था।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हम आधुनिकीकरण अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता की बात करते हैं। लेकिन चंडीगढ़ के उद्योग के प्रति पक्षपात महसूस होता है। यहां तक कि लघु एककों के कार्यकरण में सुधार के लिए संसाधनों में थोड़ी वृद्धि करने के आवेदनों पर भी भौंह सिकोड़ी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासन को कोई दिशा निर्देश या हिदायतें जारी की गई है कि इस महत्वपूर्ण शहर में एक बार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आवेदनों पर अनुकूल दृष्टिकोण से विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार से यह काफी बहुपक्षीय प्रश्न है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने केवल तीन बातों का जिक्र किया है। एक यह है कि हम उत्पादन और उत्पादकता पर बल देना चाहते हैं। दूसरे छोटे एककों के लिए अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदनों को प्रोत्साहित नही किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, औद्योगिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। भाई हमारे मंत्रालय से संबंधित कोई विशिष्ट समस्या। हमारे ध्यान में लाई जाती है तो हम उस पर चंडीगढ़ प्रशासन के साथ विचार करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं छोटे उद्यमियों की विशिष्ट समस्या के बारे में बोल रहा हूं जोकि वे अपना स्वयं का अनुसंधान विकसित करना चाहते हैं। यह अन्य स्थानों पर भी लागू होगा। यदि वे अपनी फैक्ट्रियों के कार्यकरण में कुछ सुधार लाना चाहते हैं उसे प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसका अभिप्राय अतिरिक्त संसाधनों से है। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। दस वर्षों से आवेदन लंबित पड़े हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : चंडीगढ़ में विभिन्न सुविधाएं हैं। वहां पर विभिन्न संस्थान लघु उद्योगों के विकास और उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहां पर औद्योगिक विकास केन्द्र, गुणवत्ता केन्द्र (विद्युत) और बहु-उद्देश्यीय औद्योगिक समुदाय केन्द्र हैं। ये संस्थान लघु उद्योगों के उत्पादन में सहायता कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : हमें बताया गया है कि वास्तव में 'सिटको' ऐसी एजेंसी है जो लघु उद्यमियों के हितों को देखती है। 'सिटको' उद्योगों के लिए एक प्रकार की प्रतिद्वंद्वी है वे कहते है कि वे वाणिज्यिक क्षेत्र में हैं। उद्योग के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि 'सिटकों' वास्तव में वहां पर निजी क्षेत्र को विकसित करने हेतु कार्य करने के लिए अधीकृत है। प्लाटों के आवेदन किए गए हैं। पैसा जमा करवा दिया गया था, दस वर्ष से कुछ नहीं किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि 'सिटको' अपनी यह भूमिका छोड़ दे तथा वहां पर उद्योग की सहायता करे।

श्री एम. अरुणाचलम : चंडीगढ़ में 'सिटको' में कार्य नहीं है। हम सिटको के माध्यम से राज्य सरकरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

यात्री विमान

*548. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 100 सीटों वाले यात्री विमान का डिजाइन तैयार करने के लिए नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी इस पेशकश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत आए चीनी वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 1993 में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (एनएएल) का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने 100 सीटों वाले यात्री विमान का डिजाइन तैयार करने के लिए एनएएल के साथ सहयोग करने की रुचि दिखाई । चाइनीज एयरोना टिकल एस्टाब्लिशमेन्ट (चीनी वैमानिकी स्थापना) ने चीनी विमान स्थापनाओं का निरीक्षण करने तथा यात्री विमान के डिजाइन सहित वैमानिकी में आगामी सहयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए एनएएल के दल को आमंत्रित किया है।

(ग) और (घ) नागरिक विमानों के अनुसंधान व विकास पहलुओं सहित वेमानिकी में सहयोग हेतु चीनी प्रस्ताव का एनएएल/सीएसआईआर द्वारा स्वागत तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। एनएएल ने भी खोज संबंधी मिशन के रूप में चीन के दौरे हेतु चीन के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सहयोग यदि कोई है, तो वह चीन के इस खोज संबंधी मिशन के प्रतिवेदन/संस्तुति पर निर्भर करेगा, जोकि अभी होना है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : इस संबंध में भारत सरकार को कौन-सी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं,

यदि सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो इसे चीन सरकार ने सच आदान-प्रदान हेतु उन्होंने इसे आर्थिक रूप से कहां तक व्यवहार्य पाया है ? क्या हमारी सरकार समझती है कि बाजार में प्रवेश हेतु क्या ये विमान समुचित तौर पर सक्षम है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समझती है कि उसे चीन सरकार के पास सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी कितनी है। यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रही है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने कहा है कि यह केवल संभावनाएं तलाश करने की बात है। मिशन चल रहा है हम बात कर रहे हैं और हम अपना मिशन भी भेज रहे हैं अतः यह अभी कुछ कहना जल्दी वाली बात होगी और अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : यदि रिपोर्ट आती है तो क्या अब इस दिशा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : कुछ रिपोर्ट पर आधारित करता है तभी हम निजी या सरकारी क्षेत्र की चर्चा करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जैसाकि हम जानते हैं कि अविकसित क्षेत्र के लिए किसी अन्य क्षेत्र में भी भारत और चीन के बीच सहयोग अधिकाधिक महत्वपर्ण होता जा रहा है। यह एक अन्य अवसर है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। 1993 में जब उनका प्रतिनिधिमंडल आया था तो उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था। क्या हम वास्तव में इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि अब मई 1994 है और वर्ष से अधिक का समय समाप्त हो गया है। मैं केवल जानना चाहता हूं कि आपका अपने मिशन को कब भेजने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अपने उत्तर में बहुत सकारात्मक बात कही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा है कि वे इस मामले में कहां तक पहुंचे हैं। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मामला मानता हूं इसलिए मै। यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हमेशा की तरह बहुत तेजी से।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम

*549. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु इस समय केन्द्रीय सरकार के पास संयुक्त उद्यमों संबंधी राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन उद्यमों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और

(घ) इन संयुक्त उद्यमों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) विदेशी निवेश, प्रस्ताव प्राप्त होना और इन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है। 31 मार्च, 1994 को 206 प्रस्ताव भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में लम्बित थे जिनमें लगभग 4,000.00 करोड़ रु. अन्तर्ग्रस्त थे। इन आवेदनों के राज्य-वार ब्यौरे संसद के सभा-पटल पर रखे जाते हैं। कई प्रस्तावों में रोजगार संबंधी आंकड़े तथा उत्पन्न होने वाली संभावित निर्यात आय को नहीं बताया गया है इसलिए इस संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिस राज्य में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	1
4.	अंडमान एवं निकोबार	3
5.	बिहार	1
6.	दिल्ली	16
7.	गोआ	2
8.	गुजरात	11
9.	हरियाणा	4
10.	कर्नाटक	12
11.	केरल	1
12.	महाराष्ट्र	45
13.	मध्य प्रदेश	9
14.	उड़ीसा	2
15.	पंजाब	5

1	2	3
16.	पांडिचेरी	4
17.	राजस्थान	4
18.	तमिलनाडु	25
19.	उत्तर प्रदेश	9
20.	पश्चिम बंगाल	6
21.	स्थापना स्थल नहीं दर्शाया गया।	23
	योग :	206

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रौद्योगिकी के बारे में भारत-संयुक्त राष्ट्र समझौता

*545. **श्री वेंकटेश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के अंतरण संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह समझौता भारत और तीसरी दुनिया को कहां तक मदद करेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

546. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष के प्रशासन के लिए कोई प्राधिकरण गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निदेश-पद क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय उद्योग विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि का प्रशासन करने के लिए सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के अधीन राष्ट्रीय नवीकरण नीधियों से सहायता और निधि के संचालन संबंधी मामलों पर विचार करता है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

*550. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्धनों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु गठित विशेषज्ञ दल ने ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश अथवा मानदंड सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दिशा-निर्देशों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1991 की जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

(1) न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग के प्रक्षेपण पर कृतिक बल द्वारा सिफारिश की गई गरीबी रेखा अर्थात् वर्ष 1973-74 की कीमतों पर 49.09 रुपये (ग्रामीण तथा 56.64 शहरी) के मासिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय को अखिल भारतीय स्तर पर आधार रेखा के रूप में अपनाया जाना चाहिए इसे 1973-74 में प्राप्त खपत पैटर्न के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन की खुराक तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दैनिक खुराक के साथ शामिल किया गया। इस दल ने यह भी सिफारिश की है कि इन मानदंडों को सभी राज्यों के लिए एकरूपता से अपनाया जाना चाहिए।

(2) राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा का अनुमान निम्नानुसार लगाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से संगत मानकीकृत कमोडिटी बास्केट को आधार वर्ष अर्थात 1973-74 में प्रत्येक राज्य में प्रचलित कीमतों पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। किसी दिए गए वर्ष में चालू कीमतों से गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए एक राज्य-विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए 1973-74 में गरीबी रेखा के आसपास गरीबी जनसंख्या का 20 से 30 प्रतिशत के अखिल भारतीय खपत पैटर्न को राज्य विशिष्ट वेटलाइन आरेख बनाना चाहिए।

(3) यह आवश्यक है कि चुने गए अपस्फीतिकारकों को निम्न तीन प्रमुख आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। (1) इन्हें राज्य विशिष्ट आधार वर्ष कीमतों को अपनाते हुए राज्य विशिष्ट संगत होना चाहिए। (2) इन्हें जितना अधिक संभव हो सके उतना गरीबी रेखा के आसपास रहने वालों की खपत बास्केट से संगत कीमतें प्रतिर्बिबित करनी चाहिए और (3) अपवस्फीतिकारकों के निर्माण के लिए आंकड़ा आधार आवधिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए जो राज्यों के बीच तुलनीय तथा संगत हो।

(4) यह दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ग्रामीण गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए कृषि श्रमिकों (सीपीआईएएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक से डिसएग्रीयेटेड वस्तुओं सूचकों पर और शहरी गरीबी रेखा को अपडेट करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआईआईडब्ल्यू) और हाथ से काम न करने वाले कर्मचारियों (सीपीआईएनएम) के उपयुक्त भरण उपभोक्ता सूचक के साधारण औसत पर निर्भर करना अति उपयुक्त होगा।

(5) अद्यतन राज्यवार गरीबी रेखाओं और समतुल्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (पीसीसीई) के परिणाम वितरण पर कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गरीबों की संख्या अथवा गरीबी अनुपात प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य में गरीबों की सुनिश्चित संख्या महाराजिस्ट्रार जनगणना द्वारा दी गई प्राक्कलित जनसंख्या पर गरीबी अनुपात लागू करके निकाली जानी चाहिए। अखिल भारतीय (ग्रामीण और शहरी) गरीबी अनुपात कुल अखिल भारतीय (ग्रामीण और शहरी) जनसंख्या के अनुसार राज्य-वार गरीब व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में निकाला जाना चाहिए। उसी एनएसएस सर्वेक्षण से प्राप्त अखिल भारतीय गरीबी अनुपात और व्यय श्रेणियों द्वारा अखिल भारतीय जनसंख्या वितरण का प्रयोग करके निर्विवाद अखिल भारतीय गरीबी रेखा निकाली जाए।

(6) उन राज्यों के संबंध में जहां गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात संबंधी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना कठिन होता है, क्षेत्रों की प्राकृतिक संलग्नता और आर्थिक रूपरेखा की समानता जैसा कि अन्य आर्थिक पैरामीटरों द्वारा दर्शाया गया है, पड़ौसी राज्यों से निर्धारित कर ली जाये।

(7) राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण खपत सर्वेक्षण जो प्रति पांच वर्ष राज्य स्तर आंकलनों के औसत प्रति व्यक्ति कुल उपभोक्ता व्यय और औसत के आसपास जनसंख्या के परिमाण वितरण के अनुमान प्रदान करता है। पंचवार्षिक आधार पर आकलन के लिए सूचना का मुख्य स्रोत होना चाहिएं जब और जैसे ही विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण के पंचवार्षिक एनएस राउंड के राज्यवार परिणाम उपलब्ध हों, सिफारिश की गई पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या अनुपात और गरीबी अनुपात वर्ष 1977-78, 1983 और 1987-88 और उसके बाद के वर्षों के निकाले जायें।

(8) दल राज्यों द्वारा और शहरी तथा ग्रीमण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात के आकलन के लिए (बिना किसी समंजन के) घरेलू खपत व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर ही भरोसा करने के पक्ष में हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन से (एनएसएसओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े गरीबी आकलन का आधार हैं। जनगणना क्रियाकलाप गरीबी के निर्धारण को कवर नहीं करते।

औद्योगिक विकास

*551. **श्री के. प्रधानी :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को हाल ही में देश में औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परिषद द्वारा शुरू किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औषधियों और भेषजों, नैदानिक किट्स, उत्प्रेरक, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, चमड़ा उपस्कर और मशीनरी और कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप बहुत-सी तकनीकी जानकारियों/ प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उद्योगों को विमोचित की गई हैं। इन क्षेत्रों में विकसित की गई कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां उनके उपयोग और स्तर के साथ परिशिष्ट में दी गई हैं।

विवरण

1. औषधियां और भेषज

तकनीकी जानकारी/प्रौद्योगिकी	उपयोग/महत्व	स्तर
1	2	3
सैंटक्रोमन खाने की गर्भनिरोधक	सीएसआइआर द्वारा संश्लेषित नोबल ड्रग मोलिक्यूल। बहुप्रयोजनीय निदानात्मक गतिविधियां गर्भनिरोधक एंटीब्रेस्टकेंसररेसंटेनोसिस	गर्भ निरोधक के रूप में : हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लि॰ द्वारा निर्मित और विपणित किया गया। ऑपस्टोपोरोसिस प्रतिकारक के रूप में : जाइमोजेन्टिक्स, यूएसए के साथ सहयोग औषधालय संबंधी परीक्षणों के लिए ब्रेस्टकेंसर प्रतिकारक के रूप में : औषधालय के फेस–3 परीक्षण जारी हैं।
आरयू–486 एबोरटिफेसिएन्ट	एक एमएनसी का एकाधिकारः गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शल्य विकल्प; विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीएसआइआर से प्रक्रम विकसित करने के लिए अनुरोध किया।	नवीन, सस्ता प्रक्रम विकसित किया गया और सिपला को लाइसेंस दिया गया।
पेंटामिडीन लेसमानियासिस चिकित्सा	काला ज़ार की चिकित्सा के लिए नवीन प्रक्रम रूट विकसित किया गया।	

ऑटिथर मलेरिया रोधक	सेरेबेरल मलेरिया की चिकित्या के लिए। कश्मीर में उगने वाले ऑटेमिसिया पौधे से निकाला गया।	तीसरे चरण के लिए औषधालय परीक्षण जारी हैं; थेमिस फार्मास्यूटिकल्स लि॰ के साथ वाणिज्यिककरण के लिए बातचीत .
रोक्सिथरोमाइसिन बेक्टिरिया रोधी	अर्ध संश्लेषित एंटीबायोटिक। नवीन सस्ता प्रभावकारी प्रक्रम विकसित किया गया।	लूपिन लेबोरेट्रीज़ द्वारा भारत में बनाया गया तथा विपगणन किया गया।
स्ट्रपटोकिनासी थरमबोलाइटिक	सीबी डिआर्डर्स से खून के थक्कों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है; रीकोमबिनेंट तकनीक का प्रयोग करने के लिए भारत में प्रथम औषधि	गोदरेज सोप लि॰ को लाइसेंस दिया गया। औषधालय परीक्षण अभी किए जाने हैं।
पिगक्रोलिव हैप्टाप्रोटेटिव	देशी पीकोरहिज़ा कुरोआ पौधे से सीएसआइआर द्वारा यह औषधि निकाली गई। लीवर की तकलीफों के लिए प्रभावकारी। भारत में पेटेंट किया गया।	अंतिम चरण के औषधालय परीक्षण जारी हैं। धूपर इंटरफैरन लि॰ को इसको बनाने और विपणन करने का लाइसेंस दिया गया।
ऑनडानसेट्रोन एंटी–एमेटिक	यह औषधि केमोथरोपी के साथ मिलाकर केंसर के लिए दी गई। सस्ता प्रभावकारी प्रक्रम	इसका बनाने और विपणन करने का लाइसेंस सिपला को दिया गया।
2. नैदानिक किट (डाइग्नोस्टिक किट लइसमानियासिस (काला जार) नैदानिक किट)	उपलब्ध नैदानिक किट्स मध्य रात्रि में जब रोग वेक्टर बहुत सक्रिय हो जाता है तब रक्त का नमूना लेने के लिए आवश्यक होती है। सीएसआइआर किट से जल्दी और प्रभावकारी क्षेत्रीय निदान होता है।	स्पान डाइग्नोस्टिक्स लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया।
ब्लड ग्लूकोस सेंसर	व्यक्ति द्वारा रक्त ग्लूकोस स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक सस्ती शीघ्र पद्धति	एक लघु स्तर यूनिट फरीदाबाद को इसे बनाने का लाइसेंस दिया गया।

3. उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट)

1	2	3
हाइड्रोडेबेक्सिंग केटेलिस्ट	नवीन, इस प्रकार का प्रथम जियोलाइट आधारित कैटेलिस्ट हल्के फरेक्सनों में भारी पैट्रोलियम कच्चे तेल की हाइड्रोडेबेक्सिंग के लिए।	यूनाइटेड कैटेलिस्ट (इंडिया) लि. (यूसी आइएल) द्वारा निर्मित; हालैंड में प्रमुख बहुराष्ट्रीय को प्रौद्योगिकी और उत्प्रेरक निर्यात की जाती हैं।
पीटी–रे रिफोरमिंग कैटेलिस्ट	गैसोलिन की ऑक्टेन संख्या उन्नयन में और बैनज़िन तथा टोल्यूईन के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीएसआइआर द्वारा विकसित इस प्रक्रम ने भारत को इसके निर्माण करने वाले चार देशों में एक स्थान प्राप्त कराया है।	आइपीसीएल द्वारा उत्पादित और एमआरएल तथा आइपीसीएल द्वारा प्रयोग की जा रही है।
डाइथिल बैंजिल कैटेलिस्ट	जियोलाईट आधारित अपने किस्म का पहला नवीन उत्प्रेरक है जो एथाइल बैंजीन को पी–थाइलबैंजिन में यूडीपी के एकाधिकर उत्पाद के परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है।	हिन्दुस्तान पॉलिमर, विशाखापट्टनम द्वारा इस उत्प्रेरक का उपयोग किया जा रहा है।
मैथानॉल टू फोरमलडिहाईड कैटेलिस्ट	फोरमलडिहाईड में मैथानॉल को परिवर्तित करने के लिए उन्नत लौह–मोलाईबडेट (फी–मो) उत्प्रेरक; 10 प्रतिशत से अधिक फोरमलडिहाईड का उत्पादन बढ़ाना।	इंटरनेशनल कैटेलिस्ट लि., पुणे द्वारा निर्मित, और गुजरात में सिबातुल में फोरमलडिहाईड प्लांट में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

लाईनर एल्काईन बैजीन (लैब)	विश्व स्तर का एक नवीन प्रक्रम, हाइड्रोफल्यूओरिक एसीड जैसे खतरनाक और कोरोसिव उत्प्रेरकों के प्रयोग को कम करता है।	वाणिज्यिक संयंत्र के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु रिलाईस इंडस्ट्रिज लि. द्वारा पॉयलट प्लांट की स्थापना।
एथानॉल डिहाइड्रेशन कैटेलिस्ट	इथाईलिन में एथानौल का डिहाइड्रेशन करने के लिए बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक	आक्साइड इंडिया लि. द्वारा निर्मित
4. जैव प्रौद्योगिकी		
एनर्जी एफीसिएन्ट हाई एल्कोहल यीस्ट स्टाईन	जैनेटिक रूप से संशोधित ओसमोटोलरेन्ट और उच्च एल्कोहल टोलरेन्ट यीस्ट मोलेसेस से एल्कोहल के लिए विकसित किया गया, एक लीटर एल्कोहल के निसारण के लिए 0.6 किलोग्राम स्टीम जिसकी लागत एक रुपए के लगभग है, की बचत होती है।	मेकडॉविल एंड क. लि. की 5 डिस्टेलिरियों में उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया। प्रौद्योगिकी के लिए निर्यात की संभावनाएं हैं।
वायोएवलेविलिटि एनहेसर	नवीनीकृत क्रियाविधि जो औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शरीर में विशेष रूप से टी.वी. रोधी औषधियों में प्रयोग की गयी। इससे 50 प्रतिशत औषधी की कमी की गई। यह मोल्यूकूल भारत में और विदेशों में पेटेंट किया गया।	केडिला लैब लि. अहमदाबाद, उनकी टी.वी. रोधी औषधियों में बायोएवलेविलिटि एनहेसर के प्रयोग के लिए।
डीएनए फिंगर फिटिंग टेक्नीक फॉर फोरनसिक एप्लीकेशन्स, डाइगनोसिस ऑफ जेनेटिक डिसिस इटीसी	भारत इस कार्य के लिए द्वितीय देश है, बैडिड ब्रैट के वेनम से निकाली गई एंजाईम पर आधारित एक जहरीला भारतीय सर्प। एक अकेला शरीर का सेल भी इसको निर्धारित कर सकता है।	राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में हत्यारों के पता लगाने में इनका उपयोग किया गया। डीएनए फिंगर फिटिंग के लिए हैदराबाद में गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

1	2	3
माइक्रोवायर क्लीन अप ऑफ आयल स्पील्स	समुद्र के जल में ऑयल स्पील्स को कम करने के लिए कुट ऑयल स्लज़ से सीएसआइआर द्वारा बैक्टिरिया कल्चर का पता लगाया गया और अलग किया गया। तीन ऑरगेनिज्म का एक कन्सोलेटियम (क) तेल का एमलसिफाई करना (ख) निम्न कार्बन को ब्रेक डाउन करना (ग) उच्च कार्बन मोलेक्यूल्स माइक्रोवायर ट्रिटमेंट एल्काईलेटिअ सोडसट के साथ होता है जो 90 प्रतिशत ऑयल स्पील्स को निकाल देता है। साफ करने का कुल समय केवल 48 घंटे।	वृहद स्तीय परीक्षण प्रस्तावित। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रुचि अत्यधिक।
5. चमड़ा क्षेत्र के लिए क्लीनर टेक्नोलॉजिस		
क्लेरीज़ाइम	विश्व स्तर पर नया अन्वेषण। एन्जाइममैटिक डिइयरिंग प्रक्रम पूरी तरह से प्रदूषण रसायनों को समाप्त कर देता है और व्यर्थ जल में सल्फाइट का भार कम करता है।	हारटी लेदर कं. मद्रास द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
एल्क्ररोटॉन और एल्यूटॉन	उच्च कार्य निष्पादन खनिज आधारित सिन्टॉन आंशिक या कुल क्रोम प्रतिस्थापन के साथ। इसके मुकाबले का विश्व में कोई जोड़ नहीं–टेनरी बाहयस्राव में क्रोमियम भार को काफी मात्रा में कम करता है।	तीन फर्मों द्वारा रसायनों का निर्माण और विपणन किया जा रहा है। निर्यात की प्रौद्योगिकी के लिए बहुत संभाव्य हैं

क्रोम एग्जॉस्ट एड्स	क्रोम टेनिंग प्रणाली की कार्यकुशलता को सहायता प्रदान करने के लिए बहुत से क्रोम एग्जॉस्ट एड्स। बाह्यस्रावों में क्रोमियम लोड को कम करने के साथ लगभग 35 प्रतिशत का सुधार।	फफोटेन, एटीसी–21, प्रोटॉन एफएल, प्रोटॉन सीटीए, क्लीयर–टॉन के रूप में बहुत सी फर्मों द्वारा विपणन किया गया।
क्रोमन रिकवरी एंड रियूज़	नवीन प्रक्रम द्वारा उन्नत क्रोमियम की वसूली आसान करता है जिससे उसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है और जिसकें परिणामस्वरूप प्रचुर बचत होती है। बाह्य स्रावों को कम करता है/निकालता है।	पांच टेनरिज़ में कार्यान्वयन किया जा रहा है।
कार्बन–डाई–ऑक्साइड डिलाईमिंग	सीओ 2 आधारित डिलाईमिंग प्रौद्योगिकी एमोनियम साल्ट में विकल्प के रूप में कार्य करती है। बाह्य स्रावों में नाइट्रोजनित घटकों को समाप्त करती है और 50 प्रतिशत तक बीओडी को कम करती है।	तेजूमल्स लि. की टेनरी में कार्यान्वित की जा रही हैं।
मैकेनिकल डिसाल्टिंग	खालों और चमड़ियों, की मैकेनिकल डिसाल्टिंग सोप बाह्य स्राव में क्रोलराइड भार कम करती है और इस प्रकार इससे भूजल प्रदूषण कम होता है।	जनरल एंड इंडस्टियल लेदर में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
6. उपस्कर और मशीनरी		
1. टीपीडी एफिसियेन्ट ऑयल एक्सपेलर	सिंगल पास, डबल चैम्बर वाटर कूल्ड ऑयल एक्सपेलर 1.5–2 प्रतिशत अतिरिक्त तेल प्रदान करता है और रेसिड्यूल (अवशेष) केक की उत्तम किस्म प्राप्त होती है।	एचएमटी, पिंजौर को लाइसेंस दिया गया। एक 50 टीपीडी एक्सपेलर का विकास किया जा रहा है।

1	2	3
1 से 2.5 टीएफएफबी पॉम ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट	500 हे. तक छोटी साईज के पौधे लगाने के लिए उचित; विदेशों में केवल मात्र 50 टी/एचआर की बड़ी साईज के पौधे उपलब्ध हैं।	पॉलोड और पेडावेगी में संयंत्र स्थापित किया गया। गोदरेज सौप्स लि. को लाईसेंस दिया गया।
ऑटो—एग्जॉस्ट कैटेलाईटिक कंवंट्र	ऑटो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से एचसी और सीओ कम करने के लिए एक सस्ता प्रभावकारी कर्न्वटर। इसमें लिडेड गैसालीन का प्रयोग किया जाता है जो भारत के लिए विशिष्ट हैं।	इसको आगे विकसित करने के लिए भेल को सहयोग के साथ लाईसेंस दिया गया है।
हैवी ड्यूटी हाई स्पीड इंडस्ट्रियल लेदर स्टीचिंग मशीन	आयातित मशीन को उसकी आधी कीमत पर बदल देती हैं।	ज़िनिथ मशीन कॉफ्ट लि. को लाईसेंस दिया गया है।
टू विल्ड वाकिंग टाईप पॉवर टिल्लर	भारत में जहां पारम्परिक टेक्टर खर्चीले हैं या प्रयोग में कठिन हैं विशेषरूप से छोटे फार्म रखने के लिए 12 एचपी टिल्लर विशेष रूप से उपयुक्त	वर्धमान फार्म हाउस इक्यूमेंट लि. को लाईसेंस दिया गया।
7. अन्य		
टू सीटर एयर कॉफ्ट (हंसा)	सरवाईलेंस और एरिया फोटोग्राफी के लिए प्रशिक्षक के रूप में सर्वोत्तम प्रथम अपने देश में अभिकल्पित और विकसित यिका गया ऑफ कम्पोज़िस्ट टू सीटर एयरकॉफ्ट	वर्ष 1993 में इसकी उड़ान का परीक्षण किया गया था और तनेजा एयरोस्पेज इंड. लि. द्वारा 1994 के अन्त तक इसका उत्पादन और विपणन किया जाना है।

पॉलीअर्थेन वॉटर प्रूफींग सिस्टम	दो कम्पोनेंट जल प्रूफींग प्रणाली पर आधारित नवीन पांलीअर्थन पानी की लिकेज/सीपेज़ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। छतों, बाथरुम्स, जल टंकियां आदि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त	बेकबॉड नाम के बॉड के अंतर्गत डा॰ बेक एंड कम्पनी, पुणे द्वारा बनाया गया और विपणन किया था।
डिएसिंग ऑफ सुगर केन जूस वाई इलेक्ट्रोडाईलिसिस	इनआंगेनिक नमक (ऐश) को गन्ने के रस में से निकालने के लिए इलैक्ट्रोडाईलिसिस पर आधारित नवीन तकनीक जिससे चीनी की सफाई बढ़ती है इसलिए इसका उत्पादन और उन्नयन।	तमिलनाडु में पानी सुगर्स एंड केमिकल्स लि॰ में वाणिज्यिक स्तर पर परीक्षणों से उपभोक्ताओं के लिए सुगर सिरप का सीधा प्रयोग।

विकास केन्द्र

*552. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-भिन्न रोजगार के परिणाम में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए कृषि-भिन्न रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए विकास केन्द्रों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में किसी एजेन्सी/संगठन से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1988 में घोषित की गयी विकास केन्द्र योजना के अधीन देश में 70 केन्द्रों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। विकास केन्द्र योजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। जिससे रोजगार सृजन सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

*553. **श्री दीपिका एच. टोपीवाला** :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना अभी तक शुरू नहीं हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं/किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अपेक्षित संसाधनों का नियतन एक रूकावट है। तथापि, इस हेतु आठवीं योजना में एन.सी.आर. योजना बोर्ड ने राज्य सेक्टर के हिस्से के बाराबर केन्द्र सरकार का हिस्सा 200 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय रखा है, जो सातवीं योजना में 35 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है।

उपग्रहों का विकास

*554. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही उपग्रहों का विकास करने तथा उपग्रह प्रेक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारत इस क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) प्रणालियों का देश में प्रचालनात्मक उपयोग के लिए पहले ही स्वदेशी रूप में विकास कर लिया है तथा इस प्रकार उपग्रहों और इनके उपयोग के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। आई.आर.एस. ओर इन्सैट उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवाओं की अनवरत उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आगामी प्रचालनात्मक उपग्रहों, आई.आर.एस.सी., आई.आर.एस.डी., इन्सेट-2सी, इन्सेट-2डी और इन्सेट-2ई. पर कार्य अच्छी प्रगति में है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के डिजाइन, विकास और परीक्षण के माध्यम से भारत ने 1000 कि.ग्रा. भार की श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का भी स्वदेशी रूप में विकास कर लिया है। आगामी 2-3 वर्षों में पी.एस.एल.वी. के प्रचालनीकरण और इस सदी के अन्त से पहले भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के विकास और उपयोग से भारत उपग्रह प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आत्म-निर्भर होगा।

मधुमक्खी उद्योग

*555. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमक्खी बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मधुमक्खी पालकों के पुनर्वास हेतु अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ङ) मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गये हैं और क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) कृषि तथा सहकारिता विभाग के अधीन एक मधुमक्खी पालन बोर्ड का गठन संकल्प सं. 26-1/93-एच.ए. दिनांक 27 सितम्बर 1993 के तहत किया गया है। इस बोर्ड के गठन तथा विचारधीन विषयों को संलग्न विवरण में दिया गया है। बोर्ड ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया है। बोर्ड की पहली बैठक 16 मई, 1994 को करने का प्रस्ताव है।

(घ) जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, इसने 2 करोड़ रु. का आबंटन करके पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है और केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मधुमक्खी पालकों को तदर्थ अनुदान के रूप में 50 लाख रु. पहले ही जारी कर दिये है। मधुमक्खी नर्सरियों की स्थापना के लिए पहले ही 34.88 लाख रु. जारी कर दिये गये हैं। बीमारी के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने और पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी करने तथा प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समिति का भी गठन किया गया है।

(ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बीमारी और बीमारी के कारण मधुमक्खी कालोनियों की पूर्ण बरबादी को रोकने के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में मधुमक्खी पालकों में जानकारी उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का प्रबंध किया है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

एफ. संख्या 26-1/93-बागवानी प्रशा.

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 27 सितम्बर, 1993

संकल्प

मधुमक्खी पालन में निहित कार्यकलापों को बढ़ाने एवं उनका समन्वय करने तथा उद्योग के प्रवर्द्धन में शामिल एजेंसियों, किसानों तथा मधुमक्खी पालकों को निदेश तथा समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग के तहत मधुमक्खी पालन विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है।

2. बोर्ड का गइन निम्नवत् होगा :-

(1) सचिव (कृषि और सहकारिता) अध्यक्ष

(2)	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	सचिव, बाणिज्य मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, कृषि तथा संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण	सदस्य
(7)	सलाहकार (कृषि), योजना आयेाग या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य
(9)	कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य
(10)	राज्य से दो प्रतिनिधि, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
(11)	मधुमक्खी पालकों के दो प्रतिनिधि, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
(12)	मधु उद्योग से दो प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे	सदस्य
(13)	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
(14)	बागवानी आयुक्त	सदस्य सचिव

3. बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिख़ित होंगे :-

(1) कृषि उत्पादन के एक अनिवार्य आदान के रूप में देश में मधुमक्खी पालन के अनुसंधान, विस्तार तथा विकास कार्यक्रम का समन्वय, प्रवर्द्धन करना, उन्हें प्रायोजित करना तथा उनको समर्थन देना।

(2) उत्पादन विनिर्माण के बाद संभाल, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचनात्मक विकास का प्रवर्द्धन करना तथा उसमें सहायता करना, इसमें मधु तथा इसके उत्पादों का निर्यात भी शामिल है।

(3) देश में मधुमक्खी पालन तथा संबंधित कार्यकलापों के प्रबर्द्धन में निहित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(4) बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और तत्पश्चात इसका पुनर्ग़ठन किया जायेगा।

(5) यह बोर्ड लघु उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से कार्य करेगा।

(6) आवश्यक होने पर भारत सरकार गठन और विचारार्थ विषयों आदि में उपयुक्त परिवर्तन कर सकती है।

हस्ता./-

(डा. जी.एल. कौल)

बागवानी आयुक्त

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता/-

(डा. जी.एल. कौल)

बागवानी आयुक्त

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

अति लघु-उद्योग

*556. **श्री मोहन रावले :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति लघु-उद्योग क्षेत्र संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा/घोषित कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित नीति पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा।

उर्वरक

*557. **प्रो. उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु** : *क्या* **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान किंतनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आयात किया जाएगा;

(ख) इस मांग की पूर्ति हेतु अपने ही रुग्ण उर्वरक संयंत्रों को सक्रिय न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनः चालू करने के लिए कया-कया लघु-कालीन उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्युरीएट आफ पोटाश (एमओपी) तथा यूरिया मुख्य उर्वरक है जिनका आयात किया जाता है। डीएपी और एमओपी अनियंत्रित कर दिए गए हैं और उनका आयात असरणविद कर दिया गया है। 1994-95 के दौरान इन उर्वरकों के आयात की संभावित मात्रा की संगणना इस समय नहीं की जा सकती है।

यूरिया का आयात मांग और स्वदेशी उपलब्धि के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। यूरिया के आयात की संभावित मात्रा से संबंधित सूचना को पहले बताना जनहित में नहीं होगा।

(ख) रुग्ण कंपनियों अर्थात फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के अधिकांश उर्वरक संयंत्रों की स्थपित क्षमता तथा सतत् निम्न क्षमता उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यूरिया की आयात अपेक्षा को इन संयंत्रों के उत्पादन से पूरा नहीं किया जा सकता। एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को निर्दिष्ट किए गए हैं जिसमं भारतीय ओद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) को इन कंपनियों के संबंध में पनुर्वास पैकेज तैयार करने के लिए प्रचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. के समक्ष लंबित पड़ी कार्रवाइयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा जो कि एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है।

(ग) अल्पावधि में एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. के उत्पादन को बनाए रखने के लिए

सरकार उनकी मरम्मत तथा नवीकरण/प्रतिस्थापन तथा कार्यकारी पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

परमाणु ऊर्जा के उपयोग

*558. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन भागों में परमाणु ऊर्जा में हुए अनुसंधान को कृषि क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अन्य राज्यों में भी इन सेवाओं को किसानों को मुहैया कराने हेतु एक केन्द्र खोलने को है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए अनुसंधान कार्यों को कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा रहा है;

(1) किरणन द्वारा बीजों में आनुवंशिक परिवर्तिता के प्रेरण द्वारा दालों, तिलहनों और अन्य नकदी फसलों जैसे फसली पौधों की बेहतर किस्में विकसित करना।

(2) मिट्टी की विभिन्न किस्मों के लिए उर्वरकों की उपयोग क्षमता में सुधार लाना।

(3) फसलों, मिट्टी और पौधों के उत्पादों में कीटनाशकों और भारी धातु प्रदूषकों के प्रभाव और उनके स्थायित्व पर निगरानी रखना।

(4) पेस्ट नियंत्रण के लिए बंध्य कीटों और अन्य जैव कर्मकों को काम में लाकर एकीकृत पेस्ट नियंत्रण प्रबंध व्यवस्था करना ताकि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने की वजह से पर्यावरण को होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(ख) तथा (ग) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अथवा अन्य किसी राज्य में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

तथापि, उत्परिवर्तन प्रेरण के लिए पतली बीजों को किरणित करने के लिए सुविधाएं देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए ट्राम्बे में उपलब्ध करायी जाती है। उदाहरण के लिए, सरसों की दो किस्में, टी एम-2 (काले बीज वाली) और टी एम-4 (पीले बीज वाली) असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के सहयोग से विकसित की गई थी और इन किस्मों को असम के ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप से पैदावार करने के लिए फरवरी, 1993 में जारी किया गया और राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

कागज उद्योग

*559. **श्री कोड़ीकुन्नील सुरेश :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कागज उद्योग में कच्चे माल की कमी होने के कारण नया पूजीनिवेश किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसा कि 9 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के अधीन अखबारी कागज की मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अखबारी कागज की कितनी मिलें इस समय बंद पड़ी हैं; और

(च) इनके बंद होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) काष्ठीय कच्चे माल की कमी है किन्तु खोई और कृषि अपशेष जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल की कमी नहीं है। जिनका प्रयोग कागज, गत्ते और अखबारी कागज के निर्माण में किया जा रहा है। उपलब्ध गैर-परंपरागत कच्चे माल के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(1) खोई, कृषि अपशेषों, रद्दी कागज तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुग्दी के प्रयोग से कागज, गत्ता और अखबारी कागज का निमार्ण लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है बशर्ते कि स्थापना-स्थल संबधी नीति का पालन किया जा रहा है।

(2) गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुग्दी का प्रयोग करके बनाये गये कागज और गत्ते पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क की कम दर लगती है।

(3) कागज, गत्ते और अखबारी कागज के निर्माण के लिए कच्चे माल अर्थात् काष्ठीय लुग्दी तथा रद्दी कागज का आयात बिना आयात लाइसेंस के 10 प्रतिशत सीमा-शुल्क की रियायती दर पर करने की अनुमति दे दी गई है। अखबारी कागज के निमार्ण के लिए काष्ठीय लुग्दी के आयात पर सीमा-शुल्क नहीं लगता है।

(4) न्यूनतम 50 प्रतिश तक कृषि अपशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करने वाली कागज मिलों से रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लिया जाता है।

इस उद्योग में पूंजी-निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज, गत्ते और अखबारी कागज के निर्माण के लिए 63.63 लाख मी.टन अतिरिक्त क्षमता हेतु आशय पत्र तथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जारी/दर्ज किए गए हैं।

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) के अधीन अखबारी कागज मिलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

	मिल का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मी.टन प्रति वर्ष)
1.	नागोन पेपर मिल	20,000
2.	कछार पेपर मिल	20,000
3.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	80,000

(ङ) और (च) केवल एक अखबारी कागज मिल अर्थात मैसर्स श्री रॉयलसीमा पेपर मिल्स लि. कुरनूल (आंध्र प्रदेश) के नवम्बर, 1989 से बंद पड़े रहने की सूचना है। मिल के बंद होने का मुख्य कारण खराब प्रबंध बताया गया है।

विश्व विज्ञान रिपोर्ट

*560. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "यूनेस्को" द्वारा हाल ही में तैयार की गयी सर्वप्रथम "वर्ल्ड सांइस रिपोर्ट" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट को कहां तक सही पाया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्षा विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनेस्को द्वारा "वार्ल्ड साइंस रिपोर्ट" शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके विषय-वस्तु को चार भागों में बांटा गया है तथा इसमें सांख्यिकी प्रस्तुत करने वाला एक अनुलग्नक भी है चारों भाग निम्नलिखित तथ्यों से संबंधित हैं :-

(1) विश्व-विज्ञान की स्थिति,

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणालियां

(3) विज्ञान में भागीदारी, तथा

(4) हाल के विकास

प्रत्येक अध्याय में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गये लेखों का संग्रह है। इसमें संकल्पनात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों किस्म की जानकारी दी गई हैं।

(ग) और (घ) भारत के पास एक मजबूत तथा विशाल वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। इसने कई उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का परिचय भी दिया है। वैज्ञानिक विकासों तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की गति हमसे निरन्तर अपेक्षाएं रखती है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियाक्षेत्र को बढ़ाने वाले कदमों तथा विभिन्न उभरते हुए क्षेत्रों जैसे भौतिक, रासायनिक, जीवन, भू तथा इंजीनियरी विज्ञानों को बढ़ावा देने वाले कार्यो को अपना समर्थन दे रही है।

जोधपुर लिफ्ट नहर

6080. **श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सराकर ने स्वीकृति के लिए 1993 में जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना प्रस्तुत कर दी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर लिफ्ट नहर के मार्ग में आने वाले 132 गांवों के लिए 71.14 करोड़ रुपए की लागत वाली एक जल आपूर्ति परियोजना मई, 1992 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार द्वारा यह परियोजना आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से इ.ई.सी. को द्विपक्षीय सहायता हेतु भेजी गई थी। इस परियोजना के लिए ई.ई.सी. के एक परामर्शदाता ने 10 फरवरी, 1994 से 4 मार्च, 1994 तक राजस्थान का दौरा किया। परामर्शदाता का विचार था कि इन गावों में पी.एच.ई.डी. द्वारा पहले से ही पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है अतः प्रस्तावित परियोजना को कोई वाजिब औचित्य नहीं है। ऐसा होने पर, राजस्थान सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए अप्रैल, 1994 में ई.ई.सी. को अभ्यावेदन किया है।

[हिन्दी]

विकास केन्द्रों का मूल्यांकन

6081. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अब तक विभिन्न विकास केन्द्रों की स्थापना से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

6082. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान देश में कितना विदेशी निवेश वास्तव में आया है और जिन देशों तथा औद्योगिक क्षेत्रों/उप क्षेत्रों ने निवेश किया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1993 के दैरान एन.सी.ए.ई.आर. अथवा किसी अन्य सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन के आंकलन के अनुसार कितना अनुमानित वास्तविक निवेश हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख) वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान देश में आए अनुमानित वास्तविक निवेश के देशवार ब्यौरे का विवरण संलग्न है। देश में आए कुल वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान देश में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा

क्र. सं.	देश का नाम	1992 (रु. मिलियन में)	1993 (रु. मिलियन में)
1	2	3	4
1.	अमरिका	1171.38	4786.80
2.	यू.के.	759.52	2324.55
3.	जर्मनी	580.58	401.18
4.	नीदरलैड्स	148.44	1131.04
5.	स्वीटजरलैंड	547.03	1072.24
6.	जापान	720.69	684.98
7.	फ्रांस	265.74	293.39
8.	स्वीडन	59.92	415.41
9.	हांगकांग	129.24	251.64
10.	सिंगापुर	114.97	133.37

1	2	3	4
11.	आस्ट्रेलिया	0.19	23.98
12.	आस्ट्रिया	34.58	15.06
13.	ए डी बी	–	–
14.	बहामास	–	22.68
15.	बहरीन	–	–
16.	बरमुडा	42.67	12.53
17.	बेल्जियम	20.10	24.69
18.	ब्राजील	–	–
19.	ब्रिटिश विरजिनिया	1.20	1.20
20.	कनाडा	–	14.37
21.	केमैन आइलैंड	–	–
22.	चैनल आइलैड	20.00	–
23.	चीन	1.35	–
24.	चेकोस्लावाकिया	–	17.00
25.	चेक रिपब्लिक	–	–
26.	डेनमार्क	4.97	36.01
27.	फिनलैण्ड	105.30	29.01
28.	आई एफ सी (डब्ल्यू)	–	–
29.	ईरान	240.61	35.40
30.	आयरलैण्ड	0.89	8.98
31.	इटली	34.35	55.24
32.	इजराइल	–	6.51
33.	कुवैत	–	0.44
34.	लीकस्टेनस्टीन	–	–

1	2	3	4
35.	लक्जमबर्ग	46.46	–
36.	मलेशिया	–	3.11
37.	मॉरीशस	–	37.50
38.	नार्वे	3.33	1.91
39.	ओमान	–	0.05
40.	पनामा	58.58	6.50
41.	फिलिपीन्स	27.50	22.50
42.	पोलैण्ड	–	–
43.	साउदी अरब	20.00	12.60
44.	दक्षिण अफ्रीका	–	–
45.	दक्षिण अफ्रीका	83.89	69.25
46.	स्पेन	–	22.05
47.	श्रीलंका	0.05	0.01
48.	ताइवान	3.00	9.15
49.	यू.ए.आई.	7.50	7.24
50.	यू.एस.एस.आर.	1.30	63.74
51.	विभिन्न देशों से प्रवासी भारतीय	1496.90	5807.01
52.	उपर्युक्त को छोड़कर विभिन्न देश	–	–
	योग :	6752.23	17860.32

देश के अंदर उत्पादों को पेटेंट कराना

6083. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पेटेंट कानून के अंतर्गत देश में पेटेंट के लिए आए उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादों के पेटेंट कराने में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) पेटेंट कराने संबंधी एक आवेदन के निपटाने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या भारत ने पेटेंटों संबंधी 1983 के पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रस्तुत पेटेंट आवेदन पत्रों का बयौरा इस प्रकार है :

वर्ष	देश में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या
1990-91	1180
1991-92	1293
1992-93	1228

फाइल किए गए आवेदन पत्रों की संख्या अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं, औद्योगिक क्षेत्र, अन्वेषकों आदि द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यकलापों पर निर्भर करती है।

(ग) अन्तर्ग्रस्त कानूनी और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी पेटेंट आवेदन पत्र को निपटाने में लिया गया औसत समय सामान्यतः लगभग 5 वर्ष होता है।

(घ) तथा (ङ) भारत ने पेरिस कन्वेन्शन, 1883 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा करना उपयुक्त नहीं समझा गया हैं।

[हिन्दी]

लघु पन-बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति

6084. ***श्री गोविन्दराव निकम* : *क्या प्रधान मंत्री*** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने लघु पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : *(क) से (ग) विश्व बैंक परियोजना के तहत भारतीय* अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा सहायता के लिए पात्र निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को छोड़कर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों की 3 मेघावाट क्षमता तक की लघु पन-बिजली परियोजनाओं हेतु पूंजीगत आर्थिक राज सहायता प्रदान करता है। अब तक आर्थिक राज सहायता योजना के तहत 13 राज्यों में लगभग 80 मेगावाट की कुल 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्रस्तुत

करना और उनका अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न शर्तों को पूरा करने, प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता और राशियों की उपलब्धता के अधीन है।

हिन्दी में कम्प्यूटर शिक्षा

6085. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जबकि हिन्दी में कम्प्ययूटर शिक्षा के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है, फिर भी इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग (डीओई) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ मिलकर 8 संस्थानों को डेढ़ वर्ष की अवधि के कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिन्दी) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई है।

(ख) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा।

(ग) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने हिन्दी में इलैक्ट्रॉनिकी विषयों (जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल है) पर मोलिक पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पुरुस्कार योजना शुरू की है।

(घ) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने हिन्दी में कम्प्यूटर शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डा. एस.पी. कोस्टा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(ङ) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) परियोजना हेतु मानव संसाधन मंत्रालय (एमएचआरडी) ने 8वीं योजना में अपनाए जाने के लिए एक संशोधित नीति तैयार की है, जिसमें कम्प्यूटरों के साथ जिस्ट कार्ड के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। तथा इससे विद्यालय कम्प्यूटर शिक्षा में हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।

[अनुवाद]

सरकारी सामूहिक आवास समितियों का ठीक से कार्य न करना

6086. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों के ठीक से काम न करने के संबंध में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दिल्ली को कई शिकायतें मिली हैं और प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) क्या फ्लेटों के निर्माण में विलम्ब/लापरवाही को देखते हुए इन सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों ने अपने पैसे वापस किए जाने की मांग की है;

(ग) क्या ऐसे सभी सदस्यों को ब्याज सहित पैसा वापस लौटा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) पंजीयक, सहकारी समितियां, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, ने बताया है कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा ठीक से कार्य न करने बाबत पिछले तीन वर्षों में 66 शिकायतें मिली हैं। 19 मामलों में धारा 514 के तहत निरीक्षण 15 मामलों में धारा 55 के तहत जांच और 188 मामलों में धारा 59 के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं। 14 मामालों में, सामूहिक आवास समितियों के प्रबंधन का दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 32 के तहत अधिक्रमण कर दिया गया है और प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।

(ख) से (ध) पंजीयक, सहकारी समितियों ने बातया है कि लगभग 2000 सामूहिक आवास समितियां उनके पास पंजीकृत हैं और इस प्रयोजनार्थ दिए गए समय तक प्रयासों से प्रत्येक से अपेक्षित जानकारी एकत्र करना व्यवहार्य नहीं होगा।

[हिन्दी]

द्वारिका

6087. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पवित्र द्वारिका नगरी गुजरात के जामनगर जिले के निकट में समुद्र में डूबी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपचारी कार्यवाही की गयी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक किए गए अन्वेषणों से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन द्वारिका नगरी लगभग 3,500 वर्ष पहले समुद्र में डूब गयी थी। यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि इसके डूबने का मुख्य

कारण समुद्र का स्तर बढ़ना या विवर्तनिक कोलाहल था समुद्र तट पर और समुद्र तट के परे अन्वेषण करना आवश्यक है (जो एक दीर्घकालीन कार्य है)।

गुजरात में प्रशिक्षण और सेवा केन्द्र

6088. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण और सेवा केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलाजी (सिपेट) जी.आई.डी.सी., वातवा, अहमदाबाद मे एक पूर्ण विस्तार केन्द्र पहले ही चला रहा है और 1982-83 से प्लास्टिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक परीक्षण तथा रूपांतरण प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक सांचा अभिकल्प तथा विपणन प्रौद्योगिकी में विभिन्न डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

गुजरात राज्य में इसी तरह का एक और संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों का पंजीकरण

6089. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. फ्लैटों के कुछ आबंटियों ने पट्टेदारी प्रणाली के अंतर्गत अपने आबंटन पंजीकृत कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पट्टे से मुक्त फ्लैटों में परिवर्तन होने की स्थिति में उक्त फ्लैट-स्वामियों को पुनः अपना आबंटन पंजीकृत कराना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यदि किसी आबंटी ने लीज होल्ड आधार पर हस्तांतरण विलेख करवाया है और अब वह (फ्री होल्ड) में परिवर्तन करना चाहता है। तो हस्तांतरण

विलेख को पुनः पंजीकृत करवाना होगा चूंकि आबंटी को परिवर्तन प्रभारों पर स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है।

भारतीय वायु सेना के पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम में त्रुटियां

6090. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "इक्नामिक टाइम्स" में क्रमशः 8 और 12 मई 1993 को सी॰ए॰जी॰ फ्लेज लैक्युनी इन आई॰ए॰एफ॰ पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई अथवा की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वायुसेना में पायलटों की अपर्याप्त मात्रा में भर्ती, प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त श्रेणी के वायुयानों की अनुपलब्धता और प्रशिक्षण स्थापनाओं के क्षेत्र में शस्त्र प्रशिक्षण रेंज स्थापित न किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

2. पायलटों को पर्याप्त संख्या में भर्ती न किए जाने का कारण पायलटों की भर्ती किए जाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा कठोर उच्च गुणात्मक मानदंड रखा जाना है। इस प्रकार के मानदंडों का पूर्ण पालन किया जाना अनिवार्य है ताकि सर्वोत्तम पायलटों की भर्ती को सुनिश्चित किया जा सके। मात्र वांछित संख्या में पायलटो की भर्ती करने के लिए गुणता के प्रति समझाता नही किया जा सकता। जहां तक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त श्रेणी के पर्याप्त संख्या में वायुयान उपलब्ध न होने का प्रश्न है, संसाधनों की कमी के कारण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम धीमा पड़ गया था। अब उत्पादन कार्यक्रम दुबारा से पूरी तौर पर शुरू हो गया है और वायुयानों की कमी को पूरा किया जा रहा है शस्त्र, प्रशिक्षण के लिए अन्य स्थान पर स्थित रेंज का उपयोग करने संबंधी समस्या का समाधान प्रशिक्षण स्थापना के समीप ही नई रेंज का अर्जन करके कर लिया गया है। इस रेंज का उपयोग मार्च, 1992 से शुरू कर दिया गया है।

असम में शहरों में पेयजल की कमी

6091. **श्री ऊद्धव बर्मन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कौन-कौन से शहरों को पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या असम सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है और इन शहरों में पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार आसाम में पेयजल की अत्यधिक कमी वाले कस्बों की केन्द्र सरकार कोई सूची नहीं रखती। तथापि, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए शहरी सुगम जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे थे और इन कस्बों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता भी मांगी है डिब्रूगढ़ जिले के एक कस्बे को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया है और 26.06 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है जो 1993-94 के लिए आसाम के हेतु अनुमोदित केन्द्रीय अंश है ।

[हिन्दी]

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत

6092. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने क्या परीक्षण किए हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने आंठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्य के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्णा कुमार) : (क) ग्राम स्तर के प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों, जिनमें कुछ क्षमता विद्युतीय ग्रिड को दी जाएगी, के डिजाइन, संस्थापना और प्रचालन में विशेषज्ञता का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ जिले में कल्याणपुर में और मऊ जिले में सरायसादी में प्रत्येक 100 के. डब्ल्यू पी पीक क्षमता के दो सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के कार्य को प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है। इस राज्य के गढ़वाल जिले में 10 गांवों में पानी की पम्पिंग और विद्युत के उत्पादन के लिए बायोमास गैसीफायरों की स्थापना के कार्य को भी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। इनके अलावा विकेन्द्रीयकृत ढंग से विद्युत के उत्पादन के लिए राज्य में कम क्षमता (1-2 के डब्ल्यू पी) वाले 31 सौर प्राकशवोल्टीय विद्युत संयंत्र, 13 बायोमास गैसीफायर प्रणालियां और 5 पवन बैटरी चार्ज स्थापित किए गए हैं।

हरियाणा में गुड़गांव जिले में सौर ऊर्जा केन्द्र में 50 कि.वा. क्षमता का प्रायोगिक सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। हरियाणा राज्य में विद्युत के उत्पादन के लिए कम क्षमता (1-2 के डब्लयू पी) वाले तीन सौर प्राकशवोल्टीय विद्युत संयंत्र और 15 गैसीफायर प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।

(ख) सौर, पवन बायोमास, लघु जल विद्युत सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन के लिए सभी राज्यों में परियोजनाएं शुरू करने हेतु आठवीं योजना में 200 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। आठवीं योजना के लिए केन्द्रीय सैक्टर परिव्यय का राज्यवार आबंटन किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

6093. **श्री ललित उरांव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक मंत्रालय में इस बीच राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) 1993 के दौरान कौन-कौन-सी तिथि पर इस समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मंत्रालय में दो अलग-अलग राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं, एक कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग सहित) में तथा दूसरी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में।

(ख) समितियों के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन दो राजभाषा समितियों की बैठकें 24-3-93/29-3-93, 15-6-93, 23-9-93/27-9-93 तथा 24-12-93 को आयोजित की गई थी।

विवरण

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा

I.	**कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग**	**23-12-91 को यथापुनर्गठित**
1	2	3
1.	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	अध्यक्ष
2.	निदेशक/उप सचिव	11 सदस्य
3.	अवर सचिव	2 सदस्य
4.	डेस्क/अनुभाग अधिकारी	1 सदस्य
5.	वेतन तथा लेखाअधिकारी	1 सदस्य
6.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	2 सदस्य
7.	उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

1	2	3
II.	**प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग**	
1.	उप सचिव (प्रशासन)	अध्यक्ष
2.	निदेशक/उप सचिव	4 सदस्य
3.	अवर सचिव	6 सदस्य
4	वरिष्ठ विश्लेषक	4 सदस्य
5.	कन्ष्ठि विश्लेषक	1 सदस्य
6.	वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	1 सदस्य
7.	उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश सम्बन्धी नीति

6094. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार इसके परिणामस्वरूप इन उद्यमों पर से अपनी नियंत्रण खो देगी; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार चुनिंदा उद्यमों के मामले में ऐसे उद्यमों में सरकारी शेयरधारिता के एक भाग का अनिवेश किया जाएगा ताकि सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन को बाजारोन्मुखी बनाया जा सके। सरकार को उस सीमा तक शेयरों की बिक्री करने का प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी उपक्रमों पर उसका नियंत्रण बना रहे।

(ग) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु विद्युत परियोजनाएं

6095. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक को लघु विद्युत परियोजनाओं को स्थापना हेतु 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) योजना आयोग द्वारा उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र सरकार राज्यों को सामान्यतया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला के अनुसार उनकी योजनाओं के लिए ब्लॉक योजना सहायता उपलब्ध करा रही हैं। सहायता विशिष्ट सेक्टरों/परियोजनाओं/स्कीमों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब तक कि वह राज्यों द्वारा निर्दिष्ट **"विशेष समस्या"** मानदंड के तहत विनिर्दिष्ट अथवा आवंटित नहीं की जाती।

(ख) लघु विद्युत परियोजनाओं 2 मेगावाट से अधिक तथा 15 मेगावाट तक के लिए वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 हेतु अनुमोदित योजना परिव्ययों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(लाख रुपये)

	परियोजना का नाम मेगावाट में क्षमता	अनुमोदित परिव्यय	
		1993-94	1994-95
1.	मल्लारपुर एचईपी (2×4.5)	280	72
2.	वृन्दावन लघु हाइडल (2×6)	830	920
3.	भद्रा आरबीसी अति. यू. (1×6)	280	200

वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु "हरित भूमि"

6096. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पेट्रोल पम्पों सहित विभिन्न वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए "हरित भूमि" का आवंटन कर रहा है;

(ख) क्या "हरित भूमि" के आबंटन से पर्यावरणीय स्थिति बिगड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास से आफिसर्स अकादमी का स्थानांतरण

6097. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्ततः अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को मद्रास से देहरादून स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को मद्रास से बाहर स्थानान्तरित करने का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा मंत्रालय को तमिलनाडु सरकार से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षण

6098. **श्री के.टी. वान्डायार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार अब तक कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) प्रधान मंत्री को रोजगार योजना के अधीन स्व-रोजगार हेतु शिक्षित बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण में सुविधा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) ऋण मंजूर हो जाने के बाद प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(2) नीति में एकरूपता लाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में एक आदर्श रूपरेखा तैयार की गई थी और इसे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भेजा गया है।

(3) 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रशिक्षण व्यय हेतु 308.48 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष मुआवजे हेतु आवेदन

6099. **श्री शशि प्रकाश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के समक्ष 1994 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में प्रस्तुत नए सांविधिक मुआवजा आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी मामलों को पंजीकृत करा लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नए मामलों के पंजीकरण हेतु वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ङ) क्या यह एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, नियमों/विनियमों के अनुरूप है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) दायर और पंजीकृत किए गए सांविधिक मुआवजा आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी मुआवजा आवेदनों की, चाहे वे प्रभावित पक्षकार के द्वारा सीधे या अधिवक्ताओं के जरिए प्रस्तुत किए गए हों, संवीक्षा पहले आयोग के तकनीकी खण्ड द्वारा यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम, 1991 के अनुरूप हैं। साथ ही प्रतिवादियों को उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पत्र भी जारी किए जाते हैं ताकि इन आवेदनों पर आसानी से शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

जो आवेदन वकीलों के जरिए प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें प्रतिवादियों की टिप्पणी/उत्तर का इन्तजार किए बिना आठ सप्ताह के अन्दर-अन्दर उपयुक्त आदेशों के लिए आयोग के समक्ष रखा जाता है। अन्य आवेदनों को, प्रतिवादियों की टिप्पणियों/उत्तर सहित, यदि वे उचित समय पर प्राप्त हो जाते हैं तो उपयुक्त निर्देश के लिए तत्काल आयोग के समक्ष रखा जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1 जनवरी, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक प्राप्त मुआवजे के आवेदन

क्र.सं.	आवेदक का नाम	प्रतिवादी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
		जनवरी, 1994	
1.	डा॰ एन.सी॰ सिंघल	आरूक मी डी एन ए टेली आई एन एफ सेवाएं लिमिटेड नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी है।
2.	श्री खान चन्द	मै. एच चौधरी इस्टेट्स प्रा॰ लि॰, दिल्ली	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 50/94
3.	श्री दर्शन मारवाह	मै. स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी	टिप्पणियां आनी हैं।
4.	श्री मुकेश गुप्ता	मै. सिपानी आटोमोबाइल्स प्रा॰लि॰, बंगलौर	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 23/94
5.	सुश्री अनुराधा [illegible]	मै. पुष्पा बिल्डर्स लि॰, नई दिल्ली	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 62/94
6.	श्री जगत सिंह	मै. एक्स्पो मशीनरी, नई दिल्ली	आवेदक को अभी तक खामियां दूर करनी है।
7.	श्री तेज किशन रैना	मै. टैक्नालोजी पार्क लि॰, नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
8.	श्री डी सी भंडारी	राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड	–यथोपरि–
9.	हिन्दुस्तान इंजी. टेक्सटाइल उद्योग	राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 46/94
10.	श्री प्रवीण कालरा	गाजियाबाद डेवलपमेंट अथारिटि	टिप्पणियां आनी हैं।
		फरवरी, 1994	
1.	श्री जी.एस॰ खपंडा	मै. सिपानी आटोमोबाइल्स प्रा॰लि॰, बंगलौर	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 36/94

1	2	3	4
2.	सुश्री शारदा शर्मा	-यथोपरि-	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 38/94
3.	श्री श्याम कुमार	मै. स्कोपर कन्स्ट्रक्शन कं. लि. नई दिल्ली	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 39/94
4	सुश्री जगवती	मै. सिपानी आटोमोबाइल्स प्रा.लि., बंगलौर	आवेदक को अभी खामियां दूर करनी है।
5.	मै. ग्लैक्सी आरगैनिक	मै. ऐजिस कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.	आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनके आवेदन को मुख्य आर टी पी जांच के साथ जोड़ दिया जाए।
6.	श्री बी डी तिवारी	मै. एच चौधरी एस्टेट प्रा.लि., नई दिल्ली	आवेदक ने अभीं खामियां दूर नहीं की है।
7.	श्री प्रकाश चन्द	-यथोपरि-	-यथोपरि-
8.	श्री दीप कुमार	-यथोपरि-	-यथोपरि-
9.	श्री ए.एस. भाटिया	मै. वोल्टाज लि. नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
10.	श्री ए.के. खन्ना	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं।
11.	श्रीमती रत्ना चटोपाध्याय	मै. स्कोपर बिल्डर्स (रजि.) नई दिल्ली	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या-57/94
12.	सुन्दर दास धर्मार्थ न्यास	मै. एस्के इंजिनियरिंग इन्डस्ट्रीज, नोएडा	टिप्पणियां आनी हैं।
13.	सनमार एफ इलैक्ट्रोनिक का मिनी सर्किट डिविजन	मै. जी.एम.एल. चिप, कम्पनीज लि., हैदराबाद	-यथोपरि-
14.	मै. राजेन्द्राज़	दिल्ली विकास प्राधिकरण	-यथोपरि-
15.	श्री एस. के. अरोड़ा	एवरेस्ट सीमेंट लिमिटेड	-यथोपरि-

1	2	3	4
16.	श्रीमती विमला भण्डारी	राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या-48/94
17.	श्री सोहन चन्द जैन	यथोपरि-	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 44/94
18.	श्रीमती कृष्णा कुमारी	-यथोपरि-	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या-45/94
19.	श्री हरदित सिंह	मैं आल सीजन्स फूड्स लि.	टिप्पणियां आनी हैं।
20.	श्री कंवरजीत मणिपाल	मै. सम्पत एसोसिएट्स	-यथोपरि-
21.	श्री करतार चन्द शर्मा	मै. भारत पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड	-यथोपरि-
22.	श्री हरीश गंगवानी	मै. आशि फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड	-यथोपरि-
23.	मै. कोस्तुम्ब इंवेस्टमेंट प्रा. लि.	मै. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.	-यथोपरि-
24.	श्री रघुवीर चन्द चोपड़ा	मै. आशि फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	टिप्पणियां आनी हैं।
25.	श्री ए.बी. भट्टाचार्य	मै. इरिक्सन इंडिया लि.	-यथोपरि-
26.	श्री एस.के. ज्ञानचन्दानी	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	-यथोपरि-
27.	मै. विक्रम ओवरसीज (प्रा.) लि.	पंजाब नेशनल बैंक	-यथोपरि-
		मार्च, 1994	
1.	श्रीमती सुषमा महिन्द्रा	मै. रिजेन्सी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
2.	श्री ओ.पी. कोहली	मै. यूनाइटेड लैण्ड एंड हाऊसिंग लिमिटेड, नई दिल्ली	-यथोपरि-
3.	श्रीमती नीति कपूर	मै. इन्ट्रॉन सर्विसेज, नई दिल्ली	टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

1	2	3	4
4.	सुश्री कान्ता सक्सेना	मै. सिपानी ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि., बंगलौर	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या-54/94
5.	सुश्री दीना बनर्जी	मै. महालक्ष्मी लैण्ड एंड फाइनैन्स कम्पनी, नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
6.	श्री बेणि राम बंसल	मै. एम.आर.एफ. फाइनेन्स लिमिटेड नई दिल्ली	-यथोपरि-
7.	श्री विनोद कुमार	मै. सीपानी ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि., बंगलौर	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या 59/94
8.	श्री पुरम सिंह	मै. सीमानी ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. बैंगलौर	पंजीकृत कर दिया गया है। संख्या-58/94
9.	प्रो. पी.के. पानी	मै. अन्सल हाऊसिंग एंड कनस्ट्रक्सन लि., नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
10.	श्री संदीप	मै. स्कीपर विल्डर्स (रजि.) नई दिल्ली	-यथोपरि-
11.	श्री हरजिन्दर	मै. कैपिटल विल्डर्स (रजिस्टर्ड) दिल्ली	आवेदन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अनुसार नहीं था। आवेदन को नया आवेदन दायर करने की सलाह दी गई है।
12.	सुश्री चन्द्रकान्ता	अन्सल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	टिप्पणियां आनी हैं।
13.	श्री राजीव सतीजा	-यथोपरि-	-यथोपरि-
14.	मै. एस बी आई म्युचुअल मैनजमेंट	मै. वुल्सवार्थ (इंडिया) लिमिटेड	-यथोपरि-
15.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह	डेसू	-यथोपरि-

1	2	3	4
16.	सुश्री शबनम जोशी	मै. आशी फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड	-यथोपरि-
17	श्री एच.एल. आडवाणी	दिल्ली विकास प्राधिकरण	-यथोपरि-
18	सुश्री एकता सचदेवा	मै. हरदिलिया यूनीमर्स लिमिटेड	-यथोपरि-
19.	श्री एस.सी. बतरा	मै. मारूती उद्योग लिमिटेड	-यथोपरि-

[हिन्दी]

सिविल सेवा के अधिकारियों को उनके गृह-काडरों में स्थानांतरित करना

6100. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किन परिस्थितियों के अन्तर्गत उनके गृह-काडरों में स्थानान्तरित किया जाता है और इस संबंध में प्रासंगिक नियम क्या हैं; और

(ख) गत दस बर्षों के दौरान अपने गृह-काडरों में स्थानांतरित किये गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थानांतरण किन आधारों पर किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अन्तः संवर्ग स्थानांतरण, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) द्वारा शासित होता है। विद्यमान नीति के अनुसार, गृह राज्यों में अन्तः संवर्ग स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाती है लेकिन अत्याधिक आपवादिक मामलों में इसका अनुमोदन कर दिया जाता है।

(ख) संगत ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	नाम	से	को	आधार
1	2	3	4	5
	1984			
1.	एन. गोपाल कृष्णन (आर.आर. : 62)	मेघालय	आन्ध्र प्रदेश	चिकित्सा
	1985			
2.	ब्रज राज शर्मा (आर.आर. : 84)	पश्चिम बंगाल	जम्मू तथा कश्मीर	लोकहित
	1986			
3.	अमिताभ मुखर्जी (आर.आर. : 83)	गुजरात	पश्चिम बंगाल	विवाह
4.	रमेश इन्दर सिंह (आर.आर. : 74)	पश्चिम बंगाल	पंजाब	लोकहित
	1990			
5.	संजीव कौशल (आर.आर. : 86)	तमिलनाडु	हरियाणा	अधिकरण आदेश
6.	नरेन्द्र कुमार (आर.आर. : 88)	असम–मेंघालय	ए.जी.एम.यू.टी.	अधिकरण आदेश
7.	एस.के. सन्धु (आर.आर. : 87)	जम्मू तथा कश्मीर	पंजाब	अधिकरण आदेश
8.	रवनीत कौर (आर.आर. : 88)	असम–मेघालय	पंजाब	अधिकरण आदेश

1	2	3	4	5
	1991			
9.	कुसुमजीत सिंधु (आर.आर. : 79)	नागालैंड	पंजाब	पूर्वोत्तर नीति
10.	आई. रानी कुमुदनी (आर.आर. : 88)	जम्मू तथा कश्मीर	आन्ध्र प्रदेश	चिकित्सा
	1992			
11.	एस.ए. तगाडे (आर.आर. : 91)	केरल	महाराष्ट्र	अनुकम्पा
	1993			
12.	अनिता भटनागर (आर.आर. : 85)	गुजरात	उत्तर प्रदेश	अनुकम्पा

[अनुवाद]

योजना निवेश

6101. **श्री सोमजीभाई डामोर : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य योजना निवेश में प्रमुख रूप से दोषी हैं;

(ख) आवंटन के अनुसार योजना निवेश का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति क्या है;

(घ) योजना आयोग द्वारा 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रमुख बकायेदार ... के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी; और

(ङ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन राज्यों का योजना परिव्यय कितना कम किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र तथा गुजरात सहित सभी राज्यों के लिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्ययों तथा संशोधित परिव्ययों तथा प्रतिशतता अंतर और साथ ही वर्ष 1994-95 के लिए अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

किसी राज्य का वार्षिक योजना परिव्यय अनुमोदित हो जाने के बाद राज्य सरकार के साथ परामर्श से संसाधनों में कमी सहित विभिन्न कारणों से इसमें संशोधन किया जा सकता है। इन दो वर्षों में योजना वित्त पोषण के लिए अपने संसाधनों में कमी तथा परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता के कम उपयोग के कारण अनेक राज्यों ने अपने योजना परिव्ययों में संशोधन की मांग की है।

योजना आयोग ने समय-समय पर इस आवश्यकता पर बल दिया है कि वे राज्य के अतिरिक्त संसाधन जुटाने, राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्यचालन में सुधार, व्यय में मितव्ययता, लघु बचतों के अधिक संग्रहण इत्यादि के माध्यम से योजना वित्त पोषण के प्रति अधिक योगदान दें।

योजना परिव्ययों में अंतर का पता संशोधन प्रस्तावों पर विचार करते समय चलेगा, जो इस कैलेण्डर वर्ष के अन्त तक इस आयोग को भेजे जाने हैं।

विवरण

योजना निवेश

वार्षिक योजना—1992-93, 1993-94 तथा 1994-95—अनुमोदित/संशोधित परिव्यय-राज्य

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना—1992—93		वार्षिक योजना—1993—94		वार्षिक योजना—1994—95
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	6110.00	1675.00	1851.00	1851.00	2130.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	215.00	235.35	290.00	263.91	335.00
3.	असम	910.00	700.00	1027.00	872.00	1051.00
4.	बिहार	2212.73	1100.00	2300.00	750.00	2400.00
5.	गोआ	112.50	153.42	170.00	144.50	182.00
6.	गुजरात	1815.00	1875.00	2137.00	1900.00	2240.00
7.	हरियाणा	810.00	804.57	920.00	839.08	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	416.00	490.50	560.00	562.82	650.00
9.	जम्मू व कश्मीर	810.00	623.00	880.00	684.00	950.00

10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	3025.00	3025.00	3275.00
11.	केरल	913.00	750.00	1000.00	1019.77	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2410.00	1792.00	2400.00	2018.21	2750.00
13.	महाराष्ट्र	3110.00	3208.80	3804.00	3832.80	4400.00
14.	मणिपुर	210.00	171.30	230.00	174.84	240.00
15.	मेघालय	211.00	241.00	281.00	281.00	281.00
16.	मिजोरम	110.00	165.18	185.00	181.90	207.66
17.	नागालैण्ड	185.00	110.19	203.50	168.41	220.00
18.	उड़ीसा	1415.00	1055.00	1450.00	1095.19	1951.00
19.	पंजाब	1150.00	856.50	1250.00	1140.00	1450.00
20.	राजस्थान	1410.00	1410.00	1700.00	1704.76	2450.00
21.	सिक्किम	110.00	110.00	120.00	100.12	135.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	2101.00	2102.21	2750.00
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	310.00	220.03	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	4050.00	2800.00	4561.73
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	703.50	1550.00	1020.94	1706.00

मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र (आई.आर.बी.एम.) प्रौद्योगिकी

6102. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "अग्नि" के सफल प्रक्षेपण परीक्षण से "मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र" (आईआरबीएम) के विकास की परियोजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र (आईआरबीएम) के विकास के लिए आईआरबीएम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक प्रक्षेपास्त्र बाजार में प्रवेश और विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "अग्नि" मध्यम दूरी तक मार करने वाला बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है बल्कि मात्र तकनालॉजी प्रदर्शक वाहन है जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश तकनालॉजी स्थापित करना है।

(ख) और (ग) सरकार "अग्नि" के सफल उड़ान परीक्षणों के परिणामस्वरूप स्थिति की जांच कर रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिक्ष उत्पादों तथा सेवाओं के वाणिज्यिक उपयोग का ध्यान रखने के उद्देश्य से अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष निगम की स्थापना की है। सरकार ने इस निगम को अपने कार्यकलाप शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रारम्भ में शेयर पूंजी के रूप में कुछ मूल धनराशि उपलब्ध कराई है।

[हिन्दी]

हिन्दू दत्तक ग्रहण कानून

6103. **श्री आनन्द अहिरवार :**
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दू दत्तक ग्रहण कानून में संशोधन लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के संशोधन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य

6104. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट समझौते" को स्वीकार करने की स्थिति में भारत में विभिन्न जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य बढ़ जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं। गैट समझौते को स्वीकार करने के कारण वर्तमान में बाजार में जो औषधें हैं उनके मूल्यों में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हांगकांग द्वारा भारत में निवेश

6106. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्टमंडल ने भारत में निवेश हेतु कुछ प्रस्ताव रखे हैं;

(ग) यदि हां, तो हांगकांग ने किन-किन क्षेत्रों में निवेश हेतु रुचि दिखाई है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। हांगकांग जनरल चैम्बर आफ कामर्स द्वारा प्रयोजित एक व्यवसाय शिष्टमंडल ने 20 से 27 मार्च, 1994 तक भारत का दौरा किया।

शिष्टमंडल के कुछ सदस्यों ने भारत में पूंजी निवेश की संभावनाओं के बारे में प्रारंभिक जांच की। कुछ अन्य सदस्यों ने विद्युत क्षेत्र, हीरे तथा जेवरात क्षेत्र और आफ-शोर बैंकिंग आदि में भी पूंजी निवेश करने में रुचि दिखाई।

[अनुवाद]

अमरीकी निवेश

6107. **श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि करने की पेशकश की गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकार ने अमेरिकी कंपनियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें 1993 में 3461.88 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्न्तग्रस्त है जबकि 1992 में 1231.50 करोड़ रुपये और 1991 में 185.85 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्गस्त था।

पूंजी निवेश कम्प्यूटर साफ्टवेयर, डाटा कम्युनिकेशन तथा नेट वर्क, साफ्टवेयर आई बी एम प्रिन्टर्स, इंजीनियरिंग अधेसिब्ज तथा सीलैंट्स, औद्योगिक जल तथा प्रक्रिया शोधन रसायन, इलैक्ट्रोनिक कनैक्टर्स तथा दूरसंचार उपकरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि क्षेत्रों में किया गया है।

विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति

6108. **श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के पास दूसरी बार समीक्षा हेतु भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस समिति की समीक्षा हेतु प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मैसर्स एनरॉन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, यू.एस.ए. को महाराष्ट्र के डामोल में प्राकृतिक गैस फायर्ड कंबाइन्ड साइकिल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए फरवरी, 1993 में मंजूरी दी गई थी। परियोजना के कुछ संशोधित पैरामीटरों की तथा विद्युत परियोजना से संबंधित नीतिपरक दिशा-निदेशों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए उक्त मामले को फिर से विदेशी निवेश सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति को भेजा गया था।

केन्द्रीय परियोजनाओं को पुनः कार्यान्वित करना

6109. **श्री एस.बी. सिदनाल :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत वे परियोजनाएं जिनके कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है, को निजी क्षेत्र को सौंपा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी क्षेत्र को कार्यान्वयन हेतु सौंपने के लिए ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई पुनरीक्षा समिति स्थापित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो समिति ने इन परियोजनाओं को पुनः कार्यान्वित करने के लिए क्या सुझाव दिये हैं;

(च) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशें मंजूर की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी परियोजनाओं जो कि निधियों की कमी तथा अन्य कारणों से प्रगति नहीं कर सकी हैं, को कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाना है ताकि परियोजनाओं को पूरी तरह से निधियां प्रदान की जा सकें तथा उन्हें समय पर पूरा किया जा सके।

(ग) से (छ) प्रधान मंत्री द्वारा गठित किए गए मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी ऋण

6110. **डा. खुशीराम डुंगरोमल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से लिए गए ऋणों से वित्तपोषित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन परियोजनाओं की लागत उनके समय पर पूरा न किये जाने के कारण बढ़ गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए संचार तन्त्र

6111. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए उपग्रह आधारित संचार तन्त्र की स्थापना करने के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का अमेरिका की जी.टी.ई. स्पेसनेट के साथ मिलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6112. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गरीबी रेखा संबंधी मानदण्ड निर्धारित करने वाले विभिन्न घटक क्या हैं;

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन संबंधी सरकार के कार्यक्रम सफल नहीं रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित घरेलू खपत व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या का अनुमान लगाता है। गरीबी के नीवनतम अनुमान वर्ष 1987-88 में आयोजित पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। वस्तुतः 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जनसंख्या की कैलोरी आवश्यकताएं तथा खपत पैटर्न गरीबी रेखा के मापदण्ड को निश्चित करने वाले घटक हैं।

(ग) और (घ) देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 1972-73 में 51.5 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 29.9 प्रतिशत हो गया है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशतता 1973-74 में 54.9 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 39.34 प्रतिशत हो गया है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बजटीय सहायता

6113. **श्री चित बसु :**
श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बजटीय सहायता वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के निर्णय से कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित होंगे;

(घ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में फिजूल खर्च को कम नहीं कर सकी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) व्यर्थ व्यय नियंत्रित किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) वर्ष 1991 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1968 संशोधित किया गया था ताकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसके कार्यक्षेत्र में लाया जा सके। 31-3-1993 को समाप्त अवधि तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 44 रुग्ण औद्योगिक उद्यमों को, नवीकरण/ पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए, औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मंडल के समक्ष पंजीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश

6114. **श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के एककों द्वारा किए गए पूंजी निवेश का कभी आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निजी क्षेत्र को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) योजनागत दस्तावेज में स्वीकृत में औद्योगिक अनुमोदनों, पूंजी संबंधी मामलों के पूर्व नियंत्रक द्वारा दी गई सहमति, अखिल भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा मंजूर की गई सहायता इत्यादि के आधार पर निजी क्षेत्र में निवेश का समग्र मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय के दस्तावेज के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आठवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र में क्षेत्रीय निवेश इस प्रकार होगा :-

आठवीं योजना के दौरान क्षेत्रीय निवेश

(1992-93 से 1996-97 तक)

(रु. करोड़ में) (1991-92 के मूल्यों पर)

क्षेत्र	निजी क्षेत्र
खनन और उत्खनन	11100
विनिर्माणकारी	141300

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच निवेश का वितरण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की अपेक्षाकृत भूमिकाओं में प्रस्तावित पुनर्गठन पर आधारित है। विशद औद्योगिक समूहों जहां निजी क्षेत्र का हिस्सा अधिक होने की आशा है, वे हैं : बिजली, संचार खनन और उत्खनन विशेषकर तेल, विनिर्माणकारी क्षेत्र (पैट्रो-रसायन, धातु, उर्वरक, और भारी पूंजीगत समान) में बड़े उद्योग और वाणिज्यिक सेवाओं का संगठित भाग।

[हिन्दी]

परिवहन राज सहायता योजना

6115. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु परिवहन राज सहायता योजना की अवधि 31 मार्च, 1995 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) परिवहन राजसहायता योजना 31-3-1995 तक वैध है। सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर

6116. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रमों के विस्तार के लिए कोई-योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और नई कार्य–योजनां के कार्यान्वयन के बाद इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती किए गए कैडेटों की संख्या 10.66 लाख है। नई शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार करने के लिए लिए सरकार ने 1991-92 से 1995-96 तक प्रतिवर्ष तक प्रतिवर्ष 10,000 कैडेट की दर से कैडेटों की संख्या में 50,000 तक और वृद्धि करने के लिए मंजूरी दे दी है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धन

6117. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी धनराशि खर्च की ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) तीन प्रमुख ग्रमीण गरीबी उन्मूलक कार्यक्रमों नामतः (1) एकीकृत ग्रामीण विकास (आई आर डी पी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और शहरी गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम नामतः नेहरू रोजगार योजना के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के लिए आई आर डी पी के तहत वित्तीय आबंटन और निधियों का उपयोग (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) आई आर डी पी

(लाख रुपये में)

राज्य /सं.रा.क्षे.	1991—92		1992—93		1993—94		
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	(फर. 1994 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	5177.52	6548.98	4880.00	5411.42	8415.00	6824.08	
2. अरुणाचल प्रदेश	469.44	294.47	416.00	426.52	685.00	249.49	(दि. 1993 तक)
3. असम	1414.06	1587.04	332.00	1584.46	2770.00	1557.88	(जन. 1994 तक)
4. बिहार	10361.80	8384.64	9778.00	7726.73	15974.00	8535.73	
5. गोआ	97.80	67.30	85.00	53.54	142.00	132.52	
6. गुजरात	2132.11	2307.69	2010.00	2210.50	3090.00	2856.63	
7. हरियाणा	510.19	756.84	480.00	796.25	742.00	832.71	
8. हिमाचल प्रदेश	182.66	352.47	172.00	291.88	242.00	345.09	

9. जम्मू व कश्मीर	255.10	421.07	240.00	385..47	462.00	292.52	(जन. 1994 तक)
10. कर्नाटक	3240.68	2782.63	3054.00	2574.68	5650.00	2863.48	
11. केरल	1750.48	1784.84	1660.00	1647.95	2056.00	1743.99	
12. मध्य प्रदेश	6865.57	9353.08	5472.00	7336.37	10664.00	7021.28	
13. महाराष्ट्र	5546.00	5633.70	5228.00	5332.16	9174.00	5314.42	
14. मणिपुर	40.94	153.20	38.00	85.42	200.00	137.09	
15. मेघालय	122.82	162.52	115.00	173.80	192.00	123.95	
16. मिजोरम	195.00	169.72	174.00	212.29	288.00	170.42	
17. नागालैंड	205.38	299.15	182.00	236.84	300.00	199.89	(नव.93 तक)
18. उड़ीसा	3391.85	3671.71	3198.00	3373.97	5826.00	3377.81	
19. पंजाब	431.46	858.45	406.00	935.95	528.00	877.42	
20. राजस्थान	3306.82	4079.89	3118.00	3258.25	4430.00	3543.11	
21. सिक्किम	39.12	47.39	34.00	39.71	56.00	40.93	
22. तमिलनाडु	4648.44	4627.72	4382.00	4436.01	7608.00	5951.59	
23. त्रिपुरा	144.87	397.81	136.00	414.47	518.00	230.08	
24. उत्तर प्रदेश	13857.12	16226.71	13062.00	14395.38	20508.00	16970.37	

1	2	3	4	5	6	7	8
25. पश्चिम बंगाल	5791.65	6317.73	5450.00	5758.50	7542.00	1540.24	
26. अंड. व नि.	49.90	38.06	43.00	39.34	71.00	17.51	(जन. 1994 तक)
27. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	
28. दा.व.न.ह.	9.78	8.67	9.00	10.41	15.00	12.10	
29. दिल्ली	48.90	22.57	–	–	–	–	
30. दमन व दीव	19.56	11.28	17.00	16.30	28.00	17.96	
31. लक्षद्वीप	5.00	7.80	4.00	8.60	7.00	6.76	
32. पांडिचेरी	39.12	33.55	35.00	43.47	58.00	29.60	
अखिल भारत	10360.74	77308.78	66222.00	69313.64	109343.00	71926.54	

विवरण-II

1991-92 से 1993-94 के दौरान जेआरवाई और ईएएस के तहत राज्यवार कुल आबंटन और उपयोग

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (केन्द्र–राज्य)			आबंटन			सघन जेआरवाई (1993–94)		रोजगार आश्वासन स्कीम (1993–94)	
		1991–92	1992–93	1993–94	1991–92	1992–93	1993–94	आबंटन (केन्द्र–राज्य)	उपयोग	जारी किया गया	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	19166.20	23132.28	2462.09	19065.78	19866.06	17980.72	6243.75	1862.91	4500.00	2566.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	330.68	322.51	322.51	221.17	234.80	145.96	0.00	–	300.00	31.84
3.	असम	5114.59	3420.76	8104.85	5000.44	4034.49	7911.51	0.00	–	2587.50	963.09
4.	बिहार	38466.78	47934.30	48291.40	37580.16	41257.59	60445.49	17231.25	8078.50	5887.50	1608.36
5.	गोआ	357.28	421.93	348.46	364.56	340.36	327.22	0.00	–	0.00	0.00
6.	गुजरात	8090.71	9611.93	9037.55	10039.31	8327.77	10533.51	3887.50	1182.44	606.25	146.21
7.	हरियाणा	1926.83	2291.06	2170.94	2353.04	2012.13	2164.35	0.00	–	1650.00	993.85
8.	हिमाचल प्रदेश	1135.28	1254.69	1107.26	1186.15	1049.73	1289.31	0.00	–	43.75	2.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू व कश्मीर	1611.51	1818.63	1571.74	2046.35	1635.94	579.92	853.75	147.50	900.00	133.75
10.	कर्नाटक	12059.70	14377.71	16531.33	11082.63	12533.91	17567.06	4715.00	1690.62	3525..00	678.26
11.	केरल	6396.19	7659.26	6238.34	7252.79	6843.94	7788.38	0.00	–	725.00	171.20
12.	मध्य प्रदेश	26402.50	31473.50	31197.24	31681.83	31328.16	36260.38	15243.75	1032.53	7118.75	1182.75
13.	महाराष्ट्र	2024.85	25815.64	26839.28	18124.11	18648.24	15680.73	10217.50	633.14	3306.25	344.83
14.	मणिपुर	423.83	623.25	413.36	206.77	292.23	301.82	0.00	–	925.00	35.46
15.	मेघालय	495.91	703.58	483.68	481.47	413.10	283.39	0.00	–	200.00	NIL
16.	मिजोरम	208.90	244.43	203.75	260.51	213.27	210.48	0.00	–	750.00	82.60
17.	नागालैंड	531.58	627.76	518.46	733.84	637.11	353.25	0.00	–	1050.00	200.00
18.	उड़ीसा	13094.93	16036.90	19972.66	14033.59	13067.13	19582.43	7143.75	1604.88	5335.00	106.71
19.	पंजाब	1675.65	1982.54	1634.30	1053.97	2590.84	1922.31	0.00	–	0.00	0.00
20.	राजस्थान	12805.28	15172.01	12961.33	13206.41	12246.06	11743.34	4568.75	851.56	4575.00	473.06
21.	सिक्किम	193.54	231.98	188.76	328.62	303.56	273.07	0.00	–	145.00	20.56
22.	तमिलनाडु	17223.66	20550.48	22256.18	21134.07	20094.35	21355.81	3255.00	124.36	1318.75	182.60

23.	त्रिपुरा	550.49	653.83	536.90	602.99	485.40	838.66	0.00	–	762.50	659.35
24.	उत्तर प्रदेश	51093.28	61016.78	59998.40	48146.83	52257.00	69531.24	8335.00	90.05	3507.81	598.69
25.	पश्चिम बंगाल	21786.94	25923.84	22063.20	9342.16	21412.74	18175.07	6125.00	1066.65	5068.75	414.40
26.	अंड. व नि. द्वीव	156.56	152.70	152.70	86.73	67.50	69.08	0.00	–	10.00	2.41
27.	दादर व नगर	84.99	91.02	82.89	103.31	76.31	51.57	0.00	–	5.00	0.00
28.	दमन व दीव	50.07	48.83	48.83	27.23	5.33	25.94	0.00	–	5.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	78.49	78.58	76.55	49.15	65.66	65.62	0.00	–	25.00	0.00
30.	पांडिचेरी	153.25	232.38	149.47	193.27	139.39	109.70	0.00	–	0.00	0.00
	जोड़ :	262090.45	316905.09	318122.39	265989.24	270476.20	323567.32	87020.00	18365.14	54732.81	12556.07

विवरण-III

जवाहर रोजगार योजना के तहत जारी की गई निधियां और 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान इन निधियों का उपयोग

क्र॰ स॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेहरू रोजगार योजना के तहत जारी की गई निधियां			नेहरू रोजगार योजना उपयोग की गई धनराशि		
		1991 92	1992 93	1993 94	1991 92	1992 93	1993 94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	794.80	527.40	679.53	985.34	467.89	790.38
2.	बिहार	670.05	457.35	359.30	548.07	652.66	432.62
3.	गुजरात	291.15	198.45	212.52	497.80	253.04	341.09
4.	हरियाणा	163.70	111.90	123.29	207.75	220.44	200.02
5.	कर्नाटक	793.50	510.20	40.17	1086.96	412.66	398.41
6.	केरल	318.80	225.90	234.82	528.36	419.27	561.99
7.	मध्य प्रदेश	797.80	550.40	684.48	1060.67	550.89	1797.04
8.	महाराष्ट्र	1018.10	700.50	669.60	1000.02	796.08	163.76
9.	उड़ीसा	281.70	191.60	219.80	415.26	345.60	190.01
10.	पंजाब	270.80	192.90	216.47	289.76	270.12	346.57
11.	राजस्थान	561.10	309.40	379.60	817.91	366.30	745.76
12.	तमिलनाडु	892.90	587.00	765.58	1173.43	1149.76	760.93
13.	उत्तर प्रदेश	2092.90	1426.20	1711.54	2628.15	1500.22	3024.19
14.	पश्चिम बंगाल	561.10	481.20	259.00	691.99	147.39	260.57
15.	गोआ	37.90	19.70	17.85	19.43		32.15
16.	अरुणाचल प्रदेश	31.50	16.60	19.75			6.88
17.	असम	187.50	156.20	89.49	260.48	43.91	40.49

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	हिमाचल प्रदेश	70.90	64.30	56.19	56.37	27.36	7.39
19.	जम्मू व कश्मीर	91.10	86.50	87.48	13.57	192.19	91.45
20.	मणिपुर	49.50	40.90	48.33	68.26	27.76	148.49
21.	मेघालय	47.20	37.45	24.10	1.28	36.54	1.61
22.	मिजोरम	34.60	24.30	21.74	6.27	24.00	51.49
23.	नागालैंड	38.20	19.20	15.70			
24.	सिक्किम	27.90	34.20	129.68	30.38	5.16	42.03
25.	त्रिपुरा	34.50	25.20	115.60	31.92	32.35	18.87
26.	अ.व नि. द्वीप	11.90	9.20	13.53	2.54	2.66	18.71
27.	चंडीगढ़	21.70	12.20	13.86	1.99	7.94	7.58
28.	दादर व नगर	10.80	8.40	11.05	0.75	3.40	6.18
29.	दमन व दीव	18.70	15.10	18.25	2.26	2.18	1.89
30.	पांडिचेरी	17.70	17.90	11.70	7.31	12.76	6.59
31.	दिल्ली	40.00	22.00	22.00	25.00	5.95	6.58
	जोड़	10280.00	7079.75	7477.00	12459.28	7976.48	10560.72

उर्वरक संयंत्र

6118. **श्री जंगबीर सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत देश में कार्यरत उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) 1992 93 की तुलना में 1993 94 के दौरान प्रत्येक संयंत्र के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इस समय उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र तथा इन संयंत्रों में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्पादन के ब्यौर संलग्न विवरण पत्र में दिए गए है।

(घ) मुख्य फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के आयात असरणीबद्ध कर दिए गए हैं। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक में, यूरिया का आयात सरकारी खाते पर सरणीबद्ध मद के रूप में किया जाता है। सूचित किया गया है कि 1993-94 के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं आयात की गयी हैं :

उर्वरक का नाम	लगभग आयातित मात्राएं (लाख टनों में)
यूरिया	27.83
डाई-अमोनियम फास्फेट	15.69
म्यूमरिएट आफ पोटाश	14.28

1994-95 के दौरान सरणीबद्ध उर्वरकों के संभावित आयात के ब्यौरे पहले ही बताना जनहित में नहीं होगा।

(ङ) और (च) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) तथा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) ने क्रमश विजयपुर (मध्य प्रदेश) तथा आंवला (उत्तर प्रदेश) में स्थित उनके गैस पर आधारित संयंत्रों की क्षमता को दुगुना करने की परियोजनाएं आरम्भ की हैं। आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस पर आधारित एक मध्यम आकार के अमोनिया-यूरिया संयंत्र के लिए गैस का आबंटन भी इंगित किया गया है। इसके अलावा, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. ने अपनी वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोन लि. (फैक्ट) ने भी उद्योगमंडल (केरल) में 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र तथा उनमें उर्वरकों के उत्पादन के ब्यौरे (पोषकों के रूप में)

संयंत्र का नाम	(000 मी. टन पोषक) निम्नलिखित के दौरान उर्वरक		प्रतिशत वृद्धि
	1992-93	1993-94	
	2	3	4
ाइट्रोजन			
(1) **सार्वजनिक क्षेत्र**			
एफ.सी.आई.			
सिन्दरी	135.8	112.2	−17.4%
गोरखपुर	0.0	0.0	-
रामागुण्डम	58.0	88.8	53.1%
तालचर	41.4	57.3	38.4%
योग एफसी आई :	235.2	258.3	9.8%
एच.एफ.सी.			
नामरूप-I	0.2	0.0	−100.0%
नामरूप-II	23.2	3.3	−85.8%
नामरूप-III	113.4	84.0	−25.9%
दुर्गापुर	34.2	18.8	−45.0%
बरौनी	48.4	10.1	−79.1%
योग एचएफसी :	219.4	116.2	−47.0%
एन.एफ.एल.			
नांगल-I	58.1	66.5	14.5%

1	2	3	4
नांगल II	163.1	161.5	1.0%
भटिण्डा	225.4	235.3	4.4%
पानीपत	200.0	237.5	18.8%
विजयपुर	387.4	404.0	4.3%
योग एन एफ एल	1034.0	1104.3	6.8%
एफ.ए.सी.टी.			
उद्योग मंडल	62.9	61.4	2.4%
कोचीन I	67.5	111.5	65.2%
कोचीन II	107.4	89.3	16.9%
योग फैक्ट :	237.8	262.2	10.3%
आर.सी.एफ.			
ट्रम्बे	81.6	83.8	2.7%
ट्राम्बे IV	60.1	55.3	8.0%
ट्राम्बे V	128.9	143.7	11.5%
थाल	652.5	617.3	5.4%
योग आर.सी.एफ.	923.1	900.1	2.5%
एम.एफ.एल. : मद्रास	145.8	99.0	32.1%
सेल : राउरकेला	54.8	59.9	9.3%
एन.एल.सी. : नेवेली	50.0	51.1	2.2%
पी.पी.एल.:पारादीप	94.1	69.3	26.4%
उप उत्पादन	27.6	26.4	4.3%
योग	3021.8	2947.3	2.5%

1	2	3	4
फास्फेट			
सार्वजनिक क्षेत्र :			
फैक्ट :			
उद्योग मंडल	30.2	23.5	22.2%
कोचीन II	113.4	89.3	21.3%
योग फैक्ट :	143.6	112.8	21.4%
आर.सी.एफ.			
ट्राम्बे	52.7	45.5	13.7%
ट्राम्बे IV	60.1	55.3	8.0%
योग आर सी एफ :	112.8	100.8	10.6%
एम एफ एल : मद्रास	117.4	82.2	30.0%
पी पी एल : पारादीप	240.4	177.1	26.3%
एच सी एल : खतरी	8.6	2.3	73.36%
पी पी सी एल : अमझोर	28.4	20.6	27.6%
एस एस पी एकक	5.2	4.6	12.3%
योग :	656.4	500.3	23.8%

औषधीय पौधे

6119. **श्री बी. देवराजन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध फार्मों का विकास करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है ताकि और अधिक औषधीय पौधे उपलब्ध हो सकें,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय औषध प्रणाली विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 190-91 से "ओषधीय पौधों के विकास और उत्पादन के लिए केन्द्रीय योजना" नामक योजना कार्यान्वित की है। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों के विकास और उत्पादन के लिए सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थानों आदि की स्थापना सहित अनेक उपाय शुरू किए गए हैं ताकि भारतीय औषधियों की प्रत्येक पद्धति अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो सके।

[अनुवाद]

बिहार में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

6120. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेषकर बिहार में, कितने जिलों और मंडलों को शामिल किया गया है/जायेगा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फसलों के उत्पादन और पशुओं इत्यादि पर पड़ने वाले सूखे के कुप्रभाव को किस सीमा तक कम किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस समय देश के 13 राज्यों के 96 जिलों के 627 खण्डों को सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है। कुल खंडों में से 54 खंड बिहार के 7 जिलों में है।

योजना आयेाग के पूर्व सदस्य प्रो. सी.एच. हनुमन्त राव की अध्यक्षता में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यक्रम के अंतगर्त जिलों और खंडों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) फसलों और पशुधन अपर सूखा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के प्रभाव का जायजा लेने के

लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरन जे.पी.एस. एसोसिएट्स, नई दिल्ली की मार्फत उड़ीसा, गुजरात औरा राजस्थान के राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी एक मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि भूमि तथा नमी संरक्षण कार्यों की वजह से जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। वनरोपण कार्यों को अति उत्तम से खराब वर्गीकृत किया गया है। वनरोपण के कारण वरस्पति कवरेज और बायो-मास सृजन में सुधार हुआ है। इसी बीच, कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म वाटरशैड आधार पर आयोजन तथा कार्यान्वयन तथा तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात भूमि संसाधन विकास जल संसाधन विकास तथा चरागाह विकास में निर्माण कार्यों को पूरा करने पर बल दिया गया है जो कि यदि समेकित रूप में किए जाएं तो दीर्घावधि में अपेक्षित प्रभाव देने में सक्षम हैं।

(ग) आंठवी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के 50 प्रतिशत अंश सहित अनुमानित आबंटन 1000 करोड़ रुपए है। वर्षवार और राज्यवार आबंटन योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पर अनुमादित निधियों के आधार पर किया जाता है। गत तीन वर्षों अर्थात 1991-92 से 1993-94 के दौरान वर्षवार और राज्यवार आबंटन और उपयोग तथा 1994-95 के लिये आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम-1991-92 से 1993-94 तक आंबटन और खर्च तथा 1994-95 के लिए आबंटन

क्रमांक	राज्य	1991–92		1992–93		1993–94		1994–95
		आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च* (अन्तिम)	आबंटन
1.	आंध्र प्रदेश	1203.00	1324.51	1203.00	1479.47	1804.50	1548.69	1993.00
2.	बिहार	828.00	565.45	828.00	579.51	1242.00	629.38	1380.00
3.	गुजरात	746.00	736.37	746.00	787.68	1119.00	1187.74	1236.00
4.	हरियाणा	135.00	141.36	135.00	142.14	202.50	203.75	225.00
5.	जम्मू व कश्मीर	214.50	331.23	214.50	332.29	321.75	94.09	357.50
6.	कर्नाटक	1249.00	1197.40	1249.00	1272.39	1873.50	1608.81	2068.00
7.	मध्य प्रदेश	809.00	953.01	809.00	685.34	1213.50	858.57	1345.00
8.	महाराष्ट्र	1343.00	1284.23	1343.00	1247.66	2014.50	1826.06	2218.00
9.	उड़ीसा	621.00	726.29	621.00	563.41	931.50	741.00	1033.00
10.	राजस्थान	514.00	485.09	514.00	635.70	771.00	729.92	853.00

11.	तमिलनाडु	657.00	670.92	657.00	660.34	985.50	1074.30	1095.00
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	1363.54	1386.00	1271.36	2079.00	1943.94	2307.00
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	307.19	517.50	296.73	776.25	229.55	862.50
	योग	10223.00	10086.59	10223.00	9954.02	15334.50	12675.80	16973.00

*खर्च मध्य प्रदेश–प. बंगाल के लिए जनवरी, 1994 तक है और आन्ध्रप्रदेश बिहार जम्मू व कश्मीर और उड़ीसा के लिए फरवरी, 1994 तक तथा शेष के लिए मार्च, 1994 तक के लिए है।

गुजरात को सहायता

6121. **श्री हरिभाई पटेल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) किसी राज्य का सम्पूर्ण वार्षिक योजना परिव्यय इसके आर्थिक विकास के लिए है। गुजरात के लिए वर्ष 1994-95 में वार्षिक योजना परिव्यय 2240 करोड़ है जिसमें से 260.50 करोड़ रु. नेट केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य का वार्षिक योजना परिव्यय योजना आयेाग के उपाध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच 10 दिसम्बर, 1993 को हुए वार्षिक योजना विचार विमर्श में निर्धारित किया गया था। वर्ष 1994-95 के लिए योजना परिव्यय के सेक्टरवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुमोदित परिव्यय 1994-95 गुजरात (लाख रु.)

प्रमुख विकास शीर्ष		अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	13330
2.	ग्रामीण विकास	8196
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	59683
5.	ऊर्जा	49890
6.	उद्योग तथा खनिज	12597
7.	परिवहन	10217
8.	संचार	165
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	105
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	4367
11.	सामाजिक सेवाएं	65382
12.	सामान्य सेवाएं	68
	जोड़ :	224000

[हिन्दी]

असंतुलित विकास

6122. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों का असंतुलित विकास रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी भागों के संतुलित विकास के बारे में सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) और (घ) किसी विशेष क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है। इस में केन्द्र सरकार एक फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत संसाधनों के अंतरण के तंत्र के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है, जो कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना संसाधनों के हस्तांतरण को अधिक महत्व देता है राज्यों के विकास के लिए योजनाओं को राज्यो सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है इन योजनाओं में कृषि, उद्योग परिवहन, ऊर्जा सामाजिक आधारसंरचना अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का प्रावधान तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (नई श्रृंखला)

क्र. सं.	राज्य	1991-92 के लए अनुमान (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5570
2.	अरुणाचल प्रदेश	5551
3.	असम	4230
4.	बिहार	2904
5.	दिल्ली	–

1	2	3
6.	गोवा	8096
7.	गुजरात	6425
8.	हरियाणा	8690
9.	हिमाचल प्रदेश	5355
10.	जम्मू और कश्मीर	4051
11.	कर्नाटक	5555
12.	केरल	4618
13.	मध्य प्रदेश	4077
14.	महाराष्ट्र	8180
15	मणिपुर	4180
16.	मेघालय	4458
17.	मिजोरम	
18.	नागालैंड	5810
19.	उडीसा	4068
20.	पंजाब	9643
21.	राजस्थान	4361
22.	सिक्किम	5416
23.	तमिलनाडु	5078
24.	त्रिपुरा	
25.	उत्तर प्रदेश	4012
26.	पश्चिम बंगाल	5383

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े तुरन्त अनुमान है।

2. यह सारणी आर्थिक सर्वेक्षण, 1993 94 से ली गई है।

लघु एवं कुटीर उद्योग

6123. **श्री महेश कनोडिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का आशानुकूल विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार लघु और कुटीर उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ और उनके जरिये राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ओर गत तीन वर्षों के दौान इस उद्देश्य से राज्य-वार कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रमीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु क्षेत्र ने विकास बनाये रखा है क्योंकि लघु औद्योगिक एककों की संख्या 1991-92 में 20.82 लाख से बढ़कर 1992-93 में 22.35 लाख हो जाने का अनुामन है जिससे 7.3 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। इसी अवधि के दौरान 1990-91 के मूल्यों के आधार पर 1991-92 में उत्पादन 160000 करोड़ रुपये बढ़कर 1992-93 में 168960 करोड़ रुपये हो गया है जिससे 5.6 प्रतिशत विकास दर्ज हुआ है। इसी प्रकार लघु क्षेत्र में रोजगार 1991 92 में 129.08 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 1992-93 में 134.06 लाख व्यक्ति हो गया है जिससे 3.9 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है।

खाादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का उत्पादन 1991-92 में 259279.37 लाख रुपये से बढ़कर 1992-93 में 287694.11 लाख रुपये हो गया है जिससे 10.92 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। इस क्षेत्र में रोजगार 1991-92 में 50.11 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 1992-93 में 52.42 लाख व्यक्तियों हो गया है जिससे 4.6 प्रतिशत का पता चलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों की लघु उद्योग विकास संगठन के कार्यक्षेत्र में आने वाले लघु क्षेत्र में उत्पादित माल की मात्रा और रोजगार से संबंधित राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, संदर्भ वर्ष 1987-88 के लिए 1989-91 के दौरान विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग) द्वारा की गयी लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार राज्यवार सूचना के विवरण-I में दी गई है।

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार से संबंधित राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(घ) भारत सरकार लघु उद्योगों के विकास और संबर्धन के लिए देश भर में लघु उद्योग विकास संगठन के जरिये कई योजनागत स्कीमें चला रही है। ये स्कीमें इस प्रकार हैं

औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, उपटेका केन्द्र, निर्यात सबंर्धन, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना आदि। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन, संबर्धन तथा आधारभूत सहायता योजनाओं के अधीन लघु उद्योगों को अनेक सुविधाए उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ मुख्य सुविधाएं इस प्रकार है :-

(1) 200 लाख रुपये से अधिक कारोबार वाले लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट/रियायत।

(2) बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अधीन कर्जा दिया जाता है।

(3) सावधिक ऋण

(4) ब्याज की रियायती दर पर 2 लाख रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण

(5) केवल लघु क्षेत्र में ही निर्माण किए जाने के लिए 836 मदें आरक्षित की गयी हैं।

(6) सरकारी खरीद कार्यक्रम में लघु एककों को मूल्य और खरीद में वरीयता दी जाती है।

(7) प्रौद्योगिकी सुधार सहायता।

ग्रामीण तथा लघु क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित राज्यवार धनराशि के विवरण एकत्र किए जा रहे हैं।

विवरण-I

31-3-1988 (लघु औद्योगिक एककों की दूसरी भारतीय गणना) को राज्यवार उत्पादित वस्तुओं का मूल्य तथा नियोजित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन 1987-88 मूल्य (रु. लाख में)	रोजगार संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	369404	276127
2.	असम	30235	34475
3.	बिहार	87782	181781
4.	गुजरात	358624	276955
5.	हरियाणा	176391	105656
6.	हिमाचल प्रदेश	24517	25536
7.	जम्मू और कश्मीर	30309	40655
8.	कर्नाटक	252686	244039
9.	केरल	113691	169309

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	196736	158808
11.	महाराष्ट्र	751179	355900
12.	मणिपुर	2988	10216
13.	मेघालय	2700	3780
14.	नागालैंड	11247	3059
15.	उड़ीसा	65734	69305
16.	पंजाब	277639	206209
17.	राजस्थान	146076	122550
18.	तमिलनाडु	451302	536381
19.	त्रिपुरा	2957	10069
20.	उत्तर प्रदेश	372704	348908
21.	पश्चिम बंगाल	253003	311838
22.	सिक्किम	1155	1033
23.	अंडमान और निकोबार	897	1672
24.	अरुणाचल प्रदेश	2624	2771
25.	चंडीगढ़	13138	10579
26.	दादरा और नगर हवेली	6034	2115
27.	दिल्ली	253063	121972
28.	गोवा	19875	19935
29.	मिजोरम	1470	4223
30.	पाण्डिचेरी	17998	8721
31.	दमन और दीव	3045	1233
	समपूर्ण भारत	4297201	3665810

विवरण-II

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का राज्यवार मूल्य विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12792.67	14541.20	16221.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.78	0.11	1.38
3.	असम	1924.92	2176.40	2251.42
4.	बिहार	11972.92	12884.04	13858.06
5.	गोआ	379.37	404.59	474.26
6.	गुजरात	8226.65	10032.92	10358.47
7.	हरियाणा	4925.22	5618.80	6420.31
8.	हिमाचल प्रदेश	4124.58	4070.84	4495.40
9.	जम्मू और कश्मीर	5175.35	5675.14	5829.66
10.	कर्नाटक	12323.53	13599.48	14572.01
11.	केरल	8094.00	9465.03	9926.10
12.	मध्य प्रदेश	5867.23	5775.03	8055.26
13.	महाराष्ट्र	34902.24	41128.52	46846.62
14.	मणिपुर	1646.97	1926.89	2224.41
15.	मेघालय	578.91	636.24	739.65
16.	मिजोरम	486.13	571.39	689.22
17	नागालैंड	261.74	257.11	314.91
18.	उड़ीसा	2448.53	2616.72	3657.32
19.	पंजाब	9822.00	10645.53	11553.75

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	18041.63	19524.51	21267.84
21.	सिक्किम	157.75	219.64	228.49
22.	तमिलनाडु	33756.78	38597.38	42007.69
23.	त्रिपुरा	1614.65	1584.56	1768.49
24.	उत्तर प्रदेश	37026.56	44806.79	49372.00
25.	पश्चिम बंगाल	9193.86	10222.42	11895.99
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.00	45.85	115.15
27.	चंडीगढ़	396.07	427.00	452.61
28.	दादर व नगर हवेली	0.64	0.64	0.82
29.	दिल्ली	1549.84	1502.03	1730.14
30.	दमन एवं दीव	—	—	—
31.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	288.24	322.57	365.13
	अखिल भारत	228001.76	259279.37	287694.11

विवरण-III

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में सृजित राज्यवार रोजगार

रोजगार (लाख व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.09	3.27	3.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	—
3.	असम	1.02	1.02	1.02

1	2	3	4	5
4.	बिहार	3.27	3.38	3.59
5.	गोवा	0.03	0.05	0.05
6.	गुजरात	0.86	0.90	0.01
7.	हरियाणा	0.73	0.78	0.84
8.	हिमाचल प्रदेश	0.54	0.60	0.60
9.	जम्मू और कश्मीर	0.73	0.82	0.82
10.	कर्नाटक	1.59	1.64	1.74
11.	केरल	1.99	2.05	1.98
12.	मध्य प्रदेश	0.88	0.78	0.92
13.	महाराष्ट्र	4.04	4.43	4.62
14.	मणिपुर	0.34	0.38	0.38
15.	मेघालय	0.08	0.10	0.10
16.	मिजोरम	0.04	0.04	0.06
17.	नागालैण्ड	0.05	0.04	0.05
18.	उड़ीसा	1.70	1.30	1.63
19.	पंजाब	1.39	1.42	1.53
20.	राजस्थान	3.80	4.02	3.91
21.	सिक्किम	0.03	0.04	0.06
22.	तमिलनाडु	9.43	9.53	9.98
23.	त्रिपुरा	0.42	0.44	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	9.57	10.04	10.73
25.	पश्चिम बंगाल	2.67	2.83	2.95
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	—	—
27.	चंडीगढ़	0.01	0.01	0.01

1	2	3	4	5
28.	दादर और नगर हवेली	–	–	–
29.	देहली	0.15	0.15	0.15
30.	दमन और दीव	–	–	–
31.	लक्ष्यद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	0.05	0.04	0.04
	संपूर्ण भारत	48.52	50.11	52.42

[अनुवाद]

आतिशबाजी की वस्तुओं का उत्पादन

6124. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः शिवकासी फायर वर्क्स कारखानों में कितने मूल्य की आतिशबाजी की वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह उद्योग विदेशों की कुल मांग का केवल 10 प्रतिशत ही निर्यात कर सकता है;

(ग) क्या सरकार ने आतिशबाजी की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में आतिशबाजी की वस्तुओं का समूचा उत्पादन प्रायः शिवाकासी और उसके आसपास होता है। उत्पादन तथा निर्यात का वर्षवार मूल्य इस प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादन का मूल्य (रु. करोड़ में)	निर्यात मूल्य (रु. लाख में)
1990-91	153	9.44
1991-92	84	15.34
1992-93	145	34.42
1993-94	154	74.5

(ख) जी, नहीं। 123 मी॰ टन निर्यात आर्डरों की तुलना में 31-3-1994 मी॰टन निर्यात किया गया है जो 76 प्रतिशत बनता है।

(ग) और (घ) वर्तमान एक्सिम पोलिसी आर॰ई॰ मार्च, 1994 के अनुसार, सभी अनुमति प्राप्त स्थानों को आतिशबाजियों का निर्यात विस्फोटक अधिनिमय/नियमों के अधीन बिना किसी लाइसेंस की औपचारिकताओं के ही किया जा सकता है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

6125. **श्री एस॰एम॰ लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सफाई कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में कोई पर्यवेक्षीय संस्थाएं हैं; और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि अन्य दूसरे राज्यों में यह गति पकड़ रहा है। शेष कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है।

(ख) जी नहीं। तथापि योजना के समग्र नीति संबंधी मार्गदर्शिकाएं तैयार करने और निगरानी करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक छोटा प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इसका पर्यवेक्षण वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के स्तर पर किया जाता है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी योजनाओं को सही रूप में कार्यान्वित किया जाए, निम्नलिखित उपाय किए जाते है :-

(1) मासिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत निगरानी, रिलीज प्रक्रियायें ओर गहन निरीक्षण तथा उपचारात्मक अनुवर्ती कार्रवाई।

(2) समितियों, अधिकारियों, सचिवों, आयुक्तों आदि द्वारा समीक्षा और निगरानी।

(3) प्रगति की समीक्षा करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए सचिवों, मुख्य अभियंताओं की दिल्ली में बैठक।

(4) अलग-अलग परिवारों के स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की इकाई लागत का सुव्ययवस्थीकरण।

(5) यह निर्णय लिया गया है कि स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार की जाएं और क्षेत्र विशेष मॉडलों/तकनीकी विकल्पों के लिए तकनीकी मार्गदर्शिकाएं तैयार की जाएं।

(6) केन्द्र सरकार ने सचिव और मंत्री स्तर पर तथा राज्यों में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर, जब कभी आवश्यक हो, समीक्षा।

महाराष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्र

6126. **श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31 जिलों, में से 29 जिलों में 29 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है। संयुक्त उद्योग निदेशक का कार्यालय (बीएम आर) ग्रेटर बंबई तथा बंबई उपनगरीय जिला अर्थात् शेष दो जिलों के लिए ज़िला उद्योग केन्द्र के कार्य करता है।

(घ) योजना राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दी गई है। इस समय जिन जिलों में जिला उद्योग केन्द्र नहीं हैं वहां जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करना राज्य सरकार का कार्य है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम
1	2
1.	अहमद नगर
2.	औरंगाबाद
3.	बीड़
4.	बुल्ढ़ाना
5.	भंडारा
6.	चन्द्रपुर
7.	धुले
8.	जलगांव

1	2
9.	उस्मानाबाद
10.	नादेड़
11.	परभानी
12.	रायगढ़
13.	रत्नागिरी
14.	वर्धा
15.	यवतमाल
16.	अकोला
17.	अमरावती
18.	कोल्हापुर
19.	नागपुर
20.	नासिक
21.	पुणे
22.	सांगली
23.	सतारा
24.	सोलापुर
25.	थाणे
26.	सिंधुदुर्ग
27.	जालना
28.	गढ़चिरौली
29.	लातूर

[हिन्दी]

एच.एम.टी. घड़ियां

6127. **डा. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एच.एम.टी. की कुल कितनी घड़ियों का निर्माण किया गया और कितनी घड़ियां बेची गयीं;

(ख) क्या इन घड़ियों की मांग बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उनकी मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है;

(घ) क्या इन घड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले दो वर्षों में एच.एम.टी. घड़ियों का उत्पादन तथा बिक्री निम्नानुसार है :

(संख्या लाखों में)

	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
उत्पादन	57.68	32.54
बिक्री	54.52	24.65

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पिछले 2 वर्षों में एच.एम.टी. ने उपभोक्ताओं, फुटकर विक्रेताओं, केन्टीन स्टोर्स विभाग और पुनः वितरण करने वाले स्टाकिस्टों के लिए अनेक स्कीमें बनाई हैं। उन्होंने विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्वार्ट्ज घड़ियों की अनेक नई श्रेणियां भी शुरू की हैं तथा इनके लिए समुचित विज्ञापन भी दिए हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6128. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यकारी पूंजी की कमी के कारण संकट का सामना कर रहे केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कार्यकारी पूंजी की कितनी-कितनी कमी है;

(ग) क्या सरकार ऐसे प्रत्येक उपक्रम के लिए प्रोमोटर के रूप में कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) 31 मार्च, 1993 तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों, जिनके पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, को यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत रुग्ण निर्धारित किया गया है। इन सरकारी उद्यमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। रुग्ण सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंप दिया गया है ताकि उनके पनुरुद्धार/पुनर्वास से संबंधित योजनाएं बनाई जा सकें। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने उन उद्यमों को पंजीकृत कर लिया है तथा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए प्रचालन अभिकरण नियुक्त कर दिया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने उन उद्यमों को पंजीकृत कर लिया है तथा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए प्रचालन अभिकरण नियुक्त कर दिया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल पुनरुद्धार/पुनर्वास संबंधी जिन प्रस्तावों पर विचार करेगा उनमें मूल्यांकन के आधार पर कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता पर विचार करना भी शामिल होगा तथा यह उद्यम-विशेष के अनुसार होगा।

विवरण

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की सूची

1. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
2. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
3. भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि.
4. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.
5. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
6. बेबर्ड इंडिया लि.
7. भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि.
8. बीको लॉरी लि.
9. भारतीय साइकिल निगम लि.
10. भारत अप्थेल्मिक ग्लास लि.
11. नेशनल जूट मैन्यू. कारपो. लि.
12. भारतीय टायर निगम लि.
13. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
14. नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि.
15. बंगाल इम्युनिटी लि.

विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश

6129. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पूंजी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक मामले में विदेशी निवेश की मात्रा अर्थात् 50 करोड़ से अधिक के इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्किम सरकार से ऐसे विकास प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहने का है जिसमें विदेशी कंपनियां निवेश कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1992-93 के दौरान देश में विदेशी कंपनियों से 50 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी निवेश के अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) मेरे मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

नई नीति के बाद की अवधि (यानि अगस्त, 1991 से जून, 1995 से जून, 1993 तक)
विदेशी निवेश वाली अनुमोदित बड़ी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	विदेशी निवेशक	भारतीय कंपनी	विनिर्माण की मद	विदेशी इक्वटी (रुपये करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	डा. डाडी बलसारा (एन.आर.आई.) सिंगापुर	माउंट ऐवरेस्ट डाडी रिसार्ट एंड मोटल्स लिमिटेड, मेघालय	मिनिरल वाटर होटल तथा रेस्टुरेन्ट	74.88 184.60	71% 71%
2.	सी. आईतोचु कंपनी लि., जापान	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., बंबई	आयल रिफायनरी	234.00	26%
3.	एस.टी. पावर सीस्टम्स इनका., यू.एस.ए.	नवेली लीगानाईट कारपोरेशन लि., तमिलनाडु	एनआई.सी. के जीरो यूनिट का कार्यान्वयन	82.00	55%
4.	मिसन एनरजी, यू.एस.ए.	अशोक लेलैन्ड लि., मद्रास	पविधुत संयंत्र	357.00	51%
5.	सी. आईतोचु कंपनी लि., जापान	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., बंबई	बेस आयल लुबरीकेटींग रिफायनरी	89.30	35%

6.	इन्टनैशनल पैट्रोलियम एस. ए. स्वीजरलैंड	—	क्रुड आयल रिफायनरी	600.00	100%
7.	लेक्समार्क इन्टरनेशनल इनका. आस्ट्रेलिया	डा. कैलाश सी. जोशी नई दिल्ली	लक्समार्क उत्पादों आदि का विनिर्माण तथा विपणन	60.76	100%
8.	मैं. ए.बी. क्राफ्ट वर्क एज जी जर्मनी	मै. एशिया ब्रोन बोवरी लि., नई दिल्ली	स्टीम/गैस टर्बाइन्स	50.80	63.50%
9.	मैं चन्दारिया ग्रुप जिनेवा, स्विटरजरलैंड	इस्सर इन्वेस्टमेंट लि., बंबई	एक आयल रिफाइनरी की स्थापना तथा चालू करना।	262.00	25%
10.	मै. सी.पी. एक्वाकल्चर बिजनिस ग्रुप, थाईलैंड	—	श्रिम्प फीड मिल, प्रसंस्करित श्रिम्प	366.00	100%
11.	एन.आर.आई.	श्री विक्रम आर. टिक्कू, नई दिल्ली	बियर	54.00	100%
12.	मैं. एनरोन पावर डवलप-, मेंट कार. टैक्सास ए.एस.ए.	—	एक विद्युत परियोजना की स्थापना	1464.00	60%
13.	यू.एस.ए.बेस्ड कंपनी	मै. स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लि., आ.प्र.	प्राकृतिक गैस आधारित संयुक्त चक्रीय गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना, स्वामित्व और परिचालन	119.80	60%

1	2	3	4	5	6
14.	एन आर आई	जी.वी.के. इन्डस्ट्रीज लि., हैदराबाद	200 मे.वा. मिश्रित ईंधन, संयुक्त चक्रीय गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना स्वामित्व तथा परिचालन	70.00	34.57%
15.	मै. कोजनट्रिक्स डवलपमेंट कार., यू.एस.ए.	-- --	जिस कोयले से प्रज्वलित विद्युत केन्द्र की स्थापना, स्वामित्व व परिचालन	274.50	56.25%
16.	मै. कपोरो ग्रुप लि., यू.के. (डा. स्वराजपाल)	--	हाट राल्ड कॉयल्स, कच्चा लोह	270.00	16.88%
17.	मै. आटोमोबाल्स पूजीयट, फ्रांस	मै. प्रिमियर आटो मोबाल्स लि. न. दिल्ली	यात्री कारें	120.00	50%
18.	मै. इस्पात मैक्सीकाना एस.ए.डे.सी.वी. फ्रांसिसकों, मैक्सीको	मै. निप्पो डेनरो इस्पात लि., कलकत्ता	एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना	150.00	25%
19.	मै. जी.ई.सी.,यू.एस.ए.	मै. जी.ई.कैपीटल कारपो.	100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सबसिडियरी की स्थापना	315.90	100%
20.	मै. कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इन्क. यू.एस.ए.	–	कोका कोला पेय सत और फैंटा आदि के लिए पेय सामग्री	60.00	100%

21.	मै. पैट्रन इन्टरनेशनल इन्क. यू.एस.ए.	मै. पैट्रन इन्टरनेशनल (इं.) प्रा.लि., पुणे	चीनी, औद्योगिक अल्कोहल, गैर एथीलीन ग्लाईकोल इत्यादि	50.00	30%
22.	मै गुमा एस ए डीईसी वी., मैक्सिको	—	चपातियां, मक्के की चपाती तथा मक्के की चिप्स बनाना	78.98	100%
23.	मै. वैन ओमीरेन टैंक टर्मीनल्स, नीदरलैंड	—	विभिन्न टैंक स्टोरेज टर्मिनल मुहैया करने के लिए 100% स्वामित्व वाली सबसिडियरी की स्थापना करना	236.93	100%
24.	मै. जी.सी.सी. एयरपोर्ट होटल, (बंबई) लि., यू.के.	मै. इंडिया होटल्स कंपनी लि., बंबई	नवीन बंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आदि में एक पंच सितारा होटल बनाने के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना	61.65	70%
25.	मै. प्रोक्टर एंड गैम्बल कं.	—	डिटरजेंट्स	72.03	91.40%
26.	श्री आर.के. बागरी (एन आर.आई.)	मै. मेटडिस्ट लि., यू.के.	कापर स्मेल्टर तथा रिफाइनरी परियोजनाओं की स्थापना	240.00	60%
27.	मै. कम्प्यूटर कार. यू.एस.ए.	—	कंप्यूटर साफ्टवेयर	315.90	100%
28.	मै. वैस्टिन इन्टरनेशनल एशिया पैकीफिक, जापान	मै. एशिया कन्सोलीडेटेड इन्ड. लि., नई दिल्ली	एक पंच सितारा होटल की स्थापना	100.00	40%

1	2	3	4	5	6	7
29.	मै. ओमान ऑयल कं. लि., ओमान	मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार. लि., बंबई	पेट्रोलियम उत्पाद	195.00	26%	
30.	मै. ओमान आयल लि., ओमान	मै. भारत पेट्रोलियम कार. लि., बंबई	—वही—	347.75	26%	
31.	मै. गोल्ड स्टार इन्वेस्टमेंट लि., यूएई	मै. ओरिन्द स्टील्स लि., उड़ीसा	एक एकीकृत लोहा तथा इस्पात एकक की स्थापना करना	400.00	24.24%	
32.	मै. के.एफ.सी. (पेप्सी को का सहायक उद्योग) हांगकांग	—	के.एफ.सी.रेस्तरां की स्थापना के लिए भारत में एक पूर्ण स्वामित्ववाली सबसिडियरी की स्थापना	63.18	100%	
33.	मै. डेल्टिक मैनेजमेंट लि., इरीलैंड	मै. चटेउ इंटरनेशनल इन. प्रा.लि., नई दिल्ली	पांच/सात सितारा होटल तथा वाणिज्यिक परिसर की स्थापना करना तथा परिचालन करना।	163.84	71%	
34.	एनआरआई (मै. इण्ड. इन्ड. होल्डिग लि., मोरिटियस)	मै. हिन्दू इन्ड. होल्डिंग लि., बंबई	वाणिज्यिक बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं गृहनिर्माण, मीडिया कंपनी, इंश्योरेंस	315.90	51%	
35.	मै. इन्टरनेशनल फाइनेंस कार. लि., यू.एस.ए.	मै. क्रेडिट कैपीटल फाइनेंस कंपनी, बंबई	म्युचुअल फंड की स्थापना करना	83.50	63.60%	

गुजरात में केंद्रीय निवेश

6130. **श्री काशीराम राणा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1990-91 की तुलना में 1992-93 के दौरान केन्द्रीय निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय निवेश का अनुपात कितना रहा; और

(घ) सरकार का विचार राज्य में केन्दीय निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय योजना निवेश संपूर्ण देश के लिए किया जाता है। यह न तो नियोजित होता है और न ही राज्यवार होता है।

(घ) आठवीं योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में गुजरात सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसके गुणावगुणों पर तथा रज्य की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा।

बिना बारी के सरकारी आवासों का आबंटन

6131. **श्री राम निहोर राय :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास के आबंटन के लिए क्या मानदंड निश्चित किए गए हैं;

(ख) क्या बिना बारी के आबंटनों का कोई प्रतिशत निश्चित किया गया है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टाइप-वार कितने सरकारी आवास बिना बारी के आबंटित किए गए;

(घ) इन बिना बारी के स्वीकृत आवासों में से आरक्षण नीति का पालन किया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बिना बारी के आबंटनों को सामान्यत कुल रिक्तियों के 20 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास किया जाता है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पृथक आंकड़े नही रखे जाते।

(ङ) से (छ) बिना बारी के आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों में ढील देकर किये जाते हैं, इसलिए आरक्षण निति के पालन का प्रश्न हीं नहीं उठता।

विवरण-I

सरकारी आवासों का बिना बारी आबंटन निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है :-

(i) मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों व योजना आयोग के सदस्यों के व्यक्तिगत स्टाफ को।

(ii) सेवानिवृत्त हो रहे/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को।

(iii) टी.बी., कैंसर व हृदय रोग जैसे चिकित्सा आधार पर एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियेां को।

(iv) प्रधान मंत्री कार्यालय के मुख्य कार्मिकों को।

सक्षम प्राधिकारी नियमों में छूट देकर अनुकम्पा आधार पर बिना बारी के आवास आबंटन स्वीकृत कर सकता है।

विवरण-II

वर्ष 1991, 1992, एवं 1993 के दौरान किए गए बिना बारी के श्रेणी बार अप आबंटनों की संख्या :

श्रेणी	1991	1992	1993
ए	297	290	203
बी	825	1078	1002
सी	262	471	417
डी	213	267	244
डी-II	74	101	101
डी-I	29	22	30
सी-II	19	26	55

नेहरू रोजगार योजना

6132. **श्री बीरसिंह महतो : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लाभार्थियों को सहायता दी गयी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना के तहत रिलीज की गई धनराशि :

1991-92 से 1993-94

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	794.80	527.40	679.53
2.	बिहार	670.05	457.35	359.30
3.	गुजरात	291.15	198.45	212.52
4.	हरियाणा	163.70	111.90	123.29
5.	कर्नाटक	793.50	510.20	440.17
6.	केरल	318.80	225.90	234.82
7.	मध्य प्रदेश	797.80	550.40	684.48
8.	महाराष्ट्र	1018.10	700.50	669.60
9.	उड़ीसा	281.70	191.60	219.80
10.	पंजाब	270.80	192.90	216.47

1	2	3	4	5
11.	राजस्थान	561.10	309.40	379.60
12.	तमिलनाडु	892.90	587.00	765.58
13.	उत्तर प्रदेश	2092.90	1426.20	1711.54
14.	पश्चिम बंगाल	561.10	481.20	259.00
15.	गोवा	37.90	19.70	17.85
16.	अरुणाचल प्रदेश	31.50	16.60	19.75
17.	असम	187.50	156.20	89.49
18.	हिमाचल प्रदेश	70.90	64.30	56.19
19.	जम्मू व कश्मीर	91.10	86.50	87.48
20.	मणिपुर	49.50	40.90	43.33
21.	मेघालय	47..20	37.45	24.10
22.	मिजोरम	34.60	24.30	21.74
23.	नागालैण्ड	38.20	19.20	15.70
24.	सिक्किम	27.90	34.20	29.68
25.	त्रिपुरा	34.50	25.20	25.60
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.90	9.20	13.53
27.	चंडीगढ़	21.70	12.20	13.86
28.	दादर व नगर हवेली	10.80	8.40	11.05
29.	दमन एवं द्वीव	18.70	15.10	18.25
30.	पांडिचेरी	17.70	17.90	11.70
31.	दिल्ली	40.00	22.00	22.00
	योग :	10280.00	7079.75	7477.00

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या			उपलब्धियां/सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाख में)		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	13366	9982	12949	6.32	12.50	11.35
2.	बिहार	2962	2161	2577	1.57	19.11	7.04
3.	गुजरात	2949	2129	2122	6.95	1.79	1.38
4.	हरियाणा	4317	4219	1804	1.11	0.83	1.66
5.	कर्नाटक	8801	5822	–	9.63	16.81	13.12
6.	केरल	8152	2384	5179	4.32	8.89	26.74
7.	मध्य प्रदेश	12724	23533	35151	8.16	6.91	11.66
8.	महाराष्ट्र	14150	5727	4432	19.18	4.31	–
9.	उड़ीसा	6257	2599	1466	5.33	2.58	2.02
10.	पंजाब	5993	1957	3961	1.07	1.44	1.59
11.	राजस्थान	5678	2682	12617	8.51	2.11	2.06
12.	तमिलनाडु	13014	6554	19190	11.59	17.41	14.08
13.	उत्तर प्रदेश	40768	36213	37286	28.59	28.14	28.48
14.	पश्चिम बंगाल	12623	9983	8760	–	–	–
15.	गोवा	–	–	440	0.34	–	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
17.	असम	–	474	425	2.46	1.49	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	हिमाचल प्रदेश	2266	95	–	0.03	–	0.16
19.	जम्मू व कश्मीर	198	1137	91	–	1.04	0.35
20.	मणिपुर		–	2745	1.34	–	1.88
21.	मेघालय	18	65	286	0.01	0.65	–
22.	मिजोरम	–	756	–	–	2.67	0.01
23.	नागालैण्ड		–	–	–	–	–
24.	सिक्किम	449	148	16	–	0.70	0.03
25.	त्रिपुरा	222	330	137	0.34	0.82	0.05
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	177	0.08	0.01	0.11
27.	चंडीगढ़	–	205	–	–	0.16	0.04
28.	दादर व नागर हवेली	5	22	53	–	0.01	0.03
29.	दमन एवं द्वीव	–	–	–	0.84	–	0.07
30.	पांडिचेरी	444	131	196	0.07	0.03	0.77
31.	दिल्ली	–	692	641	–	–	–
	योग :	155354	120000	152701	117.84	130.41	124.73

भवनों की ऊंचाई

6133. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिल्ली में भवनों की ऊंचाई वर्तमान अनुमति प्राप्त ऊंचाई तक बढ़ाने की अनुमति देमे संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार को, दिल्ली में भवनों की पूर्व विद्यमान अनुज्ञेय ऊंचाई को और बढ़ाने हेतु अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण

6134. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सक्षम युवकों को अनिवार्य सेन्य प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

6135. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में लघु एककों के कार्यकरण का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान राज्य में बहुत सारे लघु एकक बंद कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन बंद पड़े लघु एककों में फिर से उत्पादन आरम्भ करने का है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय ने 1989-91 के दौरान लघु उद्योग विकास संगठन के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले लघु औद्योगिक एककों और 31-3-1988 तक विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना की थी और 5.82 लाख कार्यरत एककों से राज्य/जिला/उत्पाद स्तर पर विस्तृत सूचना एकत्र की हैं। सर्वेक्षण के लिए संदर्भ वर्ष 1987-88 था। उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यवार रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पंजीकृत लघु एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के निष्कर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बन्द पाए गए एककों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है किन्तु लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों से पता चलता है कि विभिन्न कारणों से 15 वर्षों अर्थात् 1-1-1973 से 31-3-1988 के दौरान 41,150 एकक बन्द पाए गए अथवा इनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है।

(ङ) बन्द एककों में उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, इन बन्द एककों के उद्यमी इनके पुनरुज्जीवन के लिए बैंकों से सहायता मांग सकते हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण मानदण्ड

1.	31-3-1988 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एकक और मानदण्ड में शामिल	95285
2.	कार्यरत एकक	53370
3.	कार्यरत एकक जिनके आंकड़े तालिका में दिए गए हैं।	503282
4.	रोजगार (संख्या)	348908
5.	अचल निवेश (रुपये लाख में)	98096
6.	पी और एम में निवेश (रुपये लाख में) (मूल-मूल्य)	49590
7.	उत्पादन (1982-88) (रुपये लाख में)	372713
8.	क्षमता (रुपये लाख में)	766204
9.	क्षमता उपयोग	48.64 प्रतिशत
10.	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एकक	32.26 प्रतिशत
11.	शहरी क्षेत्र में स्थित एकक	61.79 प्रतिशत
12.	फैक्ट अधिनियम के अधीन पंजीकृत एकक	5.46 प्रतिशत
13.	निर्मित आरिक्षित मदों की संख्या	448

स्रोत : लघु उद्योगों की दूसरी अखिल भारतीय गणना।

आवास समस्या

6136. **श्री राम कृपाल यादव : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने बिहार की आवसीय समस्याओं को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) हुडको प्रत्यक्षतः आवास योजनाएं न तो बनाती हैं और न ही चलाती हैं, अपितु आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों आदि को ऋण सहायता देती है।

हुडको ने 1970 में अपनी स्थापना से 31-3-1994 तक 174 करोड़ की ऋण सहायता से बिहार में विभिन्न एजेंसियों को 139 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं पूर्ण होने पर बिहार राज्य में 1,75,351 रिहायशी एकक, 3699 गैर रिहायशी भवन तथा 5868 विकसित भूखण्ड उपलब्ध करेंगी। इन परियोजनाओं में शहरी अवस्थापना की 2 योजनाएं शामिल हैं।

दरभंगा में विकास केन्द्र

6137. **श्री मौहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को दरभंगा विकास केन्द्र की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उसने उसकी समीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है और यह धनराशि किस तारीख को जारी की गई ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने दरभंगा की विकास केन्द्र परियोजना हेतु संशोधित वित्तीय पूर्वानुमान पेश किए हैं। अग्रणी अभिकरणों (लीड एजेंसियों) के साथ इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय सहायता परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद दी जाती है।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु संयंत्र

6138. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और भारत ने तारापुर परमाणु संयंत्र विवाद से संबंधित सभी मुद्दों को हल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों पक्ष इस समाधान से संतुष्ट हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ 30 वर्ष की अवधि के लिए किया गया द्विपक्षीय सहकार करार 24-10-1993 को समाप्त हो गया। इस करार के समाप्त होने के साथ ही दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व भी समाप्त हो गए हैं। सरकार ने तारापुर परमाणु बिजलीघर में उपयोग में लाई जाने वाली नाभिकीय सामग्री पर सुरक्षोपाय लागू करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को स्वैच्छा से पेशकश की है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ किया गया सुरक्षोपायों संबंधी एक द्विपक्षीय करार 1-3-1994 से लागू हो गया है।

नगरों का विकास

6139. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**
डा. अमृत लाल कालिदास पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और गुजरात सरकार ने विश्व बैंक/विदेशी सहायता से नगरों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विश्व बैंक की सहायता से शहरी विकास परियोजना हेतु उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक की सहायता से गुजरात शहरी विकास परियोजना (जी.यू.डी.पी.-1) नामक शहरी विकास परियोजना गुजरात में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। शहरी विकास के लिए गुजरात सरकार द्वारा 20-1-1994 को भेजा गया द्वितीय परियोजना प्रस्ताव (जी.यू.डी.पी.-2) प्रारम्भिक स्तर पर है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र के अनुसार हैं।

विवरण

प्रस्तावित उड़ीसा शहरी विकास परियोजना

प्रस्तावित शहर :

1. कटक, 2. भुवनेश्वर, 3. पुरी, 4. राऊरकेला, 5. सम्बलपुर, 6. पारादीप, 7. बहरामपुर, 8. तलचर/अंगुल, 9. बालासोर तथा 10.. देबकानाला।

प्रस्तावित परियोजना घटक :

नगरपालिका शहरी विकास कोष, तकनीकी सहायता, यातायात और परिवहन, स्लम सुधार, आश्रम स्थल और सेवाएं, स्थल उन्नयन, नियोजित विकास, मुख्य आकस्मिक कोष।

राज्य सरकार की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार धन की आवश्यकता : 437.80 करोड़ रुपये।

प्रस्ताव की अवस्था : विश्व बैंक पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया के मध्य।

गुजरात शहरी विकास परियोजना-I

शामिल शहर :

1. अहमदाबाद, 2. सूरत, 3. बड़ोदरा, 4. राजकोट, 5. जामनगर, 6. आनन्द तथा 7. भावनगर।

परियोजना घटक :

कूड़ा-करकट प्रबन्ध प्राथमिकता वाली अवस्थापना, पूर्वी अहमदाबाद (जलापूर्ति तथा सिवरेज), कम लागत की सफाई, स्लम सुधार, क्षेत्र विकास, संस्थागत सुदृढ़ता, गुजरात जल आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन निकाय, अधूरे छोड़े कार्यों में नया निवेश।

परियोजना लागत : 176.98 करोड़ रुपये

गुजरात शहरी विकास परियोजना-II

प्रस्ताव जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है।

परियोजना की प्रस्तावित लागत 794 करोड़ रुपये है।

शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित शहरों में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर शामिल हैं।

प्रस्तावित परियोजना घटक/लक्ष्य :

परियोजना के अति तत्काल लक्ष्य इस प्रकार हैं :

1. शहरी जल आपूर्ति, मल जल व्ययन तथा बरसाती नालों में होने वाले गम्भीर प्रदूषण को कम करना।

2. जल आपूर्ति, मल-जल व्ययन तथा सफाई के तहत आने वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना।

3. जल आपूर्ति, मल जल व्ययन तथा सफाई कम लागत की सफाई के तहत स्लम आवादी को 100 प्रतिशत कवरेज।

4. नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत शहरी गरीबों का अधिकतम कवरेज।

5. स्वास्थ्य के खतरों को कम कराना, जन-साधारण के स्वास्थ्य का समग्र सुधार करना तथा नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना।

6. साभार्थियों से पूरी लागत वसूली का प्रारम्भ।

7. स्थानीय निकायों/सरकारों के अधीन प्रशासन योजना, वित्त प्रबन्ध को सुदृढ़ करना इंजीनियरिंग कार्यों में समग्र दक्षता।

लोक अदालतें

6140. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की समूची न्यायिक प्रणाली पर लोक अदालतों के प्रयोग के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई गहन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का अध्ययन कब कराया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, निर्धनों के लिए विधिक सहायता स्कीमों के प्रभाव का राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो रही जानकारी के आधार पर विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा सतत् रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है। लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या से लंबित मामलों को कम करने में निश्चित रूप से सहायता मिलती है। लोक अदालतें विद्यमान न्यायिक प्रणाली में एक सराहनीय भूमिका अदा करती हैं।

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन

6141. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरमैन का पद काफी समय से खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बोर्ड के सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; अथवा किए जाएंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष का पद दिनांक 1-11-1993 से रिक्त पड़ा है।

(ख) और (ग) इस बोर्ड के अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

जर्मन निवेश

6142. **डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिष्ठानों से भारतीय उद्योगों में निवेश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में निवेश करने के लिए जर्मनी को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं सृजित की गयी हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नयी दिल्ली में 6 और 7 अप्रैल, 1994 को आयोजित औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग की भारत एफ.आर.जी. संयुक्त आयोग के 11वें सत्र में भारतीय पक्ष ने सुझाव दिया था कि जर्मनी को कंप्यूटर साफ्टवेयर, कास्टिंग तथा फोर्जिंग औद्योगिक रसायन, औषध, मशीनी औजार, वस्त्र मशीनरी और चमड़े के सामान के क्षेत्र में अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा नये अवसरों की पेशकश का लाभ उठाना चाहिए।

(ग) और (घ) जर्मनी तथा भारतीय कंपनियों के बीच विकास सहयोग सकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा 1993 के दौरान अनुमोदित पूंजी निवेश 1759.3 मिलियन रुपये था जबकि 1992 में 862.7 मिलियन रुपये और 1991 में 418.0 मिलियन रुपये था।

नयी औद्योगिक लाइसेंस नीति के अलावा, भारत-जर्मन संयुक्त आयोग, भारत-जर्मन फास्ट ट्रैक मकैनिज्म, भारत-जर्मन परामशदायी ग्रुप तथा उद्योग और भारत सरकार के स्तर पर परस्पर दौरों का आयोजन कुछ ऐसे उपायों में से है जिससे भारत में जर्मन पूंजी निवेश के प्रवाह को और आकर्षित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

6143. **डा. परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धन की समुचित निगरानी और उपयोग के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण

6144. **डा. असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भारत में पिछड़े क्षेत्र निर्धारण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए क्या कार्ययोजना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न राज्यों में 120 पिछड़े जिले, जहां पर बेरोजगारी और अल्परोजगारी बहुतायत में है, चुने गये हैं। पिछड़े जिलों के चयन के उद्देश्य हेतु 50 प्रतिशत तरजीह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 50 प्रतिशत तरजीह कृषि मजदूर उत्पादकता को बढ़ाने पर दी जाती है। इन 120 पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। 120 पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

1993-94 के दौरान इन पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु 68830 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता रिलीज की गई है।

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. महबूबनगर
3. वारंगल
4. खाम्मम
5. पूर्वी गोदावरी
6. नलगोंडा
7. प्रकाशम
8. अनंतपुर
9. कुरूनूल

बिहार

10. पलामू
11. पश्चिम सिंहभूम
12. गुमला
13. रांची
14. डुमका
15. गया
16. हजारीबाग

17. साहिबगंज
18. गडवा
19. सहरसा
20. मुंगेर
21. वैशाली
22. मुजफ्फरपुर
23. दरभंगा
24. सुपुल
25. गिरिडीह
26. छपरा
27. जमोई
28. गोडा
29. माधीपुर
30. भागलपुर
31. भभुआ
32. नवादा

गुजरात

33. पंचमहल
34. वलसाड
35. सूरत
36. दादोदारा
37. अमरेली
38. सुरेन्द्रनगर

जम्मू व कश्मीर

39. डोडा

40. उधमपुर

कर्नाटक

41. गुलवर्गा
42. कोलार
43. धारवाड
44. बीजापुर
45. तुमकूर
46. चित्रदुर्ग
47. बेल्लोरी
48. बीदर

मध्य प्रदेश

49. बस्तर
50. बिलासपुर
51. झबुआ
52. पश्चिम नीमड़
53. सरगुजा
54. रायपुर
55. माडला
56. रायगढ़
57. धार
58. शाहडोल
59. सिओनी
60. सिद्धी
61. पूर्वी नीमड़
62. जबलपुर

63. वेतुल
64. राजनंद गांव
65. दुर्ग

महाराष्ट्र

66. धुली
67. नासिक
68. थाने
69. यावतमाल
70. अमरावती
71. नांदेद
72. भडारा
73. चंद्रपुर
74. बुलदाना
75. अकोला
76. पुणे
77. अहमदनगर
78. सांगली
79. सोलापुर
80. बीड
81. ओरंगाबाद

उड़ीसा

82. कोरापुट
83. मयूरभंज
84. कटक
85. सम्बलपुर

86. सुन्दरगढ़

87. कालाहांडी

88. क्योंझर

89. गंजम

90. फूलवनी

राजस्थान

91. उदयपुर

92. बांसवाड़ा

93. डूंगरपुर

94. सवाई माधोपुर

95. बाडमेर

96. अजमेर

तमिलनाडु

97. दक्षिणी आरकोट

98. चंगेलपट्टु

99. तजावूर

100. धर्मपुरी

101. चिदंम्बरनार

102. रामनाथपुरम

उत्तर प्रदेश

103. इलाहाबाद

104. सीतापुर

105. गाजीपुर

106. हरदोई

107. सोनभद्र

108. बलिया

109. मिर्जापुर

110. पिथौरागढ़

111. पौड़ी गढ़वाल

112. अल्मोड़ा

113. बांदा

114. बहराइच

पश्चिम बंगाल

115. मेदिनीपुर

116. कूच बिहार

117. वर्धमान

118. बांकुरा

119. पुरूलिया

120. वीरभूम

सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति बढ़ाना

6145. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सेवानिवृत्त होने की तिथि से आगे कर्मचारियों की सेवा अवधि किन-किन आधारों पर बढ़ाती है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ायी गयी और इस संबंध में विभाग-वार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विद्यमान अनदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवावधि में वृद्धि पूर्णतः लोकहित में विरले एवं आपवादिक मामलों में ही दी जाए। इसके अतिरिक्त निम्न में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि :

(i) इस पद को संभालने के लिए दूसरे अधिकारी पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं।

(ii) सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता वाला है।

(iii) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं की जाती है।

रोजगार परिषदों की श्रम शक्ति योजना

6146. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी जिलों में जिला श्रम शक्ति योजना और रोजगार परिषद स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में इन्हें अब तक स्थापित नहीं किया गया है; और

(ग) अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अब तक इन परिषदों ने कितनी प्रगति की है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) छठी योजना दस्तावेज में दिए गए सुझावानुसार जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदों की स्थापना, का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। चूंकि यह केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र प्रायोजित स्कीम नहीं है, अतएव इस विषय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से नियमित सूचना प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को सहायता

6147. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश को लघु उद्योगों के लिए धन

6148. **श्री खेलन राम जांगडे :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में लघु उद्योग विकसित करने के लिए इस प्रदेश को और अधिक धन का नियतन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितने धन का नियतन किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक निधि आबंटन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के लिए आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय सातवीं योजना के 108.69 करोड़ रुपये की तुलना में 108.69 करोड़ रुपये है।

मूल्य नियंत्रित औषधों की बिक्री

6149. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कंपनियां मूलय नियंत्रित औषधों को सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों अथवा नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों और इनके उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक औषध का निर्धारित मूल्य अथवा अधिसूचित मूल्य कितना है तथा प्रत्येक कंपनी इसको कितने मूल्य पर बेच रही है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विनिर्दिश्ट औषधों और उनके सूत्रयोगों की कीमत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। उपबन्धों का कोई उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दण्डनीय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिक मूल्य लेने के कारण महाराष्ट्र राज्य औषध नियंत्रक ने 9 व्यापारियों और निर्माताओं के विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर किए हैं और राज्य औषध नियंत्रक, गुजरात ने तीन एककों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की है।

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल करना

6150. **श्री विजय नवल पाटील :**
श्री आर. अन्बारासु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है। यह एक तकनीकी प्रदर्शक वाहन है जिसका उद्देश्य मैनूवरेबल ट्रैजक्टरि, री-एंटरी और गाइडेंस तकनालॉजियों को स्थापित करना है। इस परियोजना पर लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) सरकार अग्नि के सफल उड़ान परीक्षण के परिणामस्वरूप स्थिति की जांच कर रही है।

केरल को सहायता

6151. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बेकार उपकरणों की बिक्री

6152. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के बेकार उपकरणों की बिक्री हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिक्री के लिए सूचीबद्ध किए गए कुछ मद और उपकरण यद्यपि अप्रयुक्त हैं परंतु संवेदनशील हैं और जिनकी बिक्री से मिसाइल प्रौद्योगिकी के निर्यात के संबंध में नीति का उल्लंघन होगा; और

(घ) यदि हां, तो इन उपकरणों के विक्रय के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केवल अधिशेष अप्रयोजनीय और अप्रचलित वायुसेना उपस्कर ही निपटान के लिए रखे जाते हैं। यह निपटान रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेष अधिशेष भण्डार निपटान समिति के माध्यम से ही किया जाता है। जिन प्रक्षेपास्त्रों को निपटान के लिए प्रस्तावित किया गया है वे पुरानी प्रौद्योगिकी के अप्रचलित प्रक्षेपास्त्र हैं। इस तरह के रक्षा उपस्कर की दूसरे देशों को की जाने वाली सभी बिक्रियां सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विनियमित की जाती हैं।

घटिया स्नेहक की सप्लाई के संबंध में सी.बी.आई. की जांच

6153. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कृष्णा ग्रीस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी कलकत्ता ने 1988 में रक्षा मंत्रालय को एस.जी. 240 और एल.जी. 280 नामक घटिया ग्रीस की भारी मात्रा में सप्लाई की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुणता आश्वासन महानिदेशालय में कार्यरत आठ कार्मिकों और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में कार्यरत तीन कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजना स्वरूप आरोप-पत्र दायर किया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड का निजीकरण

6154. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इसका आंशिक निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस समय भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक है।

निजी भवन निर्माताओं को आवास और शहरी विकास निगम की सहायता

6155. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम का विचार निजी भवन निर्माताओं को वित्त उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) हुडको मार्गानिर्देशों के अनुसार, निजी भवन-निर्माता आम जनता के हित के लिए बनाई गई आवास परियोजनाओं हेतु हुडको से विभिन्न शर्तों पर परियोजना सम्बद्ध ऋण सहायता के लिए पात्र हैं। हुडको द्वारा भूमि विकास तथा भवन-निर्माण की लागत सहित कुल अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत अंश वित्त पोषित किया जाएगा परंतु इसमें निवेश पर पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्ष्य प्रभार इत्यादि शामिल नहीं है। प्रत्येक रिहायशी एकक के लिए कुल ऋण 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। हुडको द्वारा मकान के निर्माण के लिए 18.5 प्रतिशत (सकल) ब्याज दर पर तथा भूमि अर्जित करने के लिए 19.5 प्रतिशत (सकल) ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इस सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान पहली किश्त जारी करने की तारीख से 5 वर्ष के अन्दर करना होता है।

भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र

6156. **श्री सूरज भान सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित करने संबंधी मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण विकास की योजनाएं

6157. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल आपूर्ति, सफाई और विशेष कार्यक्रमों के लिए असम सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात् (1) जवाहर रोजगार योजना जिसमें सुनिश्चित रोजगार योजना का विशेष कार्यक्रम शामिल है, (2) ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता तथा (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु असम राज्य को आबंटित निधियां और उपयोग में लायी गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

कार्यक्रम	1991-92		1992-93		1993-94	
	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
जवाहर रोजगार योजना	5114.59	5000.44	6420.76	4034.49	8104.85	7911.51
सुनिश्चित रोजगार योजना	(योजना की शुरूआत 1993-94 में हुई)				2587.50	963.09
ग्रामीण जल सप्लाई	1370.00	1762.00	1370.00	700.00	1370.00	1881.98
स्वच्छता	71.13	0.00 (*)	38.25	0.00 (**)	57.47	7.85
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1414.06	1587.04	1332.00	1584.46	2770.00	1844.78 (फरवरी, 1994 तक)

(*) कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं मिल सका।

(**) रिलीज 30 मार्च, 1993 को की गयीं।

(ख) से (घ) जी, हां। उपरोक्त कार्यक्रमों की समय-समय पर आवधिक रिपोर्टों, राज्य/केन्द्र के अधिकारियों की बैठकों/कार्यशालाओं, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों तथा समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों की मार्फत समीक्षा की जाती है। समीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ित

6158. **श्री फूलचंद वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को अब तक कुल कितनी राहत सहायता दी गई है;

(ख) इन लोगों के पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) गत छः महीनों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई तथा केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) लगभग 656 करोड़ रुपये।

(ख) कार्य योजना के अधीन 28-2-94 तक विभिन्न पुनर्वास योजनाओं पर खर्च में हुई प्रगति इस प्रकार है :

चिकित्सा पुनर्वास	39.52 करोड़ रुपये
आर्थिक पुनर्वास	8.59 करोड़ रुपये
सामाजिक पुनर्वास	24.87 करोड़ रुपये
पर्यावरण पुनर्वास	18.08 करोड़ रुपये
विविध	4.94 करोड़ रुपये

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई नई योजनाएं मंजूर नहीं की गई हैं।

न्यायिक सेवाओं संबंधी स्थानान्तरण नीति

6159. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सेवाओं संबंधी स्थानांतरण की वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या वर्तमान नीति के प्रतिकूल परिणाम निकलेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति की पुनरीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति

6160. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** 23 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शित सारणी के अनुसार 1991 में सामान्य श्रेणी से 11 अधिकारियों, 1992 में अनुसूचित जातियों 7 अधिकारियों और अनुसूचित जनजातियों से 2 अधिकारियों तथा 1993 में अनुसूचित जातियों से 6 अधिकारियों और अनूसूचित जनजातियों से 1 अधिकारी अर्थात 27 अधिकारियों की पदोन्नति की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ताओं के रूप में शेष 5 व्यक्तियों की पदोन्नति किस स्थान से की गयी थी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 317 बाबत फरवरी 23,1994 को दिए गए उत्तर में दिल्ली विकास प्राधिकरण में रोस्टर पद्धति के तहत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान जिन सहायक इंजिनियरों (सिविल) को कार्यापालक इंजिनियरों (सिविल) के पद पर प्रोन्नत किया था, की संख्या 32 दिखाई गई थी। उनक विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार दर्शाये गए थे।

वर्ष	सामान्य	अनुसूचिज जाति	अनुसूचित जनजाति
1991	11		
1992	07	02	
1993	06	01	-
	24	03	

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 1991 में सामान्य श्रेणी के अन्य जिन 5 सहायक इंजिनियरों (सिविल) को पदोन्नत किया गया था उनके ब्यौरे नहीं दर्शाये गए थे क्योंकि इन सहायक इंजिनियरों (सिविल) की कार्यपालक इंजिनियरों के सिविल के पद पर उन्नति के आदेश 16-4-1991 को हुई पुनरीक्षा विभागीय प्रोन्नति समिति के आधार पर 1987 की रिक्तियों के प्रति 1991 में जारी किए गए थे।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

6161. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद का लक्ष्य कितना पूरा हो गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थान की विशेषतः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों के संबंध में किए गए अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, (सीएफआरआई) अपने उद्देश्यों और मैनडेट की पूर्ति के लिए निरन्तर कार्यरत है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की कोयला खानों के संबंध में किए गए कार्य के क्षेत्र में सीएफआरआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार है :

(1) झरिया कोलफील्ड में मोनीडिह की ऊपरी परतों में और परवतपुर एवं गौरी खंडों में लो एश प्राईम कोकिंग कोयले का निर्धारण और कल्याणपुर क्षेत्र (मोहज्दा) झरिया कोल्डफील्ड में बेहतर किस्त का उच्च वोलाटाईल मध्यम कोकिंग कोयला।

(2) 1200 टन कोकिंग कोयले की पायलट प्लांट्स में धुलाई और बोकारो स्टील प्लांट की भट्टीयों में उत्पाद का उपयोग करने के लिए परीक्षण/प्रयोग करना। इससे यह ज्ञात हुआ है कि ऐसे कोयले से प्राप्त शुद्धता बेहतर किस्म का कोयला प्रदान कर सकती है और जो ब्लैंडस से प्राप्त शुद्धता जिसमें आयातित कोयले का प्रयोग किया जाता है के समान ही अच्दा और गुण वाला है।

(3) सीएफआरआई अभिकल्पन सुधीर बीहाईव कोयला भट्टियों (कुबराज) में मुराडीह कोलेरी के 200 टन के लो वोलाटाईल कोयले से कार्बनीकरण द्वारा कोयले का उत्पादन।

(4) जीनागोरा कोयले पर लाभ (बैनीफिकेशन) और कार्बनीकरण संबंधी अध्ययन।

(5) चासनाला वशरी के फ्लोटेशन सरकिट का सुधार।

(6) पैथरडीह वाशरी में प्रस्तावित चौथे फ्लोटेशन प्लांट के लिए स्लरी का परीक्षण।

(7) पैथरडीह वाशरी में 10 टीपीएच तेल-एकत्रीकरण संयंत्र का भार परीक्षण।

(8) कोमबेटिंग रेजिंग माईन फायर (खान अग्नि) के लिए एक इनर्ट गैस जेनरेटर का विकास और प्रदर्शन।

अंखबारी कागज कारखाना, वेल्लूर

6162. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेल्लूर स्थित अखबारी कागज कारखाना अंखबारी कागज के संचित विशाल भंडार के कारण संकट में है; और

(ख) यदि हां, तो इस भंडार के निपटान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मेवेल्लोर स्थित अखबारी कागज कारखाने में यथा 31-3-1994 को 5595 मीट्रिक टन अखबारी कागज का भण्डार था। इसके कारण कंपनी पर वित्तीय भार पड़ा है। कंपनी अपने भण्डारों को कम करने के लिए अखबारी कागज के प्रयोक्ताओं को छूट तथा उधार दे रही है।

विधान परिषद विधेयक, 1990

6163. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के गठन हेतु राज्य सभा द्वारा यथापारित विधान-परिषद विधेयक, 1990 पर अभी लोक सभा में विचार किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो लोक सभा में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य विधान परिषदों के गठन हेतु कितने विधेयक लोक सभा के विचार हेतु लंबित पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) नवीं लोक सभा के विघटन के साथ ही विधान परिषद विधेयक, 1990 व्ययगत हो गया।

(ग) कोई नहीं।

शहरों को विभिन्न वर्गों में रखना

6164. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े शहरों को 'क' तथा 'ख' श्रेणी में वर्गीकृत करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उपरोक्त वर्गों में किन-किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने 'क' श्रेणी के शहरों का विकास करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शहरवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 'क' तथा 'ख' वर्ग में और अधिक शहरों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जनगणना दस्तावेज 1991 में शहरों के आकार के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है, शहरों को जनसंख्या के आधार पर छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है :

श्रेणी	जनसंख्या	शहरों की संख्या
I	10,0000 तथा अधिक	300
II	50,000 99,999	345
III	20,000 49999	947
IV	10,000 19,999	1167
V	55,000 9,999	740
VI	5000 से कम	197
		3696

10 लाख और इससे अधिक आबादी वाली शहरी बस्तियों को महानगर कहा गया है।

(ग) और (घ) शहरी विकास राज्य विषय होने के नाते योजना आयोग अपेक्षा करता है कि सभी शहरी विकास परियोजनाएं राज्य योजना का अंग होनी चाहिए। तथापि कुछेक महानगरों की समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारों की लगातार मांग और राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1993 94 के दौरान मेगा शहरों के अवस्थापना विकास के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारम्भ की गई है। यह 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन और इससे अधिक आबादी वाले शहरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा बंगलौर पर लागू होती है। 1993 94 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

बम्बई	20.10 करोड़ रुपये
कलकत्ता	20.10 करोड़ रुपये
मद्रास	15.10 करोड़ रुपये
हैदराबाद	15.10 करोड़ रुपये
बंगलौर	0.10 करोड़ रुपये

(ङ) जी, नहीं। जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, जनगणना में 'क' और 'ख' जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है। मेगा सिटी परियोजना में और शहरों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर-निगम निवेश

6165. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने और कम्पनियां कम्पनी अधिनियम में निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक अन्तर-निगम निवेश कर रही है,

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को, जो कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की समनुषंगी कम्पनियां हैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) के अन्तर्गत अन्य निगमित-निकायों के शेयरों में उक्त धारा में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1-4-1992 से 31-3-1994 की अवधि के दौरान कम्पनियों द्वारा उक्त धारा के उल्लंघन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	की गई/की जाने वाली कार्रवाई
1	2	3
1	मै. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाईनेनशियल सर्विसेज लिमिटेड	कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई है।
2.	मै. फिनोलेक्स मशीन्स लिमिटेड	चेतावनी जारी की गई।
3.	मै. ट्रिमबेक लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई है।
4.	मै. वैस्टर्न फूडस एंड वैजीटेबिल लि.	-तथैव-
5.	मै. फ्लाई अप फैशन्स लि.	-तथैव-
6.	मै. लिबर्टी फर्टीलाइज़र्स लि.	-तथैव-
7.	मै. सरोवर ट्रेड एसोसिएट्स लि.	-तथैव-
8.	मै. मोड क्रीजन इंडिया लि.	-तथैव-
9.	मै. एम एस इंटरनेशनल लि.	-तथैव-

1	2	3
11.	मै. फेयरग्रोथ एजेंसीज लि.	कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई है।
12.	मै. फेयरग्रोथ होम फाईनैंस लिमिटेड	तथैव
13.	मै. फेयरग्रोथ फाइनेंनशियल सर्विसेज लि.	तथैव
14.	मै. लाइम कैमिकल्स लि.	कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई से उल्लंघन के मामलों का पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट मंगवाई गई हैं।
15.	मै. वीडियोकॉन वी सी आर लि.	कम्पनी ने अधिनियम की धारा 621-क के अन्तर्गत अपराधों का प्रशमन करने के लिए प्रादेशिक निदेशक, बम्बई को आवेदन किया है।
16.	मै. बी एच पी इंजीनियर्स लि.	प्रादेशिक निदेशक कानपुर ने अधिनियम की धारा 621-क के अंतर्गत अपराधों का प्रशमन कर दिया है।
17.	मै. केवेन्टर एग्रो लि.	प्रादेशिक निदेशक, कलकत्ता से उल्लंघन के तीन मामलों में आगे की कार्रवाई हेतु विचार करने के वास्ते रिपोर्ट मांगी गई है।
18.	मै.यूनिटेक लि.	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा से आगे की कार्रवाई पर विचार करने हेतु रिपोर्ट मंगवाई है।
19.	मै. बी पी एल लि.	उल्लंघन के मामलों का पता लगाने तथा आगे की कार्रवाई पर विचार करने हेतु कम्पनी के साथ मामला उठाया गया है।
20.	मै. यू के पेन्ट्स (इडिया) लि.	चेतावनी जारी है।

प्रति व्यक्ति आय

6166. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के स्थिर मूल्यों और आबादी के अर्द्धवार्षिक प्राक्कलन के आधार पर

1992 93 की तुलना में 1993 94 के दौरान देश की प्रतिव्यक्ति आय में अनुमानतः कितनी वृद्धि और गिरावट आई है।

(ख) क्या राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के संबंध में तदनुरूपी आंकड़े तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1992 93 की तुलना में 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके लिए इसकी गणना की गयी है, प्रतिव्यक्ति आय में कितनी वृद्धि अथवा गिरावट आयी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1992 93 की तुलना में वर्ष 1993 94 के लिए अनुमानित अर्ध वार्षिक जनसंख्या के आधार पर स्थिर (1980 81) मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि 1.8 प्रतिशत थी।

(ख) तथा (ग) सूचना केवल केरल तथा राजस्थान से उपलब्ध हुई है, केरल के संबंध में प्रति व्यक्ति आय 6.2 प्रतिशत की वृद्धि तथा राजस्थान के संबंध में 8.9 प्रतिशत गिरावट दर्शाती है।

आकाश गामिनी

6167. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए "आकाश गामिनी" नामक महत्वाकांक्षी ग्रामीण पेयजल परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना पूरी करने हेतु कोई समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस परियोजना से कितने लोग और कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को आवंटन

6168. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई/कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 से 1993-94 (सितम्बर, 1993 तक) के दौरान गुजरात में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत-परिव्यय तथा व्यय निम्नानुसार हैं :

	1991-92	1992-93	1993-94
परिव्यय	109.99	166.76	233.24
व्यय	107.16	181.19	58.93

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

6169. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्लूटोनियम पर आधारित "फास्ट ब्रीडर" प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है;

(ख) निर्माणाधीन/भावी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस किस्म की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि वर्तमान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बन्द किए जाने पर उनसे विकिरण का कोई खतरा न होने पाए; और

(घ) ऐसे संयंत्रों को बन्द करने में लगभग कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) प्लूटोनियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी हमारे देश में परीक्षण के चरण में है और लगभग विकसित होने की अवस्था में है और इसे अभी विद्युत संयंत्रों में अपनाया गया है।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 को छोड़कर देश में काम कर रहे 220 मेगावाट के वर्तमान पीढ़ी के रिएक्टर दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं जिसका चयन हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम के पहले चरण के लिए किया गया है। अगली पीढ़ी के दाबित भारी पानी रिएक्टर जिन्हें निकट भविष्य में लगाया जाना है, वे आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को काम में लाकर तैयार की गई वर्तमान प्रणाली का ही वर्धित रूप है।

(ग) अन्य देशों में यह प्रमाणित किया गया है कि जिन रिएक्टरों को शट-डाउन किया जाता है उनको पर्यावरण पर किसी अधिक प्रभाव के पड़े बिना सुरक्षित रूप में अंतिम रूप से बंद किया जाएगा। यह कार्य एक सुरक्षित तथा व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं :

(i) विकिरण के अधिक-से-अधिक जितने स्त्रोतों को जैसे कि ईंधन, शीतलक आदि, सुरक्षित रूप से हटाना संभव हो उन्हें सुरक्षित रूप से संसाधित करने/भंडारित करने के लिए वहां से हटाकर और अधिक सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जाए।

(ii) प्रणाली को विखण्डित करने के लिए सुदूर नियंत्रित औजारों की तकनीक काम में लाना ताकि कार्मिकों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव को कम-से-कम किया जा सके।

(iii) अवशिष्ट विकिरण सक्रियता का संसोधन, और विसंयोजित/विखण्डित प्रणाली को सीलबन्द करके उसका क्षय होने देना।

(iv) स्थलों की निरन्तर चौकसी।

इस प्रकार का पूरा कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है और विकिरण सक्रियता के हस्तन को अत्यंत सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है तथा उसे पूर्णतः संशोधित किया जाता है। इस वजह से परमाणु विद्युत संयंत्रों से विकिरण का कोई खतरा नहीं है।

(घ) संयंत्रों को अंतिम रूप से बन्द करने पर आने वाली लागत संबंधी अनुमान अंतिम रूप से बन्द करने के लिए चुने गए विकल्प और मानवशक्ति संबंधी लागतों पर निर्भर करते हुए हर देश के मामले में बहुत अलग-अलग होते हैं। संयंत्रों को अंतिम रूप से बन्द करने पर आने वाली अनुमानित लागत के संबंध में विश्व में उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि यह लागत संयंत्र को स्थापित करने पर आने वाली पूंजीगत लागत का 10 से 15 प्रतिशत तक होगी (दोनों लागतें एक ही संदर्भ वर्ष आधार पर ली गई हैं) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा शिपिंग पोर्ट के स्थित अपने एक दाबित पानी रिएक्टर को अंतिम रूप से बन्द करने के संबंध में हाल ही में प्राप्त अनुभव से पता चला है कि यह लागत लगभग 0.1 सेंट प्रतिशत किलोवाट घंटा हो सकती है और वास्तविक लागत अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत कम थी। सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा इस स्थल को सुरक्षित घोषित किया गया है। भारतीय सन्दर्भ में, संयंत्र को अंतिम रूप से बन्द करने को वित्तपोषण करने की विधि बिजली की बिक्री के शुल्क में दो पैसे प्रति किलोवाट घंटा का प्रावधान करके की जाती है।

पूंजी निर्माण में वृद्धि

6170. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र ने कहा है कि 1992-93 के दौरान सकल पूंजी निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े गलत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वास्तविक निर्धारित पूंजी निर्माण के संबंध में सही स्थिति क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय द्वारा प्रकाशित सकल पूंजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रकाशनों राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी : स्रोत तथा प्रणाली (1989) तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (1991) में इस संबंध में दर्शायी गई रीतिविधान पर आधारित हैं।

(ग) 1980-81 मूल्यों पर वास्तविक स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जो कि वर्ष 1991-92 में 48514 करोड़ रु. थे, वर्ष 1992 93 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 49342 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा का उत्पादन

6171. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कुछ प्रयोग किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में स्वीकृति हेतु कोई योजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य हेतु चालू/आगामी वित्त वर्ष के लिए कितना धन दिया गया है/ दिए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश के मुख्यतया मैदानी क्षेत्रों में जल पम्पन पवन चक्कियां और मुख्यतया पहाड़ी जिलों में पवन बैटरी चार्जर तथा स्टैंड-एलोन एरो जनरेटरों को प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षणों के लिए स्थापित किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के रांसी स्थान पर 1.3 मेगावाट की पवन फार्म परियोजना की स्थापना के राज्य सरकार से अभी हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय सहायता ऐसी परियोजनाओं के लिए मार्गनिर्देशों एवं मानदंडों तकनीकी संभाव्यता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद

6172. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक हो जायेगा ?

उद्योग मंत्रलाय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र

6173. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार को योजनाएं भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को स्वीकृति देने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की आशा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अजमेर जिले के खारापन और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलबध कराने की परियोजना अनुमोदित कर दी गई है तथा 1993 94 में राजस्थान की राज्य सरकार को 617.66 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं। जयपुर जिले की चाकसू तहसील में फ्लोराइड से प्रभावित 178 गांवों के लिए 672.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना 26 अप्रैल, 1994 को ही प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार की औद्योगिक विकास दर

6174. **श्री प्रेम चंद राम : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार की औद्योगिक विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौान औद्योगिक विकास दर के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) औद्योगिक उत्पादन में तीन प्रमुख उप सेक्टर आते हैं नामतः खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण और विद्युत सृजन। इन तीन उपसेक्टरों में आऊटपुट के मूल्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उत्पादन का इन्डेक्स वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है। विनिर्माण सेक्टर के मामले में इसमें पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों प्रकार की युनिटें शामिल की जाती है। बहरहाल यह संकलन केवल अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और औद्योगिक उत्पादन के राज्य वार आंकड़े तैयार नहीं किए जाते।

(ख) औद्योगिक विकास के लिए लक्ष्य राज्यवार निर्धारित नहीं किए जाते।

[अनुवाद]

सोमालिया में भारतीय सैनिकों की तैनाती

6175. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन के अंतर्गत सोमालिया में कितने भारतीय सैनिक तैनात किए गये हैं और यह तैनाती किस तारीख से की गयी;

(ख) भारतीय सैनिकों की वहां तैनाती के बाद वहां हताहत हुए सैनिकों की मृत्यु तथा घायल होने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या भारत सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय सैनिक दस्ते के कब तक वापस आ जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ''यूनोसोम II सोमालिया में तैनात भारतीय सैन्य टुकड़ी में सभी रैंको के 4976 कार्मिक हैं। इस टुकड़ी की तैनाती का कार्य 28 अगस्त से 22 अक्तूबर, 1993 के बीच कर लिया गया था।

(ख) सैनिकों की मृत्यु होने के चार मामले हुए दो सैनिकों की दुर्घटनाओं के कारण और दो की उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला करने के कारण मृत्यु हुई। इसके अलावा, 25 सैनिकों को चोंटे आईं।

(ग) तथा (घ) संयुक्त राष्ट्रसंघ की शांति स्थापित करने की संक्रियाओं के दौरन सैनिकों के मरने घायल होने अथवा बीमार पड़ने के मामले युद्ध में हताहत होने के मामले माने जाते हैं और उनमें उदारीकृत पेशन लाभ दिए जाते हैं। इस बारे में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकार की मंजूरी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिदेश के अनुसार सैन्य टुकड़ी प्रारम्भतः एक वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

विवरण

उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक दोनों के लिए अंतिम बार ली गई गणनीय परिलब्धि के बराबर है। इसके साथ कोई संतान भत्ता या संतान शिक्षण भत्ता देय नहीं होगा। अफसरों के मामले में दिवंगत अधिकरी की पत्नी को तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में नामित वारिस को इस दर पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन उनकी मृत्यु हो जाने तक अथवा उनके पेशन के लिए पात्र बने रहने तक मिलती रहेगी।

2. यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी जीवित नहीं है किन्तु केवल उसकी संतान जीवित है तो दिवंगत कर्मचारी द्वारा ली गई गणनीय परिलब्धि के आधार पर कुछ निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन गणनीय परिलब्धि की 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की दरों पर सभी संतान परिवार पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर संतान भत्ता भी स्वीकार्य है।

3. अफसरों के लिए 2,000 रुपये से 19,000 रुपये तक उनके रैंक के आधार पर तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अन्य रैंक के लिए 450 रुपये से 1600 रुपये तक उनके रैंक के आधार पर निर्धारित दरों पर परिवार उपदान स्वीकार्य होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में निम्नलिखित रूप से मृत्यु उपदान भी देय है :-

	(1)	एक वर्ष से कम सेवा	—गणनीय परिलब्धि का 2 गुणा
	(2)	1-5 वर्ष की सेवा	—गणनीय परिलब्धि का 6 गुणा
*	(3)	5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा	—गणनीय परिलब्धि का 12 गुणा
	(4)	20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा	—सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह की गणनीय परिलब्धि जो 33 माह की गणनीय परिलब्धि अथवा 1 लाख रुपये इसमें से जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

*गणना के लिए वास्तविक सेवा में पांच वर्ष का लाभ जोड़ा जाता है।

(4) सेना सामूहिक बीमा लाभ

परिवार, सेना सामूहिक बीमा योजना से निम्नलिखित दर पर मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए भी हकदार होंगे :-

अफसर	—3,85,000 रुपये	
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	—1,65,000 रुपये	1 दिसंबर, 1993 से

5. उपर्युक्त के अलावा, सामान्य रूप में युद्ध में मारे गए कार्मिकों के परिवार/आश्रित निम्नलिखित लाभ प्राप्त करते हैं :

(क) **आर्मी वाइब्ज वेलफेयर एसोसिएशन फंड**

युद्ध में वीरगति प्राप्त अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और जवानों की पत्नियों को क्रमश 5,000 रुपये, 4,000 रुपये तथा 3,000 रुपये का एक बार का अनुदान दिया जाता है। दो बच्चों को 2 वर्ष के लिए कक्षा पांच से आगे स्नातक स्तर तक छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

(ख) **निशक्त सेना कार्मिक, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और उनके बच्चों की निधि**

युद्ध में वीरगति प्राप्त अफसरों जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों की पत्नियों को क्रमश 2,000 रुपये, 1,500 रुपये तथा 1,000 रुपये का एक बार का अनुदान दिया जाता है।

(ग) **सेना अफसर हितकारी निधि**

युद्ध मे वीरगति प्राप्त अफसर की पत्नी को 20,000 रुपये दिए जाते हैं।

"भेल" को प्राप्त विदेशी ठेके

6176. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ईरान में 900 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु हाल ही में एक ठेका मिला है;

(ख) यदि हां, तो ठेके के मूल्य संयंत्र स्थापना स्थान और ठेके के समापन की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान "भेल" को विदेशों में मिले अन्य ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "भेल" के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से पश्चिम एशियाई देशों को तेल कुओं की खुदाई से संबंधित उपकरणों के निर्यात के कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) "भेल" द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए विद्युत उपकरणों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भेल ने विदेशों में पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित प्रमुख ठेके प्राप्त किए हैं :

(1) मिस्र को 2×30 मेगावाट भाप जनित्रण पैकेज की आपूर्ति

(2) मलेशिया को 4 गैस आधारित बिजली जनित्रण सैटों की आपूर्ति, स्थापना तथा शुरूआत।

(3) मलेशिया, जोर्डन और ग्रीस को ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले तीन वर्षों में भेल ने निम्नलिखित महत्वपर्णूण निर्यात ठेके सफलतापूर्वक निष्पादित किए हैं :

(1) माल्टा और साइप्रस, प्रत्येक में 2×60 मेगावाट ताप सैटों की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत।

(2) मलेशिया में 4 गैस आधारित विद्युत जनित्रण सेटों की आपूर्ति, स्थापना तथा शरुआत।

इसके अतिरिक्त, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर जैसे विद्युत उपकरण मलेशिया, जोर्डन और यू.के. को निर्यात किए गए हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े वाद

6177. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायाल में जून 1993 के अंत तक लंबित पड़े वावों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन वादों में संशोधन हेतु द्वितीय अपील के लिए खंडपीठ में सुनवाई आदि के लिए उच्च न्यायाल तथा उच्चतम न्यायालय में कितने वाद दायर किए गए हैं; और

(ग) क्या वादों के निपटारे के विलंब को दूर करने के लिए सरकार का विचार केवल एक अपील का अधिकार देने तथा केवल विधि संबंधी वास्तवकि प्रश्न पर ही दूसरी अपील का अधिकार देने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भरद्वाज) : (क) और (ख) कर्नाटक उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30-6-1993 को उच्च न्यायालय के समक्ष 1,30,053 मामले लंबित थे। इन मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(i)	द्वितीय अपील (सिविल)	4002 मामले
(ii)	पुनरीक्षण अर्जियां (सिविल)	12554 मामले
(iii)	पुनरीक्षण अर्जियां (दांडिक)	603 मामले
(iv)	खंड न्यायपीठ संबंधी मामले	

सिविल—10,865 मामले

दाडिंक—725 मामले

(v) अन्य —1,01,304 मामले

उच्चतम न्यायालय संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 4 दिसंबर, 1993 को हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किए गए एकल न्यायधीश के आदेशों को छोड़कर लैटर्स पैटेण्ट अपीलों की और साथ ही न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध इस समय उपलब्ध खंडपीठ की अपीलों को समाप्त करने से उच्च न्यायालयों का बोझ कम करने में काफी सहायता मिल सकती है। उक्त सम्मेलन में पारित संकल्प सभी राज्य सरकारों संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश कम करना

6178. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर कम करने हेतु कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी धनराशि एकत्रित होने की सभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) इस समय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनींदा उपक्रमों के शेयरों को नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री के वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अनिवेश के माध्यम से 4000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जानी है।

विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण

6179. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 के दौरान देशवार कितने विदेशी नागरिकों ने भारतीय रक्षा संस्थान में प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठाया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1993-94 के दौरान भारतीय रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या नीचे दी गई है :-

1	2	3
1.	बंगलादेश	34
2.	नाइजीरिया	12
3.	कोरिया	2
4.	आस्ट्रेलिया	1
5.	फ्रांस	1
6.	जाम्बिया	7
7.	संयुक्त अरब अमीरात	2
8.	संयुक्त राज्य अमेरिका	5
9.	मलेशिया	22
10.	यू.के.	3
11.	घाना	45
12.	फिलीपीन्स	3
13.	श्रीलंका	402
14.	नेपाल	127
15.	वियतनाम	1
16.	केन्या	25
17.	साऊदी अरब	1
18.	ओमान	13
19.	सिंगापुर	16
20.	तंजानिया	13
21.	भूटान	145
22.	मालद्वीव	24
23.	सेशल्स	11
24.	नामीबिया	4
25.	ए एन सी	32
26.	मारीशस	61

1	2	3
27.	गुयाना	1
28.	जमाइका	2
29.	लाओस	5
30.	बोत्सवाना	35
31.	कनाडा	1
32.	थाइलैंड	1

केन्द्रीय भंडार में नए मदों को शामिल किया जाना

6180. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडार के किराना टॉयलेट और उपभोक्ता विभागों में माहवार कितने नए मदों का विक्रय आरंभ किया गया है;

(ख) नए मदों का विक्रय आरंभ करने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय भंडार में पहले से ही मान्य कंपनियों के मदों का विक्रय किया जा रहा है;

(ग) इन नए शो मिल किए गए मदों का यह बारह महीने के दौरन प्रति माह कितने मूल्य के माल का क्रय-विक्रय किया गया है;

(घ) केन्द्रीय भंडार में निर्धारित माल सूची के मानकों के अनुसार केन्द्रीय भंडार की मालसूची इन मदों के विक्रय से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो माल सूची का माह वार ब्यौरा क्या है और माल सूची के ज्यादा होने के क्या कारण है; और

(च) केन्द्रीय भंडार में निर्धारित मानकों के अनुसार माल सूची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए निर्धारित माल-सूची मानकों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिकों, लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान विक्रय के लिए आरंभ की गई नई मदों की मासिक वार सूची संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय भंडार को बाजार के परिवर्तनों तथा मांगों के अनुसार कार्य करना होता है। केन्द्रीय भंडार का प्रबंधक वर्ग भी अपने उपभोक्ताओं को नई वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराने को महत्व देता है।

(ग) इस अवधि के दौरान खरीदी गई मदों की कीमत विवरण-I तथा II के विवरण में दी गई है। इन वस्तुओं की बिक्री के आंकड़ों से संबंधित सूचना केन्द्रीय भंडार प्रबंध के पास मद-वार रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भंडार प्रबंधक वर्ग ने विभिन्न मदों की माल सूची के स्तर के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। तथापि, किसी वस्तु का आदेश देने से पहले, गोदाम की भंडारण स्थिति तथा आगामी 15 दिनों में होने वाली मांग का पता लगाया जाता है तथा उसकी जांच की जाती है। हाल ही में विक्रय के लिए आरंभ की गई मदों के लिए आदेश देते समय विशेष सावधानी बर्ती जाती है। इसके मद्दे नजर किसी मद की माल सूची ज्यादा रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता, चूंकि विभिन्न मदों की माल सूची के स्तर के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। माल सूची के अनुपात को कम से कम बिक्री तक लाने में केन्द्रीय भंडार का प्रबन्धक वर्ग नियमित आधार पर स्टाक की स्थिति का निरीक्षण करने, अधिकारियों द्वारा वस्तुओं की आवा जाही, भंडार का निरीक्षण करना जैसे कार्यों के लिए कतिपय कदम उठाता है।

विवरण-I

केन्द्रीय भंडार के किराना विभाग में पिछले 12 माह के दौरान विक्रय के लिए आरंभ की गई नयी मदों की सूची

बिक्री आरंभ करने का माह	मदें	निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता	आज तक की गई कुल खरीद रु. (लगभग)
अप्रैल, 1993	फरिश्ता वाशिंग सोप	मै. मित्तल एन्टर प्राइजेज	5,26,000 रुपये
मई, 1993	रंगाली सोया रिफाइंड ऑयल	मै.एम.पी. स्टेट कापरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर फैडरेशन	7,48,347 रुपये
अक्तूबर, 1993	प्राइम लाइफ सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल	मै. बल्लरपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2,34,457 रुपये
नवम्बर, 1993	कनोडिया मिरती ब्रांड मस्टर्ड ऑयल	मै. कनोडिया ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	72,623 रुपये
	एम.डी.एच. मसाले	मै. दशान्त सेल्स	1,51,784 रुपये
मार्च, 1994	सर्वप्रिय साल्ट (आई.एस.आई.)	मै. एन.सी.सी.एफ	10,5000 रुपये

विवरण-II

केन्द्रीय भंडार के उपभोक्ता विभाग में पिछले 12 माह के दौरान विक्रय के लिए आरंभ की गई नयी मदों की सूची

विक्रय मास	मदें	निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता	आज तक की गई कुल खरीद रु. (लगभग)
1	2	3	4
अप्रैल, 1993	फरिश्ता कैक/ डिटरजेन्ट पाउडर	मै. मित्तल एन्टरप्राइजेज	3,60,400 रुपये
जुलाई, 1993	टाप रेमन नूडल्स	मै. बुक ब्रांड इंडिया लि.	2,54,985 रुपये
	हास्पीटल ब्रांड फिनाइल	मै. शैली एन्टरप्राइजेज	27,623 रुपये
अगस्त, 1993	विलमैन सैविंग क्रीम	मै. एशियन केबल्स	4,278 रुपये
अक्तूबर, 1993	गोल्डपिक कार्नफ्लैक्स	मै. श्रीराम आयल एंड जनरल मिल्स	1,48,500 रुपये
दिसंबर, 1993	नोविनो सेल टाटा टेटलीटी	मै. एमाक्लेज	47,850 रुपये
	टाटा रेड टी ब्रह्मपुत्र टी	मै. वर्धमान केमीकल्स लि.	2,05,314 रुपये
	सिबाका टूथ ब्रशेश (डिलक्स)	मै. एस.सी. तलवार एंड कंपनी	22,784 रुपये
	पचरंगा पिकल	मै. आर.एन. चड्डा एंड कंपनी	1,08,285 रुपये
जनवरी, 1994	यूले रेड टी	मै. स्टेग एजेन्सीज	1,63,824 रुपये
फरवरी, 1994	लिप्टन यैलो लेबल टी	मै. न्यू भगत सुगर डिपो	2,73,700 रुपये
	हिट स्प्रेयर	मै. ईगल ट्रेडर्स	40,969 रुपये
	गोल्डन हनी	मै. हनी बी नेचूरल प्रोडक्टस	6,291 रुपये

1	2	3	4
मार्च, 1994	नटराज टी	मै. इमेज इंडिया लिमिटेड	40,500 रुपये
	अंकल चिप्स	मै. वी.एम. एन्टरप्राइजेज	41,080 रुपये
	चपाती रेप्स	मै. एसार फोयल्स	4,700 रुपये
	पारले बिस्किट्स	मै. मित्तल एन्टरप्राइजेज	39,000 रुपये

विज्ञान संबंधी अनुसंधान संस्थान की रिर्पोट

6181. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन नीति संबंधी अनुसंधान संस्थान ने कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन नीति संबंधी अनुसंधान संस्थान जो देहरादून स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है द्वारा हाल ही में "प्रोटैक्शन प्लाटस, पीपुल एंड इटेलैक्चुअल राइटस" तथा "इटेलैक्चुअल पायरेसी एंड द नीम पेटेण्ट्स" नामक रिपोर्ट निकाली गई है। ये प्रकाशन जन-शिक्षा के उद्देश्य से निकाले गए हैं और फाउडेशन ने इनका प्रसार किया है।

यह सरकार की परिपाटी है कि वह ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान दें।

बेरोजगारी की समस्या

6182. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री बालराज पासी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार ने देश में विशेष रूप से बिहार में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए कोई कदम उठाये है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम तैयार किए गए है तथा शुरू किए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यवार इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) रोजगार 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का महत्व दिए जाने वाला क्षेत्र है तदनुसार, सेक्टरों, उपसेक्टरों तथा अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों के तीर्व विकास के माध्यम से त्वारत रोजगार सृजन के लिए एक विकास नीति की परिकल्पना की गई है बिहार सहित किसी राज्य में रोजगार उस राज्य में विकास की गति तथा पैटर्न पर निर्भर करता है जिसके लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार उत्तरदायी है केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय सेक्टर विशेश रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन में बिहार सरकार सहित सभी राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। इनमें से चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमें प्रमुख हैं, नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) तथा नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार (एसईईयूवाई) हेतु केन्द्रीय सेक्टर विशेष रोजगार स्कीम। 1755 ब्लाकों को शामिल करके एक नई रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) अभी हाल ही में आरम्भ की गई हे, जिसमें से 157 ब्लाक बिहार में हैं।

संपूर्ण देश में हाल ही में आरम्भ की गई "प्रधान मंत्री की रोजगार योजना" (पीएमआरवई) का लक्ष्य भी शिक्षित युवाओं के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है।

इन विशेष कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय निधियों का राज्यवार आबंटन केवल वार्षिक योजनाओं में किया जाता है।

पंचायती राज

6183. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ प्रशासन से संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत एक वर्ष के दौरन चंडीगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों को कितनी सहायता दी गयी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में मूल औषध एकक

6184. **श्री के. प्रधानी** : क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मूल औषध एकक की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक की स्थापना हेतु किस स्थान का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

विवेक दर्पण कार्यक्रम

6180. **श्रीमती सरोज दुबे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में विवेक दर्पण कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम से अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम को अन्य क्षेत्रों में भी शुरू करने के बारे में सोच रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में रज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) विवेक दर्पण प्रायोगिक परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब गुजरात और त्रिपुरा राज्यों में शुरू की गई है।

(ख) इस कार्यक्रम से प्रतिदिन लगभग 6500 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।

(ग) और (घ) विवेक दर्पण एक प्रायोगिक परियोजना है और अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार इस समय चल रही प्रायोगिक परियोजना की सफलता पर निर्भर करेगा।

लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

6186. **श्री महेश कनोडिया :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने 1993-94 और 1994-95 के दौरान अपनी प्रस्तावित लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र सरकार राज्यों को सामान्यतः राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला के अनुसार

उनकी योजनाओं के लिए ब्लाक योजना सहायता उपलब्ध करा रही है। सहायता विशिष्ट सेक्टरों/परियोजनाओं /स्कीमों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं करायी जाती है जब तक कि वह राज्यों द्वारा निर्दिष्ट "विशेष समस्या" मानदंड के तहत विनिर्दिष्ट अथवा आबंटित नहीं की जाती। तथापि, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) लघु हाइडल परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

(ख) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम एन ई एस) ने 1993-94 के दौरान मंत्रालय की पूंजी सब्सिडी स्कीम के तहत करन्जवों एस एच पी (1×3 मेगावाट) परियोजना को मंजूरी दी है। गुजरात से एम एन ई एस सब्सिडी के लिए अब तक कोइ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय परियोजनाओं संबंधी समिति

6187. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित, निष्पादित व पूरा करने के लिए तौर तरीके सुझाने के लिए गठित छः सदसीय मंत्रियों की समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या प्रमुख सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

6188. **श्री एस.एम. लाल जान बाशा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा केरंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उपक्रम का ब्यौरा क्या है, इनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है और ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम के बारे में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की क्या टिप्पणियां हैं;

(घ) क्या सरकार को इन उपक्रमों के अर्थक्षम होने की कोई आशा नहीं है,

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या इन उपक्रमों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए कोई नई समिति गठित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (छ) मंत्रालय के अधीन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई डी पी एल की पुनरुद्धार योजना मंजूर कर ली गई है जबकि शेष रुग्ण पी एस यूज की पुनरुद्धार योजनाएं बी आई एफ आर में विचार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकार ने रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए हाल ही में मंत्रियों का एक दल गठित किया है।

औद्योगिक विकास दर

6189. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सुधार शुरू किए जाने के बाद से वर्ष वार औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही है;

(ख) क्या पूंजी निर्माण में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या औद्योगिक विकास दर पूंजी निर्माण के समनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मूंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) औद्योगिक वृद्धि दर 1991-92 में शून्य, 1992-93 में 1.8 प्रतिशत और अप्रैल-दिसंबर 1993 के दौरान 2.4 प्रतिशत थी।

(ख) बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजी निर्माण 1991-92 में 24.2 प्रतिशत (अनंतिम) और 1992-93 में 24.5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।

(ग) और (घ) चूंकि पूंजी निर्माण एक समय सीमा के पश्चात् आउटपुट में परिलक्षित होता है। आउटपुट की वृद्धि दर और पूंजी निर्माण के बीच वर्ष दर वर्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। 1991-92 और 1992-93 में पूंजी निर्माण की दर 24 प्रतिशत से अधिक रही है। इन वर्षों

में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सेक्टर और परिवहन स्टोरेज एवं संचार सेक्टर में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि विनिर्माण सेक्टर में वृद्धि से बेहतर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता

6190. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूंजी की तुलना में सकल मार्जिन और सकल लाभ के अनुपात में लाभप्रदता में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उदारीकरण की वर्तमान स्थिति को देखते हए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को किस तरह और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) यदि निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो विगत दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सकल उपान्त, सकल लाभ एवं निवल लाभ में वृद्धि होती रही है। लगी पूंजी की तुलना में सकल उपान्त एवं सकल लाभ का प्रतिशत वृहत स्तर पर 6.3 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत के बीच रहा है। यह उतार-चढ़ाव बाजार की भिन्न परिस्थितियों में लाभकारिता में परिवर्तन, बहुआयामी उद्देश्यों, स्थानिक अलामों, नई परियोजनाओं की अधिक लागत एवं उनके चालू होने में विलम्ब, केन्द्रीय क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव इत्यादि के कारण है।

(ग) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में जिस उदारीकरण की घोषणा की गई थी उसका लक्ष्य सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना है तथा सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता में वृद्धि का रुख दिखाई पड़ता है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु धनराशि

6191. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीबी उन्मूलन निधि संबंधी क्षेत्रीय कार्यक्रमों की राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन वाले कार्यक्रमों संबंधी आर्थिक क्षेत्र में लगाने की अनुमति देने हेतु योजनागत नियतन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में मंत्रालय को क्या निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में उनकी अब तक क्या प्रतिकिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गरीबी विरोधी निधियों के अंतरण द्वारा आर्थिक सेक्टरों के लिए योजना आबंटनों का कोई प्रस्ताव

नहीं है। जवाहर रोजगार योजना के तहत रोजगार सर्जन के प्रमुख उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है। परिसंपत्तियां सामाजिक, वानिकी, लघु सिंचाई तथा बाढ़ सुरक्षा मृदा संरक्षण कार्यों, भूमि विकास, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, अनय कार्यों में स्कूल भवनों के निर्माण सहित कई सेक्टरों में सृजित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भोपाल गैस पीड़ितों के दावे

6192. **डा. साक्षी जी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों के कितने दावे विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई हेतु लंबित हैं;

(ख) अब तक कितने दावों का निपटाया गया है;

(ग) उन्हें मुआवजा के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 31-3-1994 तक 5,71,189 दावे लंबित पड़े थे।

(ख) 31-3-1994 तक 46,783 दावे निपटाए गए थे।

(ग) 31-3-1994 तक मुआवजे के रूप में 155.91 करोड़ रुपये दिए गए थे।

(घ) मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार कल्याण आयुक्त के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है ताकि मुआवजा योजनाओं के निपटाने की गति तेज की जा सके। बकाया दावों को जल्दी से निपटाने के मामले में जांच करने तथा परामर्श देने के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एन.एम. कासलीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति भी गठित की है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठन

6193. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों व विशेषरूप से जनकल्याण के कार्य में संलग्न सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को कितनी सरकारी सहायता मिली;

(ग) क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्य की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान संगठनों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए परियोजनाओं की संख्या सहायता की गई स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या और स्वीकृत राशि तथा रिलीज की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और III में दिए गए हैं।

(ग) व (घ) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन की समीक्षा कापार्ट द्वारा की जाती है। कापार्ट की परियोजनाओं की निगरानी की एक प्रणाली है इसने विभिन्न प्रकार के अनुभवी लोगों का मानीटर के रूप में एक पैनल बना रखा है परियोजना को मंजूर किए जाने के पश्चात् निधियां उचित किस्तों में जारी की जाती हैं पहली किस्त रिलीज किए जाने के पश्चात स्वैच्छिक संगठन को एक निर्धारित प्रोफार्मा में उचित समयावधि में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सामान्यतया सभी परियोजनाओं की इस चरण में निगरानी रखनी होती है। निगरानीकर्त्ता की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में यदि विचलन पाया जाता है तो उसकों इसे ठीक करने की सलाह दी जाती है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप क्रियान्वयन का आश्वासन मिलने पर ही दूसरी किश्त जारी की जाती है। इस तरह सारी निधियां स्वैच्छिक संगठन को जारी की जाती है। परियोजना के पूर्ण होने पर स्वैच्दिक संगठन द्वारा अंतिम प्रगति रिपोर्ट, खातों का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। निगरानीकर्त्ता द्वारा जहां कहीं निधियों के दुरुपयोग का मामला पाया जाता है, स्वैच्छिक संगठन को निधियों के वापस करने को कहा जाता है साथ ही साथ संगठन का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है ताकि उसे और मंजूरी/निधियां जारी न की जा सकें। इसी प्रकार यदि स्वैच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में विसंगति मिलती है तो निगरानीकर्त्ता द्वारा इसकी उचित जांच की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है मामले की जांच हेतु कापार्ट अपना अधिकारी प्रतिनियुक्त करता है अथवा संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध करता हैं। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर मामले पर उचित कार्यवाही की जाती है।

विवरण-I

1991-92 (31-1-1992 तक)

राज्यों के नाम	परियोजना की संख्या	एजेन्सी की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	300	78	4.72	3.55
अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.01	0.01
अण्डमान निकोबार	–	–	–	–
असम	27	6	0.62	0.16

1	2	3	4	5
बिहार	237	46	4.35	2.45
दिल्ली	38	19	0.41	0.39
गुजरात	68	3	2.57	1.89
हरियाणा	48	9	0.97	0.86
हिमाचल प्रदेश	15	3	0.14	0.07
जम्मू व कश्मीर	2	2	0.06	0.11
कर्नाटक	109	13	.73	0.87
केरल	98	30	2.30	0.85
मध्य प्रदेश	61	24	0.82	0.68
महाराष्ट्र	74	27	6.09	1.53
मणिपुर	62	7	1.10	1.00
नागालैंड				0.03
उड़ीसा	102	20	2.01	1.37
पंजाब	5	1	0.10	0.10
राजस्थान	100	24	1.74	1.30
तमिलनाडु	139	37	2.81	2.03
त्रिपुरा	3	3	0.11	
उत्तर प्रदेश	580	102	6.11	4.62
प. बंगाल	467	61	7.34	4.91
मिजोरम	1	1	0.10	0.02
चंडीगढ़	1	1	0.04	0.04
मेघालय	1	1	0.07	0.19

1	2	3	4	5
पाण्डिचेरी	1	1	–	–
गोआ दमन	–	–	–	–
योग	2540	520	47.29	28.48

विवरण–II

1992–93 (31–1–1993 तक)

(करोड़ रुपये में)

राज्यों के नाम	परियोजना की संख्या	एजेन्सी की संख्या	स्वीकृति राशि	रिलीज की राशि
1	2	3	4	5
आध्र प्रदेश	208	50	4.18	3.90
अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.04	–
अंडमान निकोबार	2	2	–	0.04
असम	11	6	0.15	0.74
बिहार	351	48	5.15	4.70
दिल्ली	64	11	1.25	0.60
गुजरात	66	10	2.21	2.70
हरियाणा	35	5	0.59	0.39
हिमाचल प्रदेश	29	6	0.71	0.30
जम्मू व कश्मीर	6	6	0.13	0.60
कर्नाटक	81	16	1.68	1.13
केरल	71	34	1.80	1.40
मध्य प्रदेश	41	15	0.53	0.90

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	46	10	1.39	1.90
मणिपुर	67	14	1.63	1.41
नागालैंड	3	3	0.11	0.01
उड़ीसा	91	18	2.05	1.58
पंजाब	7	7	0.11	0.17
राजस्थान	14	8	0.63	0.68
तमिलनाडु	154	32	3.82	2.00
त्रिपुरा	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	543	74	8.17	5.25
प. बंगाल	422	66	8.23	55.58
मिजोरम	13	7	0.93	0.66
चंडीगढ़	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	0.30
पाण्डिचेरी	–	–	–	–
गोआ दमन	–	–	–	–
योग	2316	428	45.49	36.04

विवरण-III

1993-94 (13-1-1994 तक)

(करोड़ रुपये में)

राज्यों के नाम	परियोजना की संख्या	एजेन्सी की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	131	11	3.38	3.48

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.03	0.02
अंडमान निकोबार	3	1	0.18	0.23
असम	8	7	0.02	0.17
बिहार	246	171	6.16	4.29
दिल्ली	36	27	0.86	0.67
गुजरात	33	15	2.90	2.23
हरियाणा	26	18	0.98	0.98
हिमाचल प्रदेश	16	10	0.60	0.78
जम्मू व कश्मीर	5	3	0.25	0.20
कर्नाटक	34	33	1.34	1.33
केरल	28	24	0.97	0.91
मध्य प्रदेश	28	21	0.83	0.45
महाराष्ट्र	34	29	1.40	0.88
मणिपुर	60	47	2.42	2.08
नागालैंड	5	5	0.27	0.22
उडीसा	43	40	1.44	1.59
पंजाब	1	1	0.01	0.15
राजस्थान	33	26	1.04	0.98
तमिलनाडु	81	69	2.56	1.73
त्रिपुरा	1	1	0.10	0.05
उत्तर प्रदेश	272	214	6.94	6.44
प. बंगाल	170	133	5.41	6.37
मिजोरम	8	6	0.71	0.59

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	-			-
मेघालय			-	0.01
पांडिचेरी				-
गोआ दमन	1	1	0.05	0.02
योग :	1306	1016	41.03	36.80

[हिन्दी]

नई औषध नीति

6149. **श्री अवतार सिंह भंडाना :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध नीति की घोषणा न किए जाने के कारण देश के औषध उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक घोषित किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) औषध नीति, 1986 के प्रावधानों की पुनरीक्षा का कार्य अब निर्णय लेने की अंतिम अवस्था में पहुंच गया है।

लघु क्षेत्र में इक्विटी धारिता

6195. **श्री राम कापसे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की इक्विटी धारिता को वर्तमान चौबीस प्रतिशत से बढ़ाकर सौ प्रतिशत करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब से प्रभावी होगा ?

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु एककों में, चाहे स्वदेशी हो अथवा विदेशी अन्य औद्योगिक उपक्रमों

द्वारा 24 प्रतिशत तक ईक्विटी भागीदारी की अनुमति है। किन्तु उन व्यक्तियों, जो अन्य औद्योगिक उपक्रमों के स्वामी/मालिक नहीं हैं और जो किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में निदेशक नहीं हैं; पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है।

लघु क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की अनुमत ईक्विटी धारिता को 100 प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

6196. **श्री बीर सिंह महतो : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से इन्स्टूमेंटेशन इण्डिया लिमिटेड, दि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का पुनर्गठन करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी द्वारा विश्व बैंक की सहायता से एच.एम.टी.लि. के बारे में पुनर्गठन संबंधी अध्ययन पहले ही पूरा किया जा चुका है और माल सूचियों में कमी, विभिन्न व्यवसाय समूहों का पुनर्गठन, फुटकर देनदारियों में कमी आदि जैसी उद्यम स्तर की कार्रवाइयां पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं। सरकार ने पृथक व्यवसाय समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों में परिवर्तित करने हेतु कंपनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पुनर्गठन अध्ययन के संबंध में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को विश्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका है।

इंस्ट्रमेंटेशन (इंडिया) लि., कोटा के पुनर्गठन हेतु, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रोजगार आश्वासन योजना

6197. **श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्यों को 1993-94 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इस योजना को राज्य-वार कितने जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) बिहार में ऐसे जिलों के नाम क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए पूरे देश के लिए और राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को रिलीज की गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उन जिलों, जिसमें सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दिखायी गयी है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिले हैं भभुआ, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जमुई, लोहारडग्गा, नवादा, पलामू, रांची, रोहतास, साहेबगंज तथा सिंहभूम।

(घ) सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी सक्षम वयस्कों जो रोजगार के जरूरतमंद हैं तथा जो शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं और इसकी तलाश में हैं, को गैर कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए है। चूंकि योजना का कार्यान्वयन मांग पर निर्भर करता है, इसलिए या तो राज्यवार अथवा समग्र रूप से देश भर के लिए मावात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण-I

1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा रिलीज़ की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	240.00
3.	असम	2070.00
4.	बिहार	4710.00
5.	गोआ	योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
6.	गुजरात	485.00
7.	हरियाणा	1320.00
8.	हिमाचल प्रदेश	35.00

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	720.00
10.	कर्नाटक	2820.00
11.	केरल	580.00
12.	मध्य प्रदेश	5695.00
13.	महाराष्ट्र	2645.00
14.	मणिपुर	660.00
15.	मेघालय	160.00
16.	मिजोरम	600.00
17.	नागालैंड	840.00
18.	उड़ीसा	4268.00
19.	पंजाब	योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
20.	राजस्थान	3660.00
21.	सिक्किम	116.00
22.	तमिलनाडु	1055.00
23.	त्रिपुरा	610.00
24.	उत्तर प्रदेश	2806.25
25.	पश्चिम बंगाल	4055.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.00
27.	दादर व नगर हवेली	5.00
28.	दमन व द्वीव	5.00
29.	लक्षद्वीप	25.00
30.	पांडिचेरी	–
	कुल :	4.3795.25

विवरण-II

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	15
4.	बिहार	13
5.	गोवा	योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
6.	गुजरात	17
7.	हरियाणा	6
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू व कश्मीर	4
10.	कर्नाटक	14
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	23
13.	महाराष्ट्र	20
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	10
19.	पंजाब	योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

1	2	3
20.	राजस्थान	22
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	12
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	20
25.	पश्चिम बंगाल	13
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	दादर व नगर हवेली	1
28.	दमन व द्वीव	1
29.	लक्षद्वीप	1
30.	पाडिचेरी	-
	कुल :	2.57

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़क परियोजनाएं

6198. **डा॰ लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ ग्रामीण सड़क परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय में उत्तर प्रदेश की कोई ग्रामीण सड़क परियोजना लंबित नहीं पड़ी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास नीति

6199. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति को अब तक अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) विभिन्नि राज्य सरकारों को इससे क्या लाभ प्राप्त होगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आवास नीति दस्तावेज संसद के दोनों सदनों में 9-7-1992 को रखा गया था। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) नीति का उद्देश्य लोगों विशेषतया बेघर, तंग आवास वाले लोगों और कमजोर वर्गों के विकसित भूमि, समुचित भवन-सामग्री, किफायती निर्माण प्रौद्योगिकी, तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आदि सुलभ करा के सस्ते घर पाने में मदद करना है।

(ii) नीति में एक बड़ा बदलाव विभिन्न स्तरों पर सरकार की भूमिका के बारे में है जिसके अनुसार सरकार अब सीधे भवन निर्माता की बजाय आवास निर्माण में सुविधा देने की होगी, जो वह विभिन्न आवास, आदान सामग्रियों की उपलब्धियों में सभी बाधाओं को हटा कर कारगर व्यवस्था कायम करके करेगी।

(iii) साथ ही, सरकार कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकलांगों, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त परिवारों, निर्धन विधवाओं अविवाहित महिलाओं जैसे अपेक्षित वर्गों को सस्ते मकान पाने में मदद देने की अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

(iv) मकान निर्माण में गैर सरकारी एजेंसियों अर्थात सहकारी प्राइवेट एजेंसियों और व्यक्तियों की भूमिका को विधिवत मान्यता दी गयी है।

(ग) राष्ट्रीय आवास नीति को राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और विख्यात आवास विशेषज्ञों आदि के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया था और उनके सुझावों को नीति दस्तावेज में यथासंभव समाविष्ट किया गया था।

(घ) नीति में राज्य सरकारों को देश में मकानों की कमी को दूर करने और आवास स्थितियों में सुधार के लक्ष्य को पाने में गाइड करने के लिए वृहत्तर आवास कार्यकलापों हेतु अनुकूल बनाने का है।

सरकारी क्षेत्र के घाटे पर चल रहे उपक्रम

6200. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत घाटे पर चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस संबंध में अपनी सहमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

6201. **श्री जार्ज फर्नाडीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निदेशों के अनुसार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने सुधार की एक योजना तैयार की है जिसमें दायित्वों का पुनर्निर्माण, जनशक्ति में कमी और तिपहियों के उत्पादन में बढ़ोतरी की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (ध) पुनरुद्धार योजना पर प्रचालन एजेन्सी; भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप

6202. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप संयंत्र के पहले और दूसरे एकक को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों को बंद करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संयंत्र के 1400 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे;

(घ) इन कर्मचारियों का किस प्रकार पुनर्वास किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार नामरूप के दूसरे एकक के स्थान पर कोई नया संयंत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो नया एकक कहां स्थापित किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

6203. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**
श्री प्रबीन डेका :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्यों विशेषकर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और श्रेणी वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 के लिए निर्माण के विस्तृत कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न शहरों में सामान्यपूल के रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए पचास करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

[अनुवाद]

स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

6204. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) राज्य-वार और विशेषतः महाराष्ट्र में कितने लोगों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है,

(ग) प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ग्राम स्तर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय हुआ है और प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी ओर प्रबंधकीय कार्यकुशलता प्रदान करना है ताकि वे आय सृजित करने वाले कार्य कर सकें। लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान वजीफा दिया जाता है जो कि 150 रुपए से लेकर 300 रुपये तक होता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं में से कम-से-कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए। कुल लाभार्थियों की संख्या में से कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। 3 प्रतिशत लाभ शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए निर्धारित किए गए हैं। लाभार्थी 18-35 वर्ष की आयु वर्ग में होने चाहिएं। तथापि विधवाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों, मुक्त कराये गए बंदियों व्यापक विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों, कुष्ठ रोग से उपचारित रोगियों और मुक्त कराये गए मैला ढोने वालों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गयी हैं।

(ख) छठी योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90) और वार्षिक योजना 1990-91 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए युवाओं की कुल संख्या 22,48,832 है। ट्राइसेम प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान को 1991-92 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था ताकि ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण को कारगर बनाया जा सके। 1991-92 से लेकर 1993-94 (फवरी, 94) तक ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए युवाओं की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गयी है।

(ग) और (घ) ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रशिक्षित ग्रामीण युवा आय सृजित करने वाली परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसिडी और संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकता है। उन युवाओं की कुल संख्या जिन्हें 1980-81 से लेकर 1993-94 (फरवरी, 94 तक) प्रशिक्षिण के बाद रोजगार दिलाया गया है, 1734932 है।

विवरण

ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	55
1.	आंध्र प्रदेश	18106	17340.	10704
2.	अरुणाचल प्रदेश	221	487	631
3.	असम	9152	8026	4773
4.	बिहार	32598	32649	19586
5.	गोवा	2578	2552	275
6.	गुजरात	24192	11209	8856
7.	हरियाणा	4402	7067	4341
8.	हिमाचल प्रदेश	1973	1581	572
9.	जम्मू और कश्मीर	2053	855	129
10.	कर्नाटक	12956	13407	6218
11.	केरल	7362	7919	4789
12.	मध्य प्रदेश	28921	22156	29624
13.	महाराष्ट्र	17587	21148	13047
14.	मणिपुर	1438	218	336
15.	मेघालय	155	316	151
16.	मिजोरम	1713	1186	1183
17.	नागालैंड	738	247	567
18.	उड़ीसा	25194	15595	9446
19.	पंजाब	5003	4237	1235

1	2	3	4	55
20.	राजस्थान	9908	12549	6255
21.	सिक्किम	359	161	42
22.	तमिलनाडु	9233	18985	9880
23.	त्रिपुरा	1185	2502	1230
24.	उत्तर प्रदेश	70430	57645	39549
25.	पश्चिम बंगाल	17828	15223	8729
26.	अडमान नि॰ द्वीप समूह	338	361	152
27.	दमन व द्वीव	123	00	30
28.	दादर व नगर हवेली	43	74	25
29.	लक्षद्वीप	38	28	4
30.	पांडिचेरी	383	0	173
31.	दिल्ली	834	–	–
	कुल	307044	275993	182532

*अनंतिम

औद्योगिक नीतिगत संकल्प, 1956

6205. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद में यथापारित अपने औद्योगिक नीतिगत संकल्प, 1856 में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति में कौन-कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन किस आधार पर किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य पहले से प्राप्त लाभों का सहारा लेकर आगे चलना, जो विकार अथवा खामियां आई हैं उन्हें दूर करना, उत्पादकता और लाभप्रद रोजगार में निरंतर विकास करते रहना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति प्राप्त करना हैं। ये उद्देश्य औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

छोटे और मझोले शहरों का विकास

6206. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 ओर इससे पूर्व के तीन वर्षों में राज्य-वार और शहर-वार छोटे और मंझोले शहरों के विकास के लिए योजना-वार कितनी राशि दी गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : लघु तथा मध्यम कस्बों के सघन विकास को केन्द्र प्रवर्तित योनजा आई डी एस एम टी के तहत वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान दी गई केंद्रीय सहायता के राज्यवार और कस्बावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आई. डी.एस.एम.टी. के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्य और कस्बावार ब्यौरे

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/कस्बा	दी गई कुल केन्द्रीय सहायता				
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	
1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश						
1.	बालगौंडा	–	–	19.215	–	19.215
2.	थाड़ी पाल्लीगुड्म	27.500	–	–	15.000	42.500
3.	टाडपटरी	20.000	–	–	7.790	27.790
4.	कामारेडी	10.000	–	–	15.000	25.000
5.	नरसारावपेट	27.500	–	–	–	27.500
6.	तन्नुकू	–	20.000	–	–	20.000
7.	धर्मावरम	–	20.000	–	–	20.000
8.	रामचन्द्रपुरम-I	–	15.000	–	–	15.000
9.	तन्दुर	–	15.000	–	–	15.000

1	2	3	4	5	6	7
10.	सिद्धोपेट–I	–	10.000	–	–	10.000
11.	वन्नापार्थी	–	–	10.000	–	10.000
12.	काकीनाड़ा	–	–	15.000	–	15.000
13.	जगियापेटा	–	–	25.000	–	25.000
14.	कुरनूल	–	–	20.000	–	20.000
15.	कुडापा	–	–	–	40.000	40.000
16.	नीदादावलू	–	–	–	20.000	20.000
17.	मदनापाल्ली	–	–	–	30.000	30.000
18.	चिराल्ला	–	–	–	20.000	20.000
19.	रापाल्ली	–	–	–	18.000	18.000
20.	पुन्नूर	–	–	–	40.000	40.000
21.	नारायण पेट	–	–	–	24.000	24.000
22.	जग्गी तायल	–	–	–	36.000	36.000
23.	श्रीकलाहस्ती	–	–	–	40.000	40.000
24.	निजामाबाद	–	–	–	60.000	60.000
25.	अन्नतापुर	–	–	–	48.000	48.000
26.	विकाराबाद	–	–	–	24.000	24.000
27.	चिल्लाकल्लुरीपेट	–	–	–	26.000	26.000
28.	अमलापुरम	–	–	–	23.000	23.000
	योग :	35.000	80.000	89.215	486.790	741.005
अरुणाचल प्रदेश						
1.	तावांग	–	20.00	–	15.000	35.000
	योग	–	20.000	–	15.000	35.000

1	2	3	4	5	6	7
असम						
1.	दीयू	–	20.000	–	–	20.000
2.	करीमगंज	–	3.000	–	–	3.000
3.	नागांव	–	12.000	–	–	12.000
4.	बोंजाइगांव	–	15.000	–	–	15 000
5.	शिवसागर	25.000	–	–	–	25.000
6.	दुबरी	25.000	–	–	–	25.000
7.	गोलाघाट	15.000	–	–	–	15.000
8.	उत्तरी लखीमपुर	–	15.000	–	–	15.000
	योग	65.000	65.000	–	–	130.000
बिहार						
1.	जहांनाबाद	27.500	–	–	–	27.500
2.	साहिबगंज	20.000	–	–	–	20.000
3.	बंका	–	15.000	–	–	15.000
	योग	47.500	15.000	–	–	62.500
गोआ						
1.	पोंडा	10.000	–	–	–	10.000
2.	मपूसा	–	20.000	–	–	20.000
3.	करवोरम	–	–	–	12.000	12.000
	योग	10.000	20.000	–	12.000	42.000

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात						
1.	पतन उत्तरी	4.520	–	–	–	4.520
2.	पालनपुर	8.060	–	–	–	6.060
3.	महुआ	–	15.000	–	3.000	18.000
4.	बिल्लीमोरा	–	–	–	10.000	10.000
5.	विसनगर	–	–	–	3.000	3.000
6.	सुरेन्द्र नगर	27.500	–	–	10.000	37.500
7.	बोतड़	15.000	–	–	–	15.000
8.	मोरबी	25.000	–	–	–	25.000
9.	सिद्धपुर	–	20.000	–	–	20.000
10.	विरमगांव	–	20.000	–	–	20.000
11.	केशड	–	20.000	–	–	20.000
12.	वादवान	–	–	–	24.000	24.000
13.	भारूच	–	–	–	24.000	24.000
14.	नाडियाड	–	–	–	57.240	57.240
	योग :	80.080	75.000	–	131.240	286.320
हिमाचल प्रदेश						
1.	मंडी	–	–	25.000	–	25.000
2.	हमीरपुर	–	20.000	–	–	20.000
	योग :	–	20.000	25.000	–	45.000
जम्मू एवं कश्मीर						
1.	लेह	15.000	–	–	–	15.000

1	2	3	4	5	6	7
2.	डोडा	27.500	–	–	–	27.500
3.	सम्बा	–	–	–	19.000	19.000
4.	सोपोर	–	–	–	19.000	19.000
	योग	42.500	–	–	38.000	80.500
कर्नाटक						
1.	चिक्कबल्लापुर	–	10.000	–	–	10.000
2.	सिरसी	–	10.000	–	–	15.000
3.	वासवकल्याण	15.000	–	–	–	15.000
4.	कोलार	18.000	–	–	–	18.000
5.	उद्धपी	17.500	–	–	–	17.500
6.	शिकारीपुर	18.000	–	–	–	18.000
7.	मालावल्ली	–	10.000	–	–	10.000
8.	रावाकवि बनहट्टी	–	10.000		–	10.000
9.	दंदेली	–	20.000	–	–	20.000
10.	चिंतामणि	–	20.000	–	–	40.000
11.	चिकमंगलूर	–	20.000	–	–	20.000
12.	तिपतूर	–	–	20.000	–	20.000
13.	गोड़ीविदनुर	–	–	20.000	–	20.000
14.	बदामी	–	–	18.000	–	18.000
15.	गरूमतकल	–	–	10.000	–	10.000
16.	सौनदत्ती	–	–	20.000	–	20.000
17.	ब्यादगी	–	–	12.000	–	12.000
18.	करवर	–	–	20.000	–	20.000

1	2	3	4	5	6	7
19.	बिदड	–	–	–	17.000	17.000
20.	हवेरी	–	–	–	14.000	14.000
21.	बेल्लरी	–	–	–	35.000	35.000
22.	मधुगिरी	–	–	–	12.000	12.000
23.	के.आर. नगर	–	–	–	11.000	11.000
24.	इलकल	–	–	–	22.000	22.000
25.	निप्पनी	–	–	–	30.000	30.000
26.	डोडाबालापुर	–	–	–	25.000	25.000
27.	बेलहोंगल	–	–	–	25.000	25.000
28.	मृदालगी	–	–	–	25.000	25.000
29.	मुलबगल	–	–	–	22.000	22.000
30.	लिंगासुगर	–	–	–	22.000	22.000
	योग :	68.500	105.000	140.000	260.000	573.500
केरल						
1.	गुरूवायुर	0.810	–	–	–	0.810
2.	कसारगुरू	25.000	–	–	–	25.000
3.	मुवत्तुपुज्जा	15.000	–	–	–	15.000
4	पुनालूर	6.500		–	–	6.500
5.	कलपट्टा	7.000	–	–	–	7.000
6.	नय्यातंगरा	1.500	–	–	–	1.500
7	शोरेनूर	–	6.500	–	–	6.500
8.	चवक्कड़	–	20.000	–	–	20.000
9.	पत्तनमथिटा	–	10.000	–	–	10.000

1	2	3	4	5	6	7
10.	अलपुज्जा	–	–	25.000	–	25.000
11.	कोलम	–	–	–	40.000	40.000
	योग :	55.810	36.500	25.000	40.000	157.310
मध्य प्रदेश						
1.	बेतूल	15.000	–	–	–	15.000
2.	आबेदुल्लागंज	25.000	–	–	–	25.000
3.	नीमर्चे	27.500	–	–	–	27.500
4.	भिंड	27.500	–	–	–	27.500
5.	दामोह	27.500	–	–	–	27.500
6.	सेहोर	25.000	–	–	–	25.500
7.	विदिशा	10.000	–	–	–	10.000
8.	पन्ना	27.500	–	–	–	27.500
9.	रायगढ़	–	20.00	–	–	20.000
10.	दतिया	–	10.000	–	–	10.000
11.	खरगांव	–	20.000	–	–	20.000
12.	शिपुरी	–	25.000	–	–	25.000
13.	सागर	–	–	25.000	–	25.000
14.	मंदसौर	–	–	15.000	–	15.000
15.	टिकमगढ़	–	–	20.000	–	20.000
16.	मंडला	–	–	–	24.000	24.000
17.	मुलताई	–	–	–	11.000	11.000
	योग :	185.0000	75.000	60.000	35.000	355.000

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
1.	वरली वैद्यनाथ	0.500	–	–	–	0.500
2.	कम्पटी	6.310	–	–	–	6.310
3.	किनवट	13.000	–	–	–	13.000
4.	पन्धारपुर	5.000	–	2.000	–	7.000
5.	चिपल	–	–	12.000	–	12.960
6.	वृधा	–	12.960	–	–	12.960
7.	ईगतपुरी	–	10.000	–	–	10.000
8.	करद	1.000	–	–	–	1.000
9.	वीड	–	–	21.155	–	21.155
10.	गढ चिरौली	27.500	–	–	–	27.500
11.	गांदिया	22.000	–	–	–	22.000
12.	चोपैडा	15.000	–	25.000	–	40.000
13.	खेमगांव	27.500	–	–	–	27.500
14.	नारखेड़	27.500	–	–	–	27.500
15.	मल्कापुर	27.500	–	–	15.000	42.500
16.	नन्दूरबार	27.500	–	–	15.000	42.500
17.	पैथान	18.000	–	–	–	18.000
18.	अचलपुर		20.000	–	–	20.000
19.	बुलदाना	–	25.000	–	–	25.000
20.	चालीसगांव	–	25.000	–	–	25.000
21.	हिगोली	–	25.000	–	–	25.000
22.	नान्देड़	–	20.000	–	–	20.000
23.	सावनेर	–	10.000	–	–	10.000

1	2	3	4	5	6	7
24.	जलगांव	–	–	40.000		40.000
25.	श्रीरमपुर	–	–	35.000	–	35.000
26.	श्रीपुर (वरवाड़े)	–		20.000		20.000
27.	वानी		–	20.000	–	20.000
28.	अम्बाद		–	10.000	–	10.000
29.	अहमदनगर	–	–	35.000		35.000
30.	कोपारगांव	–	–	20.000		20.000
31.	लाटूर	–	–	20.000	–	20.000
32.	हलतान	–	–	16.132		16.132
33.	संगमनेर	–	–	–	22.000	22.000
34.	सांगली		–	–	40.000	40.000
35.	धूले		–	–	40.000	40.000
36.	मुखेड़	–	–	–	12.000	12.000
37.	पचौरा	–	–	–	24.000	24.000
38.	वरौरा	–	–	–	24.000	24.000
39.	भूसावल	–	–	–	53.000	53.000
40.	डेगलूर				24.000	24.000
41.	गांधीगलाज			–	23.000	23.000
42.	परथूर				24.000	24.000
	योग :	218.310	147.960	276.287	316.000	958.557

मणिपुर

1.	जीरीबम्ब	2.920				2.290
2.	काकचीन	2.000				2.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	लामलाई	11.000				11.000
4.	विष्णुपुर	11.000		19.580		30.580
5.	इम्फाल	27.500		12.5000		40.000
6.	लामसंग		15.000			15.000
7.	सेकमाई			25.000		25.000
8.	थोबाल			30.000		30.000
9.	नामबोल·			16.000		16.000
	योग :	54.420	15.000	1 3.080		172.500
मेघालय						
1.	तुरा	4.600				4.600
2.	शोरा	20.000				20.000
3.	नागमारा		15.000			15.000
	योग :		24.600	15.000		39.600
मिजोरम						
1.	लंगलई				20.000	20.000
2.	शेरचिप				11.000	11.000
	योग :				31.000	31.000
नागालैंड						
1.	कोहिमा	1.200				1.200
2.	तुनराग		9.990			9.990
3.	मोकोकचुंग		15.000			15.000

1	2	3	4	5	6	7
4.	जुनेहबोटो	25.000				25.000
5.	मोन		20.000		–	20.000
	योग :	26.200	44.990			71.190
उड़ीसा						
1.	क्योंजझर	8.000	–			8.000
2.	बोलनगिर	1.000	–		–	1.000
3.	पारादीप	18.000	–		–	18.000
4.	कोरापट्ट	20.000	–	–	–	20.000
5.	भवानीपटना	11.250	–	–	–	11.250
6.	केन्द्र पाड़ा	10.000	–		–	10.000
7.	अंगूल	25.000	–	–	–	25.000
8.	जांजपुर रोड	25.000	–	–	–	25.000
9.	बारगढ़	25.000	–	–	–	25.000
10.	रायगड़ा	15.000	–	–	–	15.000
11.	गोपालपुर	20.000	–	–	20.000	40.000
12.	भद्रक	–	20.000	–	–	20.000
13.	सुन्दरगढ़	–	20.000			20.000
14.	जगतसिंहपुर		20.000			20.000
15.	जाजपुर			20.000		20.000
16.	वासुदेवपुर			25.000		25.000
17.	अथाहगढ़			10.000		10.000
18.	जारसुगुडा			35.000		35.000

1	2	3	4	5	6	7
19.	दिगपाहंडी				12.000	12.000
	योग :	178.250	60.000	90.000	32.000	360.250
पंजाब						
1.	गुरूदासपुर		8.620		–	8.620
2.	रोपड़		20.000		–	20.000
3.	फिरोजपुर		20.000			20.000
4.	राजपुरा				24.000	24.000
5.	मलकोटला				11.000	11.000
6.	फरीदकोट				11.000	11.000
	योग :		48.620		46.000	94.620
राजस्थान						
1.	भरतपुर		15.000		12.250	16.250
2.	नागौड़	27.500				27.500
3.	पुष्कर	27.500			18.500	46.000
4.	किशनगढ़	27.500	15.000		3.500	46.000
5.	दौसा		20.000		20.000	40.000
6.	धौलपुर		25.000		–	46.000
7.	सवाई माधोपुर		25.000		–	25.000
8.	नीम बहेरा			25.000	–	25.000
9.	राजसमंद			20.000		20.000
10.	झुनझुनू		–	30.000	–	30.000

1	2	3	4	5	6	7
11.	रतनगढ़			20.000	–	20.000
12.	देवली	–		10.000	–	10.000
13.	विजयनगर		–		15.000	15.000
14.	चकसू		–		18.000	18.000
15.	देवगढ़			–	9.000	9.000
16.	फतेहनगर	–	–		8.000	8.000
	योग :	82.500	100.000	105.000	114.250	401.750
सिक्कम						
1.	रंगपो		–		12.000	12.000
	योग :		–		12.000	12.000
तमिलनाडु						
1.	अरकपोनम	2.340			–	2.340
2.	मदुरंतक्कम		5.025	–	–	5.025
3.	अदीपट्टी	–	7.780	–	–	7.780
4.	पत्तुकोट्टई	–	2.380		–	2.380
5.	अरप्पुकोट्टई	–	6.000	–	–	6.000
6.	अरंतंगी	–	–	–	7.060	7.060
7.	रामानाथपुरम	5.000	–	–	–	5.000
8.	रामेश्वरम	20.000	–	4.408	–	24.408
9.	अरियालूर	24.000		1.000	–	25.000
10.	सत्यमंगतम		3.0440	–	–	3.040
11.	तूतीकोरीन	20.000	2.000		–	22.000
12.	तिरूवेदीपुरम	18.000	–		–	18.000

1	2	3	4	5	6	7
13.	परमाकुडी	27.500	–	–	–	27.500
14.	पंजई – पालियनपट्टी	27.500	–	18.500	–	46.000
15.	तिरूपतुर	27.500	–	–	–	27.500
16.	राशिपुरम	27.500	–	18.500	–	46.000
17.	मम्मलापुरम	25.000	–	–	–	25.000
18.	तिंदीववम	27.500	–	–	–	27.500
19.	विरूदाचलम	27.500			–	27.500
20.	परम्बालूर	–	20.000		–	20.000
21.	कांचीपुरम		20.000		–	20.000
22.	कृष्णागिरी	–	20.000		–	20.000
23.	विल्लूपुरम	–	20.000	–	–	20.000
24.	तिरूतन्नी	–	20.000	–	–	20.000
25.	बारगर	–	–	25.000	–	25.000
26.	इड्डापड़ी	-		20.000	-	20.000
27.	तेकाशी		–	30.000	–	30.000
28.	कुदल्लौर		–	35.000	–	35.000
29.	भवानी	–	–	20.000	–	20.000
30.	कुमारापल्लयम	–	–	25.000	–	25.000
31.	करूचि	–	–	17.000	–	17.000
32.	थिरूथंगल	-	–	15.000	–	15.000
33.	अविनाशी	–	–	–	10.000	10.000
34.	अधिरामपटनम	–	–		10.000	10.000
35.	सल्लूर		–	–	10.000	10.000
36.	सतवाचारी		–	–	10.000	10.000

1	2	3	4	5	6	7
37.	उसीलामपट्टी				15.000	15.000
38.	मनमदुराई	–			15.000	15.000
39.	कोठागिरी			–	6.000	6.000
40.	पिरूवल्लूर	–			9.000	9.000
41.	पन्नैरी				8.000	8.000
42.	पलादग				10.000	10.0000
	योग :	279.340	126.225	229.408	110.060	745.033
त्रिपुरा						
1.	अमरपुर	20.000			–	20.000
2.	बिलोनीया		20.000	–	–	20.000
3.	खोवाई				9.000	9.000
	योग :	20.000	20.000		9.000	49.000
उत्तर प्रदेश						
1.	बाराबंकी	1.000		–		1.000
2.	शामली			16.000	–	16.000
3.	इटावा	24.000				24.000
4.	लखीमपुर	27.500				27.500
5.	सिकन्दराऊ	10.000				10.000
6.	कोंच	27.500	–	–	–	27.500
7.	कैराना	27.500				27.500
8.	मोदीनगर	25.000	–		15.000	40.000
9.	जलेसर	15.000	–	–	–	15.000

1	2	3	4	5	6	7
10.	औरैया	4.000	–		–	4.000
11.	रूड़की	18.000	–		–	18.000
12.	गौंडा	19.000	–		–	19.000
13.	मवाना	–	20.000	–	–	20.000
14.	कोसीकलां	–	20.000	–	–	20.000
15.	सिकन्द्राबाद	–	15.000	–	–	15.000
16.	बिलासपुर	–	20.000	–	–	20.000
17.	मौरानीपुर		20.000	–	–	20.000
18.	चुन्नार		20.000		–	20.000
19.	मुज्जफरनगर		20.000		–	20.000
20.	पिलखुवा				40.000	40.000
21.	थानाभवन				16.000	16.000
22.	कोटद्वार				14.000	14.000
23.	कांधला				12.000	12.000
24.	सिरसागंज				15.000	15.000
	योग :	198.500	135.000	16.000	112.000	461.500
पश्चिम बंगाल						
1.	खड़गपुर	3.460				3.460
2.	मिदनापुर	3.130				3.130
3.	सुरी	4.250			–	4.250
4.	रायगंज	3.390			–	3.390
5.	कोन्टाई				16.660	16.660
6.	आगरा			1.010	–	1.010

1	2	3	4	5	6	7
7.	झरग्राम	25.000	–	–	–	25.000
8.	कालना	26.500	–	–	–	26.500
9.	जंगीपुर	27.500	–	–	–	27.500
10.	अलीपुरदुर	15.000	–		–	15.000
11.	रघुनाथपुर	27.500	–	–	–	27.500
12.	घाटल	–	20.000	–	–	20.000
13.	इस्लामपुर	–	20.000	–	–	20.000
14.	शांतीपुर	–	20.000	–	–	20.000
15.	मुर्शिदाबाद	–	20.000	–	–	20.000
16.	कुर्सियान	–	20.000	–	–	20.000
17.	झालदा	–	–	–	2.000	2.000
18.	माल	–	–	–	5.000	5.000
19.	निरीक	–	–	–	6.000	6.000
20.	चावमा	–	–	–	8.000	8.000
21.	रामपुरहट	–	–	–	12.000	12.000
22.	डायमण्डहरबर	–	–	–	6.000	6.000
23.	नाबद्वीप	–	–	–	9.000	9.000
24.	तामलुक	–	–	–	5.000	5.000
25.	सोनामुखी	–	–	–	5.000	5.000
26.	मथभंगा	–	–	–	7.000	7.000
27.	ए नगर कल्याणगढ़	–	–	–	11.000	11.000
28.	पुराना	–	–	–	7.000	7.000
	योग :	135.730	100.000	1.010	99.660	336.400

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप						
1.	कावारट्टी	25.000				25.000
	योग	25.000				25.000
पांडिचेरी						
1.	पांडिचेरी				20.000	20.000
2.	यानम	28.000				28.000
3.	विलियानूर		20.000			20.000
4.	अरियनकुप्पम				30.000	30.000
	योग	28.000	20.000		50.000	98.000
	अखिल भारत	1910.240	1344.295	1160.000	1950.000	6364.535

औषध और रसायन एककों में कच्चे माल की कमी

6207. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में औषध और रसायन निर्माता एककों में कुछ महत्व पूर्ण कच्चे माल अर्थात नाइट्रिक एसिड, औद्योगिक एल्कोहल, एसेटिक एनहाइड्राइड आदि की भारी कमी हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकट से उनकी रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) औषध और रसायन क्षेत्र में निर्माण करने वाले एककों के लिए कच्चे माल की भारी कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

निर्माण करने वाले एककों में फीडस्टाक की अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करना आसान बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक अल्कोहल पर शुल्क 105 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएं

6208. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1994 95 के दौरान शुरू की जाने वाली नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में रज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों का स्व रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 1993 से एक नई येाजना "प्रधानमंत्री रोजगार येाजना" शुरू की गई है। वर्ष 1993 94 के दौरान इस योजना को केवल शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। वर्ष 1994 95 के दौरान इस योजना को शहरी तथा ग्रामीण सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1994 95 के दौरान योजना में, 2,20,000 उद्यम स्थापित करने की परिकल्पना है। प्रत्येक उद्यम से औसतन दो व्यक्तियों को रोजगार के सृजन की संभावना है।

विवरण

देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1993 से प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) शुरू की गई है।

उद्योग, सेवा और व्यापार के माध्यम से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 लाख माइक्रो उद्यमों की स्थापना करके 10 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना तैयार की गई है। इस योजना में विशेष रूप से उद्यमियों के चयन, प्रशिक्षण और परियोजना (प्रोफाइल) तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना को कार्यान्वित करने में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। यह योजना 1993 94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी और 1994 95 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जब वर्तमान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए मौजूदा स्वरोजगार योजना को भी प्रधानमंत्री की रोजगार योजना में मिला लिया गया।

देश के किसी भी हिस्से में रह रहा शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति, ग्रामीण अथवा शहरी, 18 25 वर्ष के आयु वर्ग में, मैट्रिक (पास) अथवा फेल या आई.टी.आई. पास अथवा कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाला व्यक्ति, कम से कम 3 वर्ष तक इस क्षेत्र का स्थायी निवासी है, परिवार की वार्षिक आय 24,000 रु. से अधिक नहीं है, और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का कर्जदार नहीं है, इस योजना के अधीन सहायता पाने का पात्र है। योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की परिकल्पना की गई। आबंटित लक्ष्य में से 30 प्रतिशत उद्यमों से ज्यादा व्यापार क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए।

व्यक्तियों के मामले में योजना के अधीन 1 लाख रुपये तक की परियोजना शामिल की जाती है। यदि दो अथवा इससे ज्यादा पात्र व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं तो ज्यादा लागत वाली परियोजना को भी शामिल किया जाएगा बशर्ते परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा 1 लाख रुपया अथवा इससे कम हो। उद्यमी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत सीमान्त धनराशि के रूप में नकद देना होगा। ऋण के लिए किसी कलैट्रल गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिगत गारंटी के अलावा इस येाजना के अधीन सृजित परिसंपत्तियों बैंकों में बंधक/रेहन/गिरवी रखी जायेगी। भारत सरकार परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान करेगी जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रु. प्रति उद्यमी होगी। योजना में ऋण मंजूर हो जाने के पश्चात उद्यमी को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है।

स्वापक औषधि नीति संबंधी शुल्क व्यवस्था

6209. **श्री हरिन पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषधि नीति, 1986 के अंतर्गत की गई शुल्क व्यवस्था बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन "बल्क औषध के नाम क्या है जिनका उत्पादन आधारभूत स्थिति तक पहुंचा दिया गया है अथवा जिनके मूल्य शुल्क व्यवस्था लागू करने के बाद कम कर दिए गए हैं।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) प्रशुल्क प्रणाली को समय-समय पर वित्त विधेयकों में दिए गए नीति संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और न कि औषध नीति 1986 के अनुसार जिसमें वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में वित्तीय नीतियों की पूरक भूमिका को मान्यता दी गई है।

(ग) डी पी सी ओ, 1987 की श्रेणी-1 और 2 में सूचीबद्ध अनुसूचित प्रपुंज औषधों के मामले में, जिसका लागत तथा तकनीकी अध्ययन बी आई सी पी द्वारा किया गया है, मूल्यों में निर्माण की अवस्था और निर्माण की उस अवस्था पर लागू वर्तमान प्रशुल्क-दरों को गणना में लेने के पश्चात समय समय पर संशोधन किया जाता है। वर्ष 1993-94 के बजट में घोषित सीमा-शुल्क में कमी की घोषणा के पश्चात्, सरकार ने 17-6-93 से 35 अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कमी की है। इसी प्रकार से इन 35 प्रपुंज औषधों और 40 अन्य प्रपुंज औषधों जिनका पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से, आयात किया गया था, पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों को भी संशोधित अधिसूचित मूल्यों/संशोधित भारित औसत अवतरित लागत को गणना में लेने के पश्चात् जून, 1993 में संशोधित किया गया था।

केरल में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

6210. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति, 1991 की घोषण से फरवरी, 1994 तक सरकार ने केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों के 11 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिनमें 495.78 लाख रुपये का निवेश अंतर्ग्रस्त है। परियोजना के कार्यान्वयन की मानीटरी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) ये प्रस्ताव मुद्रण, पौलट्री निर्यात, मशाले, तेल आदि सीजन्ड रबड़वुड कंपोनेंट्स तथा समुद्री उत्पादों से संबंधित है।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

6211. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब भी कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाना है;

(ख) इन भूतपूर्व सैनिकों को लाभकर रोजगार निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच असहयोग की शिकायतों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 दिसंबर, 1993 को महाराष्ट्र में जिला सैनिक बोर्डों में रोजगार सहायता के लिए 17,092 भूतपूर्व सैनिकों के नमा दर्ज थे।

(ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को लाभकर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में पदों का आरक्षण तथा भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा व शैक्षणिक अर्हता में छूट दिया जाना भी शामिल है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उनके वास्ते विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के उद्यम लगाने में प्रदान करने के लिए कई स्कीमें भी चलाई जा रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंडल आयोग की सिफारिशों पर नियुक्तियां

6212. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर कोई नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों को दी गई रियायतों के अनुरूप परीक्षा संबंधी आवेदन पत्रों में उपयुक्त परिवर्तन करने तथा अपने विज्ञापनों में भी इन रियायतों को दर्शाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ी जातियां वित्त एवं विकास निगम में एक नियुक्ति अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा की गयी है। अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अन्य पिछड़ी जातियों को कोई रियायत अथवा छूट नहीं दी गई है। अतः उन्हें रियायत देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन फार्म में उचित परिवर्तन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

असम में उर्वरक एकक

6213. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में स्थित उर्वरक एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन एककों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयाय करने जा रही है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) असम में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादन एकक हैं, जो सभी नामरूप में स्थित हैं। ये एकक बारम्बार खराबियों, उपस्कर/डिजाइन कमियों, संयंत्रों के पुरानेपन तथा निधि की बाधाओं के कारण कच्चे माल तथा निवेशों की अनुपलब्धि के कारण निम्न क्षमता उपयोगिता पर चल रहे हैं।

(ग) सरकार संभव सीमा तक एच.एफ.सी. को संयंत्रों की मरम्मत, नवीकरण/प्रतिस्थापन तथा आंशिक रूप से कार्यकारी पूंजी की अपेक्षाओं को पुरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, कंपनी को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण

घोषित किया गया है। इन एककों के संबंध में कोई आगामी कार्यवाही बी.आई.एफ.आर. जो कि एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष पड़ी कार्रवाइयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण

6214. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों मे प्रत्येक वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान परियोजनाओ पर कुल कितनी कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) वर्ष 1993 94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन कौन सी अनुसंधान संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय इन अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) वित्तीय सहायता हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के किन किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पटसन के थैलों की पैकिंग

6215. **श्री फूल चन्द वर्मा** :
श्री सी पी मुदान गिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग ने पटसन के थैलों में यूरिया की पैकिंग के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोषित एक स्वशासी निकाय है, ने पैकेजिंग प्रौद्योगिकी (उच्च घनत्व पॉली इथिनीन थैले बनाम जूट थैले) पर जनवरी, 1992 में एक रिपोर्ट निकाली है।

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ कुछ अवलोकन भी प्रस्तुत किए गए, जो निम्नलिखित हैं :

जूट अनुसंधान संस्थान निम्न कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकता है : विविधीकृत जूट उत्पादों, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए नए जूट उत्पादों के उन्नयन और प्रदर्शन, सीमेन्ट यूरिया तथा उर्वरक की पैकेजिंग में पोलीजूट थैलों के अधिक इस्तेमाल, शत प्रतिशत अनाज चीनी तथा तेल बीजों के लिए जूट थैलों में पैकेजिंग तथा इस दिशा में अन्य अध्ययन।

रिपोर्ट का उचित रूप से प्रसार कर दिया गया है।

[हिन्दी]

''मिलियन वेल्स स्कीम''

6212. **श्री संतोश कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से ''मिलियन वेल्स स्कीम'' के संबंध में अनियमितताओं की शिकायते मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य सरकार से सुझाव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सरकारों ने दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत बोर वाले कुओं की अनुमति देने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने यह अनुमति इस आधार पर दी है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी और सामग्री घटकों के बीच 60 : 40 के अनुपात को बनाये रखा जाए और यदि सामग्री घटक अधिक होता है तो उसे अन्य संसाधनों से निधियां जुटाकर पूरा किया जाए। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लक्षित समूह के अतिरिक्त कवरेज को बढाने के सुझाव प्राप्त हुए थे। तदनुसार 1993-94 से इस कार्यक्रम में गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों को शामिल किया गया है और निधियों के निर्धारण को जवाहर रोजगार योजना में राष्ट्रीय स्तर पर आबंटन के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें यह शर्तें हैं कि गैर-अनुसूचित ज़ाति/जनजाति के लाभार्थियों को मिलने वाले वित्तीय लाभ कुल आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

ठेका मजूदर प्रणाली

6217. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अनेक कार्यालयों में श्रम संबंधी कार्य अभी भी ठेका मजदूर प्रणाली द्वारा कराए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे इन मजदूरों को मुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत किसी कार्यालय में श्रम संबंधी कोई कार्य ठेका मजूदरी प्रणाली द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को डी.डी.ए. की दुकानों का आबंटन

6218. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1990-93 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर 703 दुकानों का आबंटन किन-किन शर्तों पर किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा विकलांगों को प्राथमिकता आधार पर दुकानों के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990-93 के दौरान जारी की गई विस्तृत शर्तें तथा निबंध क्रमश संलग्न विवरण I और II के अनुसार है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबंध और निपटान) विनियम, 1968 के अंतर्गत पट्टाधिकार आधार पर अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के सदस्यों को डी.डी.ए. द्वारा निर्मित दुकानों/स्टालों आदि के आबंटन हेतु शर्तें :-

(क) आबंटन हेतु शर्तें

जो व्यक्ति नाबालिग नहीं हैं और ठेका लेने में सक्षम हैं तथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का सदस्य है, वह दुकान/स्टाल/किओस्क के आबंटन हेतु डी.डी.ए. में आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उसे अथवा उसकी पत्नी/पति को डी.डी.ए. द्वारा कोई दुकान/स्टाल आदि आबंटन नहीं किया गया हो आवेदक को अपने अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का सदस्य होने के समर्थन में संबंधित उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2. अभीष्ट आबंटिती के नाम में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. आवेदक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। दिल्ली में उसके निवास के समर्थन में दस्तावेजी सबूत संलग्न करना होगा।

4. आवेदक दुकान/स्टाल आदि के आबंटन हेतु तीन वरीयताएं दे सकता है केवल जगह की पसंद दी जाए। दुकान/स्टाल आदि का सही न. लाटरी से तय किया जाएगा। जिस आवेदन पत्र में जगह की पसंद निर्दिष्ट नहीं की जाएगी उस पर विचार किया जाएगा।

5. विवाहित लोगों के मामले में आबंटन पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा।

(ख) आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करना

1. आवेदन केवल निर्धारित आवेदन पत्र में ही प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा प्राप्त किए गए आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदन पत्र के साथ बयाना राशि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय 2000 रु. का डिमांड ड्राफ्ट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की एक साक्ष्यांकित फोटो प्रति तथा अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आबंटन वर्तमान नियम दरों पर किया जाएगा। यदि किसी विशेष योजना/ शापिंग केंद्र के संबंध में आवेदन पत्रों की संख्या उपलब्ध दुकानों/स्टालों की संख्या से अधिक होगी, तो पात्रता का निर्णय लाटरी के ड्रा द्वारा किया जाएगा।

4. सफल आवेदक के मामले में बयाना राशि उसे आबंटित की जाने वाली दुकान/स्टाल की कीमत में समायोजित कर ली जाएगी, किन्तु असफल आवेदकों को उनकी बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। जमा कराई गई बयाना राशि पर ब्याज का कोई दावा न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही सफल/असफल आवेदकों का कोई ब्याज देय होगा। आबंटन में परिवर्तन यदि कोई हो, की अनुमति किसी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

5. आबंटित परिसरों का कब्जा लेने के समय आवेदक को उस स्रोत का उल्लेख करना होगा, जिसके माध्यम से उसने भुगतान की व्यवस्था की है और दस्तावेजी प्रमाण सहित इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(ग) दुकानों/स्टालों आदि के आबंटन के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करना

6. आबंटन, आवेदक द्वारा वरीयता के क्रम में उल्लिखित स्थान पर लाटरी के ड्रा द्वारा किया जाएगा। तथापि, यह गारंटी नहीं है कि यदि आबंटन अंतिम रूप से कर दिया गया हो तो वह आवेदन पत्र में उल्लिखित केवल वरीयता के अनुसार होगा।

7. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाटरी के ड्रा के परिणाम की पुष्टि किए जाने के बाद सफल आवेदनों को उन्हें आबंटित दुकानों/स्टालों आदि के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। सफल आवेदकों को एक मांग पत्र जारी

किया जाएगा और उन्हें मांग पत्र जारी होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर नकद रूप में अथवा डी.डी.ए. के पक्ष में सैंट्रल बैंक आफ इंडिया/भारतीय स्टेट बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा दुकान के प्राशुल्क की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। मांग पत्र में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लिए जाने वाले ब्याज सहित 24 एक समान किश्तों में ली जाने वाली शेष राशि का भी उल्लेख होगा। मासिक किश्त की राशि का उल्लेख माग पत्र में होगा और यह राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक जमा करानी होगी।

8. यदि आवेदक निर्धारित मासिक किश्तों में आरक्षित मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अनुमत समय में करने में असफल रहता है तो आबंटन रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। आबंटन के रद्द होने के बाद उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. रद्द परिसर को किसी भी व्यक्ति को आबंटित करने के लिए सक्षम होंगे।

9. यदि कोई आबंटिती आबंटन वापस करना चाहे तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। आबंटन में परिवर्तन यदि कोई हो, की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

10. यदि सफल आवेदक आबंटन स्वीकार कर लेता है और मांग पत्र के संदर्भ में प्राशुल्क की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर देता है, किन्तु इसके इसके बाद आबंटित दुकान वापस कर देता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. में जमा कराई गई राशि के 10 प्रतिशत के समकक्ष राशि वापसी प्रभार के रूप में वसूल की जाएगी।

11. दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार यदि कोई आबंटिती कब्जा पत्र जारी होने की तारीख 3 महीने के अंदर दुकान/स्टाल/क्योस्क का कब्जा नहीं लेता तो उस पर निम्नलिखित जुर्माना (पैनल्टी) वसूल किया जाएगा।

दुकान के लिए :	1000 रु. प्रतिमास
स्टाल/क्योस्क के लिए :	500 रु. प्रतिमास

12. दि.वि.प्रा. की निति के अनुसार यदि कोई दुकानदार कब्जा पत्र जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर आबंटित दुकान/स्टाल/क्योस्क में अपना व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करना तो निम्नलिखित जुर्माना (पैनल्टी) वसूल किया जाएगा :

दुकानों के लिए :	1000 रु. प्रतिमास
स्टाल/क्योस्क के लिए :	5000 रु. प्रतिमास

(घ) जमीन किराया

13. स्थान के प्राशुल्क के अतिरिक्त आबंटिती, उसे आबंटित स्थान के लिए कब्जा लेने की तारीख से ..... रु. प्रति वर्ष की दर से वार्षिक जमीन किराए का भुगतान

• करेगा। शापिंग केंद्र की सेवा दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका को सौंपे जाने तक आबंटिती को भू-भाटक की राशि के बराबर रखरखाव प्रभार का भी भुगतान करना होगा। भू-भाटक ओर रखाव प्रभार की राशि प्रति वर्ष अग्रिम रूप देनी होगी।

14. जमीन किराये की दर, दर में उस वृद्धि के अधीन होगी जो पट्टाकर्ता द्वारा तीस वर्ष की अवधि के बाद निर्धारित की जाएगी।

15. सभी विलम्बित भुगतानों पर, पट्टे के अन्तर्गत पुनः प्रवेश अधिकारी पर अधिकारी पर विपरित प्रभाव डाले बिना, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष या दि.वि.प्रा./पट्टाकर्ता द्वारा समय-समय पर अपने संपूर्ण विवेक पर लिए गए निर्णय के अनुसार किसी अन्य दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा। इसका परिकलन मामले की स्थिति के अनुसार पूरे पखवाड़े या महीने के लिए किया जाएगा, उसके किसी भाग के लिए नहीं।

(ङ) पट्टा विलेख और पट्टे की अन्य शर्तें

16. हस्तान्तरण और पट्टा विलेख की निबन्धन एवं शर्तें शाश्वत पट्टे/हस्तांतरण विलेख के फार्म में निर्दिष्ट हैं। आबंटिती को इसमें दी हुई सभी निबन्धनों एवं शर्तों से सहमत माना जाएगा। आबंटिती को जब कहा जाएगा, तब वह उक्त फार्म में पट्टा विलेख निष्पादित करेगा।

17. उक्त पट्टाकृत परिसर का सम्पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षक पट्टाकर्ता/दि.वि.प्रा. के पास रहेगा। जिसके कर्मचारी सभी उचित अवसरों पर उक्त जगह के निरीक्षण करने के हकदार होंगे।

18. पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पट्टाकृत परिसर के व्यवसाय जो शापिंग केंद्र के ले-आउट प्लान में निर्धारित किया गया था, में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

19. दुकान/स्टाल इत्यादि का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट किया गया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

20. पट्टाकृत परिसर का उपयोग केवल आबंटिती द्वारा किया जाएगा। आबंटिती आबंटित पूरे स्थान या उसके किसी भाग के कब्जे का बेचने/अन्तरण करने, समनुदेशित करने से 10 वर्ष तक वर्जित रहेगा और उसे पट्टाकर्ता/दि.वि.प्रा. की लिखित पूर्व अनुमति लेकर तथा अन्तरण की तारीख को लागू नीति दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जित वृद्धि के भुगतान पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अन्तरण करने की अनुमति होगी।

21. तथापि, आबंटिती पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व सहमति से उसके अपने संपूर्ण विवेक के पट्टाकृत परिसर को अनुमोदन के बाद राष्ट्रीयकृत बैंक के पास बंधक रख सकता है अथवा उसे चार्ज कर सकता है।

22. पट्टा विलेख के कागज प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर आबंटिती को स्टाम्प समाहर्ता से विधिवत स्टाम्प लगा पट्टा विलेख वापिस करना होगा।

23. आबंटिती संयुक्त दीवारों सहित पट्टाकृत परिसर को न तो क्षति पहुंचाएगा और न ही क्षति पहुंचाने की अनुमति देगा। पट्टाकृत परिसर पर आबंटिती किसी भी परिस्थिति में मौजूदा ढांचे में न तो कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करेगा और न ही किसी ढांचे का निर्माण करेगा।

24. आबंटिती उक्त परिसर के अंदर अथवा बाहर पशु अथवा वाहन नहीं रखेगा।

25. आबंटिती को दिल्ली नगर निगम, अधिनियम दिल्ली विकास अधिनियम, उपविधि अथवा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों और दिल्ली शॉप एंड एर्स्टविलशमेंट एक्ट के उपबंधों और लागू किसी अन्य कानून का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा।

26. आबंटिती पट्टाकृत परिसर के अंदर और बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो पड़ौसियों अथवा आने-जाने वालों के लिए उपताप एवं क्षोभ का कारण हो।

27. आबंटिती पट्टाकृत परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखेगा और उसमें कोई रोजगार नहीं करेगा अथवा न ही रोजगार करने की अनुमति देगा अथवा पट्टाकृत परिसर में किसी भी व्यक्ति को, जो सांसर्गिक घृणित अथवा संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो, को परिसर में प्रवेश करने अथवा रहने की अनुमति नहीं देगा।

28. आबंटिती को पट्टाकृत परिसर से संबंधित दरों एवं करों, प्रभारों और हरेक प्रकार के निर्धारणों का भुगतान करना होगा, चाहे वह निर्धारित प्रभार हो अथवा स्नान के लिए लगाया गया प्रभार हो अथवा स्नान के लिए लगाया गया प्रभार हो अथवा उससे संबंधित कोई अन्य प्रभार।

29. यदि इसमें निहित किसी शर्त को भंग किया गया तो पट्टा समाप्त कर दिया जाएगा और दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्टाकर्ता द्वारा जगह का कब्जा ले लिया जायेगा और आबंटिती उसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

30. पट्टाकृत परिसर के संबंध में पट्टाकर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी देयताएं भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्राप्त की जायेंगी।

31. यदि दुकान का पट्टा मिथ्यानिरूपण गलत बयानी अथवा धोखे और निहित शर्तों को भंग करके प्राप्त किया जाता है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण/पट्टकर्ता द्वारा पट्टा जब्त कर लिया जाएगा और दुकान का कब्जा वापस ले लिया जाएगा और आबंटिती किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

32. दुकान के आगे बरामदे की व्यवस्था लोगों के आने-जाने के लिए की गई है और पट्टेदार उस पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही बरामदे का किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा।

33. प्रदर्शन पट्ट (डिस्प्ले बोर्ड) नियत स्थान पर लगाए जायेंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

34. दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना दुकान में कोई परिवर्तन/अदला बदली/आबर्द्धन नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में शटर को अपनी वर्तमान जगह से नहीं बदला जाएगा।

(च) लागत एवं अंतरण शुल्क

35. पट्टाविलेख और उसकी प्रतियों पर मोहर लगवाने और पंजीकृत करवाने तथा अन्य आकस्मिक खर्चों की लागत एवं व्यय का भुगतान आबंटिती द्वारा किया जायेगा। आबंटिती को दिल्ली नगर निगम द्वारा अचल संपति पर लगाए जाने वाले अंतरण शुल्क अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य शुल्क और प्रभार का भी भुगतान करना होगा।

हम/मैं उपर्युक्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं/करता हूं।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवसीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शाश्वत पट्टाधारिता आधार पर निर्मित दुकानों/स्टालों के आबंटन के निबंधन और शर्तें।

1. पात्रता

(i) आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद वार्षिक आधार पर, आबंटन किया जाएगा।

(ii) आवेदक पिछले पांच सालों से दिल्ली का मूल निवासी आवश्यक होना चाहिए।

(iii) शारीरिक विकलांगता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) शारीरिक विकलांगता के संबंध में आवेदक को सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) स्थानीय बाजारों सुविधा बाजारों में आबंटित की जाने वाली दुकानों का आकार 20 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगा।

(vi) आवेदक को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने संघ शासित राज्य दिल्ली में इस श्रेणी में किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई दुकान प्राप्त नहीं की है।

2. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना

(i) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ बयाना राशि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में 5000 रु. का बैंक ड्राफ्ट, राशन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति और सरकारी अस्पताल द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति भी जमा करवानी चाहिए।

(ii) आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तारीख....... तक होगी और आवेदन पत्र इस तारीख के.......बजे तक जमा करवाये जा सकेंगे।

3. दुकानों/स्टालों का आबंटन

(i) दुकानों/स्टालों का आबंटन पात्र आवेदकों में से लाटरी के ड्रा द्वारा किया जायेगा।

(ii) जहां तक संभव होगा आबंटन दुकानों की उपलब्धता के अंतर्गत उसी जोन में किया जायेगा जिसमें आवेदक का घर होगा। यदि पर्याप्त संख्या में दुकानें उपलब्ध न होने के कारण दुकान का आबटन उसी जोन में नहीं किया जाता है जिसमें आवेदक का घर है तो दुाकन की अवस्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iii) ड्रा के पूरा होने के बाद सफल आवेदक के आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की विस्तृत जांच की जाएगी।

(iv) आबंटन समक्ष प्राधिकारी की पुष्टि के अधीन किया जायेगा।

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन की पुष्टि करने और सफल आवेदक के आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की विस्तृत जांच के बाद सफल आवेदक को दुकान के आबंटन की लिखित सूचना दी जायेगी। आवेदक को दुकान के प्राशुल्क को दर्शाने वाला मांग पत्र भेजा जायेगा। आवेदन को यह प्राशुल्क इस मांग पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमा करवाना होगा।

(vi) किसी भी परिस्थिति में प्राशुल्क का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साराप्राशुल्क का भुगतान एकमुश्त करना होगा और उसके किश्तों में भुगतान करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(vii) ऐसा समझा जाएगा कि आबंटिती ने पट्टा विलेख के निबंधन एवं शर्तों और आबंटन के निबंधन एवं शर्तों को मान लिया है।

(vii) भुगतान में चूक करने अथवा विश्वास भंग करने अथवा आबंटन के किसी निबधन एंव शर्त का अनुपालन न करने अथवा गलत बयानी करके आबंटन प्राप्त करने अथवा तथ्यों को छिपाने के मामलों में आबंटन रद्द कर दिया जायेगा और बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। इस संबंध में उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का निर्णय अंतिम होगा और किसी कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(ix) यदि कोई सफल आवेदक इस श्रेणी के अंतर्गत आबंटित दुकान स्वीकार नहीं करता है तो वह दुकान को वापस (सरेण्र) कर सकता हैं यदि दुकान को वापिस (सरेण्डर) किया जाता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि दुकान का प्राशुल्क जमा करवाने के बाद दुकान के आबंटन को वापिस (सरेण्डर) किया जाता है तो दुकान के प्राशुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर राशि पैनल्टी के रूप में और काटी जायेगी और बकाया राशि को बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दिया जायेगा।

(x) किसी भी आधार पर, चाहे कोई भी हो, आबंटन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(xi) मांग-पत्र के साथ प्रस्तावित हस्तांतरण एवं पट्टा विलेख की चार प्रतियों सहित स्थल योजना की प्रति आबंटिती को भेजी जाएगी ताकि वे स्टाम्प समाहर्ता के यहां से हस्तांतरण एवं पट्टा विलेख कागजों पर स्टाम्प लगवा सकें। दुकान का कब्जा स्टाम्प समाहर्ता के कार्यालय से हस्तांतरण एंव पट्टा विलेख दस्तावेजों पर विधिवत रूप से स्टाम्प लगवाकर प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जायेगा।

(xii) दुकान के प्राशुल्क के पूरे भुगतान और हस्तांतरण एवं पट्टा विलेख दस्तावेजों पर विधिवत रूप से स्टाम्प लगवाने और अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत के बाद आबंटित दुकान के स्थल पर कब्जा सौंपने के समय एंव तारीख को दर्शाने वाला कब्जा पत्र जारी किया जायेगा। यदि कब्जा पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार दुकान का कब्जा नहीं लिया जाता है तो निम्नलिखित पैनल्टी देनी होगी।

दुकानों के लिए :	1000 रु. प्रतिमास
स्टालों/क्योंस्कों के लिए :	500 रु. प्रतिमास

(xiv) आबंटिती को कब्जा पत्र के जारी होने के तीन महीने के अंदर दुकान खोलनी होगी। ऐसा न करने पर दुकान का आबंटन रद्द भी किया जा सकता है और निम्नलिखित पैनल्टी अदा करनी पड़ेगी :-

दुकानों के लिए :	1000 रु. प्रतिमास
स्टालो/क्योस्कों के लिए :	500 रु. प्रतिमास

यदि आवेदक आबंटन के ड्रा में सफल नहीं होता है तो उसकी बयाना राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

6219. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** 16 मार्च 1994 के तारांकित प्रश्न सं. 279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के समय बिहार में प्रत्येक योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1994 तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) बिहार के लिए 1994-95 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय और उसका योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए प्रस्तावित परिव्यय में केंद्र का भाग कितना है, 1993-94 तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई तथा 1994-95 के लिए केंद्र द्वारा कितना आबंटन करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्यय/खर्च का विवरण संलग्न है।

(घ) इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्यागिकी सचिवालय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति सहायक स्टाफ तथा संबंध कार्यालय खर्चों के लिए भी फंड उपलबध कराया जाता है। 1992-93 तथा 1993-94 के लिए क्रमशः 7.30 लाख रुपये तथा 8.15 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। 1994-95 के लए 8.50 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	8वीं योजना 1992-97 का आउट-ले	31-3-1994 तक वास्तविक व्यय	1994-95 में प्रस्तावित
1	2	3	4	5
1.	बिहार वि. और पी. परिषद	50.00		10.00
2.	सुदूर संवेदक केंद्र	66.00		20.00
3.	उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र	100.00		15.50
4.	अ. और वि. को सहायता	108.00		10.00
5.	कम्प्यूटर सेवाएं	30.00		14.00
6.	इंदिरागांधी विज्ञान तथा प्लैनिटोरियम काम्प्लेक्स	250.00	119.00	33.00
7.	जिला विज्ञान केंद्र	70.00		10.00
8.	विज्ञान लोकप्रियकरण	26.00		09.00
9.	प्रयोक्ता विभागों तथा स्रोत संगठनों के साथ समन्वय	18.00		02.50

1	2	3	4	5
10.	उद्यमवृत्ति विकास	34.00		05.00
11.	श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र	30.00		10.00
	कुल योग	782.00	119.00	139.00

[हिन्दी]

गुजरात की विकास दर

6220. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की आर्थिक विकास दर अन्य राज्यों की विकास दर की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ख) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की कुल विकास दर क्या थी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1990 93 वर्षों के दौरान, जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात के नेट राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर संलग्न विवरण में दी गई है, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, और पश्चिम बंगाल की इन तीन वर्षों की वृद्धि दर गुजरात की वृद्धि दर से अधिक है।

विवरण

औसत वार्षिक वृद्धि दर (1990-93)

क्र.सं.	राज्य	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.67
2.	असम	5.72
3	बिहार	1.45
4	गोआ	3.73
5	गुजरात	3.84

1	2	3
6.	हरियाणा	5.31
7.	कर्नाटक	4.82
8.	केरल	7.18
9.	मध्य प्रदेश	4.78
10.	महाराष्ट्र	3.56
11.	मेघालय	10.21
12.	उड़ीसा	0.60
13.	पंजाब	3.59
14.	उत्तर प्रदेश	2.68
15.	पश्चिम बंगाल	4.56

टिप्पणी : अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, और दिल्ली के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश को सहायता

6221. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड) पहाडी क्षेत्रों के लिए सहायता, राज्य के पिछडे जिलों के विकास के मुद्दो

पर राज्य की वार्षिक योजना 1994-95 को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया था तथा अनुमोदित फार्मूलों तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर राज्य को केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया गया था। राज्य का फार्मूला आधारित सकल केन्द्रीय सहायता का आबंटन वर्ष 1991-92 में 1081.57 करोड़ रुपये 1992-93 में 1142.71 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1993-94 में 1192.80 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 1994-95 के लिए यह आबंटन 1292.80 करोड़ रूपये है।

बिहार सरकार को भारत सरकार मुद्रणालय केराल्टी की भूमि के एक हिस्से का आबंटन

6222. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार को भारत सरकार मुद्रणालय केराल्टी की भूमि का एक हिस्सा आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976) के अन्तर्गत फालतू भूमि

6223. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम अधिनियम, 1976) के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि फालतू घोषित की गयी है;

(ख) सरकार ने वास्तव में कितने एकड़भूमि को अपने अधिकार में लिया है; और

(ग) अगामी तीन वर्षों के दौरान इस भूमि पर गरीबों के लिए मकान निर्माण की क्या योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत अब तक 35,217 हैक्टेयर भूमि फालतू घोषित की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने 3,637.92 एकड़ भूमि अपने कब्जे में ले ली है।

(ग) केन्द्र सरकार ऐसी सूचनाओं का संकलन नहीं करती क्योंकि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अमरीका के जी.ई. मेडीकल सिस्टम के सहयोग से भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम लगाना

6224. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों और व्यापार में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्षमता उपयोग, वास्तविक उत्पादन कारोबार और गत तीन वर्षों के दौरान भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के पुणे स्थित एककों में उपकरण से संबंधित एक्स रे ट्यूबों से हुए लाभ का ब्यौरा क्या है और 1994-95 के लिए कितना अनुमानित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का विचार अमरीका के जी.ई. मेडीकल सिस्टम के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम लगाने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संयुक्त उद्यम की स्थापना से कौन-कौन से लक्ष्य पूरे किए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख)

(लाख रुपये में)

	उत्पादन	कारोबार	लाभ
1991-92	383	470	36
1992-93	639	759	44
1993-94 (अनन्तिम)	611	748	43
1994-95 (योजनावद्ध)	539	822	54

पिछले तीन वर्षों में क्षमता उपयोग 80 से 85 प्रतिशत तक रहा।

(ग) से (ङ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड एक्स–रे ट्यूबों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक मेडिकल सिस्टम (जीईएमएस) यू.एस.ए. के साथ एक करार करने

के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है। संयुक्त उद्यम लगाने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक विचार-विमर्श भी किया गया है।

राजस्थान में जलापूर्ति

6225. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार के झुझनू, चुरू, और गंगानगर की लवणीय पट्टी को जलापूर्ति के लिए परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस योजना को कब तक मंजूरी दे देगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में 11 कस्बों और 956 गांवों को कवर किया गया है। परियोजना को जर्मन सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था। जर्मन मिशन द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किए जाने के परिणामस्वरूप 253 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पहले चरण में गंगानगर के 113 गांव तथा चुरू जिले के 212 गांव तथा सरदारशहर और तारानगर के 2 कस्बों को शामिल किया जाएगा।

(ग) परियोजना समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है।

रोजगार के अवसर

6226. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में कृषि का विकास सभी नये श्रमिकों को रोजगार देने के लिए अपर्याप्त होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने को अधिक प्राथमिकता देनी होगी;

(ग) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) यह सच है कि कृषि विकास श्रम बाजार के सभी नए प्रवेशियों का आकलन करने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं होगा और बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने के लिए गैर-कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में रोजगार अवसरों की तेजी से वृद्धि आवश्यक होगी। तदनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 8वीं योजना अवधि के दौरान सृजित किए जाने वाले संभावित 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों में से लगभग 26 मिलियन गैर कृषि सेक्टर, मुख्यतः सेवाओं, उत्पादन

और निर्माण क्षेत्रक में होंगे। सरकार ने इन सेक्टरों में विकास में तेजी लाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों में प्रतिबंध हटाने और उदारीकरण के कई उपाय किए हैं।

निर्धन ग्रामीण

6227. **श्री डी.के. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कराए गए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण निर्धन (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग) 10 प्रमुख राज्यों में रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट में अन्य किन बातों का पता चला है, और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1991-92 में 10 बड़े राज्यों में जवाहर रोजगार योजना का त्वरित अध्ययन किया था। इस अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण गरीबों में से 90 प्रतिशत लोग 10 बड़े राज्यों में रहते हैं। तथापि, गरीबी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर (1987-88) के परिणामों पर आधारित हैं।

(ख) इस त्वरित अध्ययन में पता लगाये गये अन्य बिन्दुओं को संलग्न विवरण I में दर्शाया गया है।

(ग) ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों तथा ऐसे क्षेत्रों, जहां पर बेरोजगार और अल्परोजगार वाले लोगों की बहुतायत है, में रोजगार के और अधिक अवसर जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जवाहर रोजगार योजना का देश के 120 पिछड़े जिलों, जिनका चयन योजना आयोग के साथ सलाह मशविरा करके किया गया है, में गहन कार्यान्वयन किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों के उपयोग तथा जवाहर रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछेक अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा जवाहर रोजगार योजना के बारे में त्वरित अध्ययन में पता लगाये गए बिन्दु :

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए रोजगार के श्रम दिनों का अनुपात कुल सृजित रोजगार के श्रम दिनों का 50 प्रतिशत से अधिक था।
2. जिला स्तर पर रोजगार सृजन में महिलाओं का अंशदान 22 से 25 प्रतिशत तक था। तथापि, चुनिंदा ग्राम पंचायत स्तर पर यह सिर्फ 15 से 18 प्रतिशत तक था।

3. 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध निधियां सिर्फ अंतिम तिमाही के दौरान ही इस्तेमाल की जा रही है तथा प्रमुख कार्य अंतिम तिमाही के दौरान शुरू किए जा रहे हैं जो कि जवाहर रोजगार योजना की अवधारणा के विरूद्ध हैं।

4. चुनी हुई 40 ग्राम पंचायतों में से 1989-90 में दो ग्राम पंचायतों ने तथा 1990-91 में 6 ग्राम पंचायतों ने निधियां बिल्कुल भी खर्च नहीं की थीं। 1991-92 की पहली छमाही में 19 ग्राम पंचायतों ने निधियों के उपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी थी।

5. जिन ग्राम पंचायतों ने निधियों का इस्तेमाल किया, वे भी 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान एक व्यक्ति को क्रमशः 11.44 तथा 15.68 दिनों का औसत रोजगार मुहैया करा पायीं।

6. 56 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं थी।

7. चुने हुए 89 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया था कि सृजित परिसंपत्तियां उपयोगी थीं।

8. चुने हुए राज्यों/जिलों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

9. चुने हुए राज्यों में से 30 प्रतिशत राज्यों ने सूचित किया था कि पक्के कार्यों के संबंध में निर्धारित मजदूरी सामग्री औसत उपयुक्त स्वरूप का नहीं था और यह कि पर्यवेक्षण और निगरानी पर्याप्त नहीं थी।

10. चुने हुए 40 प्रतिशत राज्य खंडस्तर पर तकनीकी स्टाफ की कमी का सामना कर रहे हैं।

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना की निधियों के उपयोग तथा इसके प्रभावी निष्पादन के संबंध में 1993-94 में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किये गये हैं :

1. कम-से-कम 2546 करोड़ रुपये, जो वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के लिए संशोधित बजट आबंटन था, के आधार पर एक वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के तहत आबंटित निधियों की 75 प्रतिशत निधियां, अब निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार व्यापक रूप से देश भर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल की जाएंगी।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नीवनतम परिणामों के आधार पर नवीनतम उपलब्ध गरीबी आकलनों के अनुसरण में देश में कुल ग्रामीण आबादी और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियां आंबटित की जानी जारी रहेंगी। तथापि किसी जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के

साथ राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के अनुपात को समान तरजीह देने तथा कृषि मजदूरों के प्रतिव्यक्ति उत्पादन आधार पर तैयार किये गये पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार राज्य से जिलों को निधियों का आंबटन किया जाएगा।

3. जवाहर रोजगार योजना की उपयोजनाएं अर्थात् दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना जारी रहेगी। तथापि, दस लाख कुओं की योजना के लिए निधियों को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर-अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले कुछ वित्तीय आबंटन के लाभ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मकानों के निर्माण के लिए निधियों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा तथा इसमें गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर-अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों (मुक्त बंधुआ मजदूरों को छोड़कर) को मिलने वाले लाभ कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हों।

4. कम-से-कम 700 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत निधियां देश के विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े जिलों, जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की अधिकता है, में गहन जवाहर रोजगार के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल की जाएंगी। इस प्रयोजन हेतु, संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां दी जाएंगी जो जिलों में अत्यधिक बेरोजगारी और अल्परोजगारी वाले क्षेत्रों का चयन करेंगी ताकि इन क्षेत्रों में गहन जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जा सके।

5. अधिकतम 75 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की पांच प्रतिशत निधियां ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना महिला रोजगार में वृद्धि करना है, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर रोक लगाना तथा वाटरशैड विकास/बंजरभूमि विकास करना है जिसके परिणामस्वरूप सतत् रोजगार प्राप्त होता है।

6. मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक के लिए खर्च को विद्यमान 60.40 के अनुपात में रखा गया है लेकिन कुल मजदूरी के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के आधार पर अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति है।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

6228. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, चंडीगढ़ ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ख) इन कार्यक्रमों पर उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य निष्पादन इस प्रकार रहा :

	वर्ष		
	1990-91	1991-92	1992-93
उत्पादन (रुपये करोड़ में)			
ग्रामोद्योग	3.85	4.25	4.51
रोजगार (संख्या लाखों में)			
ग्रामोद्योग	0.01	0.01	0.01

परन्तु चण्डीगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कोई खादी कार्यक्रम नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने चंडीगढ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को किया गया वितरण इस प्रकार है :

	वर्ष		
	1990-91	1991-92	1992-93
वितरण (रुपये लाखों में)			
ग्रामोद्योग अनुदान	0.07		—
ऋण	6.08	9.47	10.80

मेगा सिटी विकास कार्यक्रम

6229. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में मेगा सिटी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 20 करोड़ रुपये के तुल्य धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने, 8वीं तथा 9वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली 805 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की बंगलौर मेगा शहर परियोजना का प्रस्ताव किया है। वर्ष 1994 95 के दौरान मेगा शहर परियोजनाओं के लिए कुल 75 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय में से बंगलौर परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। तथापि, धनराशि का दिया जाना 1994-95 के दौरान क्रियान्वयन हेतु ली जाने वाली परियोजना के अन्तिम आकार तथा अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा।

लघु उद्योग आधुनिकीकरण कोष

6230. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विकास के लिए लघु उद्योग आधुनिकीकरण कोष का गठन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। लघु उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी निधि की स्थापना नहीं की गयी है। किन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात् सिडबी और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे अन्य कुछ बैंकों ने लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

राजीव गांधी पेय जल मिशन

6231. **डा. साक्षी जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत राज्य के गांवों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी-भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पौडी जिले के लिए दो और पिथौरागढ़ जिले के लिए 9 जल सप्लाई योजनाएं क्रमशः 16 लाख रुपये और 185 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई थी। टिहरी जिले के लिए 5 योजनाएं, पौडी जिले के लिए 2 योजनाएं और चमौली जिले के लिए एक योजना राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति के लिए यू.पी. जल निगम को लौटा दी गई थीं। उन्नाव जिले के अधिक फ्लोराइड से प्रभावित 616 गावों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई हेतु 3170.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना अनुमोदित की गई

है जिसमें से राज्य सरकार को 1585.30 लाख रुपये रिलीज कर दिये गये हैं। आगरा, सुलतानपुर, और उन्नाव जिलों में मिनी मिशन परियोजना की संशोधित लागत हेतु प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गये थे और 1993-94 में क्रमशः 70 लाख रुपये, 40 लाख रुपये और 60 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतू कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

महाराष्ट्र में संयुक्त उद्यम

6232. **श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु विदेशों के साथ 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुछ समझौते किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों को शुरू करने के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु विदेशी फर्मों के साथ अनुमानित समझौतों के ब्यौरे नहीं रखे गये थे। फिर भी, वर्ष 1993-94 (फरवरी, 94) तक के दौरान अनुमोदित संयुक्त उद्यम प्रस्तावों के ब्यौरे, जैसे भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, निर्माण की मद और अनुमोदित विदेशी निवेश राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं जो परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती हैं जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना में अलग-अलग होती है।

विवरण

अप्रैल 1993 से फरवरी, 1994 तक स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहयोग संबंधी मामलों की सूची

क्र. सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि (रुपये लाख में) (प्रतिशत इक्विटी)
1	2	3	4
		भारत-आस्ट्रेलिया	
1.	मलपानी नर्सिंग होम, बम्बई	सिडनी आईवीएफ पीटीवाई लिमिटेड 187 मसकरी स्ट्रीट, सिडनी, एनएसडब्ल्यू 2000	8.00 (40.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करना	स्थापना--स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
2.	प्रीसीजन फायल्स प्रा.लि. 9 बंबई म्यूचुअल बिल्डिंग पी एम रोड, बंबई	माइक्रो पैकेज्रिंग इंजी. पीटीवाई. लि. 3 ईस्ट स्ट्रीट, लिडकाम्ब्रे एनएसडब्ल्यू 2141 आस्ट्रेलिया	20.00 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : धातुकर्मी उद्योग	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
		भारत-आस्ट्रिया	
3.	होयरबीगर इंडिया प्रा.लि. आर पी जी इंडस्ट्रीज, 463, डा. अम्बेडकर रोड, बंबई	होयरबीगर वेटिलवर्के एजी, आस्ट्री	179.80 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : विद्युत उपकरण	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
		भारत-बहरीन	
4.	अल्पिक फाईनेंस लि.	बैंक आफ बहरेन एंड कुवैत बीएससी, बहरेन	90.00 (30.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : नान–बैंकिंग के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करना	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
		भारत-बेल्जियम	
5.	पी आर इक्यूपमेंट लि. वेंकटेश्वर हाऊस, 114/ए/2 सिंहगढ़ रोड, पुणे–411030	मैसर्स रोक्सेल एन वी, बेल्जियम इंडस्ट्रियलान, 13,9900 मलंडेगम, बेल्जियम	67.50 (45.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : आटोमेटिक फीड कन्वेटर्स (ब्रीडो मैट) एंड (मीनीमैक्स)	स्थापना–स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
		भारत-फिनलैंड	
6.	फिनलैंडिया कटलरी प्रा.लि. आर्यभूषण भवन, 915/2, फरगुसन कोल रोड, पुणे–411004	मैसर्स फिसकर ओ वाई ए बी, फीनलैंड 235,00101 हेलेसिंकी, फिनलैंड	12.00 (24.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : चाकू	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

		भारत-फ्रांस	
7	प्रीमियर आटोमोबाइल लि. पहला तल जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	मैसर्स आटोमोबाइलस पेंगोट, फ्रांस	12000.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद विवरण यात्री कारें	स्थापना स्थल–थाणे (महाराष्ट्र)	
8.	मफतलाल लुब्रिकैंट लिमिटेड तीसरा तल, मफतलाल सेंटर, नरीमन प्वाइट, बम्बई–400021	मोटल एस.ए., 119 बुलेबर्ड फेलिक्स फोरे 93303 ऐबरविलर्स	120.00 (30.00 प्रतिशत)
	मद विवरण आटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकैटिंग आयल्स ग्रीस	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	
9	मूले इजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सोमाली 49/ए/4/इरांडा पुणे	आरईआर कंपनी लि. एस्पेस एट रू योन, लग 69310 पिरै बेनिट	2.00 (0.00 प्रतिशत)
		भारत-जर्मनी	
	मद विवरण औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
10.	पर्ल इजीनियरिंग पॉलीमर्स लि. 600, रोहित हाउस, 3, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	मैसर्स मेटलगेसलल्सचाफ्ट एजी, जर्मनी रूटरवेज्ड 14, 6000 फ्रैंकफर्ट ए.एम, जर्मनी	800.00 (24.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : पालीएथलीन टेरेपथेलेट	स्थापना–स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
11.	केतीन दलाल, मार्फत अरविंद पी. दलाल एंड एसोसिएट, 91–सी, मित्तल टावर, नरीमन पावइन्ट	बारमाग एजी, लवरकुसर स्ट्रासे 6 डी 5630 रेमसचेड–लेन, जर्मनी	500.00 (100.00 प्रतिशत)
	मद विवरण विस्कोस फिलामेंट स्पीनिंग में प्रयोग होने वाले विस्कोस पंप	स्थापना–स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
12.	किर्लोस्कर ऑयल इंजिन लि. एल के रोड, खड़की, पुणे	डेवट–2–मोटर इंडस्ट्रीमोट्रेन, जीई	0.50 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : निर्यात–व्यापार	स्थापना–स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
13.	–	एसएमएस–स्क्लोमन सीमार्ग एजी, जर्मन स्व्वेसफोर्थ 8,57,271 हिल्घेनबाच, जर्मनी	255.00
	मद विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
14.	प्रमोद लाथ, फ्लैट नं. 1, 31 वोडहाउस रोड, कोलाबा	हेंसधेल एक्सपोर्ट्स, जीएमबीएच, जर्मनी	47.50 (10.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : डिहाइड्रेटेड ऑनियन	स्थापना–स्थल : नासिक (महाराष्ट्र)	
15.	स्थलाफहार्स्ट मार्केटिंग कं. लि. मफतलाल सेंटर, 8वां नरीमन प्वाइंट, बंबई–400021	मैसर्स रेनेर्स वर्वाल्टुंगस्गेसेल्सक ब्लूमेनबर्गर एसटीआर, 14 डी–41061, मार्चेगलाडबीच	20.00 (33.33 प्रतिशत)
	मद का विवरण : तकनीकी एवं विपणन विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
16.	पदमाटैक्स इंजीनियरिंग लि. मफतलाल सेंटर, 8वां नरीमन प्वाइंट बंबई–400021	रेनेर्स वर्वाल्टूंगस्गेसेल्सकचाफ्ट ब्लूमेनबर्गर एसटीआर 143 डी–41061 मार्चेगलाडब, जर्मनी	58.40 (55.51 प्रतिशत)
	मद विवरण : आटोमेटिक कोन बाइंडिंग एमए जैसे टैक्सटाइली मशीनरी	स्थापना–स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

17.	न्यूमैग एससीबी इंडिया प्रा.लि. एसीबी कम्प्लैक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट) बंबई–400063	न्यूमैग न्यूमनस्टर्सच मसचीनेन–क्रिश्चन स्ट्रेब 160 2350 न्यूमनस्टर, जर्मनी	5.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : तकनीकी परामर्श/सेवा प्रदान करने के लिए	स्थापना स्थल : ग्रेटर बम्बई (महाराष्ट्र)	
18.	होचेस्ट इंडिया लि., होचेस्ट हाउस, नरीमन प्वाइंट, बैकवे रिकलैमेशन, बंबई–400021	होचेस्ट एजी, जर्मनी	129.00 (51 प्रतिशत)
	मद विवरण : बल्क ड्रग्स एंड फार्मेलेशन	स्थापना स्थल–ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
19.	हेल्म इंडिया प्रा.लि., 72/73, 7वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, बंबई–21	हेल्म एजी, नार्डकनालस्ट्रेसे, डी 20097, हम्बर्ग, जर्मनी	1002 (51.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी लाने के लिए	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
20.	हाइडेक–हाइकाम (इंडिया) प्रा.लि. 114, महावीर इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी (ईस्ट), बंबई	बाव बेटेलिगन्स एंड वरवाल्टंग्स पोस्टफैच 1126, 66272, शुल्जबच/सार जर्मनी	7.65 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : महाराष्ट्र	
21.	डेमाग किर्लोस्कर कंप्रेसर प्रा. हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे	मनेसमान डेमाग एजी, पोस्टैफ्च 10 15 07 डी–47015, ड्यूसबर्ग	24.50 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
		भारत-हांगकांग	
22.	श्री आर एच पाटिल इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट, बैंक आफ इंडिया, बंबई	मैसर्स एसीपी होल्डिंग्स, हांगकांग	1000.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : वित्तीय सेवाएं	स्थापना स्थल : गेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
23.	आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लि. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर–1, 18वां तल, कफ परेड, बंबई–400005	पेरेग्राइन कैपिटल लि., 23वां तल, न्यू वर्ल्ड टावर, 16–18, क्वीन्स रोड	160.00 (5.30 प्रतिशत)
	मद का विवरण : वित्तीय सेवाएं	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
		भारत-हंगरी	
24.	सिरामेट कंसल्मेंट प्रा.लि. 204, नीलम, सी फेस रोड, वर्ली बंबई–40018	मैसर्स के.पी. इंटरसिलिकेट इंजिनियर मोनोस्टारी यू 23, एच–1031 बुडापेस्ट हंगरी	1.47 (49.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : तकनीकी जानकारी विपणन उत्पाद प्रदान करना	स्थापना–स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
		भारत-आयरलैंड	
25.	चटेयू इंटरनेशनल प्रा.लि. एफ/48, भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–1	डेल्टीक मैनेजमेंट लि. 9 क्लेयर स्ट्रीट डब्लीन 2, आयरलैंड	16384.00 (71.00 प्रतिशत)

	मद का विवरण : पांच/सात सितारा होटल–कम–कंपनी की स्थापना और प्रयोग करना	स्थापना–स्थल : ग्रेटर बंबई–महाराष्ट्र	
	भारत-इजरायल		
26.	मनीश कुमार केजरीवाल, प्रभात बिल्डिंग, टाप फ्लोर, बी रोड, चर्च गेट, बंबई–20	हदर नर्सरीज, इजरायल	139.50 (75.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : प्लांटिंग मटेरियल एंड फाइलेज– कारनेशन फ्लावर्स	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
	भारत-इटली		
27.	यूटेनसीली डायमाटाटी मार्फत प्रोफिटेक, 3, शिवालिक ए. मराठे मार्ग, प्रभादेवी, बंबई–2	मैसर्स एस.ई.ए. यूटेनसिलीडायमाटाटी,	12.00 (100.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : डायमंड्स टूल्स	स्थापना स्थल–ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
28.	--	रेमोन्डी इंटरनेशनल एसआरएल, इटली वाया 25 अप्रैल, 32,20027, रेस्काल्डिना मिलान, इटली	112.36 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	
29.	गणेश वैली फूड लि., 5–भास्कर मेसन 31, शीतला देवी टेंपल, माहिम, बंबई–16	इम्पियांटी ब्रेवेटी सर्वजी एस.आर. इटली	192.00 (16.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : मौसम के ताजा फलों के जूस/सांद्र लुग्दी	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
30.	डिमेक इंडिया प्रा.लि. 19–20, रेंनुकांगड़ी, पुणे–सतारा रोड, पुणे	ड्यूमेक, एसएनसी वाया डांते, द्वितीय 52025 मोटेवार्ची, अरेजो, इटली	49.94 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : परिवहन	स्थापना स्थल : सतारा (महाराष्ट्र)	
	भारत-जापान		
31.	पैटसपीन इंडिया लि. तीसरा तल, पटेल टावर्स, रविपुरम, एम.जी. रोड, कोच्ची–682016	मैसर्स इटोचू कारपोरेशन, जापान	406.00 (19.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : सूती धागे	स्थापना स्थल : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	
32.	पुनीत रेजीन प्रा.लि. 65, अटलांटा, नरीमन प्वाइंट, बंबई–21	मैसर्स सेदाई कासे कार्पोरेशन, 1600 तमेगाई अजूमा सावागुन गुनमा, जापान	155.00 (25.80 प्रतिशत)
	मद का विवरण : रबर पार्टस	स्थापना स्थल : नासिक (महाराष्ट्र)	
33.	एडवांस्ड बायो–केमिकल लि. 106, धनलक्ष्मी इंडस्ट्रियल, एस्टेट ओल्ड आगरा रोड, थाणे	मैसर्स हिगुसी इंक. जापान ताकानावा इम्पायर बिल्डिंग, ताकानावा मिनोटो कू, टोक्यो	100.33 (12.50 प्रतिशत)
	मद का विवरण : केटेलिस्ट	स्थापना स्थल : नासिक (महाराष्ट्र)	
34.	गामा रेज ट्रांसमिशन लि. 58 गोवा स्ट्रीट (एस बी पथ) दूसरा तल, जीपीओ के पास, बंबई	डायनेस्टी ग्रुप एशिया लि. एस–3, मिडोरी–1 चोम, सुमिडा–कू, टोक्यो, जापान	(104.87) (0.00 प्रतिशत)

	मद का विवरण : बिजली के उपकरणं	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र	
35.	—	सुमिटोमो कार्पोरेशन, जापान 2–2 हिटोदुटसुवासी, 1–चोमे चियोडा कु टोक्यो; जापान	5.78 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण–: रसायन	स्थापना स्थल : कुर्लाबा (रायगढ़) (महारांष्ट्र)	

भारत-कोरिया (दक्षिण)

36.	कुपिड रबड़ लि., 22, कृष्णा निवास, 500 कालबादेवी रोड, बंबई–400002	ग्रीन मेट कार्पोरेशन, कोरिया और हीरो कार्पोरेशन, को	180.00 (30.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : रबड़ रोगरोधी (कंडोम)	स्थापना : स्थल नासिक (महाराष्ट्र)	

भारत-मारीशस

37.	इंड ग्लोबल फाइनेंनसियल ट्रस्ट लि. 1513 मेकर चेम्बर्स, नरीमन प्वांइट, बंबई–400021	मारलिन पार्टनर्स इंवेस्टमेंट मानग मारीशस	50.00 (10.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : व्यापारिक बैंकिंग सेवाएं	स्थापना–स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
38.	—	पेंगबवोर्न मारीशस लि., मारीशस लेस जामालेस पी बी 799, वाईक्स कांसाइल स्ट्रीट, पोर्ट लुइस	76.40 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना–स्थल : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
39.	सिनार मास पल्प एंड पेपर (आई) लि. एस. 525 ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली	सिनामास होल्डिंगस (मारीशस) एलटी पोर्ट लुईस, मारीशस	11185.82 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : कागज एंव लुग्दी उत्पाद	स्थापना–स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
		भारत-मैक्सिको	
40.	निप्पन डेन्रो इस्पात लि. पार्क प्लाजा प्रथम तल, 71 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता–16	मैसर्स इस्पात मैक्सिकाना ए.ए.डे.सी.वी. फ्रांसिस्को, जे. मुजिया सीडी लाजारो काडेंनस सीपी 60950, मैक्सिको	15000.00 (25.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : लो कार्बन, मेडियन कार्बन, एचएसएलए में होट रोल्ड स्टील	स्थापना स्थल : कुलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	
	भारत-अनिवासी भारतीय		
41.	जे.आर. सिंह जी एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी मिल्स कं., राजेश पेसन, 140 एम.के. रोड, बंबई–20	अनिवासी भारतीय	25.14 (15.22 प्रतिशत)
	मद का विवरण : वस्त्र एंव धागे	स्थापना स्थल : शोलापुर (महाराष्ट्र)	
42.	वेस्टर्न इंडिया इंटरप्राइजेज लि. शहयादरी सदन, तिलक रोड, पुणे–27	अनिवासी भारतीय	400.00 (39.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : इंजीनियरिंग क्षेत्र में संरचना सेवाएं	स्थापना स्थल : सतारा (महाराष्ट्र)	

43.	जेट एअरवेज (इंडिया) प्रा.लि. 41/42, मेकर चैम्बर्स, नरीमन प्वांइट, बंबई–21	अनिवासी भारतीय (श्री नरेश गोयल)	500.00 (100.00%)
	मद का विवरण : एअर टैक्सी ऑपरेशन	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
44.	स्लैब प्रोपर्टीज प्रा.लि. 10159, पदम सिंह रोड, करोलबाग नई दिल्ली–5	अनिवासी भारतीय	534.24 (20.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : 100% सूती धागे तथा निटेड फैब्रिक	स्थापना स्थल : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	
45.	सुप्राप्ति प्लास्टिक लि., डब्ल्यू–17, एसआईडीसी तारापुर इंड. एरिया, पी.ओ. बाइसर, जिला थाणे, बंबई–06	अनिवासी भारतीय	105.00 (29.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : सामान को लाने–ले जाने तथा पैकिंग के लिए मदें	स्थापना स्थल–थाणे (महाराष्ट्र)	
46.	समुद्र मैग्नेटिक्स प्रा.लि. 333/16, मीरा सोसाइटी, हावेली, पुणे–411037 महाराष्ट्र	अनिवासी भारतीय (मि. हुकुमत कलवानी) 03–33 पेनुसुला प्लेस, 111 नार्थ ब्रिज रोड सिंगापुर–0617	70.00 (70.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : विडियो कैसेट (वी–ओ)	स्थापना स्थल–पुणे महाराष्ट्र	
47.	एस.बी. इंटरनेशनल लि. पी.ओ. बाक्स 1728, पोस्टल कोड 111, मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान	अनिवासी भारतीय	1760.00 (100.00%)
	मद का विवरण : बीयर	स्थापना स्थल : रत्नगिरी (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
48.	सीआरबी कैपिटल मार्केट लि. डीबीएस हाउस, 31, मर्जबा रोड, फोर्ट, बंबई–01	अनिवासी भारतीय	165.00 (7.50 प्रतिशत)
	मद का विवरण : इक्यूपमेंट लीजिंग, मर्चेन्ट बैंकिंग, निवेश	स्थापना स्थल : ग्रेट बंबई (महाराष्ट्र)	
49.	अमरेक्स इंटरप्राइजेज प्रा.लि. 7ए/31, डब्ल्यूईए करोलबाग, नई दिल्ली–5	अनिवासी भारतीय	20.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
50.	डाटाप्रो इंफार्मेशन टेक्नोलोजी एल 201 इम्बैसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट, बंबई–21	अनिवासी भारतीय	300.00 (23.80 प्रतिशत)
	मद का विवरण : इलैक्ट्रोनिक मेल/ईडीआई सेवाएं (नेटवर्क प्रोजेक्ट)	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
51.	चकर एग्रो इंडस्ट्रीज लि. 24/6, सुमंगल अपार्टमेंट, शिवाजी नगर, पुणे-5 महाराष्ट्र	अनिवासी भारतीय	83.00 (25.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : सूखी प्याज	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
52.	मेड–टेक पेपर कंवेर्टरस (इंडिया) 8 मिर्जा स्ट्रीट, बंबई–400003, महाराष्ट्र	मि. रमेश वी. कपूर, अनिवासी भारतीय 20, हाल स्ट्रीट, मेडफोर्ड, मास 02155	98.73 (89.80 प्रतिशत)
	मद का विवरण : आर्ट पेपर–1650 टीपीए, क्रोमो पेपर–1350 टीपीए,	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	

53.	डन्केक फूड सर्विसेज इंडिया प्रा.लि. 33, नाथेलाल पारेख, बम्बई	श्री कांतिलाल जमुनादास अनिवासी भारतीय (मैसर्स डनकेक पोर्दु एस.ए.)	556.00 (49.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : केक, स्वील रोल्स, कप केक और रस्क	स्थापना स्थल : न्यू बंबई (महाराष्ट्र)	
54.	श्रेयास शिपिंग प्रा.लि., 97 जॉली मेकर चम्ब; 11, नरीमन प्वाइंट, बंबई–1	श्री एस. रामकृष्णन एंड श्रीमती एस आर साइप्रस	2000.00 (57.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : मात्र इंडियन कंटेनर्स शिप का परिचालन	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
55.	चंथारा टेक्सटाइल लि. 7/21, ग्रांट्स बिल्डिंग, आर्थर बंडर रोड, बंबई 5	अनिवासी भारतीय	800.00 (40.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : टेरी टॉवल	स्थापना स्थल : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	
56.	फैबर्थ इंडिया लि., रॉडॉन चेम्बर्स, 11 ए सरोजिनी नायडु स्ट्रीट, कलकत्ता–17	अनिवासी भारतीय	697.00 (19.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : फैब्रिक डाइंग एंव लकड़ी के फिनिसिंग का प्रक्रिया हाउस	स्थापना स्थल : नागपुर (महाराष्ट्र)	
57.	मैसर्स रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. 214, तुल्सियानी चैम्ब, नरीमन प्वाइंट बंबई–452001	अनिवासी भारतीय	150.00 (12.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : सोया डी–आयलड केक	स्थापना स्थल : संगली (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
58.	ग्रीनलैंड वेयरहाउसिंग लि.] जलारात नगर संख्या–2, वल्लभ बाग लेन घाटकोपड़–(ईस्ट), बंबई–77	अनिवासी भारतीय	120.00 (9.60 प्रतिशत)
	मद का विवरण : माडर्न वेयर हाउसिंग काम्पलेक्स की स्थापना करना	स्थापना स्थल : कोलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	
59.	फामेटेक एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड 6–3–345/3ए, रोड संख्या बंजारा हिल्स, हैदराबाद–34 (आंध प्रदेश)	एईएमबीवी नीदरलैंड	152.33 (19.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
60.	—	वान ओमेरेन टैंक टर्मिनल एशिया वेस्टर्नलान 10,3016 सीके रोटरडैम नीदरलैंड	23692.00 (100.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सब्सिडियरी की भारत में स्थापना	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
61.	फ्रेंडली एग्रोइंडस्ट्रीज लि. 19, नेशनल हाउसिंग सोसायटी, बैनर रोड, आंध्र, पुणे–411007	डालसेम वेसीयप नीदरलैंड	120.70 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : मशरूम	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

62.	बुबना मेजर बायोटेक लि., 201, मेरीन चैम्बर्स, न्यू मेरीन लाइन्स, बंबई–20	मुरहेम रोजेज एंड ट्रेडिंग बीवी डोर्पस्टार्ट, 11ए, 11 बीजी आउडरकर्क हालैंड	17.75 (4.61 प्रतिशत)
	मद का विवरण : कट फ्लावर (फ्रेश)	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
63.	नेहा इंटरनेशनल लि., 43/सी, रोड संख्या 71 जुबली हिल्स फेज हैदराबाद–500033 (आंध्र प्रदेश)	मुरहेम रोजेज ट्रेडिंग बीवी नीदरलैंड	17.00 (3.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : कट फ्लावर्स (रोजेज)	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
		भारत-नार्वे	
64.	स्पेसलिटी गैस कं. प्रा. लि. डी–273, टीटीसी इंड. एरिया, एमआईडीसी, तुरभे न्यू बंबई–400705	मैसर्स हाइड्रोगैस ए.एस., नार्वे हारोलिन, क्रिश्चियनस वे, 8, ओस्लो 6, नार्वे	1.69 (60.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : कैलीबेरेशन गैस मिक्सचर एंड डिफ्यूजन आरएस रेगुलेटर	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	
		भारत-ओमान	
65.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. 17 जमशेदजी, टाटा रोड़, पोस्टबाक्स नंम्बर 11042 बंबई–400020	ओमान आयल कंपनी लि.	19500.00 (26.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : पैट्रोलियम उत्पाद	स्थापना स्थल : महाराष्ट्र	

1	2	3	4
		भारत-साउदी अरेबिया	
66.	समाहा इंडिया ट्रेडिंग कंपनी प्रा. इंडिया हाउस नं. 2 कैम्पस कार्नर बंबई–40036	मैसर्स समाहा होल्डिंग दलाह, साऊ दलाह टावर बिल्डिंग पैलिस्टाईन जद्दाह पो.बा. 430	285.00 (95.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : भारतीय पण्यवस्तु तथा मदों का निर्यात	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
		भारत-सिंगापुर	
67.	धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लि. 285 प्रिसिंस स्ट्रीट सी.जे. हाउस दूसरा तल बंबई–400002	मोडीलक्स फेशनरूपी टी.ई. लि. एंड शाल, 10, एनसन रोड 28–08 इंटरनैशनल सिंगापुर	100.00 (16.00 प्रतिशत)
68.	डी.सी. डब्ल्यू होम प्रोडेक्ट लि. निर्मल 19सवां तल, नरीमन पाइंट, बंबई–400021 महाराष्ट्र	एशिया पैसीफिक वैंचर्स लि. 4 शैनटनवे 21–03, शिंग क्वान सिंगापुर 0106	200.00 (19.68)
	मद का विवरण : रिफाइंड आयोडीकृत नमक तथा गेहूं का शुद्ध आटा	स्थापना स्थल : कुलाबा (रायगढ़) (महारांष्ट्र)	
69.	—	ब्रिटिश गैस 583, ओरकर्ड रोड 07–02 फोरम सिंगापुर 0923	1893.00 (35.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : प्राकृतिक गैस का वितरण	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

भारत-स्विटजरलैंड

70.	एस.जी.एस. इंडिया लि. द्वारा वी.ए. पाठके एंड कं. कृष्णा मंडल 4 था तल, डी–रोड मैरीन ड्राइव	एस.जी.एस. इनसुबको एन.ए. केस पोरटेल 898 सी एच–1211 जनेवा–1	0.88 (51.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : परम्परागत तथा अन्य विशिष्ट निरीक्षण की व्यवस्था करना।	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
71.	के–ट्रान इंडियाना प्रा.लि. हिगोंरानी हाउस, डा.ए. बेंसैंट रोड, वर्ली, बंबई	के–ट्रान सोडर एजी सीएच–5702 नीदरलैंड, स्विटजरलैंड	20.37 (0.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : औद्योगिक मशीनरी	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
72.	इनको स्कोटल आटो पार्ट प्रा. 105/1 इरैन्कवाना मुक एपी सुन्दरराव रीजी में पुणे–41004	बैल्जर्स होल्डिंग एक्टेनजीसैल्सचा हाफ बसेन्सट्रैंस–135 जुरिक स्विटजरलैंड	260.00 (65.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : हाई स्पीड स्टील कटर्स, स्मिर्स, होब्स की कोटिंग	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
		भारत-ताईवान	
73.	इंडो–पैसिफिक पाली–फाइर्स प्रा. वर्ड ट्रेड सैंटर एन, 10वां तल कुफे पीए, बंबई–400005	चंग फैन प्लास्टिक फाइबर इंड. कं. ताईवान आर.ओ.सी.	315.00 (18.94 प्रतिशत)
	मद विवरण : पोलीएथिलीन कवरिंग्स	स्थापना स्थल : कोलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	
74.	जी.पी. शिपिंग लि. 1003, डालामल हाउस, 206 नरीमन पाईंट बंबई–400021	ग्रेट सर्कल शिपिंग एजेंसी लि. कैथी हाउस 8 नार्थ सथरीन रोड बैंकाक–10500	200.00 (40.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : जहाज प्राप्त करना और उसे चलाना।	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
75.	इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) एल आई एम 903, मोहनदेव 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	श्री एम.एल लोहिया एंड श्री ए.पी. लोही थाईलैंड	183.28 (59.22 प्रतिशत)
	मद विवरण : पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न, ड्रा टैक्सराइड यार्न, डीआरआर	स्थापना स्थल : नागपुर (महाराष्ट्र)	
76.	इंड्स एअर कंडीशिनिंग प्रा. लि. 317, कैडल रोड प्रभादेवी बंबई, 400028 महाराष्ट्र	थाई हीट एक्सचेंज कंपनी लि. 1342, रमकमहहैंग आर ओ क्लांगटन बैंकाक थाईलैंड	109.85 (49.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : कार एअरकंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम एंड कम्पोनेंट्स	स्थापना स्थल : कुलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	

भारत-यूएई

77.	मैसर्स कोनवूड फूड इंडस्ट्री लि. कोनवुड हाउस, एशोधाम जनरल ए.के. वैद्य एम.ए. गोरे गांव पूर्वी बंबई	मैसर्स एमीरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी, एल.एल.सी., यू.ए.ई. पो.बा.नं. 5239 दुबई यू.ए.ई.	300.00 (25.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : लैक्टोस केसिन, ह्यूमेनाइज्ड बेबी फूड तथा अन्य डी ए आई	स्थापना स्थल : (महाराष्ट्र)	
78.	सीस्पैन शिपिंग लि. पहली तल एलफिसटन बिल्डिंग 10, वीरनरीम रोड बंबई–400023 का अभिकरण	मैसर्स मैरीन मैनटेनस ऑफ पो.बा. नं. 8686 दुबई, यू.ए.ई.	42.79 (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : टग्स/एंकर होल्डिंग टग्स/सप्लाई सी यू	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

भारत-यू.के.

79.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन एल आई एम 4 और 6 करीमभोय रोड बल्लाड एस्टेट बंबई–400038	मैसर्स शैल ओवरसीज इंवैस्टमैंट शैल सैंटर, लंदन सैल, यू.के.	1657.00 (51.00)
	मद विवरण : ब्रेक फर्ल्ड सहित लुब्रीकैंटिंग आयल तथा ग्रीस	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
80.	यूनाईटेड डिस्ट्रिलर्स व पीएलसी एशिया फैसीफिक लैंड मार्क हाउस, हैमरस्मिथ ब्रिज आर, लंदन डब्ल्यू 690 पी	मैसर्स यूनाइटिड डिस्टिलर्स पी एल सी एशिया फैसिपिक लैंड मार्क हाउस हैमरस्मिथ : ब्रिज आर	600.00 (50.00%)
	मद विवरण : उत्कृष्ट क्वालिटी की ब्लैंडिड विहस्की	स्थापना स्थल : महाराष्ट्र	
81.	माइनैक्स इंजैक्शन प्रा.लि. 301, राजगुरू अपार्टमैंट न्यू नागरदास रोड, अंधेरी (पूर्वी) बंबई	वैल्डिंग एलायस लि. ग्रीन लेन फाउलमर, रॉयस्टन हर्टफोर्डसी, यू.के.	15.14 (50.00%)
	मद विवरण : फैरे एलाय धातुकर्मीय कोर्ड वायर	स्थापना स्थल : नागपुर (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
82.	इंडियन होटलस कंपनी लि. वैल्गिंटन म्यूज 33, नथ्थालाल पारिख, बंबई–400039	जीसीसी एअरपोर्ट होटल (बंबई) लि. 14, न्यू स्ट्रीट सेंट पीटर पोर्ट ग्यूरेनसे	6165.11 (140.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
83.		दि हीरम वाकर ग्रुप लि. कीलवर स्ट्रीट शैपटन मालेट सीमरसैट	500.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : स्कॉच विहस्की तथा उत्कृष्ठ ब्लैंडेड विहस्की	स्थापना स्थल : महाराष्ट्र	
84.	साउडर्स वाल्वस (आई, लि., अल्फा लावल प्रिमिसिज बंबई–पुणे रोड डपोडी–पूणे	साऊंडर्स वाल्वस कं. लि.यू.के. ब्राज रोड गोमबुरू गवैंट, यू.के.	90.23 (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : औद्योगिक वाल्व	स्थापना स्थल : सतारा महाराष्ट्र	
85.	कैंसट्राल इंडिया लि. व्हाइट हाउस 91, वाल्केश्वर रोड, बंबई–400006	कैसट्राल लि., बरमाह कैसट्राल हाउस पाइपर्स वे स्वीडन	353.79 (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : लुब्रीकेटिंग की ब्लैडिंग, उत्पादन तथा विपणन	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
86.	हिन्दुस्तान थोमसन एसोसिएटिड लि. लक्ष्मी बिल्डिंग, सर फिरोशान मैहता रोड, पी.ओ. बाक्स 541, बंबई 400001	जे. वाल्टर थामसन कंपनी (डब्ल्यू पीपी ग्रुप पी का हिस्सा) यू.के.	631.80 (49.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : विज्ञापन, बाजार अनुसंधान जनसंपर्क सोसिआ	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

87.	होडन दस्तूर रिइंशोरेंस ब्रोकर। कमबाटा बिल्डिंग, 42 एम.के. रोड़, बम्बई	एक्सैंडर होडन ग्रुप, 8, देवनशायर स्क्वायर लंदन ई सी 2 एम 4 पी एल, यू.के.	4.00 (40.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : बीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय और पुर्नबीमा संबंधी कार्य जारी रखना	स्थापना स्थल : महाराष्ट्र	
88.	ईपी सी ईरीगेशन लि., 410 कंकड़ चैम्बर्स 1 डा. ए.बी. रोड, बंबई	रीचफिल्ड स्प्रिंगि लि., 1 बैकेट वार्फ लोअर टैडिग्टन रोड हैम्प्टन विक एस केटी 140	85.50 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : मिट्टी हटाने की मशीन	स्थापना स्थल : नासिक (महाराष्ट्र)	
89.	उग्लैंड मैरीटाइन सर्विसिज प्रा.लि. 15वां तल 31, अरनैस्ट हाउस, नरीमन पाइंट	उग्लैंड ब्रदर्स लि. कैसल हिल, बिशपसगेट रोड एग्लफील्ड	8.12 (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : क्रूर मैनिंग, जहाज मरम्मत सेवाओं इत्यादि की व्यवस्था करना।	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
	भारत-यू.एस.ए.		
90.	जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया सुरक्षा 120, जे टाटा रोड चर्च गेट बंबई–400020	मैसर्स सोरस फंड मैनजमेंट यू.एस. 888, सैवंद एवेन्यू, न्यूयार्क एनवाई 10106 यू.एस.ए.	165.00 (33.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : एक परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनी की स्थापना करना	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
91.	द्वीप सी आनन्द, 1 श्री अरविन्दों मार्ग, होजखास नई दिल्ली, 110016	मैसर्स दाना कार्पोरेशन यू.एस.ए. 4500, डोर स्ट्रीट, टोलैडो, 43615 यू.एस.ए.	2485.00 (71.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : ड्राइवेट्रन कंपोरेट्स अर्थात प्रोपैलर चिक –शाक्स, एक्सल्स	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
92.	चैत्रा लियो बर्नेट प्रा.लि. 9/11 एन.एस. पटकर मार्ग, ए.बी. गोदरेज चौक बंबई–400036	मैसर्स लियो बर्नेट वर्ल्ड वाइल्ड इन. 35 वैस्ट वैकर ड्राइव, शिकागो, यू.एस.ए.	2.90 (24.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : विज्ञापन तथा विपणन सेवाएं	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
93.	ए.टी.एंड टी. फाइबर आप्टिक्स केबल्स (आई) प्रा. 204, टालस्टाय हाउस, 15 टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली–110011	ए.टी. एंड टी. इंटरनेशनल इंक यू.एस.ए. 22, लोकीमैन, स्क्वायर डी, डिलीवेयर	1335.83 (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : आप्टिकल फाइबर केबल	स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	
94.	एच.टी.ई. इनाफिटैक्ट (इंडिया) लि. 12ए, चांदीवल्ली इंड. साकी बिहार रोड, बंबई–400072	एचटीई इनं, यू.एस.ए.	7.65 (51.00%)
	मद विवरण : कम्प्यूटर सौफ्टवेयर	स्थापना स्थल : (महाराष्ट्र)	
95.	कोकाकोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इन पी.ओ. ड्रावर 1734 एटलांटा जीए 30301 यू.एस.ए.	मैसर्स कोकाकोला साउथ एशिया होल्डिंग पो.आ. ड्रावर, 1734, एंटलांटा जी.ए. 30301 यू.एस.ए.	6000.00 (100 प्रतिशत)
	मद विवरण : बेवरिज इसैंस तथा बेवरिज बेसस	स्थापना स्थल : (महाराष्ट्र)	

96.	क्रिडेन्स साउंड एंड विसेज लि. 204, डाक्टर सेंटर 135, अगस्त क्रांति मार्ग कैम्पस कार्नर, बंबई, 400026	मैसर्स लियोन कैपिटल इंक, यू.एस.ए. 310 एन. सैन विसैंट स्वीट 202 लॉस एजेंल कैलिफोर्निया, 90048	1270.00 (66.84 प्रतिशत)
	मद विवरण : विडियो साफ्टवेयर रिकार्डिड वीडियो केसेट	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई, (महाराष्ट्र)	
97.	सोहन, एम. शाह, 13, सोनावाला बिल्डिंग 67, मैरीन ड्राइव, बंबई 400020	इंटरनेशनल नैटवर्क आफ मेडिकल, यू.एस.ए.	9.00 (60.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : चिकित्सा संबंधी परामर्शवादी सेवाएं	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
98.	बीस सैंचुरी फाइनैंस कारपोरेशन, 1201, रहेचा सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई 400021	कैमपर कारपोरेशन, कैमपर ड्राइव लोंग ग्रोव, इलीनोएस	166.60 (33.32 प्रतिशत)
	मद विवरण : एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी को स्थापना करना जो कि ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र) में स्थापित की जाएगी।		
99.	चिरल आरगैनिक्स प्रा.लि., 3 वैनिचिआना प्रोफ एल्मीडा रोड, बान्द्रा, बंबई-400050	मि. सैल्वोटोर कारसिया, 32, सुपुरूसरोड, नार्थ रोडिंग्स, एम.ए. यू.एस.ए.	5.64 (39.90 प्रतिशत)
	मद विवरण : एमोकसीसिलन तथा एमिनोवीट	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	
100.	डिमैक–फैल-प्रो ओविटी लि. 1107–ए, हरेकृष्ण मंदिर रोड पूणे–41	फैल–प्रो कैमिकल प्रोडेक्टस एल.पी. 7450 नार्थ मैकोरमिक बीएलवीडी, पी.ओ. बाक्स, 1103 शोकाई–इलिनोएस	30.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : सिथेंटिक रेजिंस–कम्पाउंड तथा फामूर्ले	स्थापना स्थल : पूणे (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
101.	आनफर्डर नैटवर्क टैक्नोलोजी प्रा. क्रिसलोन हाउस साकी बिहार रोड बंबई	नौवेल इंक यू.एस.ए. 122, ईस्ट 1700 साउथ प्रोवी, यू.टी.ए.एच. 84606	0.59 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : कम्प्यूटर सोफ्टवेयर यू.एस.ए.	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
102.	एडवांस कम्प्यूटिंग सिस्टमस कंपनी, 101–ए श्रीगीता सोसाइटी–बी, शिवदर्शन पूर्ण–4 महाराष्ट्र	मैसर्स एंडवांसड कम्प्यूटिंग सिस्टमस यू.एस.ए.	6.00 (100.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	स्थापना स्थल : पूर्ण (महाराष्ट्र)	
103.	एलैक्सकोन फोमकास्ट जय लक्ष्मी इंडस्ट्रियल प्रीमिसिस खेतानी टी मिल कम्पाउंड, बाजार वार्ड, कुसला (वेस्ट)	वेल्कन इंजीनियरिंग कंपनी हैलिना इंडीस्ट्रियल पा, बोक्स 307 ए एल 35080	1020.00 (30.91 प्रतिशत)
	मद विवरण : कास्टिंग एंड फोजिंग, लोहे के अन्य कास्ट आर्टिकल	स्थापना स्थल : कुलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	
104.	आकुआ ब्रियरिंग्स लि., 605 जगदम्बा, काम्पलेक्स लिंक रोड मलाड (वेस्ट) बंबई	इस्टर्न इंडस्ट्रीज इंक यू.एस.ए. 6924 बे लाइन ड्राइव, पनामा सिटी फ्लोरिडा यू.एस.ए.	57.53 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : परिवहन	स्थापना स्थल : नासिक (महाराष्ट्र)	
105.	शिकागो न्यूमैटिक इंडिया लि. 301/302 एल.बी.एस. मार्ग मुलंद वेस्ट बंबई	शिकागो न्यूमैट्रिक इंटरनेशनल 2200 बिल्कर स्ट्रीट यूटिका, न्यूयार्क 1350 यू.एस.ए.	398.53 (0.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : मशीन टूल्स	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

106.	कैमटैक्स इंजीनियरिंग आफ इंडिया लि. निर्लोन हाउस 2548, डा.ए.बी. रोड वर्ली, बंबई–400025	कैमटैक्स, इंटरनैशनल इंक, यू.एस.ए.	0.73 (98.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : डिज़ाइन कन जैसी इंजीनियरिंग परामर्शदायी सेवाएं	स्थापना स्थल ग्रेटर बंबई, महाराष्ट्र	
107.	मुलर एंड फिलीप्स इंडिया लि. क्वीनस मैनशन्स अमरी, केशवनायक मार्ग, फार बंबई–400001	गैट्स इंटरनैशनल इंक. 150 पोस्ट स्ट्रीट स्वीड 500 सैन फ्रांसिसको	17.01 (51.63 प्रतिशत)
	मद विवरण : प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण विपणन एवं वितरण	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
108.	कैडिट कैपिटल फाइनैंस कंपनी ब्राडी हाउस वीर नर रोड, बंबई–400001	इंटरनेशनल फाइनैंस कार्पोरेशन, वाशिंग्टन, यू.एस.ए.	8350 (63.60 प्रतिशत)
	मद विवरण : मियूचल फंड की स्थापना हेतु	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
109.	कैडिट कैपिटल ऐसऐट मैनेजमेंट, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग अपोलो स्ट्रीट, बंबई–400023	इंटरनैशनल फाइनैंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन, यू.एस.ए.	200.00 (40.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी की स्थापना करना।	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	

1	2	3	4
110.	कोंटिनैंटल ग्रेन कंपनी, द्वारा आर्थर एंर्डसन 66 मेकर टावर, एफ कुफे परेड बंबई–400005	कौंटिनेटल ग्रेन कंपनी, 277 पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क एन.बाई. 10172 यू.एस.ए.	631.80 (100.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडेरी की स्थापना करना एफ ओ	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
111.	एस.के.एम. इंटरर्डिल (इंडिया) लि. 314 अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली–110001	इंटर र्डिल सर्विसिज इंक. यू.एस.ए.	217.60 (34.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : भारी र्डिल पाइप इत्यादि	स्थापना स्थल : कोलाबा (रायगढ़) (महाराष्ट्र)	
112.	—	बैंक अमेरिका इंटरनेशनल फाइनैंस 3 तल, 555 कैलिफोर्निया स्ट्रीट सैन फ्रासिंसको सीए	1500 (15.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : वित्तीय निवेश पूंजी बाजार एवं व्यापारी	स्थापना स्थल : ग्रेटर बंबई (महाराष्ट्र)	
113.	साउथ एशिया टायर्स लि., 505 नई दिल्ली हाउस 27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001	दि गुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी 1144 ईस्ट मार्केट स्ट्रीट आरकोन ओहीओ–44310–000 यूएसए	1237.00 (26.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : मोटर कार टायर, बस और लारी टायर सड़के से भिन्न	स्थापना स्थल : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	

114.	अशोक गोयल, 1008, 10वां तल, हेमकुंड टावर्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	फैडरल पेपर बोर्ड इंक, मोंटवेल, न्यू जर्सी, यूएसए	488.00 (38.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : लैमिनेटिड पेपर कंटेनर्स छोटा आकार	स्थापना स्थल : थाणे (महाराष्ट्र)	
115.	मोदी फैडरल लि., द्वारा डा. वी.के. मोदी, 36, अमृता शेरगिल नई दिल्ली–110003	फैडरल पेपर बोर्ड कंपनी इंक यूएसए	488.00 (38.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : छोटे आकार के पेपर कंटेनर्स (लेमिनेटिड)	स्थापना स्थल : न्यू बंबई (महाराष्ट्र)	
116.	प्राज इंडस्ट्री लि., 1216/6 फरगुसन सीसीएल रोड, पुणे–411004	एमकेन इंटरनैशनल इंक 240 ईस्ट प्लेटो बाउले सेंट पॉल मिनसटा यू.एस.ए.	25.00 (50.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : चीनी के विनिर्माण हेतु मशीनरी	स्थापना स्थल : पूणे (महाराष्ट्र)	

[हिन्दी]

आवास क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाएं

6233. **श्री बीस सिंह महतो : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत कुछ वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे संस्थाएं किन-किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं; और

(ग) राज्यवार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन सस्थाओं द्वारा आवासों का निर्माण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) तक राष्ट्रीयकृत बैंकों, एल आई सी, जी आई सी तथा अन्यों द्वारा स्थापित बहुत-सी आवास वित्त कम्पनियां देश के विभिन्न हिस्सों मं कार्यरत हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने उनमें से 19 को अभी तक मान्यता प्रदान की है। इन आवास वित्त कम्पनियों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। ये संस्थान पात्र आवास एजेंसियों, सहकारी समितियों और एककों को मकानों के निर्माणर्थ धन मुहैया कराते हैं। वास्तविक निर्माण उक्त एजेंसियों/समितियों/एककों द्वारा किया जाता है। इन आवास वित्त संस्थानों का प्रचालन क्षेत्र देश भर में उनकी शाखाओं के फैलाव पर निर्भर करने की वजह से भिन्न-भिन्न है। जबकि कुछ संस्थान, जैसे हुडको, एच डी एफ सी, एल आई सी आवास वित्त जी आई सी गृह विला निगम, आदि देश भर में कार्यरत हैं, और गुजरात ग्रामीण आवास वित्त निगम और एस बी आई गृह वित्त एवं विकास लिमिटेड जैसे अन्य संस्थानों का प्रचालन क्षेत्र विशेष तक सीमित है।

19 मान्यता-प्राप्त आवास वित्त संस्थानों में ऐ हुडको ही शहरी विकास मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र में आता है। 31-3-94 की स्थिति के अनुसार, उसने 56 लाख से अधिक रिहायशी एककों वाली कुल 10253 आवास परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। राज्य-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त आवास वित्त संस्थानों की सूची

1. आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड
2. आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड
3. केन फिन होम्स लिमिटेड
4. दिवान आऊंसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड
5. एल आई सी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
6. इंडिया हाऊसिंग फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट लिमिटेड
7. गुजरात ग्रामीण आवास वित्त निगम लिमिटेड

8. पी एन बी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
9. एस बी आई होम फाइनेंस लिमिटेड
10. ए बी होम्स फाइनेंस लिमिटेड
11. इण्ड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड
12. फेयरग्रोथ होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
13. साया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
14. अक्षय आवास निर्माण वित्त लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा)
15. जी आई सी गृह वित्त लिमिटेड
16. वैश्य बैंक हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
17. अपना घर वित्त निगम लिमिटेड
18. पार्श्वनाथ हाऊसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
19. पीयरलेस आवासन फाइनेंस लिमिटेड

विवरण-II

हडको द्वारा अनुमोदित रिहायशी एककों की राज्यवार संख्या

क्रमांक	राज्य का नाम	निर्माण उन्नयन के लिए अनुमोदित एककों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	827357
2.	अरुणाचल प्रदेश	410
3.	असम	29596
4.	बिहार	179050
5.	गोवा	1441
6.	गुजरात	515989
7.	हिमाचल प्रदेश	9600
8.	हरियाणा	84961

1	2	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	16107
10.	केरल	701614
11.	कर्नाटक	643185
12.	मेघालय	7288
13.	महाराष्ट्र	384006
14.	मणिपुर	6819
15.	मध्य प्रदेश	183124
16.	मिजोरम	4673
17.	नागालैंड	9581
18.	उड़ीसा	138396
19.	पंजाब	115290
20.	राजस्थान	199860
21.	सिक्किम	8695
22.	तमिलनाडु	714273
23.	त्रिपुरा	4134
24.	उत्तर प्रदेश	685152
25.	पश्चिम बंगाल	142612
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार	725
2.	चण्डीगढ़	27035
3.	दिल्ली	16207
4.	दादर एवं नागर हवेली	87
5.	पाण्डिचेरी	5542
	योग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	5662629

[अनुवाद]

पटेल आयोग की सिफारिशें

6234. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में स्थापित पटेल आयोग की विभिन्न सिफारिशें/सुझावों के आधार पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक;

(ग) क्या आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों जैसे मशीन उपकरण, मशीन उपकरण पुर्जे, उपकरण खंड एकक, ट्रेक्टर निर्माण एकक और यहां तक कि आयुध निर्माणी के स्थापना की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो अब तक आयोग की सिफारिशों को अमल में न लाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) श्री बी.पी. पटेल (पटेल आयोग) की अध्यक्षता में संयुक्त अध्ययन दल ने 1964 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 4 पूर्वी जिलों नामतः आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और जौनपुर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है।

पटेल आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप और साथ ही समग्र विकास प्रयासों के कारण भी, इन जिलों के विभिन्न विकासीय संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जबकि अधिकांश सिफारिशें कृषि, ग्रामीण विकास इत्यादि संबंधी कार्यान्वित की गई हैं, मगर इन जिलों में भारी उद्योग आरंभ करने संबंधी आयोग की सिफारिशें समग्र संसाधनों की तंगी और वित्तीय व्यवहार्यता के विचार के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकीं।

[हिन्दी]

उड़ीसा को प्रति व्यक्ति सहायता

6235. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, नहीं। उड़ीसा राज्य को दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता गैर विशेष श्रेणी राज्यों, जिसमें उड़ीसा राज्य भी आता है, को आबंटित औसत प्रति व्यक्ति योजना सहायता से काफी अधिक रही है। 1994-95 में राज्य को प्रति व्यक्ति योजना सहायता (1991 जनसंख्या जनगणना पर आधारित) 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के औसत आवंटन से 30 प्रतिशत अधिक है और यह गोवा तथा केरल को छोड़कर तुलनीय समूह में सभी राज्यों के प्रतिव्यक्ति आवंटन से अधिक है।

[अनुवाद]

गोदावरी उर्वरक और रसायन संयंत्र काकी नाडा

6236. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी उर्वरक और रसायन संयंत्र घाटे पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ और 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं। गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, काकीनाडा ने वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान लाभ अर्जित किया है। वर्ष 1993-94 के लिए लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक का कुल उत्पादन और 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (000 में)
1991-92	342.9
1992-93	345.3
1993-94	222.8
1994-95 (लक्ष्य)	350.0

(ग) और (घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कोई उपचारी उपाय अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्रों की फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां

6237. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की फार्मास्यूटीकल्स कंपनियों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भेषज उद्योग क्षेत्र में चार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और तीन संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों को कई वर्षों से हानियां हो रही हैं। इनमें से छः उपक्रम यथा आई.डी.पी.एल., बी.आई.एल., बी.सी.पी.एल., एस.एस.पी.एल., यू.पी.डी.पी.एल. और ओ.डी.सी.एल., को औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित किया गया है।

31-3-1993 तक इन कंपनियों की संचित हानियां नीचे दी जाती हैं :

(रुपये करोड़ में)

कम्पनी का नाम	संचित हानि
आई.डी.पी.एल.	627.91
बी.आई.एल.	51.46
बी.सी.पी.एल.	92.58
एस.एस.पी.एल.	30.96
यू.पी.डी.पी.एल.	5.76
ओ.डी.सी.एल.	2.85
आर.डी.पी.एल.	0.65

(ग) आई.डी.पी.एल. की पुनरुद्धार योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसकी पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य पांच कंपनियों की पुनरुद्धार

योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य पांच कंपनियों की पुनरुद्धार योजनाएं तैयार/विचार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार इन रुग्ण कंपनियों का पुनरुद्धार या अन्यथा बी॰आई॰एफ॰आर॰ कानून के अधीन गठित कानूनी प्राधिकरण के आदेशों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

सिंचाई के प्रयोजन के लिए कुएं

6238. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मिलियन वेल्स स्कीम के अंतर्गत केरल में खुले सिंचाई कूप बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने धन का नियतन करने का विचार है; और

(ग) इस योजना के लिए किन-किन क्षेत्रों/जिलों का चयन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 के दौरान केरल में दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अंश के रूप में 1588.83 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) दस लाख कुओं की योजना राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

मई 4, 1994 को उत्तर देने के लिए

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

6239. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय देश में कितनी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी-प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं;

(ग) उनमें किस प्रकार के आविष्कार किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 6000 भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

(ख) देश में 13 अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी केन्द्र/यूनिटें/प्रयोगशालएं कार्य कर रही हैं।

(ग) इन अन्तरिक्ष केन्द्रों/यूनिटों/प्रयोगशालाओं ने संचार, सुदूर संवेदन और अन्तरिक्ष

विज्ञान के क्षेत्रों में उपग्रह के उपयोग के साथ-साथ उपग्रहों, प्रमोचक राकेटों के निर्माण में अधिकांश प्रौद्योगिकी/सामग्री/प्रक्रियाओं का स्वदेशी विकास किया है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट), जो कि प्रचालन में हैं, का स्वदेशी विकास तथा लम्बी दूरी के संचार, मौसम-विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध के क्षेत्रों में उनका उपयोग करना, प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके साथ ही 1000 किलोग्राम भार के आई.आर.एल. श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पीएसएलवी) का स्वदेशी विकास एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परिज्ञापी राकेटों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक परीक्षणों का सफल आयोजन तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, विशेष रूप में ग्रहीय वायुमण्डल और वायुविज्ञान, खगोलविज्ञान, खगोल-भौतिकी और सौर प्रणाली के क्षेत्रों में, गवेषणा में वैज्ञानिक नीतभारों के माध्यम से किया गया गहन कार्य, इन प्रयोगशालाओं का उल्लेखनीय योगदान है। प्रौद्योगिकियों और प्रणाली विज्ञान के स्वदेशी विकास ने लम्बी दूरी के संचार, दूरदर्शन प्रसारण, आपदा चेतावनी के साथ-साथ हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी है। इसरो के केन्द्रों/यूनिटों/प्रयोगशालाओं द्वारा आविष्कृत 200 से अधिक प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं को उत्पादनीकरण के लिए भारतीय उद्योग को हस्तांतरित किया जा चुका है।

(घ) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों को कार्योन्मुख प्रशिक्षण और व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ उनके कार्य के लिए जरूरी सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे प्रेरक कार्यकारी वातावरण, अत्याधुनिक सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और कल्याण संबंधी सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा सेवाएं, कैन्टीन, परिवहन इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं भी इसको प्रदान की जाती हैं।

मौसम विज्ञान केन्द्र

6240. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक पृथक् क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नये केन्द्र के साथ किसी अनुसंधान संगठन/अनुसंधान परियोजना की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चर्तुवेदी) : (क) और (ख) जी हां, उत्तर-पूर्वी भारत के विकसित राज्यों के मौसम विज्ञान केन्द्र इकाइयों की पूरे प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के साथ गुवाहाटी के मौजूदा मौसम विज्ञान केन्द्र को एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव है। गुवाहाटी स्थित इस केन्द्र द्वारा वैमानिकी, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए जल मौसम विज्ञान संबंधी इनपुट, कृषि मौसम सेवाएं, खराब मौसम चेतावनी,

जलवायु संबंधी सूचना तथा अन्य संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सभी मौसम विज्ञान संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

(ग) और (घ) जी हां, तो प्रस्तावित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी में एक अनुसंधान इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव है। यह इकाई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में मौसम विज्ञान संबंधी समस्याओं को अभिनिर्धारित कर उन पर कार्य करेगा।

केरल में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

6241. **श्री थाईलजॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को आज तक केरल सरकार से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है;

(ग) स्वीकृति के लिए अभी कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन्हें स्वीकृति मिलने की कब तक आशा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर कुकरों के जारी विस्तार कार्यक्रमों के अलावा वर्ष 1993-94 के दौरान केरल सरकार से पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजनाओं, लघु पन-बिजली परियोजनाओं, बायोमास गैसीफायर प्रणालियों, सौर तापीय प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और ऊर्जाग्राम तथा जिला स्तर की ऊर्जा आयोजना परियोजनाओं की स्थापना के लिए 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) से (घ) वर्ष 1993-'94 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए सात प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बायोमास गैसीफायर प्रस्ताव, जिसमें तीन प्रणालियां हैं, के एक भाग को स्वीकृत किया गया है। दो ऊर्जा ग्राम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और राज्य सरकार की नोडल एजेंसी से कतिपय स्पष्टीकरणों के अभाव में औपचारिक अनुमोदन लंबित है। हाल ही में लघु पन-बिजली विद्युत के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि उन पर विचार किया जा सके।

बायो गैस/धुंआ रहित चूल्हे

6242. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जिले-वार कितने बायोगैस संयंत्र और धुआं रहित चूल्हे स्थापित किए गए; और

(ख) बायोगैस संयंत्रों और धुआं रहित चूल्हों की स्थापना के लिए राज सहायता/अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई और उन्हें राज सहायता/अनुदान सहायता स्वीकृति करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय और उन्नत चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत क्रमशः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, राज्यों में स्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और उन्नत चूल्हों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों और उन्नत चूल्हों हेतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को आर्थिक राज सहायता और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए जारी की गई राशियां नीचे दी गई हैं :-

राज्य	निम्नलिखित के लिए जारी की गई राशियां	
	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	उन्नत चूल्हा
आंध्र प्रदेश	8.41	3.29
कर्नाटक	4.35	2.72

उपर्युक्त कार्यक्रमों के तहत राशियां, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतिम रूप दिए गए वार्षिक लक्ष्य, वर्ष के दौरान वास्तविक प्रगति और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लेखों के निपटान की स्थिति के आधार पर राज्य सरकार के नोडल विभागों/एजेंसियों को अग्रिम रूप से दो किस्तों में जारी की जाती है। अग्रिमों का अंतिम निपटान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र और व्यय के विवरण प्रस्तुत किए जाने पर किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1990-91, 1912-92 और 1992-93 के दौरान बायोगैस पर राष्ट्रीय परियोजना तथा उन्नत चूल्हे के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और उन्नत चूल्हों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	परिवार आकार के संयंत्र (संख्या)	उन्नत चूल्हे (संख्या)
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	1029	15519
2.	अनंतपुर	649	23455
3.	चित्तूर	1253	17821
4.	कुडडपह	391	5081

1	2	3	4
5.	ईस्ट गोदावरी	1548	5028
6.	गुंटूर	2860	29286
7.	करीम नगर	2429	16492
8.	खम्माम	4143	17008
9.	कृष्णा	3051	20271
10.	कुरनूल	410	43829
11.	महबूब नगर	894	16968
12.	मेडक	462	13129
13.	नालगोंडा	3534	35873
14.	नेल्लौर	1255	17318
15.	निजामाबाद	1525	18705
16.	प्रकाशम	1072	26240
17.	रंगारेड्डी	717	10186
18.	श्रीकाकुलम	2475	18500
19.	विशाखापतनम	1270	21377
20.	विजिनगरम	632	17646
21.	वारंगल	1775	15617
22.	वैस्ट गोदावरी	1449	19606
	जोड़ :	34823	424955

विवरण-II

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1993-94 के दौरान बायोगैस पर राष्ट्रीय परियोजना तथा उन्नत चूल्हे के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य में स्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और उन्नत चूल्हों की जिलावार संख्या.

क्र.सं.	जिलों का नाम	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (संख्या)	उन्नत चूल्हे (संख्या)
1	2	3	4
1.	बंगालौर (आर)	941	19509
2.	बंगलौर (यू)	509	9942
3.	बेलगांव	7883	16847
4.	बेलरी	335	19122
5.	बिदार	157	12085
6.	बीजापुर	274	18389
7.	चिकमगलूर	1039	14723
8.	चित्रदुर्गा	283	18961
9.	दक्षिण कन्नड़	1605	21776
10.	धारवाड़	2602	19995
11.	गुलबार्गा	133	22766
12.	हसन	1730	16689
13.	कोदागु	337	5783
14.	कोलार	943	17453
15.	मंद्या	639	17241
16.	मैसूर	1126	22606

1	2	3	4
17.	रायचूर	796	13424
18.	सिमोगा	1447	20430
19.	तुमकुर	453	20048
20.	उत्तर कन्नड़	2627	16514
	जोड़ :	25859	344303

जवाहर रोजगार योजना हेतु आबंटन

6243. **श्री फूल चंद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केंद्रीय सरकार को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण और परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु 27.36 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने अब तक इस योजना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राजस्थान सरकार के 1993-94 के दौरान राज्य के 29 जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 20.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से 2301 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण करने और 7.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से जवाहर रोजगार के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव का एक प्रस्ताव भेजा था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 18.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों को अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की राशि 1993-94 के दौरान ही रिलीज कर दी गई थी।

जर्मन पूंजी निवेश

6244. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1994 में जर्मनी की उनकी यात्रा की प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप क्षेत्रवार जर्मन निवेश के प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा निहित है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जर्मनी के व्यवसाय व उद्योग प्रतिनिधियों को भारत पर एक व्यापार तथा पूंजी निवेश के भागीदारी के रूप में दृष्टि डालने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 2 से 5 फरवरी, 1994 तक जर्मनी की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। उक्त यात्रा से एक अनुकूल वातावरण बना और संभावित निवेशकर्त्ताओं में अधिक रुचि उत्पन्न हुई। जर्मनी के निवेशकर्त्ताओं से प्रस्ताव प्राप्त होना तथा उन पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नीति के बाद की अवधि में अर्थात् अगस्त, 1991, से मार्च, 1994 तक भारतीय कंपनियों में जर्मनी कंपनियों द्वारा विदेश प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश किए जाने के 205 प्रस्तावों का पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है जिनमें 339.09 करोड़ रु. का विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है। जर्मन की कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 15 प्रस्तावों का फरवरी से मार्च, 1994 के दौरान अनुमोदन किया गया है जिनमें पालीमर पर आधारित उत्पाद, होम्योपैथिक तथा जड़ी-बूटी औषधि, चमड़े के वैलेट, धातुकर्मी उद्योग, रेलवे वाहनों के लिए एयर ब्रेक सिस्टम, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इलैक्ट्रोनिक पावर टूल्स, व्यापार प्राइम मूवर्स जैसे क्षेत्रों में 52.2 करोड़ रु. के पूंजीनिवेश की परिकल्पना की गयी है।

प्रौद्योगिकी का अन्तरण

6245. **डा. मुमताज अंसारी :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विभाग द्वारा नए उत्पादों और संसाधन के लिए उद्योगों को अन्तरित की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस प्रकार के उद्योगों ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गये पेटेंटों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान उद्योगों को निम्न क्षेत्रों में पैंतीस प्रौद्योगिकियां अन्तरित की गई हैं;

1. इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर प्रणालियां
2. विद्युत-प्रकाशिकी प्रणालियां
3. संचार प्रणलियां
4. विद्युत-यांत्रिकी प्रणालियां
5. इलैक्ट्रोप्लेटिंग

(ख) इलैक्ट्रानिकी और संचार, कम्प्यूटर, रसायन और द्रव्य तथा इलैक्ट्रोयांत्रिकी के क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बृहत, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों ने इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है।

(ग) इलैक्ट्रोप्लेटिंग के क्षेत्र में आठ प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त किए गए हैं।

(घ) इन प्रौद्योगिकियों के विकास पर लगभग 20.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में सौर विद्युत संयंत्र

6246. **श्री एन.जे. राठव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में आठवीं योजनावधि के दौरान कुछ सौर विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) ये संयंत्र कब तक लगा दिए जायेंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय गुजरात में सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खोई से विद्युत उत्पादन

6247. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित कुछ चीनी मिलों ने केन्द्र सरकार को खोई से विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस चीनी मिलों ने अधिशेष विद्युत राज्य सरकारों को रियायती दरों पर देने का प्रस्ताव किया है; और

(ध) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में स्थित दो चीनी मिलों ने विद्युत के उत्पादन के लिए खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना में दिलचस्पी दिखाई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से सहायता

6248. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर कितना व्यय होगा; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई स्कीम नहीं प्रस्तुत की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था

6249. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन स्थानीय निकायों ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था अपनायी हैं; और

(ख) इसके उपयोग की दिशा में क्या प्रगति हुई है और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था/यूनिट स्थापित करने पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) देश भर में ठोस अपशिष्ट का निपटान सफाई के रख-रखाव, प्रदूषण की रोक थाम और स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए सामान्यतः सभी नगर पालिकाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट को एक जगह जमा करने, उसकी ढुलाई और निपटान का तरीका उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा व किस्म तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता, वित्त, श्रमशक्ति तथा उपकरणों के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है।

चूंकि, यह राज्य का विषय है, अतः इस बावत राज्य-बार प्रगति और किए गए व्यय की इस मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यकरण

6250. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक मूल्यों संबंधी संसदीय समिति तथा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक दोनों ने ही उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यकरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गयी टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार ने मार्केटिंग डेवलपमेंट रिसर्च एसोशिएट्स से उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यकरण का अध्ययन और उसकी जांच करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या मार्केटिंग डेवलपमेंट रिसर्च एसोशिएट्स की सिफारिशें अब तक प्राप्त हो गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को कार्यकरण को सहज और कारगर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (च) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1992 की 1) में कुछ मामलों में राजसहायता आकलन तथा लागत आकड़ों के सत्यापन के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। तथापि, इसने उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यकरण के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। तथापि, उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यकरण की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाए। समिति की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स मार्किटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन (एन डी आर ए), नई दिल्ली को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय के कार्यकरण का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। उनकी रिपोर्ट हाल ही में 21-4-1994 को प्राप्त हुई है।

रेडियोधर्मी स्रोतों में संरक्षा के उपाय

6251. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्रों के सभी रेडियो धर्मी स्रोतों में संरक्षा उपायों का पुनःपरीक्षण और उन्हें कड़ा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक अमरीकी कंपनी के मद्रास स्थित कार्यालय से एक रेडियोधर्मी उपकरण की चोरी के बाद बोर्ड ने कंपनी को रेडियोधर्मी स्रोतों के उपयोग से सभी तेल कूप छिद्रण कार्य रोकने के भी आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विकिरणात्मक संरक्षा पर निगरानी रखना एक लगातार चलने वाली प्रकिया है। तेल कूपों के संलेखन कार्य के मामले में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा "तेल-कूपों के संलेखन हेतु विकिरणसक्रिय स्रोतों संबंधी कार्यक्रम योजना, उनके परिवहन, उपयोग और निपटान में संरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और उनके बारे में अध्ययन" नामक एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने 1-1-1994 से नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय की भी स्थापना की है। नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन निदेशालय सभी विकिरण संस्थापनाओं में विकिरण संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने 5 अक्तूबर, 1993 को अमरीका की एक कंपनी मैसर्स हलीबर्टन आफशोर सर्विसेज इन्क. को विकिरणसक्रिय स्रोतों का हस्तन करने और उनका उपयोग करने से संबंधित सभी कार्यों को स्थगित करने तथा ऐसे सभी स्रोतों का उपयोग बंद कर देने और उन्हें अपनी प्राधिकृत भंडारण सुविधाओं में सुरक्षित रूप से रखने के निदेश दिए थे। इस निदेश का अनुपालन किया गया था। इसके पश्चात् 16 दिसम्बर,1993 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने अमरीकन कंपनी को तेल कूपों के संलेखन संबंधी कार्य, जिनमें विकिरणसक्रिय स्रोतों का हस्तन करना और उनका उपयोग करना शामिल है, उनके सभी स्थलों पर फिर से आरम्भ करने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अनुबंधों का अनुपालन किया जाए। अमरीकन कंपनी ने इन अनुबंधों का अनुपालन किया है।

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा उसके उप-संविदाकारों ने एक वचनबंध पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि वे सभी प्रकार के विकिरणसक्रिय स्रोतों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे यह भी कि वे "तेल कूपों के संलेखन हेतु विकिरणसक्रिय स्रोतों संबंधी कार्यक्रम योजना, उनके परिवहन, उपयोग और निपटान में संरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और उनके बारे में अध्ययन" नामक दस्तावेज के सुरक्षा संबंधी सभी अनुबंधों का अनुपालन करेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड विकिरणसक्रिय स्रोतों का सुरक्षित रूप से हस्तन किए जाने पर और उनकी भौतिक सुरक्षा पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड प्रत्येक प्रकार की विकिरण संस्थापनाओं की पूर्ण रूप से संरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है कि सभी संस्थापनाओं द्वारा संरक्षा संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

6252. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अधिक बल देते हुए संशोधित कार्यक्रम के साथ शुरू होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य की धनराशि का आबंटन अभी करना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को शीघ्र ही योजना आबंटन मुहैया कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में उठने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए 1993-94 से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) को सुधारा गया है और इसका पुनः अभिमुखीकरण किया गया है।

क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें जिन्हें सीमा क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है, कार्यक्रम के अंतर्गत ली जानी है। जबकि स्कीमों का चुनाव संबंधित राज्यों पर छोड़ा गया है; जनता की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सुविधा सहित सामुदायिक केन्द्रों का विकास और सीमा क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लक्षित दूरदर्शन और रेडियो के लिए पैकेज कार्यक्रम के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

1993-94 के लिए बी.ए.डी.पी. के लिए कुल आबंटन 140 करोड़ रुपये था। इस धनराशि में से राज्य सरकार के निर्णयानुसार सीमावर्ती ब्लाकों की क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए 19.06 करोड़ रुपये की धनराशि राजस्थान सरकार को आबंटित की गयी थी और यह धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। इसके अलावा, 1993-94 में बी ए डी पी निधि में से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राजस्थान को 52 करोड़ रुपये की धनराशि भी विशेष मामले को तौर पर जारी कर दी गई थी ताकि वे परियोजना को तेजी से पूरा कर सकें।

विकास केन्द्र

6253. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में अब तक कितने विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गयी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र से अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने विकास केन्द्रों को स्वीकृति देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) नयी विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन कर्नाटक में तीन केन्द्र मंजूर किए गए हैं। ये धारवाड़, हसन और रायचूर में हैं। इन केन्द्रों के लिए 7.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

बिना निविदा के ठेके देना

6255. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** बिना निविदा के ठेके देना और डी.डी.ए. परियोजनाओं के लिए निविदाएं के बारे में 20 नवम्बर, 1991 और 6 मई, 1992 के तारांकित /अतरांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जानकारी कब तक एकत्र कर ली जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) दिनांक 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 115 से संबंधित सूचना 22 अप्रैल, 1994 को सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

दिनांक 6 मई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9266 के उत्तर में दिये गये आश्वासन से संबंधित सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त हो गयी है और उसकी जांच की जा रही है।

नेशनल इन्फोरमैटिक सेंटर में कम्प्यूटर कर्मी

6256. **श्री डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल इंफोरमैटिक सेंटर में कितने कम्प्यूटर कर्मी कार्यरत थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनमें से कितने कर्मी नेशनल इंफोरमैटिक सेंटर का छोड़कर चले गए;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क)

वर्ष	कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों की संख्या
1991	2207
1992	2432
1993	2579

(ख) वर्ग	इस्तीफा देने वाली कर्मियों की संख्या
1991	60
1992	72
1993	66

(ग) और (घ) संपूर्ण कम्प्यूटर/इनफार मेटिक्स संगठनों में इस्तीफे द्वारा औसतन 10 प्रतिशत वार्षिक टर्न-आउट की तुलना में, इस्तीफे द्वारा 3 प्रतिशत से कम टर्न ओवर का एन आई सी का आंकड़ा प्रशंसनीय रूप से कम है। आंकडे में यह कमी एन आई सी के कर्मियों को अनुकूल कार्य स्थितियों नवीनतम प्रौद्योगिक पर्यावरण तथा योग्यता आधार प्रोन्नति की लचीली पूरक प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त प्रोन्नति के अवसर अपलब्ध कराकर प्राप्त की गई है। अनुकूल कार्य स्थितियां बनाए रखने के लिए इन सुविधाओं को आगे भी सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

गंदी बस्तियों का सुधार

6257. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत शहरी गंदी बस्तियों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरणीय सुधार योजना के लिए केरल का चयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालाय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवा कार्यक्रम केरल राज्य के 17 नगरों में चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार का कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में स्पेशल कम्पोनेन्ट लान के अन्तर्गत गरीबी हटाओ कार्यक्रम व यू.बी.एस.पी. के परिपेक्ष में चलाया जा रहा है। राज्य के चालू वर्ष के बजट में शहरी स्लमों पर्यावरण सुधार हेतु रुपये 110 लाख का प्रावधान है। वर्ष 1994-95 हेतु यू.बी.एस.पी. स्कीम के तहत इस राज्य के लिए केन्द्रीय अंशदन के रूप में 49.80 लाख रुपये (अनंतिम) रखे गये हैं और इस हेतु राज्य का हिस्सा 33.20 लाख रुपये है।

पंचायती राज

6258. **सैयद शहाबुद्दीन** :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने 31 मार्च, 1994 तक पंचायती राज कानून बना लिया है;

(ग) क्या इन राज्यों ने पंचायतों के चुनावों की तारीख घोषित कर दी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अन्य राज्य भी यह कानून अवश्य बना लें और यथाशीघ्र पंचायतों के चुनाव कराएं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जहां संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान लागू होते हैं, ने निर्धारित अवधि में अर्थात् 23 अप्रैल, 1994 तक पंचायती राज संबंधी कानून बना लिये हैं। विद्यमान कानूनों में संशोधन कर लिया है। संविधान (73वा संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-ई. में की गई व्यवस्था के अनुरूप सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराने हैं।

भोपाल गैस पीड़ितों के नकली दावेदार

6259. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटेनेन्स कार्पोरेशन और इलैक्ट्रानिक कारपोरशन आफ इंडिया लि. ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के नकली दावेदारों की छंटनी के लिए सरकार को उंगलियों के निशान लेने वाली साफ्टवेयर प्रणाली पर आधारित अपना स्वदेशी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सी एम सी और ई सी आई एल ने टर्न-की आधार पर नकली दावों का पता लगाने और समाप्त करने के लिए फिंगरप्रिंट पहचान पद्धति स्थापित करने की सरकार से पेशकश की है। इस पद्धति में फिंगरप्रिंटस की पहचान, एनकोड स्टोर और मिलान किया जाता है।

तिरुपति के पास मौसम विज्ञान संबंधी राडार

6260. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने तिरुपति के पास मौसम विज्ञान संबंधी राडार लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा हुआ है;

(ग) क्या यह राडार देश के किसी भाग में सूखा और वर्षा की पूर्व भविष्यवाणी कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तिरुपति के निकट जो राडार स्थापित किया गया है, वह मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल (एम.एस.टी.) राडार है, तथा यह मौसमविज्ञानीय राडार नहीं है।

(ख) इस राडार के विकास, संस्थापन और परीक्षण के लिए 8.77 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ग) एम.एस.टी. राडार का उपयोग करते हुए किए जाने वाले मूलभूत अध्ययनों से विशेष रूप में पवन क्षेत्रों, तरंगों और प्रक्षोभों से संबंधित बायुमण्डलीय परिघटनाओं की जानकारी को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। यह भी आशा की जाती है कि वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी से मौसम की भविष्यवाणी की वर्तमान प्रणाली, जो कि भू-आधारित, बैलून और उपग्रह संवेदकों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करती है; में अतिरिक्त निवेश प्राप्त हो सकता है।

(घ) एम.एस.टी. राडार स्थापित कर दिया गया है तथा देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के इच्छुक/प्रयोक्ता वैज्ञानिकों के लिए यह पहले से ही उपलब्ध है।

पोषाहार

6261. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया विकास बैंक द्वारा किए गए अध्ययन और सरकार के स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) में भारत की शहरी गरीबी की स्थिति पर एक अध्ययन आयोजित किया गया तथा एशियाई विकास बैंक मुख्यालय में प्रारूप स्तर पर विचार -विमर्श के दौरान पूर्ववर्ती अध्ययनों से संबंधित शहारी गरीबी के अनुमानों को उद्धृत किया गया। योजना आयोग में तैयार किए गए अनुमानों तथा योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गये अनुमानों के साथ एन आई पी एफ पी अध्ययन द्वारा उद्धृत अनुमान संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ख) आठवीं योजना के दौरान शहरी गरीबों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हेतु कई कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा शिक्षित बेरोजगारों युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी ऐम आर वाई) जैसे काम सर्जक तथा रोजगार सर्जक कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

भारत में शहरी गरीबी के राज्यवार आंकड़े

(1987-88)

राज्य	योजना आयोग के अनुमान	योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुमान	एन आई पी एफ पी अध्ययन द्वारा उद्धृत अनुमान
आंध्र प्रदेश	26.10	44.63	40.0
असम	9.40	17.34	11.4
बिहार	30.00	57.71	56.7
गुजरात	12.90	39.63	38.8
हरियाणा	11.70	17.79	18.3
हिमाचल प्रदेश	2.40	6.18	3.3
जम्मू व कश्मीर	8.40	14.82	11.0
कर्नाटक	24.20	49.06	45.0
केरल	19.30	43.36	44.5
मध्य प्रदेश	21.30	48.17	46.0
महाराष्ट्र	17.00	38.99	35.6
उड़ीसा	24.10	44.11	44.5
पंजाब	7.20	12.91	11.2
राजस्थान	19.40	38.99	41.5
तमिलाडु	20.50	43.88	39.2
उत्तर प्रदेश	27.20	45.22	41.9
पश्चिम बंगाल	20.70	38.84	30.6
अखिल भारत	20.10	40.12	36.5

*ये अनुमान श्री बी.एस. मिन्हार, श्री एल आर जैन तथा श्री एस. डी. तेंदुलकर के हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निर्यात

6262. **डा. मुमताज अंसारी :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों द्वारा कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इन निर्यातों का मूल्य और उनकी प्रकृति क्या थी; और

(ग) उन पांच उद्यमों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि में अधिकतम निर्यात किया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के विभिन्न उद्यमों द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात की मात्रा अनुलग्नक में दिए गए विवरण में दर्शाई गई है।

निर्यात की मुख्य मदें हैं :-

गैस टर्बाइनों, जनित्रणों, बायलरों व अन्य अनुषंगी उपकरणों जैसे विद्युत जनित्रण उपकरण, मशीन टूल, घड़ियां क्रेनें, रेलवे वैगन, चाय नियंत्रण एवं इस्ट्रूमेन्टेशन उपकरण, सिने/एक्स-रे फिल्म, सीमेंट, प्रक्रिया संयंत्र के उपकरण उच्च दाब औद्योगिक गैस सिलेण्डर इत्यादि।

(ग) जिन पांच उद्यमों ने अधिकतम निर्यात किया है वे हैं :

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एच.एम.टी. लिमिटेड, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड और माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	एकक का नाम	निर्यात (वास्तविक+माने गए)		
		1990-91 (वास्तविक)	1991-92 (वास्तविक)	1992-93 (वास्तविक)
1	2	3	4	5
1.	एण्ड्यू यूल एंड कपंनी लिमिटेड	0.80	2.33	4.07
2.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	490.00	634.00	786.00
3.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड	21.32	12.64	15.71

1	2	3	4	5
4.	जेसप एंड कपंनी लिमिटेड	2.75	1.80	0.37
5.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	10.63	6.49	6.29
6.	लगन जूट कंपनी लिमिटेड	0.45	0.02	0.40
7.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड	4.27	5.36	31.92
8.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	4.00	0.06	6.42
9.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड	2.17	2.17	2.23
10.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	6.37	9.63	0.45
11.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	4.10	2.77	–
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	11.61	5.72	–
13.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	20.54	0.50	–
14.	एच.एम.टी. लिमिटेड	47.64	46.42	72.15
15.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	5.18	0.82	1.12
16.	इन्स्ट्रूमेंन्टेशन लिमिटेड, कोटा	7.85	1.09	10.23
17.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	2.85	2.87	1.73
18.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	18.59	11.46	8.68
19.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	0.38	0.12	0.07
20.	नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड	0.03	0.02	–
21.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	1.29	2.64	1.70
22.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड	–	–	–
23.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.33	0.21	1.15
24.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	–	–	–
25.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	0.58	1.00	–
26.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	1.64	1.50	0.59

1	2	3	4	5
27.	साभर साल्ट्स लिमिटेड	0.74	0.81	
28.	टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	0.32		
29.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	0.36	0.34	1.31
30.	भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड			0.13
31.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	2.43	2.90	
32.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	0.08	0.10	0.27
33.	ब्रिज एंड रूप लिमिटेड	9.78	0.86	2.05
	योग	679.08	751.29	923.12

[हिन्दी]

बिहार में कृषि विकास

6263. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 92 और 1993 94 के दौरान बिहार को कृषि विकास के लिए कितने धन का नियतन किया गया;

(ख) क्या बिहार सरकार ने चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार राज्य के लिए वार्षिक योजना के तहत आयोग ने कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप सेक्टर के लिए 1991 92 में 148.30 करोड़ रुपये और 1993 94 में 158.02 करोड़ रुपये के परिव्यय पर सहमति दी थी।

(ख) और (घ) आयोग को चालू वर्ष के दौरान कृषि सेक्टर के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रुग्ण यूरिया संयंत्रों को अर्थक्षम बनाना

6264. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मजदूरों द्वारा प्रस्तुत की गयी संशोधित योजना के आधार पर रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित रुग्ण यूरिया संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.) जिसके पास यूरिया उत्पादित करने वाले कोयले पर आधारित उर्वरक एकक रामागुण्डम और तालचर में हैं को नवम्बर, 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुर्नसंरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया था। 31-12-1993 को इसकी सुनवाई में बी.आई.एफ.आर. ने सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारी यूनियनों/अधिकारी संघों, बैंक तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से एफ.सी.आई. के लिए एककवार सर्वमान्य पुर्नरुद्धार योजना तैयार करें। ये परामर्श फरवरी, 1994 में किए गए थे। कर्मचारी यूनियनों/अधिकारी संघों द्वारा प्रस्तुत संशोधित पुर्नरुद्धार योजनाओं को प्रत्यक्षः वास्तविकता से कम और तकनीकी आर्थिक रूप से अव्यवहार्य तथा इन संयंत्रों के कुछ नाजुक भागों के नवीकरण/प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान रहित पाया गया।

इस बीच, बी.आई.एफ.आर. ने 16-3-1994 को भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) को एफ.सी.आई. के लिए संचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया। इन आदेशों के अनुसार सरकार से अपेक्षित है कि एफ सी आई के लिए पुर्नरुद्धार योजना संचालन अभिकरण को प्रस्तुत करे जो आदेशों के 3 माह के अन्दर पुनरुद्धार योजना बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत करेगा। एफ.सी.आई. के रामागुण्डम और तालचर एककों सहित पुर्नरुद्धार/पुर्नवासर के लिए कोई अन्तिम निर्णय, बी.आई.एफ.आर. के सम्मुख लम्बित कार्यवाहियों पर निर्भर करता है, जो कि न्यायिक कल्प प्राधिकरण है।

शहरी सुविधाएं

6265. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी ने शहरी जनसंख्या को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो भारतीय शहरी विकास वित्त एजेन्सियों के साथ कोई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी (यू.एस.एस.) द्वारा समर्पित परियोजना अर्थात् वित्तीय संस्था सुधार और विस्तार (एम.आई.आर.ई.) के लिए भारत सरकार और यू.एस.एड के बीच सितम्बर, 1993 में एक समझौते हुआ है। परियोजना 1994-98 के दौरान चलाने का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य भारतीय ऋण और क्विटी बाजारों के विकास में भारत सरकार को मदद देने तथा मध्य आय वर्ग से नीचे के परिवारों के लाभ हेतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शहरी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं हेतु आसान वित्त व्यवस्था करने का है। परियोजना में दो तरह की सहायता है अर्थात् 20 मिलियन डालर के यू.एस.एड. अंशदान के रूप में सीधी सहायता और 125 मिलियन डालर का आवास गारंटी कोष, आवास गारंटी धनराशि को आवास एंव नगर विकास निगम और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंस सर्विसेज (आई.एल.एण्ड एफ.एस.) के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव है। यह धनराशि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होगी, जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की पूंजी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली होगी।

(ग) तथा (घ) संबंधित एजेंसियों अर्थात् आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर की जिंग एड एण्ड फाइनेंस सर्विसेज सेबी और यू.एस. एड, द्वारा ठोस प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हो पाये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में कदाचार

6266. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाईयों के उच्च अधिकारियों द्वारा कदाचार और भ्रष्टाचार संबंधी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो अन्वेषण का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) क्या इन सभी अधिकारियों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और सतर्कता विभाग की स्वीकृति लिए बिना संबंधित संगठनों में पुनः नियुक्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार को सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के शीर्ष कार्यकारियों द्वारा कदाचार और भ्रष्टाचार के संबंध में सी.बी.आई. की चार जांचों रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मामलों के ब्यौरे, सी.बी.आई. के निष्कर्ष और अब तक सरकार द्वारा की गई कार्रवाही निम्न प्रकार है :

(i) **कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 20 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने के लिए निजी पक्षकार को दलाली के भुगतान से संबंधित मामला** : आरोप यह है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) ने कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ अधिकारियों के साथ 20 करोड़ रुपये की सावधि जमा कराने के संबंध में सांठ-गांठ की और एक निजी पक्षकार को एक प्रतिशत की दलाली स्वीकृत की गई और इस प्रकार उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग किया और आर सी एफ को नुकसान पहुंचाया। सी.बी.आई. ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई तथा उनके निलंबन की भी सिफारिश की। अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और बड़े दण्ड के लिए उनके खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ii) **एक निजी फर्म को पेंटिंग का ठेका प्रदान करने से संबंधित मामला** : आरोप यह है कि आर सी एफ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों ने एक निजी फर्म के साथ एक आपराधिक षडयंत्र रचा, ताकि आर सी एफ के संयंत्र और मशीनरी की पेंटिंग के लिए पेंटिंग ठेका प्रदान करने के मामले में उक्त फर्म की सहायता की जा सके। सी.बी.आई. ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ तथा आर सी एफ के अन्तर्ग्रस्त तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने और उनके निलंबन की भी सिफारिश की है। इन सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(iii) **घटिया निष्कासित पैकिंग सामग्री की खरीद से संबंधित मामला** : आरोप यह है कि आर सी एफ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों ने फर्म से अत्याधिक दरों पर घटिया निष्कासित पैकिंग सामग्री की खरीद में एक निजी फर्म के साथ आपराधिक षडयंत्र रचा, और इस प्रकार आर सी एफ को 3 करोड़ रुपये तक की हानि पहुंचाई। सी.बी.आई. ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आर सी एफ और आर सी एफ के चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने और उनके निलंबन की भी सिफारिश की है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके और आर सी एफ के अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(iv) **केन्द्रीय खरीद समिति के माध्यम से अति उच्च दरों पर जूट और एच डी पी ई की बोरियों की खरीद से संबंधित मामला, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ, प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन एफ एल) (सेवानिवृत्त हो गये) और प्रबन्ध निदेशक, कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) (सेवानिवृत्त हो गए) अन्तर्ग्रस्त हैं** : आरोप है कि केन्द्रीय खरीद समिति के सदस्य निर्धारित घटक दारों के अनुमान लगाने तथा आपूर्तिकर्ताओं के मूल्य की वार्ता

में उपेक्षा तथा उच्चतर भाड़ा प्रभार निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी थे। सी बी आई ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर सी एफ तथा आर सी एफ के अन्य अधिकारी के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने की सिफारिश की है तथा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, एन एफ एल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, कृभको के खिलाफ जो कार्रवाई उचित समझी जाए उसे करने की सिफारिश कि है।

(v) **फैक्स मशीनें खरीदने से संबंधित मामला** : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने फैक्स मशीनों की खरीद में कुछ अनियमितताओं के लिए आर सी एफ के प्रबन्ध निदेशक तथा 4 अन्य के खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, आर सी एफ के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में यह निर्णय किया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। मामले में अन्तर्ग्रस्त अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई आरम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय खरीद समिति के माध्यम से जूट और एच डी पी ई बोरियों की खरीद से संबंधित मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ प्रबन्ध निदेशक, एन एफ एल (सेवानिवृत्त हो गये) तथा प्रबन्ध निदेशक, कृभको (सेवानिवृत्त हो गए) को निलंबित कर दिया। पुनरीक्षण करने पर तीनों मुख्य कार्यकारियों के निलबन आदेशों को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। तथापि, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ को आर सी एफ के पेंटिंग कार्य के लिए ठेका प्रदान करने से संबंधित अन्य मामले में सरकार द्वारा पुनः निलंबित कर दिया गया। जैसी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की है अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर सी एफ तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़े दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गयी है।

सरकारी आवास

6267. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पास शहरी क्षेत्रों में सामान्य मूल आवास के अलावा अपने कर्मचारियों के लिए अपने आवास भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) भारत सरकार के कुछ विभागों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अपने आवास हैं।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च

6268. **श्री मनोरंजन भक्त** :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि समुद्र नियंत्रित पोत के डिजाइन और निर्माण के लिए परामर्श सेवा पर 5.25 करोड़ रुपये का व्यर्थ खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उक्त किए गए व्यर्थ खर्चे को नियमित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौसेना के पुराने वायुयान वाहक पोतों को सेवा से हटाने के लिए एक समुद्र नियंत्रण पोत का निर्माण संबंधी प्रस्ताव दिसम्बर, 1987 में रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन था। उस समय प्रारंभ में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में समुद्र नियंत्रण पोत का डिजाइन तैयार करने के लिए एक उपयुक्त विदेशी यार्ड से परामर्श लेना अनिवार्य समझा गया था। तद्नुसार, डिजाइन के मूलाधार स्थापित करने हेतु डिजाइन संकल्पना तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की क्षमताओं का गहन विश्लेषण करने के लिए शिपयार्ड आडिट करने, ताकि विस्तार किए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, का कार्य विदेशी मुद्रा में 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विदेशी परामर्शदात्री बार्ड को सौंपने का निर्णय लिया गया था। डिजाइन संकल्पना और शिपयार्ड आडिट के लिए परामर्शदात्री संविदा का कार्य फ्रांस की मैसर्स डी सी एन को दिया गया था जिसने अध्ययन पूरे कर लिये हैं।

किन्तु धन उपलब्ध न होने तथा मौजूदा संसाधनों की कमी होने के कारण समुद्र नियंत्रण पोत का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) इस व्यय को नियमित करना जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे केवल परामर्श संबंधी उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया है।

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, 1993

6269. **श्री हरिन पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, 1993 में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे थे;

(ख) उनमें से कितने परीक्षार्थी सफल हुए;

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के कितने अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई;

(घ) क्या सरकार ने मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए की गई सिफारिशों का अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1993 के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार, जो कि सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा का भाग है, अभी प्रारंभ होने हैं। चूंकि परीक्षा प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, अतः इस स्तर पर मांगा गया ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।

(घ) तथा (ङ) जहां तक विसिल सेवा परीक्षा का संबंध है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का 21 प्रतिशत संबंधी आदेश केवल सिविल सेवा परीक्षा, 1994 से लागू होगा। दिनांक, 8-9-1993 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा लागू अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उपबन्ध में सिविल सेवा परीक्षा, 1993 से लामू नहीं किए जा सके चूंकि सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना दिसम्बर, 1992 में जारी की गई थी तथा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, जून, 1993 में हुई थी।

[हिन्दी]

गुजरात में लघु उद्योग

6270. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में फरवरी, 1994 तक लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन उद्योगों में कार्यरत लोगों की संख्या कितनी थी;

(ग) इनके उत्पादों के विपणन हेतु किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ उद्योग रुग्ण हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में लघु उद्योगों की संख्या उपलब्ध नहीं है। किन्तु उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले 94879 लघु एकक थे जो 31-12-1992 को स्थायी आधार पर पंजीकृत थे।

(ख) सन्दर्भ वर्ष 1987-88 के लिए विकास आयुक्त, लघु उद्योग कार्यालय द्वारा 1989-91 के दौरान की गई लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना से उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि गुजरात राज्य में 35000 पंजीकृत कार्यरत एककों में 2,76,955 व्यक्ति काम कर रहे थे।

(ग) विपणन मुख्यतः एक उद्यमियता संबंधी कार्य है किन्तु लघु उद्योगों के कमजोर आधार को देखते हुए सरकार ने सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के अधीन केवल लघु एककों से खरीद के लिए 409 मदों को आरक्षित किया है और एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अधीन रा.ल. उद्योग निगम में पंजीकृत लघु उद्योग एककों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं दी हैं :

1. मुफ्त टेंडर सेट जारी करना।
2. बयाने की राशि के भुगतान से छूट देना।
3. जितनी राशि सीमा के लिए एकक पंजीकृत है उतनी जमानत राशि की शर्त को हटाना।
4. गुण दोष के आधार पर बड़े एककों के कोटेशन पर, 15 प्रतिशत तक मूल्य संबंधी वरीयता देना।

गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारें राज्य-खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादों के विपणन के लिए अपनी नीति संबंधी उपायों के अधीन लघु एककों की सहायता करती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार 6581 रुग्ण लघु एकक थे।

(ङ) राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति और राज्य-स्तरीय पुनर्स्थापना समिति के जरिए जीव्यक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए नियमित आधार पर उपाय किए जाते हैं। बैंक भी नियमित आधार पर जीव्यक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए मदद करते हैं। राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार लेकर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। लघु उद्योग एककों की रुग्णता संबंधी समस्या से शीघ्रता से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे रुग्ण औद्योगिक एककों से निपटने और तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठ स्थापित करें।

[अनुवाद]

हुडको का कार्य निष्पादन

6271. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवासीय एककों, सफाई एककों आदि के निर्माण के संबंध में देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) का क्षेत्र-वार कार्य निष्पादन क्या रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई और पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(ङ) क्या हुडको की सावधि जमा और पब्लिक इश्यू स्कीमें आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इससे कितनी राशि जुटायी जायेगी और इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निगम

6272. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आवास निर्माण हेतु केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ही ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई वित्त निगम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों (सिविलियन), की कुल संख्या लगभग 37.74 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ शर्तों के तहत गृह निर्माण अग्रिम पहले ही उपलब्ध करा रही है।

कृषि भूमि का अधिग्रहण

6273. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने हदबन्दी कानून को ढील देते हुए खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने हेतु कृषि भूमि की बन्दोबस्ती अथवा अधिग्रहण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है, और 31 दिसम्बर, 1993 तक कितनी भूमि का इस प्रकार बन्दोबस्त अथवा अधिग्रहण किया गया था;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण एकक की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह एकक कृषि उत्पादों से सम्बद्ध होगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें बागवानी उत्पादों की खेती के लिए किसी व्यक्ति, अथवा फर्म, न्यास कंपनी अथवा सहकारी समिति को अथवा एग्रोप्रांसेसिंग यूनिट के लिए अधिकतम सीमां से अधिक कृषि योग्य भूमि 35 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर लेने अथवा बंजर भूमि, परती भूमि, खजन तथा खार जैसी गैर कृषि योग्य भूमि को किसानों से स्वामित्व में लेने अथवा पट्टे पर लेने अथवा संयुक्त रूप से दोनों रूपों में लेने की अनुमति मांगी गई है। जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के संबंध में तैयार की गई मार्गदर्शिकाओं के आलोक में राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे।

(ग) और (घ) चूंकि राज्य सरकार को प्रस्ताव पर पुनःविचार करने की सलाह दी गई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विसालपुर में पेयजल परियोजना

6274. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में विसालपुर पेयजल परियोजना के कार्य के परीक्षण के लिए कोई लक्ष्य निश्चित किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) शहरी जल आपूर्ति स्कीमें राज्य योजना धन से राजकीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग/बोर्डों द्वारा बनाई और चलाई जाती है। अतः, राजस्थान में बिसालपुर बांध से बिसालपुर जल आपूर्ति परियोजना के परीक्षण के लिए संघ सरकार द्वारा कोई लक्ष्य तिथि तय नहीं की गई है।

(ग) तथा (घ) 154.12 करोड़ रुपये की लागत वाली उपर्युक्त परियोजना जो दिसम्बर, 1992 में सरकार को भेजी गई थी, के संशोधित अनुभागों के आधार पर 153.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को जनवरी, 1993 में तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि पाईपलाइन का परीक्षण जुलाई, 1994 के अन्त तक शुरू होने की संभावना है और शेष निर्माण कार्य, जो मुख्यतः वितरण पद्धति से सम्बन्धित हैं, 1994-95 तक पूरा होना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

विदेशी अंतरिक्ष संचार प्रणाली

6275. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूनेस्को, आई.टी.यू. और बाह्य अंतरिक्ष संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति में तब सक्रिय भूमिका निभाई जब इन निकायों ने अंतरिक्ष उपग्रह सुविधाओं के संदर्भ में विकसित देशों की टेलीविजन प्रणालियों की संभावना पर विचार किया;

(ख) यदि हां, तो उक्त निकायों के विचार-विमार्श के दौरान भारत का क्या पक्ष रहा; और

(ग) सरकार ने स्टार टी.वी. जैसी अंतरिक्ष संचार प्रणाली के दुष्प्रभाव से अपने नागरिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया है ?

प्रधान मंत्री कार्यलय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने 1982 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय सीधे प्रसारण उपग्रह सेवा स्थापित करना चाहता है, वह प्रस्तावित अभिग्राही देश को इस बाबत सूचित करेगा तथा उन देशों में से किसी भी देश द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसके साथ तुरंत बातचीत करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रस्ताव इसकी अपनी विस्तृत प्रकियाओं और नियमों द्वारा समर्थित नहीं है, अपितु यह अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार कन्वेंशन और इसके रेडियो विनियमों के संबद्ध प्रावधानों द्वारा शासित होता है। भारत का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप है।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति पंजीकरण बोर्ड (आई.एफ.आर.बी.) के साथ उपग्रह प्रणालियों के समन्वय, अधिसूचना और कक्षीय स्थानों का पंजीकरण और आवृत्ति आबंटन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं और आई.टी.यू. के रेडियो विनियम मुख्य रूप में एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली को हानिकारण व्यतिकरण के तकनीकी विचारों पर आधारित हैं। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप में पहले से रजिस्टर्ड अथवा योजित उपग्रह प्रणालियों की रेडियो आवृत्ति के व्यतिकरण की दृष्टि से सुरक्षा की दिशा की ओर निर्देशित है। इन प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित विनियमों के अलावा आई.टी.यू. के रेडियो विनियम साधारणतया उपग्रह द्वारा आवरण अथवा कक्षीय स्थितियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। अतः कोई देश केवल इस आधार पर उपग्रह प्रणाली पर आपत्ति नहीं कर सकता कि उपग्रह एंटेना बीम इसके भू-भाग को आवृत्त करता है।

उपर्युक्त के संबंध में दो अपवाद हैं-प्रसारण उपग्रह सेवा (बी.एस.एस.) के लिए सेवा क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध तथा आई.टी.यू. की कक्षा आवृत्ति बैण्डों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध। एशिया सैट के आवृत्ति बैण्ड, जो स्टार टी.वी. कार्यक्रमों को प्रेषित करते हैं, इस प्रकार के हैं कि वे अपवाद वाली श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग

6276. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन सिफारिशों के अनुसरण में राज्य-वार कार्यान्वित की गई योजनाएं कौन-कौन-सी हैं और उनसे क्या लाभ हुए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की थीं :

1. स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्रों में आने वाले 329 निर्धारित शहरी केन्द्रों के आर्थिक तथा भौतिक आधार को समेकित करना, सुदृढ़ बनाना और विस्तार करना।

2. कुल योजना आवंटन में शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान 4 प्रतिशत अंश को बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना।

3. शहरी लघु व्यापार विकास बैंक के पर्यवेक्षण में उपयुक्त ऋण सहायता कार्यक्रम के जरिए शहरी निर्धनों के स्वः रोजगार को प्रोत्साहन देना।

4. शहरी विकास के लिए संस्थागत वित्त की आगम में वृद्धि करने हेतु 4 प्रमुख बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करना।

5. विकसित भूमि और सस्ते आवास की सप्लाई में वृद्धि, स्लम सुधार और विद्यमान आवास स्टॉक का संरक्षण।

6. बाजार में भूमि की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी हेतु नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन।

7. गरीब वर्ग और पहले से आबाद किरायेदारों को प्राप्त संरक्षण को सीमित करने तथा हर साल किराये बढ़ाने के प्रावधान हेतु विद्यमान किराया नियंत्रण कानून में संशोधन।

8. विद्यमान पालिका तथा ढांचे का पुर्नगठन और स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति में सुधार करना।

9. राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को संसाधनों की पर्याप्त सुपुर्दगी के लिए राज्य सरकार वित्त आयोग की स्थापना।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) एक विवरण नीचे दिया गया है।

	योजना का नाम	व्यय (करोड़ों में)
1.	मेगा शहरों के विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना	70.00
2.	लघु तथा मध्यम कस्बों के सघन विकास की योजना	207.27
3.	नेहरू रोजगार योजना	505.77
4.	निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा	79.00
5.	शहरी सुगम जल आपूर्ति कार्यक्रम	11.71

विवरण

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की वह सिफारिशें जो कार्यान्वित हो गई हैं, दर्शाने वाला विवरण :

1. बचत जुटाने और आवास के लिए वित्त में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापना की गई है।
2. विभिन्न स्थानीय निकायों/राज्य एजेंसियों द्वारा अवस्थापना विकास के लिए वित्त उपलब्ध करने हेतु हुडको में एक पृथक् डीविजन खोला गया है।
3. शहरी रोजगार उत्पन्न करने और निर्धनता उन्मूलन के उपाय के रूप में नेहरू रोजगार योजना पुनः प्रतिपादित की गई है।
4. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा निर्धारित जी.ई.एम. कस्बों (जनरेटर आफ इकोनोमिक मोमेंटग) को शामिल करने हेतु लघु तथा मध्यम कस्बों के सघन विकास की चल रही योजना का विस्तार।
5. विशेषतया निर्धनों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवास नीति बनाना।
6. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदर्श किराया नियंत्रण कानून तैयार किया गया है।
7. आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में योजना आयोग द्वारा शहरी विकास पर गठित कार्यदल ने उक्त योजना के लिए शहरी नीति तैयार करते समय राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की प्रमुख सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

कार्य में महिलाओं की भागीदारी

6277. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय महिलाओं ने कार्य के अवसरों में भागीदारी में क्या भूमिका निभाई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य में महिलाओं की भागीदारी और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में ब्यौरा क्या है और देश में राज्य वार महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत (जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त) के लिए महिला कार्य सहभागिता दर 22.25 है। राज्यों के बीच पर्याप्त अन्तर है-पंजाब में न्यूनतम 4.40 तथा मिजोरम में उच्चतम 43.52 है। राज्यवार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुमान लिंग वार तैयार नहीं किए जाते हैं।

विवरण

देश में महिला कार्य बल सहभागिता दरों को दर्शाने वाला विवरण
राज्यवार 1991 जनगणना

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला कार्य सहभागिता दर
1	2	3
	अखिल भारत (जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त)	22.25
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	34.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.49
3.	असम	21.61
4.	बिहार	14.86
5.	गोवा	20.52
6.	गुजरात	25.96
7.	हरियाणा	10.76
8.	कर्नाटक	29.39

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	34.81
10.	केरल	15.85
11.	मध्य प्रदेश	32.68
12.	महाराष्ट्र	33.11
13.	मणिपुर	38.96
14.	मेघालय	34.93
15.	मिजोरम	43.52
16.	नागालैंड	37.96
17.	उड़ीसा	20.79
18.	पंजाब	4.40
19.	राजस्थान	27.40
20.	सिक्किम	30.41
21.	तमिलनाडु	29.89
22.	त्रिपुरा	13.76
23.	उत्तर प्रदेश	12.32
24.	पश्चिम बंगाल	11.25
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	13.13
2.	चण्डीगढ़	10.39
3.	दादरा और नगर हवेली	48.79
4.	दमन और दीव	23.17
5.	दिल्ली	7.36
6.	लक्षद्वीप	7.60

1	2	3
7.	पांडिचेरी	15.24

सैनिक अधिकारियों द्वारा हथियारों की खरीद

6278. **श्री जी. माडे गौढ़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में सैनिक अधिकारी सेना से न्यूंनतम दरों पर पिस्तौल और शॉटगन जैसे नान-स्टंडर्ड पैटर्न हथियारों को खरीदते हैं और फिर इन्हें बाजार में बेचकर भारी लाभ कमाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनवरी, 1984 से अगस्त, 1993 के दौरान, सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान करने पर रक्षा/असैनिक सरकारी कर्मचारियों को 638 नॉन-स्टैंडर्ड (एन एस पी) हथियार आबंटित किए गए थे। सैन्य अधिकारियों द्वारा गैर-हकदार व्यक्तियों को हथियार बेचे जाने के कुछ मामले सरकार की सूचना में आए हैं और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई शुरु की जा चुकी है।

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र

6279. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग एककों के होज़री और अन्य उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए एक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय क्षेत्रीय/फील्ड परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। सरकार राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना करती है और इस बात से भी सहमत है कि राज्य निधि से भवन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार उद्योग एसोसिएशनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों के प्रबन्ध के अन्तर्गत ऐसे केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है। इन अभिकरणों से ऐसा कोई अनुरोध विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है और न ही आंध्र प्रदेश राज्य से होजरी तथा लघु एककों के अन्य उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

ईरान और कातार में यूरिया संयंत्र

6280. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ईरान और कातार में यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों की स्थापना हेतु दोनों देशों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, और

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी और इनमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) 6 मार्च, 1994 को इफको और कृभको ने केशम फ्री एरिया अथरिटी आफ ईरान के साथ संयुक्त उद्यम आधार पर केशम आइलैंड (ईरान) में गैस पर आधारित आमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की संभावना की जांच करने के लिए आपसी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना मापदण्डों के सम्बन्ध में केवल आरंभिक विचार विमर्श हुए हैं।

इफको कतार में भी नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने की संभावना की जांच में कर रहा है। तथापि, इस समबन्ध में किसी समझौता ज्ञापन पर अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का दुरुपयोग

6281. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर किसानों के लाभार्थ दी जाने वाली राज सहायता का लाभ पटाखा एककों द्वारा उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पटाखा एककों द्वारा राज सहायता का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के दुरुपयोगका कोई विशिष्ट और सत्यापनीय मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औद्योगिक प्रयोजनों के नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के दुरुपयोग से बचने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिसमें केवल प्राधिकृत औद्योगिक बिक्रेता या केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति को छोड़कर, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने तथा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के मामलों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उर्वरकों की बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। राज्य सरकारों को दोषियों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबन्धों के उल्लंघन में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऐसे उर्वरकों के विचलन के खिलाफ चौकसी के लिए शक्तिंयां प्रदान की गयी हैं।

इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कार्पोरेशन द्वारा परियोजनाएं

6282. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कार्पोरेशन ने हाल ही में चार परियोजनाओं का चयन किया है और उन्हें अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी विस्तृत वित्तीय योजना को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी;

(घ) क्या इंडो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कार्पोरेशन का विचार नई पीढी के तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों के निर्माताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या आई.जी.एफ.सी.सी. वर्तमान यूरिया संयंत्र में थोड़ा विस्तार करने पर विचार कर रही है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (छ) इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल कार्पोरेशन (आई जी एफ सी सी) ने सूचित किया है कि उन्होने निम्नलिखित चार परियोजनाओं की पहचान कर ली :

(i) 1.21 लाख टन यूरिया का प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में उनके संयंत्र में अमोनिया/यूरिया क्षमता में सीमान्त विस्तार।

(ii) पर्यावरणात्मक रूप से अनुकूल नयी पीढी के कीटनाशकों का निर्माण।

(iii) कागज एवं चीनी परियोजना।

(iv) तांबा प्रगालक परियोजना।

इनमें से कुछ परियोजनाओं को या तो इण्डो गल्फ के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है अथवा अन्य समूह की कम्पनियों के साथ संयुक्त रूप से अलग कम्पनी द्वारा। कम्पनी ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय योजनाएं बना ली गई हैं।

इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के पूरा होने की अवधि 24 से 36 माह होने की आशा है।

|हिन्दी|

गुजरात की मतदाता सूचियां

6283. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) गुजरात की निर्वाचक नामावलियां, 1-1-1994 को अर्हता की तारीख मानकर सक्षेपत: पुनरीक्षित की गई थीं और ये नामावलियां 12-3-1994 को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम

6284. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से राज्य आते हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) से (घ) वर्ष 1986-87 से क्रियान्वित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का वर्ष 1993 94 से नीवकरण तथा पुनराभिमुखीकरण किया गया है। अब इसमें पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमा से जुड़े क्षेत्रों के सभी राज्यों को शामिल किया गया है; नामत :

1. जम्मू एवं कश्मीर
2. पंजाब

3. राजस्थान

4. गुजरात

5. पश्चिम बंगाल

6. असम

7. मेघालय

8. मिजोरम

9. त्रिपुरा

अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो समस्याएं घटती हैं, उन विशेष समस्याओं के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यक्रम का पुनराभिमुखीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें, जो सीमांत क्षेत्रों की पेचीदा समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जा रही है। सुदूरवर्ती, सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों का संतुलित विकास, इन क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित कराने के लिए तथा लोगों की समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ बनाने में उनकी भागीदारी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। स्कीमों का चयन करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता हैं। इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 640 करोड़ रुपये (1991 92 की कीमतों पर) के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

परती भूमि विकास योजना

6285. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लिए परती भूमि विकास योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंजर भूमि या पर्वतीय क्षेत्र में वानिकी तथा क्षारीय और अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए भी योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए किन किन जिलों का चयन किया गया है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने हैक्टेयर भूमि को शामिल किया जाएगा;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक लागू किया जाएगा; और

(च) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत की उड़ानें रद्द कर दी गयी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह उड़ानें काफी अनियमित हैं। अब, हम नहीं जानते कि किन कारणों से ये सभी वायुदूत उड़ान सेवाएं निरस्त की गयी हैं।

महोदय, 24 मार्च को जब भारत सरकार के नागर विमानन और पर्यटन मंत्री शिलांग आये थे, उन्होंने वायदा किया था कि 4 नये विमान उपलब्ध कराये जायेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनकी उड़ानें अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू की जायेंगी तथा इनका मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। अप्रैल का दूसरा सप्ताह निकल गया है इस समय मई का पहला हफ्ता चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जो विमान सेवाएं हमें यहां उपलब्ध थीं उनकी उड़ानें बिना किसी कारण के रद्द कर दी गयी हैं। इसलिए महोदय, मैं इस संबंध में सरकार से आश्वासन चाहता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती, इसे इनसे वंचित क्यों रखा जाता है? महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर वक्तव्य देंगी।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले महीने बड़ी भारी ओलावृष्टि हुई और उसमें करीब 25 जानें गईं। अकेले आगरा जिले में 14 जानें गईं। पुलिस ने एक खिताब सिंह नाम के व्यक्ति*की हत्या इसलिए कर दी कि वह प्रदर्शन कर मांग कर रहा था कि वह लुट गया और लोग भी कह रहे थे कि हम लुट गये, हमें सहायता दी जाये।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को राहत देने की आवश्यकता थी, उनको वांछित राहत नहीं दी गयी। मैं यहां जाखड़ साहब से भी कांटेक्ट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से जो नुकसान हआ है, इसका केन्द्र सरकार आकलन करके उन्हें राहत दे। राहत कार्य में भेदभाव बरता जा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों में घोर असन्तोष है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उनको जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एडहॉक यह पता दी जाये जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको राहत दी जाये राहत में आप

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्वांटिफाई करते हैं कि जिन का 41 परसैंट नुकसान हुआ है, उन्हें राहत नहीं देंगे। ऐसा नियम बनाया जाये कि 30 परसैंट या उसके ऊपर जितना नुकसान हुआ है, उनको राहत दी जाये। इसके साथ ही सारे सरकारी देयों की वसूली को रोका जाये। इस समय कोआपरेटिव सैक्टर के लोग्स हैं, उनके चपरासी और अधिकरी हथकड़ियां लिए गांवों में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए घूम रह हैं। आगरा में जैसे विशेष रूप से दो बार ओले पड़े और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से में ओलों से फसल नष्ट हो चुकी है इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मेरे जिले में भी, मेरी कांस्टीट्वेंसी में भी कई वर्षों से लगातार ओला पड़ रहा है और सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करें।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। आपको और सदन को स्मरण है कि दिसम्बर में पोस्टल कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उस हड़ताल को वापस लेने के समय माननीय मंत्री महोदय ने संसद में बयान भी दिया था। उसमें उन्हें जो आश्वासन दिये गये थे, उनमें मंत्री महोदय ने कहा था कि–

[अनुवाद]

(1) 10 प्रतिशत एच० एस० जी० -II पदों का दर्जा बढ़ाकर एच० एस० जी० -I करना।

(2) रु० 1200-1800 के वेतनमान में बी० सी० आर० में डाकिए और मेल गार्ड नियुक्त करना।

(3) एस० ए० पी० ओज/ए० एस० आर० एम० पदों का दर्जा बढ़ाकर पी० एस० एस० ग्रेड बी० कर देना।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, बड़ी चिन्ता का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय के बयान के बावजूद और आश्वासन के बावजूद वह कोई भी काम नहीं किया गया, कोई सहूलियत उनको नहीं दी गई। अतिरित्त विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर कमीशन बनाने की बात की गई थी, वह भी नहीं किया है। वह कर्मचारी 2 मई से भूख हड़ताल पर डाक भवन के सामने बैठे हैं लेकिन मंत्री महोदय एवेलेबल नहीं है। आपको भी टिप्पणी करनी पड़ी थी। अनिश्चित काल की भूख हड़ताल चल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के प्रति पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए मैं तो कहूंगा कि उनके अपने व्यक्तिगत कार्य भी थे जिन्हें वह स्थगित नहीं कर सकते थे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि आप विभाग को यह

कहें कि उनकी समस्याएं हल की जायें ताकि कर्मचारी आन्दोलन को बन्द करें, अन्यथा सारे देश में डाक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस विषय पर मैंने भी नोटिस दिया है। वे परसों से हड़ताल पर हैं।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना काम कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कहां कर दिया है?

[अनुवाद]

कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उन बातों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दूंगा जिन्हें पहले कहा जा चुका है। कृपया बैठ जाईये।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा और उन्होंने जो कहा, उसके माने एक ही हैं।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, यू० एस० ए० आई० डी० और भारत सरकार ने तमिलनाडु में एक एच० आई० वी० 'एड्स' निवारण परियोजना शुरू करने के लिए 30 सितम्बर, 1992 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की व्यय वित्त समिति की मंजूरी लेने की कोशिश नहीं की। 8-6-1993 को यू० एस० ए० आई० डी० ने इस विलम्ब पर अपनी चिन्ता जाहिर की और स्पष्ट किया कि अगर भारत सरकार इस मामले में और अधिक विलम्ब करती है तो वे अपनी धनराशि वापस ले लेंगे। दिसम्बर, 1993 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की स्वीकृति ले ली। उसमें एक शर्त लगायी गयी कि यह राशि राज्य के स्वास्थय विभाग और केन्द्रीय बजट के माध्यम से जायेगी। जनवरी, 1994 में यू० एस० ए० आई० डी० ने इस पर आपत्ति की और चेतावनी दी कि वह दस मिलियन यू० एस० डालर अनुदान की परियोजना से हट जायेगा। इसके पश्चात् नये स्वास्थ्य मंत्री आये। उन्होंने आपत्ति लगाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस बात पर जोर दे रही थी कि धनराशि तमिलनाडु बजट के माध्यम से जारी होनी चाहिए जिस पर उन्होंने आपत्ति की। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि उन्हें केन्द्रीय बजट के माध्यम से स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं को धनराशि आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तमिलनाडु सरकार के इस पत्र के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है यद्यपि वित्त मंत्रालय उक्त राशि को तत्काल उपयोग में लाना चाहता है।

इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लगभग 19 माह की अवधि का विलम्ब किया गया। अन्तर-मंत्रालयों प्रक्रियागत अड़चनों के कारण दस मिलियन यू॰एस॰ डालर अनुदान राशि को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। मैं नहीं जानता कि स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में इतने अड़ियल क्यों हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण हमारे देश को विशेषकर तमिलनाडु राज्य को 10 मिलियन यू॰एस॰ डालर से हाथ धोना पड़ रहा है जोकि 300 करोड़ रुपये के बराबर है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है कि वह अविलम्ब किये के हित में इस परियोजना को शीघ्र मंज़ूरी प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार वक्तव्य देगी। कृपया ध्यान दें कि मैंने कहा है कि सरकार द्वारा कुछ वक्तव्य दिये जायेंगे। लेकिन हमें कोई वक्तव्य नहीं मिला है। कृपया सम्बन्धित मंत्रालय को सूचित करें और वक्तव्य प्राप्त करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं वैसा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय संबंधी मामला यहां पर उठाना चाहता हूं। विदेश सेवा संचार निगम से युरो-इशूज जारी किया था। युरो-इशूज की हालत यह है कि सरकार को अंतिम क्षणों में वापिस देना पडा था और उसका हमारे शेयर बाजार पर काफी गहरा असर पड़ा है। दिल्ली, बम्बई में शेयरों के भाव गिर गए हैं। कहा जाता है कि इसमें कठिनाई इसलिए आई है कि विदेश सेवा संचार निगम से कोई सिक्रेट सर्कुलर जारी किया था, इस वजह से यूरोप और दूसरे बाजारों में उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। उसमें यह लिखा गया था कि यह शेयर ओवर-प्रेत्युड है और उसकी कीमत सही नहीं आंकी गई है। मैं यह जानना चाहूंगा, किस कर्मचारी ने ऐसा गुप्त सर्कुलर जारी किया है? गुप्त सर्कुलर यूरोप के वित्तीय बाजारों में कैसे उपलब्ध हो गया? क्या यह सही है कि कोई दो दलालों की लड़ाई की वजह से यूरोप के वित्तीय बाजारों में हमारी इतनी हानि हो रही है? प्रधान मंत्री जी की अमरीका यात्रा होने वाली है, जहां वे बिजनैसमेन से बात करने वाले हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या किसी एक दलाल कम्पनी की दूसरे दलाल कम्पनी की आपस में स्पर्धा की वजह से हुआ है या विदेश सेवा संचार निगम के तहत भी उस विभाग के मंत्री और उनके कुछ कर्मचारियों के बीच में स्पर्धा है, मतभेद है, उसके जरिए से हुआ है? इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह इसलिए कि इस वर्ष और अगले वर्ष में काफी व्यय सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों, इंडियन आयल कम्पनी, टेलिफोन कम्पनी, भारतीय पैट्रोलियम आदि, के युरो शेयर जारी होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको स्पष्ट करे, गुप्त सर्कुलर किसने जारी किया, कैसे लीक हुआ, क्या यह दलालों की वजह से हुआ और क्या सरकार के लोग उसमें शामिल हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मैं इस सभा का तथा सरकार का ध्यान सिक्किम की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार की बांटो और शासन करो की नीति

के विरुद्ध, कल लाखों लोग सड़क पर आ गये। जैसे-तैसे इस समाचार को सरकारी तथा निजी समाचार मध्यमों से अलग रखा गया। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा सरकार के इशारों पर ऐसा किया गया है।

जब से वित्त विधेयक, 1994 पुरःस्थापित किया गया है तब से सिक्किम के लोग आंदोलन कर रहे हैं तथा विभिन्न भागों में अलग-अलग दिन अनेक, वादों का आयोजन किया। लोग दलगत तथा जातिगत भावनाओं से हटकर सरकार के लोगों की बांटने के उस गलत कदम का जिसके तहत अनुसूचित जाति सहित सिक्किम के तीन में से एक जातीय समुदाय को इस विधेयक के उपबंधों से बाहर रखा गया है। यह बहुत कम देखेने में आया है कि सिक्किम के लोगों द्वारा ऐसा आंदोलन किया जा रहा है– विगत बीस वर्षों मे सिक्किम की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता इस बात का प्रमाण है कि सिक्किम के लोग शांतिप्रिय हैं। लेकिन इस विधेयक के उपबंधों के अध्यधीन नेपाली मूल के सिक्किमियों के एक जातीय समुदाय को अलग रखने के कारण उनके दुःखों के नर्व केन्द्र को छू लिया है जो कि इतने वर्षों से उनके मरहमों पर पट्टी बांधने की प्रक्रिया में लगे थे।

मैं स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हुए सिक्किम के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा भारी इस दुष्प्रचार के बावजूद उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखा है। कल की गई रैली सभी जातीय समुदायों के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया तथा उन्होंने इस विधेयक के उपबंधों में नेपाली मूल के सिक्किमियों को शामिल करने की मांग की है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करें तथा कुछ संशोधन कर ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो कि सिक्किम के लोगों की इच्छा तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के अनुरूप हों।

श्री ई० अहमद (मंजरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से इसे उठाने की अनुमति ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। मुझे सिर्फ एक मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। मैंने इसे टिप्पणी के लिए भेज दिया हूं तथा जब मुझे टिप्पणी प्राप्त हो जाएगी तब मैं आपको इसे सभा पटल पर उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं मलयालम भाषा की दैनिक मध्यामम ने भी सभा के कुछ माननीय सदस्यों के विरुद्ध कुछ बातें प्रकाशित की हैं। ... **(व्यवधान)** *

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, इसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ई० अहमद : मैं नियम का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहते थे मैंने आपको दिया। मैंने जो कहा उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए तथा उसे समझना चाहिए। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और अकाल दोनों का ऐसा संबंध है कि कोई वर्ष खाली नहीं जाता। इस समय राजस्थान के 27 में से 25 जिलों में अकाल है, 686 गांवों में भयंकरतम स्थिति है। अप्रैल महीने तक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया है, लेकिन पेयजल की समस्या वहां की सबसे बड़ी समस्या है। केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार ने 1645 करोड़ रुपए की 4 योजनाएं स्वीकृति के लिए भेजी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो हम पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी का तल 500 फुट नीचे तक चला गया है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के पास 4 योजनाएं स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां पर दुर्भिक्ष है, यह एक गरीब प्रदेश है, यहां की जनता भयंकर दुर्भिक्ष का मुकाबला कर सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 1645 करोड़ की 4 परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें, ताकि वहां की पेयजल की समस्या कुछ हद तक दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री वाईता उम्बे (अरुणाचल पूर्वी) : अध्यक्ष महोदय, भारत में आर्थिक उदारीकरण की घोषणा के बाद अरुणाचल ने प्रदेश सहित भारत के सभी भागों में रहने वाले लोगों त्वरित औद्योगिक विकास के आशा किरण देखी। इसके फलस्वरूप देश के अंदर तथा विदेशों से भारी समर्थन प्राप्त हुआ जबकि इस नीति की घोषणा के तीन वर्ष बाद भी उत्तर-पूर्व राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश को सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा अनदेखा छोड़ दिया गया जिससे कोई उद्योग नहीं लगाये गये। अरुणाचल प्रदेश में वन पर आधारित जो भी लघु तथा मध्यम उद्योग विद्यमान थे विगत कई वर्षों से पूंजीगत माल तथा परिवहन पर दी गई सहायता के न दिये जाने के कारण, भारी वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इस अनावश्यक विलम्ब के कारण उद्यमी बहुत हतोत्साहित हो गये हैं। अतः माननीय वित्त मंत्री द्वारा कर छूट की घोषणा के बावजूद भी कोई भी उद्योगपति आगे नहीं आये हैं।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से उस सहायता को शीघ्र जारी किए जाने की मांग करता हूं जिसे, गत कई वर्षों से झूठे कारणों के आधार पर रोक कर रखा गया है तथा यह भी आग्रह करता हूं कि वहां बढ़ती हुए क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए शीघ्र एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाये। यदि ऐसा शीघ्र नहीं किया गया तो राज्य में तेजी से बढ़ रही असंगत भावना और ज्यादा खराब हो जाएगी जो अन्ततः देश के हित में नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे बहुत ही संतुलित भाषा की अपेक्षा थी।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की एक व्यवस्था ...।

[अनुवाद]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उठे ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान, मैं काफी समय से आपके इस प्रकार के व्यवधानों को सहन कर रहा हूं। इसके बाद मैं ऐसे व्यवधानों को सहन नहीं करूंगा। आप इसका ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी नोटिस देते हैं। लेकिन आप हमारी बात सुनते नहीं हैं। हम लोग यहां पर किस लिए बैठे हुए हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस देने वाले सारे सदस्यों को समय नहीं दिया जा सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभा से बाहर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, आप सभा से बाहर जायें अन्यथा मार्शल आपको बाहर ले जाएगा।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : हम लोग भी नोटिस देते हैं, लेकिन हम जब भी बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

(अध्यक्ष की अनुमति इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया)

[हिन्दी]

क्या हम लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं। हम लोग हमेशा नोटिस देते हैं क्या हम लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं ऐसी चीजों को अच्छा नहीं समझता हूं। या तो आप सभा से बाहर जायें अन्यथा हमें आपको बाहर ले जाने का इंतजाम करना होगा।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : हम लोग बराबर देखते रहते हैं। आप दोनों तरफ से सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, लेकिन हम लोग जब भी बोलना चाहते हैं** ... क्या हम लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपके लिए बहुत अशोभनीय बात है। मैं यह मामला जांच तथा यह

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

पता लगाने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं कि क्या किसी सदस्य द्वारा दिये गये इस प्रकार के वक्तव्य उचित हैं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान** : अध्यक्ष महोदय, जनता ने हमको यहां चुनकर भेजा है, जनता ने अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए हमको चुनकर भेजा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि विशेषाधिकार समिति इस पर अपनी रिपोर्ट देगी तथा यह बतायेगी कि इस प्रकार के सदस्य को किस प्रकार की सजा दी जाये। मैं इसे दस बार से ज्यादा सहन कर चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ही एक मात्र बोलने वाले सदस्य नहीं हैं। कृपया बैठ जाईये। मैं पहले उनकी बात सुनूंगा।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता है। यह व्यवहार अक्षम्य है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है; ऐसा कई बार हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय अध्यक्ष जी से क्षमा मांगें ... **(व्यवधान)**

श्री छेदी पासवान : ** ... जब हम बोलना चाहते हैं तो आप हमको बैठा देते हैं। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको टाईम दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : निकालना है तो निकाल दीजिए, जनता ने हमें भेजा है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को आपसे क्षमा मांगनी चाहिए और संसदीय परम्पराओं के अनुरूप यहां पर व्यवहार करना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य आपसे क्षमा मांगें और उसके बाद जो बात उठानी है वह उठाएं। इस सदन की मर्यादा और नियमों के विपरीत न जाएं और जो ढंग चल रहा है उसको चलने दीजिए। मैं, आपसे फिर कहता हूं कि माननीय सदस्य आपसे क्षमा मांगें और फिर आप अपने हिसाब से काम चलाएं। ... **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर लोगों के अपने मामले होते हैं और आम शिकायत होती है कि कुछ लोगों को बार-बार नोटिस देने के बाद भी उनको समय नहीं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

मिलता है। ऐसे सदस्यों से बराबर बातचीत होती है और वे हमसे शिकायत करते रहते हैं। हमारे साथी श्री छेदी पासवान जी ने उत्तेजना में बात कही है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी ओर से उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस पर अपना खेद प्रकट करें। ...**(व्यवधान)** मैं मानता हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं, आपसे इस पर खेद व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्य की तरफ से भी खेद व्यक्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि सम्मानीय सदस्यों को टाईम देना चाहिए। 545 सदस्यों को आधे घंटे में टाईम नहीं दिया जा सकता है। मैं, प्रिविलेज कमेटी को यह देखने के लिए कहूंगा कि जिस सदस्य को यह शिकायत है। तो उस सदस्य को इस सदन के अंदर कितना टाईम दिया गया है? अगर उसका कहना गलत निकला तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर, उनका कहना सही निकला तो उनको सजा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जैसे हम रास्ते पर खड़े होकर ऐसी बात करते हैं, वह करना हमेशा के लिए हमारी गरिमा के खिलाफ है। यह बात हम एक दफा, दो दफा या तीन दफा समझ सकते हैं, लेकिन कोई एक सदस्य इस प्रकार का बर्ताव करने लगे तो इसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी, यह बात ठीक नहीं है। यहां पर माननीय सदस्य माफी मांगे या प्रिविलेज कमेटी उसको ले ले कि उनको क्या सजा होनी चाहिए। यह बात चार दिन के अंदर मालूम की जाए कि उनके ऊपर प्रिविलेज कमेटी के मुताबिक या सदन उनको सजा दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं और मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप अपने मैम्बर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हां हमें करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमको समझाने की कोशिश मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद ऐसा नहीं किया है। पहले नीतिश कुमार जी के कहने पर उनके खिलाफ कहा था ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक संकल्प के अंदर ऐसा कहा था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ऐसे कई उदाहरण हैं जब बहुत से सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला और वे उत्तेजित हो गये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जायें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भी कुछ

गलत कर सकते हैं, मैं भी कुछ गलत कर सकता हूं। उस गलती को हम दूर भी कर सकते हैं। मगर किसी सदस्य को सदन में यह समझकर नहीं चलना चाहिए कि जैसे रास्ते पर बिहेव करते हैं, वैसे ही यहां भी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम सभी लोगों की ओर से, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे क्षमा मांगें और इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और यह बात उन्हें स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमें जनता ने यहां अपनी भावनायें व्यक्त करने के लिए भेजा है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, अगर हमारी बात से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन हर समय यह बात दोहराते रहना, यहां पर स्पीकर ही नहीं बैठते हैं, चेयरमैन भी बैठते हैं उनको भी तकलीफ होगी। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा समय आप पीछे बैठने वालों को दिया जाता है। आपने कहा है इसलिए यह मैटर यहीं समाप्त हो जाती है, प्रीविलेज कमेटी में नहीं भेजा जायेगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसको आइंदा रिपीट नहीं किया जाये।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, इन दिनों अजमेर में डाक वितरण व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक एवं कष्टपद हो गई है। समय पर पत्र, रजिस्ट्रियां, तार नहीं मिल पाते, डाक सामग्री भी डाकघरों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अजमेर के सबसे बड़े डाकघर में चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। देश-विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा अजमेर की सुप्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा साहब के नाम पर खादिमों को भेजे जाने वाले मनीआर्डर हजारों की संख्या में गायब हो जाते हैं, पिछले दिनों ही दो डाकियों के घर पर इस प्रकार के दो बारी मनीआर्डर फार्म पाये गये जो आपसी मिली भगत से जिनकी राशि उठा ली गई। पहले भी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। राजस्थान ईस्टर्न सर्कल मुख्यालय अजमेर का पी०एम०जी० का पद गत तीन माह से खाली पड़ा है। यहां के डाक अधिकारियों के विरुद्ध डाक कर्मियों में भी असंतोष है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि आम नागरिकों के हित में अजमेर की डाक व्यवस्था को अविलम्ब सुधारने की व्यवस्था की जाये। अजमेर एक ऐतिहासिक, धार्मिक सांस्कृतिक नगर रहा है। यहां पर प्रतिवर्ष लाखों लोग दरगाह ख्वाजा साहब की देहरी पर अकीदत फूल चढ़ाने तथा पास में ही तीर्थ राज पुष्कर की पवित्र झील में डुबकी लगाने को आते हैं। इसलिए डाक की व्यवस्था अविलम्ब सुधारी जाये।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (भुवन्तपुजा) महोदय, जब कृषकों के माल की कीमतें तेजी से गिर जाती हैं या कुछ निर्माताओं की ओर से कोई दबाव पड़ता है तो विकसित देश भी किसानों को सहायता देते

हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह नई नीति का परिणाम है किंतु हमने बार-बार यह आश्वासन दिया गया है और हमें विश्वास है कि नई नीति से कृषकों और कृषि से जुड़े लोगों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां तक सात लाख से अधिक रबड़ उत्पादकों का संबंध है यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इन रबड़ उत्पादकों को अक्सर एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निर्माता, मुख्य रूप से टायर निर्माता एक जुट हो जाते हैं और बाजार से दूर रहते हैं जिससे कीमतें गिर सके। जब काफी माल उपलब्ध होता है यह बात हर बार होती है। जैसा वे हमेशा ही करते रहते हैं, जब तक सरकार बचाव के लिए नहीं आगे आती सदैव, कृषकों को बड़ी कठिनाई होगी।

अखबारों में यह खबर छपी है कि सरकार ने रबड़ की बफर स्टॉक बनाने की योजना से अलग रहने का निर्णय किया है, इसका तात्पर्य है कि सरकार बाजार से और रबड़ नहीं खरीदेगी। जबकि उद्योगपति भी बाजार से रबड़ नहीं खरीदेंगे और सरकार पर इसके आयात के लिए दबाव डालेंगे।

इसलिए मैं न केवल केरल के लाखों कृषकों और कृषि श्रमिकों की ओर से बल्कि उन आठ राज्यों के कृषकों और कृषि श्रमिकों, जहां पर रबड़ उत्पादन किया जा रहा है और जो इस वर्ष के अन्त तक तैयार होने वाली है, सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और यदि कोई कदम उठाया गया है तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और सरकार बाजार में नहीं जायेगी और सरकार को मूल्य स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए।

यदि कम से कम साल में एक बार सरकार रबड़ का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है तो मेरा निवेदन है कि इससे सभी रबड़ उत्पादकों को कठिनाई होगी।

मैं पुनः वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात पर गम्भीरता से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : हम अन्य मामलों को कल लेंगे। आधा घण्टा समाप्त हो चुका है।

अब पत्रों को सभा पटल पर रखा जायेगा।

12.31 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के लिए विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० (5838/94]

12.32 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.33 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने और बिजली के बिलों की बकाया राशि के भुगतान से छूट देने की आवश्यकता

श्री के०जी० शिवप्पा (शिमोगा) : भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 1989 में कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र का प्रबंध ग्रहण किया था। इस प्रबंध ग्रहण के परिणामस्वरूप गत चार वर्षों के दौरान संयंत्र में त्वरित सुधार के संकेत थे। अब, दुर्भाग्यवश यह विद्युत प्रभार अदा करने की स्थिति में नहीं हैं। यह सच है कि उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय संव्यवहार 82 करोड़ रुपए से बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया है परन्तु इसके साथ-साथ ही विद्युत के प्रयोग में भी वृद्धि हुई है। बिजली की दरो में वृद्धि के कारण बिजली के बिलों का भुगतान भी एक भारी बोझ बन गया है।

इस पर सहमति हुई थी कि इस संयंत्र को रियायती दरों पर विद्युत सप्लाई की जाएगी। तद्नुसार, इसे विद्युत बोर्ड को 119.28 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। परन्तु बोर्ड ने कहा है कि संयंत्र को इस वर्ष 20 करोड़ रुपए की ब्याज राशि सहित कुल 211 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेगा। केन्द्र को इस संयंत्र को इस संकट से बचाना होगा।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि संयंत्र को बकाया राशि अदा करने से छूट दी जाए और उसे और पांच वर्षों तक रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई की जाए। संयंत्र को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए और तत्काल लागू की जानी चाहिए।

(दो) उड़ीसा में नौपदा से गुन्नुपुर तक संकरी रेलवे लाइन (नैरो गेज) की बड़ी रेलवे लाइन के बदलने और इसे रायगढ़ तक बढ़ाने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : नौपाड़ा-परलाखेमुंडी-गुनपुर के बीच छोटी रेल लाइन

[श्री गोपी नाथ गजपति]

को बड़ी लाइन में बदलने और विजयनगरम-रामपुर लाइन तक विस्तार करना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों के अल्पविकसित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, जिनमें आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोग शामिल हैं, का एकचिर प्रतिक्षित स्वप्न था। गत वर्ष रेल मंत्रालय ने एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि प्रारम्भ में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात् बड़ी लाइन में बदलने के कार्य पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार का एक आश्वासन योजना आयोग द्वारा भी दिया गया था। तथापि, इस सम्बंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

91 मीटर लम्बी यह छोटी रेल लाइन उड़ीसा राज्य के प्रथम प्रधान मंत्री, परलाखेमुंडी के, स्वर्गीय श्री कृष्णचन्द्र गजपति द्वारा बिछवायी गई थी। स्थानीय निवासी यात्रा के इस वर्तमान पुराने साधन से बहुत कठिनाई अनुभव करते रहे हैं। और अपनी उचित शिकायत व्यक्त करने के लिए विगत में अनेक बार शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे हैं।

यात्री किराया आय अत्यधिक होने के अतिरिक्त पश्चिम उड़ीसा माल्को से गोपालपुर और पारादीप बंदरगाहों तक, लगभग 250 कि० मी० के इस छोटे से मार्ग पर माल यातायात में वृद्धि से अत्यधिक भाड़ा, आदि से इस धारणा को मूर्तरूप देना स्वतः सुनिश्चित हो जाएगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नोपाड़ा से गुनुपुर के बीच वर्तमान छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए तथा उसका रायगड़ा तक विस्तार करने का कार्य अविलम्ब शुरू किया जाए।

(तीन) रायाचौटी ग्रामीण विद्युत आपूर्ति सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, कुड्डप्पा जिला, आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एम० प्रताप झाय (राजमपेट) : महोदय, मैं रायाचौटी ग्रामीण विद्युत आपूर्ति सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, कुड्डप्पा जिला, आंध्र प्रदेश के रायाचौटी ग्रामीण, विद्युतीकरण प्रस्ताव के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। 1974 में पंजीकृत इस सोसाइटी ने 1976 से 2857 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 3.4 लाख जनसंख्या वाले रायाचौटी तथा लक्की रेड्डी पलाई क्षेत्रों की विद्युत की आपूर्ति तथा रख-रखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य शुरू किया था।

यह देश की कुछ बड़ी विद्युत आपूर्ति सहकारी सोसाइटियों में से एक है। ग्रामीण विद्युत्तीकरण निगम द्वारा 213.17 लाख रुपये की सहायता से इस परियोजना की रिपोर्ट को ीकृति प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप 109 मुख्य गांवों तथा 433 छोटे गांवों का विद्युतीकरण हुआ। तथापि 1180 छोटे गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। उच्च भूमि वाला क्षेत्र होने के कारण वहां सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा सका? इसके परिणामस्वरूप सोसाइटी के क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई की सुविधा संभव हो पायी है। इस सोसाइटी के क्षेत्रों को रायाचौटी सब-स्टेशन (सुराकवनदलपल्ली) से 132/33 किलोवाट, रायाचौटी, लक्की रेड्डी पल्ली, चकरईपेटा, नूलीवेडु, चिनामनदेम, तिराशेल्ली सब-स्टेशन से 33/11 किलोवाट तथा एस०एस० कलीकिरि सब-स्टेशन से 220/132 किलोवाट तथा तुसुनडूपल्ली सब-स्टेशन मे 33/11 किलोवाट विद्युत प्राप्त हो रही है।

सोसाइटी ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिंक लाईनों, वर्कशाप तथा भवन सुधार कार्य के लिए 2.50 करोड़ रुपये की मांग की है।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि वह रायाचौटी ग्रामीण विद्युत आपूर्ति सहकारी सोसाइटी लिमिटेड को शीघ्र 2.50 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करे।

(चार) भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों जो इस समय देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं, का दर्जा निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, भारत के विभाजन के पश्चात पंजाब और बंगाल में शरणार्थी समस्या विकट रूप में सामने आयी। भारत सरकार ने बहुत ही कम समय में पंजाब के शरणार्थियों का पुनर्वास किया। लेकिन पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों, जो कि समय-समय पर भारत आते रहे हैं, का पुनर्वास उचित तरीके से नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों के तहत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी के फलस्वरूप कुछ समय तक भारत में शरणार्थियों का आना रुक गया था। दुर्भाग्यवश, जो भी शरणार्थी भारत में आये उन्हें भारत सरकार द्वारा विभिन्न कैम्पों में रखा गया तथा बाद में उन्हें कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय अथवा रोजगार देकर उनका पुर्नवास किया गया तथा उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। असम समझौते के अनुसार, जो भी शरणार्थी निर्धारित तिथि के पूर्व भारत आये वे स्वभाविक रूप से भारत के नागरिक हो गये। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगलादेश, से आये अन्य विस्थापित नागरिकों को, जो कि उत्तर प्रदेश में, विशेषकर नैनीताल, पिलीभीत, बिजनौर, बदायूं आदि जगहों पर पिछले 20-25 वर्षों से बसे हुए हैं, नागरिकता नहीं प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, उन नागरिकों जो पिछले उप चुनावों से लगातार मतदान कर रहे हैं, के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिये गये।

नैनीताल जिले में जो लोग नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं उनसे प्रति व्यक्ति 68 रुपये लिया जा रहा है जबकि अन्य जिलों में ऐसा नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को, जो भारत के विभिन्न भागों में बसे हैं, अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें उनके अधिकारों आदि से वंचित किया जा रहा है। यह एक गंभीर मामला है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से उन विस्थापित परिवारों के बारे में, जो भारत के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं, पुरजोर मांग करता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये।

(पांच) डाक और तार विभाग के भर्ती नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : महोदय, डाक तथा तार सेवाएं हमारे देश की संचार पद्धति की रीढ है। जीवन के हर क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए इस पद्धति का महत्व और बढ़ जाता है।

भारत सरकार ने उदारीकरण तथा विश्व व्यापीकरण की अपनी नीति जारी रखी है। संचार पद्धति में इससे नए अवसर पैदा हुए हैं। विज्ञापन एजेंसियों द्वारा नए प्रस्ताव और पद्धतियां तैयार की जा रही हैं। ये एजेंसियां संचार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती हैं। शेयर बाजार के क्षेत्रों से

[डा. खुशीराम डुंगरोनल जेस्वाणी]

भी कई गुणा वृद्धि हुई है। इन सभी पद्धतियों को डाक तथा तार विभाग की संचार पद्धति के माध्यम से अर्थक्षम बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में प्रगति तथा आधुनिकीकरण का स्तर बहुत धीमा रहा है। डाक विभाग समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप डाक वितरण के लिए नए लोगों को नियुक्त करने के बारे में काफी सख्त है। इसके कारण डाक से संबंधित वस्तुएं इकट्ठा हो गई तथा लोगों को इससे कठिनाई हो रही है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह डाक वितरण कर्मचारियों के भर्ती संबंधी पुराने नियमों में संशोधन करे तथा उनमें ढील दे और देश के महानगरों तथा शहरों के डाकखानों में डाकियों की संख्या में वृद्धि करे।

(छह) गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ के क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक केन्द्रीय नीति बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, आजकल गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ रीजन के करीब सब जिलों में पानी न होने की वजह से भयंकर सूखे की स्थिति बनी हुई है।

पीने के पानी के न होने से मनुष्य एवं पशु-पक्षी बहुत खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। काम-धंधा तकरीबन बंद है।

काम-धंधा नहीं होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई हैं लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अर्ध-भुखमरी की स्थिति में हैं।

अतः सरकार को सौराष्ट्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराने की कायमी योजना बनानी चाहिये और साथ-साथ सिंचाई की सुविधा ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिये ताकि पीने का पानी उपलब्ध हो सके। सौराष्ट्र में बारिश कम होने से अकाल बार-बार होता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी नम्र प्रार्थना है कि गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ रीजन में पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल करने के लिये उपयुक्त योजना बनाई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु में डिंडीगुल अन्ना जिले में पलानी को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने की आवश्यकता

श्री पी० कुमार स्वामी (पलानी) : महोदय, पलानी मुरूगन मन्दिर, तमिलनाडु में भगवान मुरूगन के सभी मन्दिरों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर है। दक्षिण भारत में तिरूपति के बाद वर्ष भर इसी मन्दिर में सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं। यह कार्तिक का मन्दिर है और हरियाली से घिरी पहाड़ी भी चोटी पर स्थित है। चूंकि भगवान मुरूगन अनादि काल से तमिल लोगों की संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए तमिलनाडु के सभी भागों से लोग भगवान के दर्शन करने और जीवन से भरपूर

इस पहाड़ी क्षेत्र की सुन्दरता देखने के लिए आते हैं। केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के पड़ौसी राज्यों से भी लोग भगवान के दर्शन करने पलानी आते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने पलानी को विकसित करने और तीर्थ यात्रियों को सुविधाए उपलब्ध करने में गहरी रूचि दिखाई है। तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस कारण, विश्रामगृह, जलपानगृह और परिवहन जैसी अधिक पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। चूंकि पलानी चार अन्य पर्यटक केन्द्रों अर्थात कोडई कनाल, उटी, मुदैर और तंझावर के बीच स्थित है इसलिए इन स्थानों पर आने वाले पर्यटक आम तौर पर इन स्थानों पर आते हैं। यद्यपि हजारों तीर्थ यात्री प्रतिदिन इस मन्दिर में आते हैं, त्यौहारों के दिन में लाखो तीर्थ यात्री पलानी आते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देश में पर्यटन को चरणों में बढ़ावा देने के लिए एक 39,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। यद्यपि विदेशी मुद्रा कमाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, देशी पर्यटकों के हितों को भी नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पलानी को एक पर्यटक केन्द्र घोषित करे और पलानी मन्दिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक धन आबंटित करें।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में अमालापुरम में गोमती और वैनेतेया-गोदावरी नदियों पर पक्के पुलों के निर्माण की आवश्यकता

श्री जी०एम०सी बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश में अमालापुरम में गोमती और वैनेतेया-गोदावरी नदियों पर पाइप लाइन के दो फुटपाथ पुल बनाने जा रहा है। इस पर 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमालापुरम लागभग टापू ही है। इस क्षेत्र के लोग पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं न कि फुटपाथ पुलों की।

यह क्षेत्र लगभग 15 सौ करोड़ रुपये के धान, नारियल और अन्य वाणिज्यिक फसलों का निर्यात कर रहा है। उपरोक्त कृषि उत्पादों के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय गैस प्राधिकरण को प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे तेल और गैस, से 200 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के० जी० परियोजना क्षेत्र विशेषकर अमालापुरम में ड्रिलिंग कार्यों पर पहले ही दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है और इस क्षेत्र से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार भी उपरोक्त पुलों के निर्माण के लिए इनकी लागत के रूप में कुछ हिस्सा देकर आगे आयी है। जनता और इस क्षेत्र की विपणन समितियां भी उपरोक्त पुलों के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये तक दान देने के लिए आगे आई हैं। इसलिये मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा स्थानीय जनता और विपणन समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठायें कि फुटपाथ पुलों के स्थान पर पक्के पुलों का निर्माण किया जा सके।

12.44 म०प०

वित्त विधेयक, 1994

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 5 वित्त विधेयक पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस पर वोटिंग कब होगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विधेयक के लिए 10 घंटे आवंटित किये हैं। इसलिये 10 घंटे के पश्चात् शायद कल शाम को इस पर मतदान करवायेंगे ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 10 घंटे आवंटित किये गये हैं। यदि आवश्यक हुआ तो इस विधेयक पर सदस्यों को बोलने का समय देने के लिए एक या दो घंटे रात को देर तक भी बैठ सकते हैं क्योंकि यह विधेयक बजट का प्रतिबिम्ब है। हमने बजट पर चर्चा की है और उसके पश्चात् हमने मांगों पर चर्चा की है। उन पर स्थायी समितियों द्वारा विचार किया गया है। अब बजट भाषण में दिये गये प्रस्तावों को सांविधिक रूप दिया जा रहा है। इसलिए 10 घंटे का समय दिया गया है। देखें क्या होता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कल शाम को वोटिंग होगी या परसों शुक्रवार को 12 बजे होगी ताकि मैम्बरों को को इन्फार्मेशन मिल जाये।

[अनुवाद]

यदि आप सभी इस बात से सहमत हैं कि यदि कुछ कारणों से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये दिये गये समय में से एक या दो घंटे ले लिये जायें और गैर-सरकारी सदस्य रात को देर तक बैठ कर अपना समय पूरा करलें, तो हम इसे पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को लंच से पहले लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होना है तो हम इसे शुक्रवार को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, यह बात आज क्लीयर हो जायेगी, तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक रहा, हम इसे शुक्रवार ... लेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह सभी सदस्यों को बता दें, तो अच्छा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस सभा को इस बात की जानकारी है कि बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के ढांचे में बहुत से महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन शामिल हैं। वित्त विधेयक के प्रस्तावों को बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये समर्थन से मुझे प्रोत्साहन मिला है। कई माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझावों के लिये मैं उनका आभारी हूं। इन सुझावों में उन्होंने उद्योग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया गया है। आम जनता, व्यापार और उद्योग से भी सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैंने इन सुझावों को बड़े ध्यान पूर्वक देखा है। मैंने लघु क्षेत्र के द्वारा निम्न स्तर पर अनुभव की जाने वाली वास्तविक कठिनाईयों का पता लगाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। जब कभी भी संशोधन की तुरन्त आवश्यकता थी मैंने बिना कोई विलम्ब किये ऐसे मामलों में कार्यवाही की है। इन परिवर्तनों की इस पुनीत सदन में बजट पर आम चर्चा के उत्तर के भाग के रूप में घोषणा की थी। मैंने ये परिवर्तन बजट के मुख्य ढांचे से विमुख हुय बिना किये हैं। यह एक साधारण कर ढांचा है जिसका कर आधार व्यापक है। कर की दरें मध्यम हैं, ठीक प्रकार से लागू होगा।

कर अपवचन तथा मुकद्दमेबाजी की सम्भावना कम होगी तथा आर्थिक कुशलता, विकास और इक्विटी को बढ़ावा मिलेगा।

25 अप्रैल, 1994 को इस सदन में बजट वाद-विवाद के उत्तर में मैंने उन उपायों की रूपरेखा के बारे में बताया जो लघु उद्योग के कतिपय वर्गों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए मैंने किये हैं। मैं उनको यहां गिनाने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि व्यापक आधार के वाली इक्विटेवल कर प्रणाली की दिशा में हमारे प्रयत्नों को साकार करने के लिये मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि लघु क्षेत्र की उचित समस्याओं को ध्यान में रखा जाये।

मैं इस बात पर बल दूंगा कि सामान्यतः उत्पाद-विनिर्दिष्ट छूटों को हटाने तथा उत्पाद छूट के

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री मनमोहन सिंह]

लिए सामान्य लघू उद्योग (एस० एस० आई०) योजना के विस्तार से प्रतियोगिता के क्षेत्र में बड़ी इकाइयों की तुलना में लघु इकाइयों को लाभ होगा क्योंकि केवल बड़ी इकाइयों को ही शुल्क अदा करना होगा। लघु इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले उत्पाद शुल्क के आकलन और अदायगी की प्रकिया काफी सरल बना दी गई है।

महोदय, लघु उद्योग क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों और अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ अन्य शुल्क छूटें देने के लिए तैयार हुआ हूं।

विद्युत की सहायता के बिना बनाई जाने वाली साबुन पर लगने वाले शुल्क के विरोध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि यह श्रम परक उद्योग है जिसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार में विद्युत की सहायता के बिना बनने वाली साबुन पर शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनमोहन सिंह : अनेक माननीय सदस्यों ने चाहे वे किसी भी दल के हैं, सुझाव दिया है कि छातों पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का सुझाव दिया है। यद्यपि, एस० एस० आई० छूटें छाता बनाने वाली कुछेक इकाइयों को छोड़कर लगभग सभी इकाइयों पर लागू होती है। सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैं छातों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपका पुनः धन्यवाद।

श्री मनमोहन सिंह : कोरुगेटिड बाक्स और डिब्बे (कार्टन) अधिकतर असंगठित क्षेत्र में बनाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन डिब्बों के बनाने सम्बंधी बहुत से कार्य बाहर से ठेके पर करवाए जाते हैं। बहुत से मामलों में प्रयोगकर्ता उद्योग भी संशोधित मूल्यवर्धित कराधान (माडवेट) का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं कोरुगेटिड बाक्स और कार्टनूज को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसे पैकेजिंग लागत कम करने का प्रयास करना चाहिए।

2700 कि० ग्रा० से कम सकल वाहन भार वाले मोटर वाहनों पर 40 प्रतिशत उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया था। मुझे बताया गया है कि इस मानदंड को पूरा करने वाले अनेक वाहनों को विनिर्माताओं ने ग्रामीण परिवहन की आवश्यकताओं अनुरूप बनाया है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि 40 प्रतिशत शुल्क की ऊंची दर, जो कारों पर भी लागू होती है, से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे वाहनों की प्रौन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसे वाहनों पर शुल्क की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

छूट प्राप्त बर्तन निर्माताओं को होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, मैं ऐसे बर्तनों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सर्किलों पर छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं संकुचित बुनाई वाले परिधानों के निर्माताओं को धागे का उपचारार्थ ऋण सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

ऊन उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि संशोधित मूल्यवर्धित कराधान (माडवेट) लाभों के बिना परिधानों और धागों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से परिधानों की कीमतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ऊनी धागों शुल्क पर दी जाने वाली उपचारार्थ ऋण सुविधा को ऊनी परिधानों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं बुने हुए और क्रोशिए से बुने परिधानों पर उनके मूल्य के अनुसार लगने वाली 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की दरों की तुलना में 10 प्रतिशत की एकसमान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, सभा को स्मरण होगा कि मैंने एयर कंडीशनरों पर लगने वाले शुल्क को विशिष्ट से बदलकर मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव किया था। यह अभ्यावेदन किया गया है कि बसों में प्रयोग किए जाने वाले विखंडित एयर कंडीशनरों पर लगने वाले 60 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क के परिणामस्वरूप शुल्क क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के हितों के विरुद्ध होगा। इसलिए, मैं ऐसे विखंडित एयर कंडीशनरों पर मूल्यानुसार शुल्क कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैंने चिकित्सा उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क में कतिपय परिवर्तन करने की घोषणा की थी। मैंने धमार्थ अस्पतालों के लिए उपबंधित रियायतों और छूटों का लाभ उठाने हेतु निर्धारित जटिल प्रक्रियाओं को न्याय संगत बनाने की दृष्टि से इन परितर्वनों का प्रस्ताव किया था। मैंने चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा था। उसके बाद से मुझे विशेषकर जीवन रक्षक उपकरणों के आयात सम्बंधी प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने के लिए संसद सदस्यों, चिकित्सा क्षेत्र और उद्योग के लोगों में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैंने इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा मैं सीमा शुल्क की अदायगी से छूट वाले आमातित जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों की सूची बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। जिन सामानों पर 15 प्रतिशत सीमा शुल्क लागत है उनकी सूची में भी और वृद्धि की जा रही है। ऐसे चिकित्सा उपकरणों के ऐसे अतिरिक्त पुर्जों, जिन पर 15 प्रतिशत जमा शून्य प्रति संतुलनकारी शुल्क लगता है तथा 40 प्रतिशत जमा प्रति संतुलनकारी शुल्क लगता है, पर अब सामान्यतः 15 प्रतिशत जमा प्रति संतुलनकारी शुल्क की एक समान दर लागू होगी। इसी प्रकार चिकित्सा फर्नीचर जिन पर मेरे बजट प्रस्तावों के अनुसार 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है, पर उत्पाद शुल्क, की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, मुझे यह अभ्यावेदन किया गया है कि ऐसी जीवन रक्षक औषधियों की सूची बढ़ाने की आवश्यकता है जिन पर कोई शुल्क नहीं लगता है। मैं समुचित तकनीकी प्राधिकारियों के साथ परमार्श करके इस प्रस्ताव की जांच करूंगा।

अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तनों से सम्बंधित छूट अधिसूचनाओं को शीघ्र ही सभा पटल पर रखा जाएगा।

[श्री मनमोहन सिंह]

महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बंधित उन खंडों के बारे में बताता हूं। जिनमें मेरा विचार परिवर्तन करने का है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुल कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ाने का उद्देश्य धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। वर्ष 1990-91 और 1993-94 की अवधि के बीच सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा काफी बढ़कर 19.2 प्रतिशन से 27.6 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 2.32 प्रतिशत से बढ़कर 2.94 प्रतिशत हो गया है।

कर आधार के सरलीकरण और उसे व्यापक बनाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मैंने दस ट्रकों तक के ट्रक स्वामियों के लिए एक नई अनुमानित आय, योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में हल्के और मंझौले वाणिज्यिक वाहनों के लिए 2000 रुपए प्रति ट्रक प्रति माह (अर्थात 24.000 रुपए प्रति वर्ष) आय तथा भारी ट्रकों के लिए 25000 रुपए प्रति ट्रक प्रतिमाह (अर्थात् 30,000 रुपए प्रति वर्ष) का अनुमान लगाया गया था। प्रस्तावित अनुमानित आय विस्तृत है, अर्थात, अवमूल्यन और अन्य कार्य व्यय सम्मिलित कर लिए गए लगते हैं और उसमें कोई कटौती नहीं होगी।

परिवहन संघों तथा अन्यों से इस आशय के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि भारी ट्रकों के लिए 30,000 रुपए वार्षिक की अनुमानित आय तथा हल्के और मंझौले ट्रकों की 24,000 रुपए की वार्षिक अनुमानित आय बहुत अधिक है और उसे ऐसी स्थिति में संशोधित किए जाने की आवश्यकता है जबकि सामान्य मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की ऊंची दर ग्राहण है।

यह सुझाव दिया गया है कि आय का अनुमान लगाते समय ट्रक की आयु को भी ध्यान में रखा जाए।

महोदय, अनुमानित आय योजना इस आशय के साथ शुरू की गई है कि इससे ट्रक मालिकों में सादगी को बढ़ावा मिलेगा और अनुपालन लागत में कमी आएगी। सामान्यतः नए ट्रक के लिए अवमूल्यन भत्ता और ब्याज काफी अधिक है परन्तु मरम्मत लागत नगणय है। बाद के वर्षों में अवमूल्यन और ब्याज में काफी कमी हो जाती है परन्तु मरम्मत लागत बढ़ जाती है। अतः, ट्रक की आयु चाहे जो हो, कर योग्य आय न्यूनाधिक वही रहती है। इसी कारण से आय के अनुमानित आंकड़ों का अवधारणा करते समय इस बात की अनदेखी की गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हल्के और मंझौले वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनुमानित आय घटाकर प्रति ट्रक प्रति माह 2000 रुपए से घटाकर 1800 रुपए कर दी जाए तथा भारी ट्रकों के लिए प्रति ट्रक प्रति माह 2500 रुपए से घटाकर 2000 रुपए कर दी जाए। मुझे आशा है कि इन परिवर्तनों के साथ आरम्भिक कठिनाई समाप्त हो जाएगी और अनुमानित आय योजना अत्यधिक कारगर ढंग से चलेगी।

वित्त विधेयक में, कम्पनियों के मामले में रिटर्न प्रस्तुत करने की वर्तमान तारीख 31 दिसम्बर

से बदलकर 31 अक्तूबर करने का प्रस्ताव अंतर्विष्ट है। गैर-निगमित कर दाताओं के मामले में, सांविधिक दृष्टि से जिन्हें अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा करानी होती है या कतिपय कटौतियों के दावों के समर्थन में लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है तथा सहकारी समितियों के मामले में, 31 अक्तूबर की वर्तमान तारीख को बदलकर 31 अगस्त करने का प्रस्ताव है। माननीय संसद सदस्यों चार्टड एकाउन्टेंटों के प्रतिनिधि निकायों करदाताओं व्यापार और उद्योग एसोसिएशनों आदि से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि प्रस्तावित निर्धारित तिथियों से लेखा-परीक्षा व्यवसाय में कम कर बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा उन गैर-निगमित कर निर्धारकों के मामले में संशोधन से कठिनाईयां पैदा होंगी जो धारा 80 ज ज ग तथा 80 ज ज घ के अंतर्गत कटौती का दावा करते हैं क्योंकि 30 सितम्बर तक विदेशी मुद्रा में उन्हें निर्यात करने की इजाजत है तथा उसके बाद ऐसी भेजी गई रकम के संबंध में साक्ष्म प्रस्तुत करना होता है। इस बात को मानते हुए कि नई तारीखों से समस्यायें पैदा हो सकती हैं, मैंने पूर्व निर्धारित तारीख 31 अक्तूबर की बजाय कंपनियों के लिए विवरणी भरने की तारीख 30 नवम्बर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार मैंने उन गैर-निगमित करनिर्धारकों के लिए विवरणी भरने की विद्यमान निर्धारित तारीख रखने का प्रस्ताव किया है जिनको कानूनी तौर पर अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा करानी होती है। तद्नुसार उनकी निर्धारित तारीख 31 अक्तूबर चलती रहेगी तथा इसे बदलकर 31 अगस्त नहीं किया जाएगा।

वित्त विधेयक में सिक्किम राज्य में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की आय को कर मुक्त करने की मांग की गई है। तथापि सिक्किम के मुख्यमंत्री की आशाओं के अनुरूप बिना विधेयक के सिक्किम में अनुसूचित जनजातियों के लिए इस छूट का प्रावधान किया गया था अब उन्होंने अनुरोध किया है कि न केवल अनुसूचित जनजातियां बल्कि सिक्किम में रह रहे सभी लोगों को कर से मुक्त किया जाना चाहिए। मुझे कुछ संसद सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बिना विधेयक में निहित प्रस्तावों में संशोधन सुझाव दिया गया है। इससे नए मुद्दे बन गए हैं जिनकी नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं कुछ समय के लिए सिक्किम में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आय को कर मुक्त करने की वित्त विधेयक में की गई मांग को वापस लेता हूं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन राज्यों के पिछड़े जिलों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों को पंचवर्षीय तक कर से छूट देने हेतु बजट में दिए गए प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। इस प्रस्तव का व्यापक स्वागत हुआ है। मैंने अब एक ग्रुप का गठन किया है जो पूरे देश के लिए औद्योगिक पिछड़ेपन के एक समान मानदण्ड पर पहुंचने की दृष्टि से राज्यों के जिलावार आंकड़े एकत्रित करेगा तथा इस मानदण्ड के आधार पर अति पिछड़े जिलों की पहचान करेगा। अनेक माननीय सदस्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अति पिछड़े जिलों की सूची में कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पता भेजे हैं। जिनमें थोड़े समय में पिछड़े जिलों की पहचान करने में ग्रुप की सहायता हेतु वार्षिक और सामाजिक सूचकों पर जिले-वार आंकड़े उपलब्ध कराने का

[श्री मनमोहन सिंह]

अनुरोध किया गया है। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें तत्परता से कार्य करेंगी ताकि इस वित्तीय लाभ को बहुत जल्दी पहुंचाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक सभा को प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से अपना पूरा समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्रीय सरकार की, वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय आयकर मे छूट की सीमा 50,000 कर दें तो हमारा बोलना कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसी के लिये दस घंटे रखे गये हैं।

(व्यवधान)

1.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शुक्रवार के बजाय गुरुवार के दिन ही यह वोटिंग हो सकती हैं।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : इसलिए 10 घण्टे रखे हैं। आप अपने भाषण में बाद में बोलना। अभी नहीं प्लीज।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अगर आयकर की सीमा 50,000 कर दें तो इस पर समय और कम किया जा सकता है और आज शाम को चर्चा पूरी हो सकती हैं। **(व्यवधान)** *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मंडल कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

वित्त विधेयक, 1994 की सभी तीन प्रक्रमों के लिए नौ घंटे आवंटित किए गए हैं। यदि सभा सहमत है तो हम आम चर्चा के लिए छह घंटे खंडवार विचार के लिए दो घंटे, तीसरे वाचन के लिए एक घंटा तथा समायोजन के लिए एक घंटा रख सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब सभा 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दक्षिण अफ्रीका के चुनाव परिणामों के बारे में

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगी। मेरे विचार से सम्पूर्ण सभा को श्री नेल्सन मंडेला को उनकी तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों में प्रजातन्त्र की विजय के लिए बधाई देनी चाहिए। भारत इस आन्दोलन में अग्रणी रहा है क्योंकि पहले महात्मा गांधी और उनके बाद इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लोगों के लिए प्रजातन्त्र के लिए लड़े।

आज श्री नेल्सन मंडेला की विजय न केवल श्री नेल्सन मंडेला की विजय है बल्कि यह प्रजातन्त्र की विजय है। मेरे विचार से यह उचित समय है कि यह सभा एकमत से श्री नेल्सन, मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को बधाई दें। आज हम रोमांचित हैं क्योंकि हमने उनका आन्दोलन देखा है हमने उनकी लड़ाई देखी है, और मेरे विचार से उन्हें बधाई देना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है।

श्री वी०एस० विजय राघवन (पालघाट) : मैं कुमारी ममता बनर्जी के सुझाव का समर्थन कर रहा हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी एक सदस्य की नहीं बल्कि सारे संसद-सदस्यों की भावना है और वास्तव में यह एक नया इतिहास शुरू हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी अफ्रीका में निर्वाचन में जो हुआ है यह जनतंत्र की विजय हुई है और हम समझते हैं कि इससे हमारे संबंधों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वहां पर जो श्वेत-अश्वेत की भावना समाप्त हुई है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हम सब लोग समवेत स्वर में इस बात की प्रशंसा करें तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने जो कहा है मैं उसमें केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे यह कहना है कि दक्षिण अफ्रीका, जंग पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया और जहां से उन्होंने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था, की आजादी का महात्मा गांधी का सपना

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

पूरा हो गया है। मैं नहीं जानता कि क्या सुझाव दूं। मेरे विचार से यह सभापति की ओर से पेश किया जाए कि सभी संसद सदस्य उन्हें बधाई दें तथा ऐसा कोई संदेश भेजें। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमें इसे करना है। सभा को यह संदेश दक्षिण अफ्रीकी लोगों को भेजना चाहिए। हम रोमांचित हैं। यह एक नया इतिहास है। उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नए इतिहास की रचना हुई है और इससे सारे विश्व की जनता को प्रसन्नता हो रही है।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने से पहले साउथ-अफ्रीका में गए और उन्होंने जिस आग को वहां सुलगाया, वह आज वहां पर प्रज्वलित हुई है और गोरों की सरकार के स्थान पर वहां पर श्री नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जनतंत्र की जीत हुई है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र होने के नाते यहां पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना चाहिए और हमें श्री नेल्सन मंडेला तथा दक्षिण अफ्रीका की जनता को शुभकामनाएं भेजनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? निःसंदेह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत पर दक्षिण अफ्रीका में हो रहे समारोहों के अवसर पर हम इस सभा में सभी ऐंसी ही भावनाएं व्यक्त करते हैं। मेरे विचार से यह उचित होगा यदि भारत सरकार कम से कम उन भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, जिनका इस सभा में प्रतिनिधित्व है इन समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करे। हम यही कर सकते हैं। नामीबिया की आजादी के समय तत्कालीन सरकार जिसके श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सबको प्रधानमंत्री के साथ जाने तथा उन समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं वास्तव में हैरान हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है; और मुझे आशा है कि वे इस मामले की जांच करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, हमें यह बोल करके प्रसन्नता है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रजातन्त्र आ गया है। इससे राजनीतिक सत्ता गोरे अल्पसंख्यकों से काले बहुसंख्यकों के पास चली गई है। बहुत संघर्ष और बलिदान से रंगभेद की दमनकारी नीति का अंत हो गया है। यह खुशी का अवसर है तथा इस ऐतिहासिक मौके पर सम्पूर्ण सभा को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से दक्षिण अफ्रीका में

लोकतंत्र की जो महान विजय हुई है, वहां की महान जनता ने लंबे संघर्ष के बाद यह दिन देखा है, उनको बधाई देना चाहता हूं। आज वहां के एक महान विद्वान ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां के लोकतंत्र की जंग को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है और इस तरह महात्मा गांधी दो देशों के लोकतंत्र के नायक सिद्ध हो गए। पहली बार भारत में लोकतंत्र की स्थापना की और दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना की। एक लंबे संघर्ष के बद यह दिन वहां की महान जनता ने देखा है। उनके अच्छे दिन और अच्छे उत्सव के समय हम अपने दल की भागीदारी चाहते हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है, उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह प्रतिनिधि मंडल संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी आपसे यह अपेक्षा होगी कि यह हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। हमारी नीतियों का पूरे देश में और विश्व में उनका फैलाव और विस्तार हो रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि इस तरह का प्रतिनिधि मंडल जब जाए तो उनका स्वरूप राष्ट्रीय होना चाहिए और सभी तरह की विचारधाराओं और सभी तरह के तत्वों का उसमें समावेश होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, निःसंदेह यह सम्पूर्ण विश्व की मानवता के लिए महान ऐतिहासिक क्षण है। विश्व के प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। काफी लंबे समय, तकरीबन महात्मा के समय से चल रहे संघर्ष की अन्ततः समाप्ति हुई है। अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों को प्रजातंत्र की वास्तविक अनुभूति होगी और इस प्रकार से यह वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम दक्षिण अफ्रीका के उन लोगों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने परिणाम की परवाह किए बगैर बहुत कुछ बलिदान किया और इसके यथार्थवादी निष्कर्ष के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। हम भारत की जनता के प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका के लोगों तथा इस महान आन्दोलन के नेता श्री नेल्सन मंडेला को अपनी बधाई देते हैं। एक प्रकार से वे सम्पूर्ण आल्दोलन के प्रतीक हैं तथा वे दक्षिण अफ्रीका में शीघ्र बनने वाली सरकार के नेता होने जा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हमारी बधाईयों का यह संदेश भेजा जाए।

श्री एन० सुन्दरराज (पुडुक्कोट्टाई) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन करता हूं। मैं यहां पर उस समय का जिक्र करना चाहता हूं जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध लड़ रहे थे वहां पर थिल्लाईवादी वल्लाईम्मा नामक एक अनुसूचित जाति की महिला महात्मा के साथ रंगभेद के विरुद्ध लड़ी थी। महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में एक सड़क का नाम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध महात्मा के साथ संघर्ष करने वाली विल्लाईवादी वल्लाईम्मा के नाम पर रखा जाए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर व्यक्त किए गए

[प्रो० रासा सिंह रावत]

विचारों पर अपनी सहमति व्यक्त करके यह कहना चाहूंगा कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में यह अनूठी घटना हुई है। सैकड़ों वर्षों से दक्षिण अफ्रीका की जनता पीड़ित और शोषित थी, उसके सपने आज साकार होने जा रहे हैं वहां के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठ होने वाले नेल्सन मंडेला को सदन की ओर से दक्षिण अफ्रीका की जनता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करे। वहां पर महात्मा गांधी ने स्वतंत्र संग्राम का बीजारोपण किया था और नाना प्रकर के प्रयोग किए थे। उस दृष्टि से उनका सपना साकार हुआ है। उस समय गांधी जी और भारत के साथ और दक्षिण अफ्रीका और काले लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन अनेक संघर्ष के बाद आज यह ऐतिहासिक अवसर आया है जब विश्व की जनता नेल्सन मंडेला के सामने नतमस्तक कर जय-जयकार हो रहा है। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि संसद की ओर से आज बधाई का संदेश जाना चाहिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दिल से शुभकामनाएं देने के लिए मैं सभा के साथ हूं। "वर्ण वैराम्भ" दूर करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष प्रारंभ किया था। विश्व के महान वैज्ञानिक और दार्शनिक आईन्स्लाइन ने कहा है :

"आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि गांधी जैसा व्यक्ति कभी वास्तव में इस जमीन पर हुआ था।

यही कार्य श्री नेल्सन मंडेला द्वारा किया गया था जिसकी अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के लोग बढ़े और स्वतंत्रता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपनी बधाई देने का यह हमारा विशेषाधिकार है तथा मैं इस कदम का समर्थन करता हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी सिक्किम संग्राम परिषद की ओर से इस दौर के सबसे खुशी वाले क्षण पर हमारे माननीय सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए उद्‌गारों का समर्थन करता हूं। इस खुशी के क्षण में श्री नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका की सम्पूर्ण जनता को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, अपनी पार्टी की ओर से दक्षिण अफ्रीका के महान लोगों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने काफी लंबे समय तक चल रहा अपना प्रजातांत्रिक हक जीता तथा गोरो के राज से मुक्ति पाई।

श्री नेल्सन मंडेला कुछ वर्ष पूर्व भारत आए थे। जब वे कलकत्ता आए थे तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के बाहर कहीं पर भी वामपंथी सरकार द्वारा आयोजित सबसे बड़ा सत्कार मिला। हम पहले ही जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार मिलने वाले हैं। अब यह अध्याय बन्द हो चुका है लेकिन फिर भी हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ बीत चुका है। अफ्रीका द्वीप में बहुत से अन्य राज्य हैं तथा दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत से राज्य और दूर-दराज क्षेत्र हैं जिनको काफी लंबे समय से प्रजातंत्र का लाभ नहीं मिला है।

पहले श्वेतों के शासन के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष में भारत ने कई तरीकों से रंगभेद नीति का विरोध करके इस मुहिय की अगुवाई की और अन्ततः समूचे विश्व ने हमारी इस नीति का समर्थन किया। हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अभी भी अपनी इस नीति पर ही जोर देना चाहिए कि रंगरूप के कारण मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार हम जाति, धर्म और जन्म के आधार पर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेदभाव करने की नीति का विरोध कर रहे हैं।

अतः मैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को पुनः अपनी बधाई देता हूं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मुझे खुशी है कि कुमारी ममता बनर्जी ने इस सभा में यह उठाया है और कुमारी ममता बनर्जी के साथ-साथ इस सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उनकी शानदार विजय पर अपनी बधाईयां दी हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं उनका अभिनन्दन करते हैं।

भारत के लोगों के लिए यह बहुत भावनापूर्ण मुद्दा है क्योंकि विश्व में भारत ही पहला देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य मंचों पर यह मुद्दा उठाया।

तत्पश्चात् भारत रंग और जाति के आधार पर रंगभेद व भेदभाव की नीति के विरुद्ध सतत् लड़ाई लड़ता रहा। अन्ततः रंगभेद नीति के विरुद्ध विश्व जनमत बना और अब मानक प्रतिष्ठा पर लगा यह अन्तिम धब्बा मिट गया है। इस प्रकार यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि हमारी सभा और दूसरी सभा का एक सर्वदलीय शिष्टमण्डल दक्षिण अफ्रीका का दौरा करें तथा इस ऐतिहासिक अवसर पर वहां उपस्थित रहकर वहां के लोगों का अभिनन्दन करें। इसलिए हम माननीय अध्यक्ष और दूसरी सभा के माननीय सभापति के परामर्श से एक शिष्टमण्डल का गठन करें और हमारी संसद का प्रतिनिधित्व करने हेतु उसे दक्षिण अफ्रीका गणतन्त्र भेजें ताकि भारतीय जनता की दक्षिण अफ्रीका की जनता के साथ मेल-मिलाप भली-भांति प्रदर्शित हो सके और इस प्रकार हम अपने देश का शिष्टमण्डल भेजकर दोनों देशों की संसदीय भावनाओं को परस्पर आदान प्रदान करने की शुरूआत कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : नहीं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मुझे आशा है कि शिष्टमण्डल का गठन करते समय माननीय मंत्री जी छोटी-छोटी पार्टियों को नहीं भूलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आज हम भारतवासियों को अत्यन्त प्रशन्नता है कि दक्षिण अफ्रीका में गौर लोगों का शासन समाप्त हो गया है और दक्षिण अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया है जिसके प्रमुख नेल्सन मंडेला हैं जो 27 वर्ष से भी अधिक अवधि तक जेल में रहे। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों की खुशी में शामिल होते हैं। हम उनके खुशहाल भविष्य की कामना करते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय]

हमें इस बात की अत्यन्त प्रशन्नता है कि संसदीय कार्य मंत्री ने एक सुझाव दिया है कि जिस समय श्री नेल्सन मंडेला राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य भार संभालेंगे उस समय हमारे संसद सदस्यों का एक दल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाकर उनकी खुशी में शामिल होगा।

2.23 म०प०

वित्त विधेयक, 1994 –जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए 9 घंटे का समय नियत किया गया है। यदि हम प्रत्येक सदस्य को 10-10 मिनट का समय भी आंवटित करें तो 80 या 90 सदस्यों को बोलने का अवसर दे पाएंगे।

जो माननीय सदस्य पहले-पहले बोलते हैं यदि वे अधिक समय ले लेते हैं, तब बाद वाले वक्ताओं को मुश्किल से ही पूरा समय मिल पाता है। इस रवैये से उनके साथ अन्याय ही होगा।

इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी 10 मिनट की नियत अवधि का पालन करें, तभी मैं प्रत्येक के साथ न्याय कर पाऊंगा। और तभी प्रत्येक सदस्य को अत्यन्त प्रशन्नता भी होगी।

जो सूची मुझे दी गई है उसमें 80-90 सदस्यों के नाम हैं, निःसंदेह क्रमशः सभी पार्टियों को आवंटित किया गया समय बहुत अच्छा है–कांग्रेस (ई) दो घन्टे और चालीस मिनट, भाजपा एक घन्टा 14 मिनट, जनता दल चौबीस मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) चौबीस मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 9 मिनट, अन्नाद्रमुक 8 मिनट, तेलुगूदेशम 4 मिनट आदि आदि।

अब समय का समायोजन और आपका सहयोग अत्यन्त अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने आज सुबह कुछ राहतों की घोषणा की और उससे पहले भी घोषणायें की थीं लेकिन उनके जो कराधान के प्रस्ताव हैं, जो फाइनेंस बिल हैं, उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया है। उन्होंने छाते को उत्पादन शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने हाथ से निर्मित साबुन पर छूट दी, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। कुछ समझ आई पर देर से आई लेकिन देर आयट दुरुस्त आयद। लेकिन वह समझ पूरी नहीं आई। दुर्भाग्य यह रहा कि अगर पूरी समझ आ गई होती तो मुझे यहां खड़े होकर उनके वित्त विधेयक की आलोचना नहीं करनी पड़ती और यह पहला ऐतिहासिक अवसर होता जब मुख्य विपक्षी दल [illegible] बधाई देता और अभिनंदन करता देश को एक सही आर्थिक दिशा प्रदान करने के लिए। लेकिन मैं विवश हूं क्योंकि छाते पर तो छूट दे दी, लेकिन बजट प्रस्तावों का जो छाता है उसे छाते में बड़े भारी छेद हैं और उन छेदों में कुछ पैबंद लगाने की कोशिश श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने की है। लेकिन छाता जिन हाथों में है, वे हाथ उन पैबंदों के

बावजूद भी इस देश की जनता को उस पानी से भीगने से बचा नहीं पाएंगे और इस देश की जनता का जो अहित इन प्रस्तावों से हो रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ नयी तरह की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की हैं। ऐडवलोरम टैक्स लगाने की घोषणा की है कि ऐक्साइज़ डयूटी प्रोडक्ट की मात्रा के आधार पर नहीं मूल्य के आधार पर लगाएंगे। एक नयी कर प्रणाली का जन्म देने की बात कही है कि मेरा प्रयास होगा कि एक वैल्यू ऐडेड टैक्सेशन की ओर हम बढ़ें लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ उन बहुराष्ट्रीय कंपनियो, विश्व बैंक और गैट, जिससे यह देश आज पीड़ित है, उनके बजट प्रस्ताव, उनके फाइनेंशियल बिल पर उसका भूत मंडरा रहा है। फाइनेंशियल बिल की आत्मा के अंदर गैट बैठा हुआ है उसकी आत्मा के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी हुई हैं और इसलिए उनके ये प्रस्ताव इस देश की अर्थव्यवस्था को चूर कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे बड़ी गलती यह है कि कस्टम ड्यूटी को जिस तेजी से घटाया गया, उस अनुपात के अंदर ऐक्साइज़ ड्यूटी को नहीं घटाया गया। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अगर आयात किया जाए तो उन पर ड्यूटी कम है और इस देश में निर्माण किया जाए तो उन पर ऐक्साइज़ ड्यूटी ज्यादा है। मैं नहीं समझ पाया कि कौन सा अर्थशास्त्र है जिसको पढ़कर और जिसके तहत उन्होंने यह कार्य किया। मुझे कभी-कभी लगता है कि भारत के वित्त मंत्री शायद यह भूल जाते हैं कि वह इस समय भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर बैठकर उनके प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। उनका दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनो का अनुभव है लेकिन उन अनुभवों की अनुभूति को भुलाकर केवल देशी आधार पर सोचना होगा और जब यह सोचा जाएगा तो फिर निश्चित रूप से देश का भला हो सकेगा।

अभी डा० राजा चलैया जिनकी संस्तुतियों को माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार बड़ा भारी प्रोत्साहन देते हैं और वे मुख्य सलाहकार के रूप में लगता है काम कर रहे हैं। वित्त नीतियों को निर्धारित कराने में उनका बड़ा भारी योगदान है और उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अनेक आइटम्स डी रिज़र्व कर दी जाएं उन उत्पादों की जो स्माल स्केल सैक्टर में चलती हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं। असली मंशा उनकी सामने आ गई और यह बजट प्रस्ताव और ऐक्साइज़ ड्यूटी जो स्माल स्केल सैक्टर के यूनिट्स पर लगाई गई है वह उसी साजिश का एक अंग है, उनकी हत्या करने का एक घिनौना प्रयास है और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा भारत सरकार का कि उन उत्पादों को जो इसके लिए रिज़र्व है उनको डीरिजर्व करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को साथ-साथ सौंप दें। अभी वह सीधे सौंपने का साहस नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया है। उत्पादन शुल्क लगाने से उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति खत्म हो गई और वित्त मंत्री जी का आरोप है कि बड़ी कंपनियाँ भी एस० एस० आई यूनिट्स से सस्ती दरों पर काम कराकर लेती हैं और सस्ती दरों पर उन्हें छूट मिलती है और उसके बाद वह इस्तेमाल कर लेती है। वह अपने लेबल भी लगवा लेते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के वे छोटे-छोटे उद्योग जिनकी इस देश में 22 लाख इकाइयां हैं। 1988 की गणना में 9,87,000 इकाईयां देश में थी जिनमें पिछले 15 सालों में 182 परसेंट की वृद्धि हुई थी।

[श्री भगवान शंकर रावत]

आज देश में 22 लाख औद्योगिक इकाईयां हैं जिनका औद्योगिक उत्पाद 1,50,00,340 का है। उनमें 1 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। उनमें निवेशत राशि 2,793 करोड़ रुपये है। उनमें 61 परसेंट इकाईयां ऐसी हैं जिनमें 4 से कम कर्मचारी काम करते हैं, 15 परसेंट इकाईयां ऐसी हैं जहा 5 से 9 तक कर्मचारी काम करते हैं और 87 परसेंट इकाईयां इस प्रकार की हैं जिनमें 9 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे उद्योग जहां कोई लेबर प्रौब्लम नहीं, जहां परिवार के मुखिया, पत्नी और बेटा सब मिलकर उत्पादन करते हैं, जहां किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था को समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है, वह ठीक नहीं है। इन बजट प्रस्तावों के जरिये ऐसा ही हो रहा है। मेरी मांग है कि ब्रांड नेम की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेबर इंटैसिव है और इसलिये छूट यथावत रहनी चाहिये अन्यथा बड़े उद्योग उन वस्तुओं का निर्माण प्रारम्भ कर देंगे जिससे हमारे मजदूर बेकार हो जायेंगे, उत्पादन भले ही आपका बढ़ जाये या यथावत रहे लेकिन देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जायेगा, लोग भूखो मरने लगेंगे और फिर देश में नई एनार्की या आतंकवाद या नक्सलवाद पैदा हो जायेगा जब सामान तो काफी होगा लेकिन लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास होगा, लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूमेंगे और उनके पास खरीदने की शक्ति नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री जी ने जो एक्जैम्पशन्स वापस ली है उनको फिर से यथावत रिस्टोर किया जाना चाहिये। मैं उनकी इस असुविधा से सहमत हूं कि 393 एक्जैम्पशन्स की लम्बी लिस्ट थी जिनके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती थी और परेशानियां होती थीं, उसके लिये एक नोटिफिकेशन समय रूप से जारी किया जाये लेकिन वे छूट बहाल होनी चाहिये। उन्होंने मैडिकल के इंस्टुमेंट्स का इम्पोर्ट करने पर मिलने वाली छूट आंशिक रूप से बहाल की है जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी को शायद विदेशों से लाईफ सेविंग ड्रग्स मंगाने की ज्यादा चिन्ता है। देखने में तो अच्छी बात लगती है कि आदमी का जीवन चाहे किसी देशी दवाई से बचता है या किसी विदेशी इंस्ट्रूमेंट या दवाई के मंगाने से बचता है, हर व्यक्ति के जीवन की एक कीमत होती है लेकिन हमारा हिन्दुस्तान दो प्रकार का है–एक हिन्दुस्तान वह है जो दिल्ली के आसपास बसा है, जिसे इंडिया कहते हैं। इंडिया में रहने वाले लोग, समृद्ध लोग विदेशों से आयात की हुई मशीनों से औषधियों से अपना इलाज कराने में समर्थ हैं लेकिन हिन्दुस्तान में 90 फीसदी लोग गांवों में या छोटे शहरों में रहते हैं, भारत में रहते हैं। उन भारत में रहने वाले लोगों की चिन्ता भी यदि हमारे वित्त मंत्री जी करते, भारत सरकार करती तो मैं उन्हें अवश्य बधाई देता। उन 90 फीसदी लोगों के जीवन की भी कोई कीमत है। वे 90 परसेंट लोग इंडिया में नहीं रहते हैं बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं। यदि उनके हितों का भी ध्यान रखा जाता, उनके लिये जितनी ट्रैडीशनल, परम्परागत जो हमारी चिकित्सा प्रणालियां हैं, चाहे वह आयुर्वेद की हो, यूनानी हो, होम्यापैथिक हो, एक्यूपंक्चर की हो या प्राकृतिक चिकित्सा की हो, देशी प्रणाली से इलाज करने संबंधी समस्त दवाओं को भी करमुक्ति प्रदान की जानी चाहिये थी। उन्होंने सिर्फ एक बात लिख दी जिसमें पता लगता है कि उनके ऊपर गैट का

भूत सवार होकर बोल रहा है। हमारे यहां पहले शास्त्रीय पद्धति चरक प्रचलित थी और धनवंतरि से इस पर किताबें भी लिखी हैं। वित्त मंत्री जी का कहना है कि यदि उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके औषधियां तैयार की जायेंगी तो वे छूट देंगे लेकिन अगर धनवंतरि के बच्चे या शिष्य, उनके उत्तराधिकारी, साधना करने के बाद, उन दवाओं के मिक्स्चर में, कम्पोनैंट्स में परिवर्तन कर देते हैं तो फिर उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वहां गैट आड़े आता है गैट की सोच यहां भी आड़े आती है। यदि उस समय की पद्धति के अनुसार उसमें पोनैंट्स डाले जाते हैं तो च्वनप्राश पर छूट है परन्तु उस च्वनप्राश में यदि स्वर्ण भस्मी या कोई दूसरी भस्मी मिला दी जाये ताकि उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, आज के पर्यावरण, जीवन की जटिल प्रणाली, हमें जिस तरह का रसायनयुक्त भोजन खाने को मिलता है, उस अन्न के कारण बीमारियों में जिस तरह के परिवर्तन आये हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिये, बॉडी के सिस्टम को स्यूट करने के लिये, अगर उसमें कुछ और दवाईयों का मिश्रण की आवश्यकता है। तो फिर उसको छूट नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस औषध प्रणाली को यथावत् रखा जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि वह सस्ती प्रणाली है। हर गरीब आदमी उसी से इलाज करवाता है। जब जुकाम होता है, तो आम आदमी एंटी-बायोटिक कम लेता है। यूनानी जुशांदा लेता है, जो सस्ता भी पड़ता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि लघु उद्योगों के लिए 30 लाख तक का एग्जम्पशन दिया गया है। रुपए की जिस प्रकार से क्रय-शक्ति घट रही है, उसके हिसाब से यह बहुत कम है। यह 30 लाख की लिमिट जब तय की थी, उसके बाद मूल्य सूचकांक कितना बढ़ा है, उसको देखकर इसको नियत किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से रुपए के मूल्य में ह्रास हुआ है उसको देखते हुए यह छूट कम से कम 75 लाख रुपए तक की जानी चाहिए। इसके बाद उसे महंगाई को मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया जाना चाहिए। जब एड-वेलोड्रेम टैक्स की बात कहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ चोर दरवाजे से टैक्स बढ़ाने की बात क्यों कहते हैं जिससे सरकार नंगी हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि महंगाई को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। एड-वेलोड्रेम रेट के आधार पर होता है और जब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से प्राइसेस बढ़ेंगी और जब प्राइसेस बढ़ेंगी, तो टैक्स का क्वांटम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको भी इसी प्रकार मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए जिससे लघु उद्योगों को बढ़ती हुई महंगाई से हानि नहीं उठानी पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय डालर का विनिमय मूल्य 4 रुपए से भी कम था और आज डालर की रुपए के साथ विनिमय दर 32 रुपए है। महंगाई बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई को शासन नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इसलिए शासन को कुछ ऐसी नीतियां अपनानी होगीं जिनसे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। जब महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा तभी एड-वेलोड्रेम सिस्टम लागू करना उचित होगा अन्यथा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा विषयान्तर होते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि अमरीका ने जो अपने यहां इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल किया है, इनर्जी की प्राइसेस को कंट्रोल करके। मैं कहना चाहूंगा कि बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला आदि जो इनर्जी के सोर्सेस हैं, उन के ऊपर यदि एक बार भारत सरकार यह निर्णय ले ले कि बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके

[श्री भगवान शंकर रावत]

रेट्स को कंट्रोल में रखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और जब महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा तभी इस सारे बजट की जो प्रक्रिया है, उसका लाभ मिलेगा।

भारत सरकार की जो यह कर निर्धारण की प्रक्रिया है वह एडहाक है। पता नहीं कब किस साल किस की लाट्री खुल जाए। माननीय वित्त मंत्री या भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के पास लोग खुशामद करने जाएं और उनसे कहें कि इन्कम टैक्स में थोड़ी-सी छूट और दे दीजिए, इस बार महंगाई बहुत बढ़ गई है। कुछ कहेंगे कि जो कस्टम ड्यूटी है उसमें और छूट दे दो। इस तदर्थवाद से काम नहीं चलेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था जो अधोगति में आई है उसका मूल कारण यही है कि हमारी कर-प्रक्रिया और कर की नीति गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दीर्घकालीन कर-नीति अपनानी चाहिए। जो तदर्थवाद के आधार पर किया जाता है, जो प्रति वर्ष के आधार पर जो कर-नीति बनाई जाती है उससे देश का नुकसान होता है। देश को दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। उसका क्रियान्वयन तभी ठीक प्रकार से हो पाएगा। एक वर्ष के अंदर ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसका न केवल राष्ट्रीय क्षितिज पर असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि दीर्घकालीन कर-नीति बनाइए।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इंडीविजुअल इन्कम टैक्स का प्रश्न है, महंगाई की बात को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसी संदर्भ में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि 30 हजार रुपए की लिमिट को जो आपने 35 हजार किया है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई रुपए की क्रय-शक्ति के कारण यह बहुत कम है। मैं उम्मीद कर रहा था और सारा सदन उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री राहतों की घोषणा कर रहे थे, वे यह घोष्णा भी कर देंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे 50 हजार रुपए किया जाए। इसके बगैर इसको 35 हजार रुपए रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे हर बार वहां ऐडवैलोरम व्यवस्था की है वैसे ही मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको भी उसके साथ जोड़ दें जिससे जितनी महंगाई बढ़े उतना ही इसका इनडैक्स बढ़ता जाए और न्यूनतम कर निर्धारण की लिमिट भी बढ़ती जाए।

एक बात और कहना चाहूंगा, शायद माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया है। न्यूनतम कर निर्धारण की जो सीमा रखी गई है, वही सीमा एच० यू० एफ० के लिए रखी जानी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने देखा होगा, अमरीका का सोशल सिक्यूरिटी सिस्टम बहुत खराब है। उनके पास अपार सम्पत्ति है लेकिन बुढ़ापे में बाप को बेटे और नाती का प्यार नहीं मिल पाता है। मेरी जानकारी है, यदि मैं गलत हूं तो वित्त मंत्री जी मुझे करैक्ट कर दें। जापान के वृद्धों के लिए हरियाणा में ओल्ड ऐज हाउस नाम से एक आश्रम बनाया जा रहा है। जापान के बूढ़े इस बात से दुखी हैं कि उनके पास दौलत और सम्पदा तो बहुत है लेकिन बुढ़ापे में प्यार नहीं मिल रहा है। सारे विश्व का सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें लगा कि भारत की भूमि पर प्यार

है। वे बुढ़ापे में अपनी धरती को छोड़कर भारत आना चाहते हैं। वे समझते हैं कि यहां के सेवक, नर्सें उनको उनके परिवार के मुकाबले अधिक प्यार दे सकेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि वे बुढ़ापे की सेफ्टी चाहते हैं और भारतीय परम्परागत जीवन इसे मजबूत करता है। इसलिए सोशल सिक्यूरिटी सिस्टम को आप प्राईवेटाईज़ेशन बना रहने दीजिए। वह प्राईवेटाईजेशन की नीति में भी खप जाता है। सरकारी विधवा आश्रम के स्थान पर एच० यू० एफ. के रूप में बने हुए जो आश्रम हैं, उस व्यवस्था को पुष्ट कीजिए। उसमें उसके साथ भी स्टाइल ऑफ लिविंग है। उसमें इकोनौमी आती है। एक परिवार में 4 बेटे और दो नाती हैं। यदि सबको अलग-अलग मकान देंगे तो बंटवारे के बाद निश्चित रूप से कन्ज़्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ता हैं। यदि संयुक्त परिवार में रहते तो शायद एक ही बैडरूम में काम हो जाता, रसाई दो-चार बना सकते हैं।

भारत का लौंग स्टैंडिंग सोशल ट्रैडीशन रहा है। मान्यवर, आप तो बहुत अनुभवी हैं। वैसे मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी भी जीवन की उस बेला में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें बाबा बनने का सौभाग्य मिला होगा। यदि बाबा बनने का सौभाग्य मिला होगा तो वे निश्चित रूप से जानते हैं कि बेटे से ज्यादा नाती से प्यार होता है। बाबा और नाती का स्नेह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब माता-पिता नौकरी करने जाते हैं तो माता यह चाहती है कि उसके बच्चे को उसके बाबा खिलाएं, वह किसी नर्सिंग होम में उसे नहीं रखना चाहती क्योंकि बाबा का दुलार, दादी का दुलार उसके बच्चे की सेहत ठीक रखेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस लौंग स्टैंडिंग ट्रैडीशन को, जिसमें बाबा-नाती का प्यार मन्निहत है, को बचाकर रखें। इससे सरकार को राहत मिलेगी।

बेरोजगारी की समस्या आपसे छिपी हुई नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार रहेंगे। नौजवान पढ़ता है, घरवाले सारी सम्पत्ति लगाने के बाद भी सपने संजोते हैं कि उनके बेटे को रोजगार मिलेगा लेकिन सरकार रोजगार दे नहीं पाती है। रोजगार की स्थिति खराब है। सरकारी नौकरियों में जो रोजगार मिलता था, उस रोजगार के अवसर भी समाप्त हो गए हैं। आप एक तरफ से मैकनाईज़ेशन कर रहे हैं। इसलिए कारखानों में भी काम की संभावना कम हो गई है। कम से कम संयुक्त परिवार रहने दीजिए जिससे लोग सड़कों पर खुदखुशी करने के लिए मजबूर न हो जाएं। कम से कम घर के लोग अनइम्प्लायड बेटे पर रहम खाएंगे और दो रोटी खिला देंगे। उसमें सामाजिक सुरक्षा का कवच डालने की कोशिश करें। हमने कहा है "वसुधैव कुटुम्बकम्" वह भाव इस संयुक्त हिन्दू परिवार से सृजन होता है, इसका उद्गम स्थल यहां पर है। इसलिये बार-बार आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संयुक्त हिन्दू परिवार की व्यवस्था को मत तोड़िये। आपने व्यवस्था कर दी है कि संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति टैक्स पेयर है तो फिर उसको सुविधाओं से वंचित कर दो। आपने संयुक्त परिवार पर न्यूनतम टैक्स को 18,000 कर दिया है। इसको बढ़ा कर ऐट पार रखिये, बेशक संयुक्त हिन्दू परिवार का व्यक्ति अलग से टैक्स देता है तो भी इंडीविजुअल के बराबर न्यूनतम लिमिट कर दीजिये।

आपने गिफ्ट टैक्स में मरने के बाद कर की छूट दे दी है। अगर कोई मर जाये तो उसके बाद कर नहीं लगेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। आदमी बचा कर रखेगा और उसे बरबाद नहीं

[श्री भगवान शंकर रावत]

करेगा। आपका अच्छा भाव है। जीते जी बंटवारा हो जाये तो अच्छा रहता है। गिफ्ट टैक्स से आपने एक लाख रुपये की छूट दी है। अच्छा काम किया है। पुत्र, पत्नी, लड़का, लड़की सब के लिये ऐसी व्यवस्था करें। जीते जी गिफ्ट करने की परमिशन दीजिये। बाद में लुटे, झगड़े हों, इससे फायदा नहीं। गिफ्ट टैक्स के बवाल को समाप्त करें।

मैंने आपके आंकड़े देखें हैं। 4 करोड़ का रिअलाइजेशन है। अधिकारियों, कर्मचारियों के खर्चे, वेतन, भत्ते और स्टेशनरी की सारी लागत मिला कर देखें तो वह 4 करोड़ से ज्यादा बैठेगी। आप जीते जी लोगों की शुभकामनायें लें। इससे अच्छा रहेगा।

वैल्थ टैक्स में 91 करोड़ रुपये की कुल कोलैक्शन है। इससे मुक्ति दिलायेंगे तो अच्छा रहेगा। कारपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले को मल्टी नेशनल की फेवर में कर दिया है। इस देश में रहने वालों के साथ वही बर्ताव करें जो विदेशियों के साथ कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी आप उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। यह ठीक है कि हमने मेहमाननवाजी बहुत की। इसका देश ने बहुत भारी नुकसान भी उठाया है लेकिन मेहमान नवाजी ऐसी नहीं करें जिससे घर के बालक को अंगूठा दिखायें और बाहर वालों को खीर खिलायें। आप इस मामले पर ध्यान दें।

आपने एन० आर० आईज० डोमैस्टिक कम्पनीज और फॉरैन इंस्टीट्यूशन्स के इनवैस्टर्स को इनवैस्टमैंट करने की अलग-अलग सुविधायें दी हैं। वही एन० आर० आईज० को दीजिये, वही डोमैस्टिक कम्पनियों को दीजिये। आपने यह कर दिया है कि काली चमड़ी वाला विदेशी जो भारतीय मूल का है, वह अगर विदेश गया चाहे वह पुरुषार्थ से बंधुआ मजूदर बन कर गया, चाहे उसने पुरुषार्थ से धन कमाया, उनको आप वे रियायतें नहीं दे रहे हैं जो फॉरैन इंस्टीट्यूशन्स के इनवैस्टर्स को दे रहे हैं। एन० आर० आईज० और उनमें अंतर नहीं है। वे ज्यादा देशभक्त हैं और हमारे देश से अधिक लगाव रखते हैं। डोमैस्टिक कम्पनियों को एक सी सुविधायें इस सारे मामले में दें।

देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जैसा मैंने कहा कि आपके बजट की प्रपोजल्स अवास्तविक है। आपने यह समझ लिया कि देश का 6 परसैंट से लेकर 8 परसैंट तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस साल में हो गया तो आपका बजट खरा उतर जायेगा अन्यथा फिर वही हाल होने वाला है जो हाल पिछले वर्ष में हुआ। आपने 1991-92 के बजट में शर्तें लगायी थीं, जिस तरह की देश को दिशा देने का प्रयास किया था, उसकी हम सब लोगों ने सराहना भी की थी लेकिन अब उसके बाद लगता है कि आपके साथ कहीं असहयोग हो रहा है या आपके प्रयासों को कहीं सबोटाज किया जा रहा है, या पता नहीं आप ही कहीं दिशा भ्रमित हो रहे हैं, यह तो आप ही जाने कि अन्दरखाने आपकी क्या स्थिति है। ... **(व्यवधान)** ... अन्दरखाने मैंने कहा, अन्तर्कलह मैंने नहीं कहा। कलह तो इनके अन्तःपुर की है, यह तो वही जानें। लेकिन मेरा कहना है कि आपका जो पिछले साल का रिकार्ड है, उसकी जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे रैफरेंस सैक्शन से जो आंकड़े मिले हैं, उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के मुकाबले टोटल रेवेन्यू 10 परसैंट कम आया है। अगर कहीं मैं गलती पर हूं तो आप बाद में मुझे करैक्ट कर देना लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपके पिछली बार के

आंकड़े गलत सिद्ध हुए, तखमीने गलत सिद्ध हुए, इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो यह कि बजट बनाने में सहयोग करने वाली जो आपकी टीम है, उसको करैक्ट इमेजीनेशन नहीं है, वह ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाती है कि किस तरह के ट्रेण्ड इकोनोमी में चल रहे हैं, जिसके कारण उसे आपको जो परामर्श देना चाहिए, वह नहीं दे पाती। उसी का कारण है कि आपका पिछले साल का जो प्रस्तावित बजट घाटा था, वह 4314 करोड़ का था लेकिन वास्तव में निकला 9460 करोड़ का यानि 110 परसेण्ट का अन्तर रहा। इतने बड़े अन्तर के बाद कोई अर्थशास्त्री आपके बजट की प्रशंसा नहीं कर सकेगा, हम सामान्य व्यक्ति आकपी तारीफ कर सकते हैं लेकिन कोई भी बजट का जानकार व्यक्ति, अर्थव्यवस्था को समझने वाला व्यक्ति इस बात पर हंसेगा कि भारत के राष्ट्रीय बजट में, उसके आंकड़ों में इतनी अवास्तविकता है।

फिस्कल डैफीसिट की बात 36,959 करोड़ रुपये की आपने सोची थी लेकिन 58,557 करोड़ का वास्तविक फिस्कल डैफीसिट बैठा। यानि 58 परसेण्ट का अन्तर हुआ, ड्यौढ़ा हो गया। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि 53 परसेण्ट जो राजस्व प्राप्ति होती है, वह तो कर्जों के ब्याज की अदायगी में चली जाती है। 46,000 करोड़ आपको इस साल में देना पड़ रहा है। इस सब का एक ही इलाज है और वह इलाज है कि आप उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन दें लेकिन उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन आपकी नीतियों के कारण नहीं मिल रहा है। भारत सरकार ने नीति बनाई कि एक्साइज बढ़ायेंगे, कस्टम ड्यूटी घटायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्पादनपरक नीति बनाइये, उत्पादन ड्यूटी को घटाइये, लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। एस० एस० आई० यूनिट्स को जो छूट थी, उसे बहाल कीजिए, तभी काम चलेगा।

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। तीन लाख करोड़ की समानान्तर अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही है आपने अनेक प्रयास किये। आपके प्रयास में आपको बहुत कम, मार्जिनल सफलता मिली है और इसलिए साहस करके एक नीति बनाइये जिससे इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके और उस सारे रुपये का कोई रचनात्मक उपयोग हो सके। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, रूरल एण्ड लेबर इण्टेंसिव इण्डस्ट्रीज, जिससे देहात में काम भी हो और वहां के भूमिहीनों को काम मिले, ऐसी इण्डस्ट्रीज में इस कालेधन को लगाइये, उसके लिए प्रोत्साहन दीजिए। हिन्दुस्तान के लोग जो पैसा कमा लेते हैं, चाहे वह गलत तरीके से कमाया गया हो, वह उसे स्विटजरलैण्ड के बैंकों में तो रख देंगे लेकिन आप जब छूट देते हैं और कहते हैं कि रियायत के साथ टैक्स दे दो और उसको लीगलाइज कर लो तो उन प्रयासों में आपको वांछित सहयोग नही मिला, ऐसी मेरी धारण है। इसलिए मैं पुनः आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि इस अनयूटीलाइज्ड ब्लाक मनी का सदुपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था भी आप सोचें। इस व्यवस्था से इस देश का भला होगा। तब देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और देश की जीर्ण शीर्ण अर्थव्यवस्था को आप ठीक प्रकार से चला सकेंगे।

इस समय आपने इन्कम टैक्स के असैसमेंट के मामले में जो राहतें प्रदान की हैं, वे राहतें भी ठीक नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो डिडक्शंस थे, उनमें आपने सेविंग्स के मामले में बड़ी

[श्री भगवान शंकर रावत]

कोताही बरती है। इस देश में कंज्यूमरिज्म को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि यहां 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनपर विदेशियों की निगाहें हैं, उनकी जेबों में डकैती डालने के लिए, अपना माल बेचने के लिए वह तैयार हैं, उनका तो आपने ध्यान रखा है लेकिन आप उनका भी ध्यान रखिये, जो शेष लोग हैं। इसलिए जो घरेलू बचत की व्यवस्था है, उन सुविधाओं को पुनः आप बहाल करिये। दण्डवते जी जब वित्त मंत्री बने, उनसे पहले का जो सेक्शन 88 के स्थान पर पुराना सिस्टम था, उसको बहाल करिए, क्योंकि बचत का प्रतिशत गिर रहा है, इसको प्रोत्साहित करिए। शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा कि छोटी- छोटी बचतों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति आई है। गुजरात के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र बता रहे हैं कि वहां पर भी श्वेत क्रांति का सूत्रपात इसी से हुआ है। महिलाएं घर में रहती हैं और ग्रामीण भाषा में इसे कहते हैं कि कोर्चे के पैसे जमा कर लिए। महिलाएं मजदूरों आदि को थोड़ा-थोड़ा अनाज बेच देती हैं और उसमे जो पैसा आता है, उसको इकट्ठा कर के गाय-भैंस खरीद लेती हैं। पहले हिंदुस्तान में दूध बेचना अपराध और अभिशाप समझा जाता था, कहा जाता था कि जिसने दूध बेचा, उसने पूत बेचा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब महिलाएं समझती हैं कि जिसने दूध नहीं बेचा, बल्कि पूत को पालने के लिए थोड़ा-सा दूध बेचा और घर के मुखिया की आमदनी कम है तो घर चलाने में भी वह पैसा काम आता है। दूधिया चुपचाप आता है, दूध ले जाता है और पैसे दे जाता है। इसके बाद यह व्यवस्था ऐसी बनी कि समूचे उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति पैदा हो गई, गुजरात के अंदर श्वेत क्रांति पैदा हो गई। लोगों में एक शौक पैदा हुआ कि दूध का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इसमें कोई बड़े कैपीटल की आवश्यकता भी नहीं है।

2.57 म०प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

छोटी बचत का प्रतिशत गिर रहा है, इसको आप प्रोत्साहित करिए। इसका प्रतिशत गिरने से राज्यों को भी हानि हो रही है, विकास की प्रक्रिया रुक रही है, आपको भी हानि हो रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि छोटी बचतों की तरफ आप अवश्य ध्यान दें।

तीसरी बात मैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन मैथड के बारे में कहना चाहूंगा। आपने ट्रक वालों को कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन मैथड में टैक्सेशन वेल्यूएशन, सिविल कांस्ट्रक्शन आदि के मामले में भी जापान और फ्रांस के मैथड को अनेलिसिस करें और ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आमदनी के निर्धारण की प्रकिया हार्श न हो। परसुएशन से टैक्स लीजिए, कहते तो आप भी हैं, लेकिन इंप्लीनमेंटेशन में यह बात नहीं आ पाती है, उसमें हार्शनेस रहती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का एक मैथड बनाइए, जापान और फ्रांस के माडल को देखिए।

बचत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के अंदर इस तरह की हाउस सेविंग्स की व्यवस्था बनाई गई, जिससे वहां की इकानमी में जान आ गई है। आप विदेशों की

बात जल्दी समझते हैं, इसलिए मैंने विदेशों की बात की है। यदि आप देश की बात समझते हैं तो मैंने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की बात की है। उर्दू की शेरो-शायरी तो मुझे नहीं आती है, जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, क्योंकि हिन्दी का विद्यार्थी रहा हूं:

छिल-छिल कर छाले फोड़े, मल-मल कर मुदुल चरण से,

घुल-घुल कर बह जाते, बहते करुणा के कण से।

सभापति महोदय, आज लाखों मजदूर आपकी एक्साइज पालिसी की वजह से रो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि स्माल स्केल सेक्टर को एक्साइज के नैट से मुक्त करिए, ताकि वो लोग जीवित रह सकें। अंग्रेजी में यदि मंत्री महोदय जल्दी समझते हैं तो मैं शेक्सपियर को कोट कर सकता हूं :

[अनुवाद]

"तितलियां जैसे चंचल बच्चों को प्यारे लगते हैं, उसी तरह हम लोग ईश्वर के; जिसे वे हमें अपने विनोद के लिए मारते हैं।"

[हिन्दी]

बात कड़ी है, कहना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए कि शायद आप हिन्दी न समझ पाएं, इसलिए अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने यह बात कही है। बड़ी कठिनाई है, इनको कुछ राहत दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

3.00 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

2 मई, 1994 को दक्षिण मध्य रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन वाले बीबीनगर-नडिकुडे खंड पर बिना चौकीदार वाले समपार पर 7424 नारायणाद्री एक्सप्रेस और एक ट्रैक्टर ट्रैलर की दुर्घटना

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : बड़े दुख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे के सिंकदराबाद मंडल के इकहरी बड़ी लाइन वाले बीबीनगर-नडिकुडे खंड पर 2-5-1994 को लगभग 18.35 बजे 7424 सिंकदराबाद-तिरुपति नारायणाद्री एक्सप्रेस तथा एक ट्रैक्टर ट्रैलर के बीच दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई। जब गाड़ी पगिडीपल्ली और वलिगोंडा स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड पर चल रही थी तथा कि०मी० 24/4 पर बिना चौकीदार वाले समपार संख्या 11 पर पहुँच रही थी, तब परिवारों के एक ग्रुप को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रेलर ने समपार को लांघने की कोशिश की, लेकिन वह गाड़ी के इंजन से टकरा गया। तेज गति से आ रही गाड़ी की भारी टक्कर तथा ट्रेलर वाहन के रेलपथ के साथ-साथ घसीटने के परिणामस्वरूप ट्रैक्टर ट्रेलर पर यात्रा कर रहे 31 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 8 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी के कर्मीदल अथवा गाड़ी के यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। घायल व्यक्तियों को भोंगीर सिविल अस्पताल ले जाया गया तथा बाद में उन्हें सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल भेजा गया।

[श्री भगवान शंकर रावत]

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर तत्काल ही सिकंदराबाद से रेलवे के डाक्टरों सहित चिकित्सा राहत गाड़ी दुर्घटना स्थल के लिए चल दी। अपर महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंडल रेल प्रबंधक, सिंकदराबाद के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड की जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर गये तथा अस्पताल में घायलों को देखा।

जिस बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना हुई वह सीधी रेल लाइन पर है और कच्ची सड़क द्वारा सेवित है और इसके दोनों ओर लगभग 600 मीटर की दूरी तक स्पष्ट दिखाई देता है। पता चला है कि ट्रैक्टर ट्रेलर का ड्राइवर लापता है तथा रेल प्रशासन ने सिविल पुलिस के पास "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज करा दी है।

इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में, जिसमें किसी रेल यात्री की मृत्यु न हुई हो अथवा कोई घायल न हुआ हो और मुख्य जिम्मेवारी सड़क उपयोगकर्ता की हो, आम तौर पर अनुग्रह भुगतान अथवा मुआवजा अनुमेय नहीं है। बहरहाल, एक विशेष मामले के रूप में पहचाने गये मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान किया गया है।

मैंने वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच कराये जाने के आदेश दे दिए हैं।

सभी रेल कर्मचारी तथा मैं उन परिवारों के प्रति जिनके रिश्तेदारों की इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण जानें गई हैं, अपनी हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

3.04 म०प०

2 मई, 1994 को दक्षिण मध्य रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन वाले बीबीनगर-नडिकुडे खंड पर बिना चौकीदार वाले समपार पर 7424 नारायणाद्री एक्सप्रेस और एक ट्रैक्टर-ट्रैलर की दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य

... **(व्यवधान)** ...

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मृतक के परिवार वालों को कितना कंपनसेशन दिया गया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप एक-एक करके पूछेंगे तो मैं इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : मृतकों तथा घायल व्यक्तियों के संबंधियों को आप क्या क्षतिपूर्ति दे रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : दूसरे सदन में रेल बजट पर चर्चा हो रही है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मानव रहित रेल फाटक के कारण ही यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को आप क्या क्षतिपूर्ति दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, हम जानना चाहते थे कि मृतक के परिवार वालों को कितना कंपनसेशन दिया गया है? हमारे सवाल का जवाब दिए बिना मंत्री जी आपकी अनुमति के बगैर ही सदन से चले गए हैं। यह सदन की अवमानना है। **(व्यवधान)**

श्री वृशिण पटेल (सिगन) : यह सदन की अवमानना है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : क्या यह तरीका है कि रेल मंत्री इस तरह से चले जाएं।

श्री बासुदेव आचार्य : वह सभा से बाहर चले गए। यह सभा की अवमानना है। सभापति महोदय आपको रेल मंत्री को यहां बुलाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं सोच रहा हूं मंत्री जी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उनको वापस बुलाओ।

सभापति महोदय : अब हो गया, मैंने आपको कह दिया है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न पाईंट ऑफ आर्डर है। आपको स्मरण होगा। जब यह मामला उठाया गया था तब श्री मंत्री महोदय ने टाला था और यही कहा था और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निर्देश मांगा था कि क्या मुझे वक्तव्य देना जरूरी है और आज फिर वे वैसा कर गये। आपकी और सदस्यों की भावनाओं का अनादर करके चले गये। यह ठीक है कि हम नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक-दो सदस्य सवाल पूछते तो वे उसका उत्तर दे सकते थे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय मंत्री जी ने एकदम वक्तव्य पढ़ा और बिना आपकी अनुमति के चले गये, मैं इसकी निन्दा करता हूं। मंत्री जी को इतनी मानवीय संवेदना पर इतनी संवेदनहीनता का परिचय नहीं देना चाहिए था। संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से भी और माननीय हिसाब से भी यह अनुचित है।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 349 के अनुसार माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त करने के तुरन्त पश्चात् सभा से बाहर नहीं जा सकते हैं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : वक्तव्य का पहला भाग अधूरा है। दूसरा भाग शोक संवेदना से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री महोदय ने मृतकों के परिवारजनों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति राशि के बारे में सभा को नहीं बताया है। मृतकों के परिवारजनों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति राशि को स्पष्ट किये बिना ही रेल मंत्री सभा से बाहर चले गये।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : हमें मालूम है कि कायदे के अनुसार सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इस सदन के अंदर पहले भी कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के बाद सवाल पूछे गये हैं। इसलिए मंत्री जी को आपके आदेश का इंतजार करना चाहिए था, अगर आप सवाल पूछने की अनुमति नहीं देते, तो उनको जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : माननीय मंत्री द्वारा सभा में वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त दूसरे सदन में रेल बजट पर चर्चा जारी है। अतः माननीय मंत्री को दूसरी सदन में शीघ्र ही जाना था। **(व्यवधान)**

जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेल बजट पर चर्चा दूसरे सदन में चल रही है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है इससे कोई भी व्यवस्था का प्रश्न या अप्रिय प्रसंग नहीं उठ सकता। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके कुछ पूर्वदृष्टांत हैं। कई बार मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है। यह एक मानवीय प्रश्न है जिसमें 31 निर्धन यात्री, चाहे वे सड़क यानायात से यात्रा कर रहे थे, रेलवे की लापरवाही से मारे गये क्योंकि वहां पर चौकीदार वाला रेलवे फाटक नहीं था। बेचारे यात्री मारे गये। हम यह जानना चाहते हैं कि रेलवे मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा देगा। किन्तु वह तुरन्त सदन छोड़ कर चले गये। मंत्री महोदय के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें वापस बुलाया

जाये। उन्हें राज्य सभा से वापस बुलाना ठीक रहेगा। उन्हें यहां आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कल स्पीकर साहब ने जब आदेश दिया था कि इस बारे में रेल मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे और उसी आधार पर यह स्टेटमेंट दिया है लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर केवल मृतकों की संख्या और उनके प्रति संवेदना की बात की गयी है। यह दुर्घटना तो रेलवे की लापरवाही के कारण हुई कि वहां फाटक पर कोई आदमी नहीं था और वह ट्रैक्टर ट्राली उसके अंदर चली गयी जिसके कारण 34 आदमी जिनमें महिलायें, बच्चे और पुरुष थे, मारे गये और उनके लिये कोई मुआवजे देने की घोषणा नहीं की गयी। यह तो मानवता का प्रश्न है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग दुर्घटना में मारे गये हैं, उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, यह संसदीय परम्परा रही है कि जब भी कोई मंत्री स्टेटमेंट देता है तो उस पर क्लेरिफिकेशन के प्रश्न नहीं पुछे जाते हैं और किसी को बाध्य करने का क्या औचित्य है? जब यह घटना हुई और कल हाऊस में इसको उठाया गया तो स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी कि रेल मंत्री स्टेटमेंट देंगे और वह इन्होंने दे दिया है और फिर ये क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? **(व्यवधान)**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, यह प्रक्रिया और नियम का प्रश्न नहीं है जैसे ही रेलमंत्री जी ने अपना वक्तव्य पढ़ा तो इधर के सब सदस्य खड़े हो गये और आपने कृपापूर्वक यह इज़ाजत दी कि बारी बारी से बोलें और सब बोले भी लेकिन मंत्री जी कंटैम्प्चुअस वे में बाहर चले गये। मैं इस शब्द को इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनको आपसे बाहर जाने के लिये इज़ाजत लेनी चाहिये थी। वे नियमानुसार अपना वक्तव्य पढ़ चुके थे। यह सही है कि नियमानुसार इस पर क्लैरिफिकेशन्स नहीं हो सकते हैं परन्तु वे रूल तो कोट कर सकते थे लेकिन यह उन्होंने नहीं किया। जब हम लोगों को बारी-बारी से बोलने के लिये इज़ाजत दे रहे थे तो वे उठकर चले गये और आपने उनको जाने की अनुमति नहीं दी थी। यह आपका कंटैम्प्ट है और इस हाउस का कंटैम्प्ट है और मैं उनके खिलाफ मर्यादाहीनता का सवाल उठाना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाकर यह सूचना देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, जहां तक नियमों का सवाल है, मंत्री के वक्तव्य के बाद यहां स्पष्टीकरण पूछने की इजाज़त नहीं है लेकिन इस सदन की परंपरा रही है और आसन समय-समय पर इजाजत देता रहा है और मंत्री की तरफ से भी स्पष्टीकरण आता रहा है।

एक ऐक्सीडेंट का सवाल है, वह मानवीय सवाल था और इस सवाल पर मंत्री के वक्तव्य

[श्री नीतीश कुमार]

के बाद जब आपने माननीय सदस्यों को सुनना शुरू किया तो यह मंत्री महोदय का दायित्व बनता है कि वह आसन के निर्देश तक इंतज़ार करें। आप अपने अधिकार में थे। कह देते कि स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होती लेकिन जब आप सुन रहे हैं और इस बीच मंत्री जी का सदन से उठकर जाना, यह सदन का अपमान और आसन का अपमान है। यह गंभीर आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हुई है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप निर्देश दें कि मंत्री स्वयं यहां पर उपस्थित हों और अगर आप मुनासिब समझते हो कि स्पष्टीकरण दिया जाए तो जवाब होना चाहिए और अगर आप मुनासिब न समझें तो जवाब न दें लेकिन इतना आसन के सम्मान के लिए और सदन के सम्मान के लिए आवश्यक है कि मंत्री महोदय को बुलाया जाए और वह इस सदन में हाज़िर हों क्योंकि आपके निर्देश के बिना वह यहां से नहीं जा सकते जब आपने सदस्यों को सुनना शुरू कर दिया। यह एक गंभीर स्थिति है।

डा० एस०पी० यादव (सम्भल) : सभापति जी, रेल के जो अनमैन्ड फाटक हैं, उनकी यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है। पहले रेल के अनमैन्ड फाटक बहुत कम थे, उन पर आदमी रहता था। मेरे क्षेत्र में भी 9 दिसंबर को एक दुर्घटना हुई और वहां एक जीप की रेल से दुर्घटना हुई। तीन लोग मारे गए और उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। इसी तरह से 28 बच्चे मारे गए थे और कितनी ही घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी हैं लेकिन मंत्री जी यहां आते हैं और वक्तव्य देकर चले जाते हैं। हमारा निवेदन यह है कि हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री जी को दोबारा बुलाया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसकी व्यवस्था करें मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)** ...

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : सभापति जी, जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना घटी और जिस समय में माननीय रेल मंत्री जी ने यहां आकर वक्तव्य दिया उसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरे सदन में रेलवे बजट पर बहस चल रही है। ...**(व्यवधान)** ... आप बैठ जाइए। आप कृपा करके मुझे भी सुन लें।

श्री नीतीश कुमार : यह क्या है? चेयर को ऐड्रस करेंगे या सीधा किसी को झाड़ लगाएंगे। एक मंत्री हो कर सीधे मेम्बर को झाड़ लगा रहे हैं। चेयर को ऐड्रस करें। ...**(व्यवधान)** ...

श्री राम लखन सिंह यादव : मैं आपसे कह रहा था कि दूसरे सदन में रेलवे बजट पर चर्चा चल रही है और चूंकि यह अहम सवाल था इसलिए वे यहां से उठकर इस सदन में आए और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। ...**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : वे स्पीकर के निर्देश पर यहां आए हैं। **(व्यवधान)** ...

सभापति महोदय : जोशी जी आप बैठिये।

श्री राम लखन सिंह यादव : नियमानुसार वक्तव्य के बाद कोई आवश्यक नहीं है कि मंत्री से सवाल जवाब किये जाएं और वे उत्तर दें लेकिन आपका आदेश सर्वोपरि है। चेयर चाहे तो ऐसा कर सकती है। माननीय मंत्री ने तीन तीन बार कहा कि चूंकि दूसरे सदन में डिबेट चल रही है इसलिए मैं जा रहा हूं। हकीकत तो यही है। अगर वे वहां चर्चा में नहीं जाते तो उस सदन में भी सवाल उठ सकता था और उन पर मानहानि का दावा बन सकता था। इसलिए मेरे ख्याल में जैसी परिस्थिति है और जैसे वहां डिबेट चल रही है, सिवाय इसके कि वे अपना वक्तव्य देकर वहां चले जाएं जहां उनकी चर्चा चल रही है इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिये उन्होंने कोई गलती नहीं की है।

श्री नीतीश कुमार : क्या इस हाउस में चर्चा करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी दूसरे हाउस में है। जब तक यहां का बिजिनैस खत्म नहीं हो, तब तक वे कैसे जा सकते हैं। इसलिये यादव जी यहां जो कुछ बोल रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन उचित नहीं है और उसे नहीं माना जा सकता।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठ जाईये।

(व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : एक तरफ तो माननीय सदस्य हमें कहते हैं कि आप दूसरे मैम्बर को कुछ नहीं बोल सकते लेकिन बार-बार मेरी ओर हाथ भी उठाते हैं और कुछ-न-कुछ कहते रहते हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, कृपया सदन में व्यवस्था कायम कीजिए। हर चीज अव्यवस्थित प्रतीत होती है।

दोनों सदनों में किये जाने वाले कार्य के लिए कतिपय मामलों के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य का संबंध है ··· **(व्यवधान)** आप इस प्रकार से चिल्ला क्यों रहे हैं?

श्री हरिन पाठक : मंत्री महोदय ने सदन का अपमान किया है। हम एक छोटी-सी जानकारी चाहते थे कि नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि के रूप में कितना धन दिया गया।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस बात का तो फैसला हो चुका था। जहां तक मंत्री महोदय के वक्तव्य का संबंध है, इस बारे में यह निश्चित था कि इसके पश्चात् किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : यहां सवाल प्रोसीजर का नहीं है। सवाल इस बात का है कि सदन की बेइज्जती हुई है।

सभापति महोदय : आप कह चुके हैं, अब बैठिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कई बार इसकी अनुमति दी गई है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कई बार सामान्य नियम के अपवाद भी होते हैं किन्तु अधिकार के रूप में इसकी हमेशा ही मांग नहीं की जा सकती। रेल मंत्री इस सदन में आये, उन्होंने जो कुछ कहना था कहा और दूसरे सदन के कार्य को देखने के लिए चले गये। इसमें गलत क्या है? जहां तक उनके वक्तव्य का संबंध है, यदि वह कोई और जानकारी चाहते हैं यदि वह इस पर चर्चा भी चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रथक प्रक्रिया है और उन्हें यह सब कुछ उसी के अनुसार करना होगा। माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य पर इस सदन में बहस भी हो सकती है। इसके लिये प्रक्रिया है और हमारे प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका प्रावधान भी है। वह इसका सहारा ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात इस सभा का तमाम समय नष्ट हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय विन मंत्री द्वारा वित्त विधेयक पर प्रारम्भिक वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् शायद उनके पास इस सदन के वाद-विवाद में भाग लेने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। मेरे विचार से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति जी, इस पूरी घटना को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। हम लोगों की मांग पर कल अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था इसीलिये रेल मंत्री जी ने इस घटना के बारे में आज हाउस में वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने प्रभावित लोगों को कुछ एक्सग्रेशिया पेमेंट देने की बात कही। इस घटना में 35 लोग मारे गये और चूंकि एक ट्रैक्टर वाले की गलती से यह घटना हुई, हमने उनसे पूछा कि एक्सग्रेशिया पेमेंट कितना दिया गया। सिर्फ इतना ही हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या अमाउंट दिया गया। सभापति जी, 47 वर्ष की आजादी के बाद, आज भी देश में अनेकों ऐसे फाटक हैं जो मानव-रहित हैं और हर समय खुले रहते हैं। क्या रेल मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है कि देश में ऐसे फाटक बनाये जायें जो मानव द्वारा नियंत्रित हों और मनुष्यों द्वारा संचालित किये जायें। उसको मानव नियंत्रित करता रहे। फिर भी अगर मंत्री जी कहते हैं कि यह ट्रैक्टर वाले की गलती है, तो हम यह जानना चाहेंगे कि एक्सग्रेशिया कितना अमाउंट दिया है। आपने यह भी कहा था कि बारी-बारी से पूछ लें ···*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री हरिन पाठक : इसलिए हम आपकी अनुमति से बोलना चाहते थे ···*

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि मंत्री जी का यह रवैय्या, मंत्री जी का यह व्यवहार सदन की गरिमा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाला है। सदन का अपमान है। सदन की गरिमा का अपमान है और आपके आसन का भी अपमान है। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय को सदन में बुलाया जाए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ओनरेबल मैम्बर्स, आल पार्टीज ने जो यह प्रोटैस्ट किया है यह रिकार्ड पर आ गया है और अब बार-बार जो कहा जा रहा है, उस पर मैं सोचूंगा कि क्या करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मैं भी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि रेलवे ने इस बार बजट का बहुत समय खाया है। यह तो दुर्घटना हो गई, इसलिए मामला उठाना पड़ा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी फायर्नेंस बिल पर आएं, यह बहुत जरूरी है। रेल की ज्यादा खींच-तान न करें।

3.26 म०प०

वित्त विधेयक, 1994–जारी

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा आज विभिन्न संशोधनों सहित पुरःस्थापित किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त विधेयक बजट के केवल उन प्रस्तावों को ठोस मूर्त रूप ही नहीं देता है। जिन पर इस सभा में चर्चा हो चुकी है।

किन्तु विधेयक में सरकार की आर्थिक नीति के कार्यान्वयन हेतु कतिपय उपायों का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में यह एक सुनिश्चित नीति रही है। जिसकी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सरकार की नीति करों को कम करने। कर की दरों को सन्तुलित बनाने और कराधान क्षेत्र का विस्तार करने की है ताकि इसमें अधिकाधिक लोगों की भागीदारी की जा सके। इसके साथ-साथ यदि कर की दरों को एक सन्तुलित स्तर तक कम कर दिया जाता है तो कर संबंधी कानूनों का अनुपालन बेहतर तरीके से होगा और कर अपवंचन जो आज देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, पर भी कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने छूट सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी है। यह कदम स्वागत योग्य है क्योंकि इससे निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों को कुछ निश्चित धन राशि की राहत मिलेगी, कर ढांचा इस तरह का बनाया गया है कि 50,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने सभा में बताया है कि 52,000 रुपए तक की आय अर्जित करने वाली कामकाजी महिला को भी कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा० देवी प्रसाद पाल]

मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यह एक स्वागत योग्य राहत है। मैं इस राहत शुरू करने के लिए वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अब जो कर सदैव सीमा लागू किये गये हैं उससे भी मध्यम आय वर्ग के लोगों को कुछ हद तक कर में राहत मिलेगी। 35,000 रुपए से 60,000 रुपए की आय तक कर की दर 20% है। पहले यह सीमा 50,000 तक थी। 60,000 से 1,20,000 रुपए तक की आय के लिए कर की दूसरी स्लेब 30% है। जिन व्यक्तियों की आय 1,20,000 रुपए से अधिक है उन्हें अपनी आय का 40% कर के रूप में देना पड़ेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वस्तुत उनका कहना सही नहीं है। वित्त मंत्री जी ने भी ऐसी बात कहते हुए एक ऐसा मामला बनाया है कि 50,000 रुपए तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यह एक छोटा-सा संशोधन है जिसका उल्लेख करना न तो वर्तमान अध्यक्ष ने और वित्त मंत्री ने उचित समझा है। यह इस प्रकार है कि उक्त सीमा केवल तभी लागू होती है जब मानक कटौती को भी शामिल किया जाता है।

डा० देवी प्रसाद पाल : यह तो स्वतः स्पष्ट है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वित्त मंत्री और डा० पाल जानते हैं कि मानव कटौती सब पर लागू नहीं होती है किन्तु यह केवल वेतन भोगियों पर ही लागू होती है।

डा० देवी प्रसाद पाल : जब यह कहा जाता है कि यदि मानव कटौती को शामिल किया जाए तो 50,000 रुपए की आय वाले वेतन भोगी व्यक्तियों को कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो वेतन भोगी नहीं हैं, उनकी आय उनके अपने कारोबार से होती है तो उन्हें अधिक कटौती का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार जो निश्चित आय वर्ग के लोग हैं। जैसा कि पहले बताया गया है उन्हें 50,000 तक की आय के लिए कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें विशेषकर मध्यम आय वर्ग के लोग हैं जिन्हें अब सन्तुलित स्तर पर कर देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने आय वर्ग के लोगों, वेतनभोगी लोगों के लिए कतिपय राहत-उपायों की घोषणा की है। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा खर्च किया जाता है और उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति की जानी है। तो उन्हें परिव्याधियों का निर्धारण करते समय इसकी राहत दी जाएगी। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि आजकल यदि कर्मचारी मान्यता प्राप्त अस्पताल जाते हैं और उन्हें कतिपय चिकित्सा खर्च करना पड़ता है। वे अब इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं।

नियमित कराधान के मामले में भी कतिपय परिवर्तन लागू किए गए हैं जिनसे नियमित क्षेत्र को नियमित निवेश के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। वैयक्तिक करदाताओं को वित्त मंत्री ने गत वर्ष अपना आश्वासन दिया था कि प्रतिभार वापस ले लिया जाएगा। उक्त आश्वासन के अनुरूप 12% का प्रतिभार वापस ले लिया गया है। कराधान नियमित क्षेत्र में व्यापक स्वामित्व वाली कम्पनियों के मामले में कर की दर 45 प्रतिशत से घटाकार 40 प्रतिशत और सीमित स्वामित्व वाली कम्पनियों के मामले में 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। दूसरे शब्दों में सीमित स्वामित्व वाली तथा व्यापक स्वामित्व वाली कम्पनियों के बीच का अन्तर

समाप्त कर दिया गया है। अब निगमित क्षेत्र को केवल 40 प्रतिशत कर देना पड़ेगा लेकिन इस क्षेत्र पर लगाया गया कतिपय वित्तीय प्रतिभार अड़चनों के कारण इस वर्ष वापस नहीं लिया जा सका। लेकिन सीमित स्वामित्व वाली कम्पनियों और व्यापक स्वामित्व वाली कम्पनियों के बीच का अन्तर्राको जो काफी समय से चला आ रहा है, समाप्त कर दिया गया है। नियमित क्षेत्र में कई अन्य राहत उपाय भी किये गये हैं जो इस वित्त विधेयक में शुरू किये गये हैं। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाना चाहिए तथा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के विचार से जो अंशदान विभिन्न विश्वविद्यालयों, या विश्वविद्यालय के दर्जे के विश्वविद्यालयों या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, या उक्त शोध संस्थानों या इलैक्ट्रानिकी उद्योग संबंधी संस्थानों को उन्हें दिया गया है वह अंशदान भी दिया जा रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अतः उक्त योगदान पर 125 प्रतिशत भारी कटौती दी जाएगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि हमारे देश में तकनीकी शोध की कमी नहीं है। और अब हमारे शोधकर्ता अपने कार्य में गहन रुचि ले सकते हैं बशर्ते कि उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध की जायें। अब यदि इन संस्थानों को अंशदान राशि दी जाय तो वे उन्हें 125 प्रतिशत की कटौती प्राप्त हो जाएगी।

इसी प्रकार मैं उस उपाय का स्वागत करता हूं जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण को योगदान देने के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदूषण नियंत्रण आज के समय की महत्वपूर्ण मांग है। इसलिए विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण निवारण परियोजनाओं के लिए अंशदान किया जाता है तो ऐसा परियोजनाएं जो आयकर अधिनियम की धारा, 35 के अन्तर्गत आएंगी वे उपयुक्त परियोजनाएं हो जायेंगी और उनके लिए प्रदूषण निवारण की समूची अंशदान राशि दी जायेगी जिसे कटौती व्यय के रूप में माना जाएगा। अप्रवासी भारतीयों के मामले में भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। अप्रवासी भारतीयों को भारत में अपनी पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें लाभांश आय, ब्याज आय आदि जैसे उनकी निवेश आय के संबंध में कुछ लाभ दिए गए हैं। पहले उनका आकलन व्यक्तिगत स्लैब दर पर किया गया था तथा व्यक्ति विशेष की आय के स्लैब पर आधारित बहुत भिन्नता होती थी। अब कर की दर एक समान 20 प्रतिशत है। यह काफी स्वागतयोग्य उपाय है। अप्रवासी भारतीयों से अभ्यावेदन आते रहते हैं कि आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए यदि वे लम्बी अवधि तक भारत में रहते हैं तो उनका अप्रवासी दर्जा हटाया नहीं जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा वर्ष में 141 दिन की रहने की वर्तमान आवश्यकता को अब बढ़ाकर 181 दिन कर दिया गया है। इस उपबन्ध के अंतर्गत यदि अप्रवासी भारतीयों को 181 दिन तक भारत में रहना होता है तो वे अपना अप्रवासी दर्जा नहीं गंवाते जिसके परिणामस्वरूप वे अपने कर लाभों को बनाये रखने की स्थिति में बने रहेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। जिन्हें आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा आज की गई घोषणा से देखा जा सकता है। इन उद्योगों को पांच वर्ष के लिए कर से मुक्त किया गया है जो आठवीं अनुसूची में वर्णित राज्यों के क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों के उन पिछड़े क्षेत्रो में आते हैं जिनमें ये उद्योग स्थापित किए जाने हैं। यह मांग होती रही है कि कर से छूट का केवल उन क्षेत्रों तक

[डा० देवी प्रसाद पाल]

ही नहीं बढ़ाया जाए जो आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में आते हैं बल्कि उन क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाये जो कि अन्य राज्यों में भी पिछड़े हुए माने गये हैं। जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई है, एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है तथा अध्ययन दल की सिफारिशों पर न केवल आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों बल्कि अन्य राज्यों में पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों में भी पांच वर्ष तक कर से छूट दी जाएगी। यह इस देश में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस विचार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा कि न केवल उन क्षेत्रों में ही असंतुलित औद्योगिक विकास नहीं होगा जो आर्थिक रूप से अग्रणी हैं।

वित्त मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। उन नए औद्योगिक उपक्रमों, जो ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित उत्पादों के निर्माण में लगे हैं, के लिए ही कर में छूट नहीं दी जायेगी बल्कि उन बड़े उद्योगों को यह छूट दी जायेगी बशर्ते वे अपनी पूंजी पिछड़े क्षेत्रों में लगाएं। मेरे विचार से ये प्रोत्साहन उन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा जिनके लिए सरकार इतनी अधिक रुचि ले रही है।

प्रत्यक्ष करों में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता निगमित क्षेत्र में पूंजी लाभ की दर में कमी रही है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि उद्योगों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से उद्योगों के विकास के उद्देश्य से निगमित क्षेत्र को उनमें अपनी उन पूंजीगत परिसम्पतियों को हटाना चाहते हैं जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आधुनिक विकास के संदर्भ में पुरानी हो गयी है। यदि उन परिसम्पत्तियों को उनकी वर्तमान कीमत पर निपटाया जा रहा है और यदि पूंजी लाभ होता है, पहले कर दर 40 प्रतिशत थी लेकिन अब यह घटा कर 30 प्रतिशत तक कर दी गई है इससे निगमित क्षेत्र को अपनी पूंजी लगाने तथा औद्योगिक विकास के संदर्भ में पुरानी परिसम्पत्तियों को निपटाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

लेकिन इसके साथ ही साथ स्वदेशी निगमित कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों जिनको निवेश के लिए देश के बाहर संस्थापित किया गया है के बीच इस देश के विदेशी विनेशकों के आने तथा अपनी पूंजी लगाने की दृष्टि से अभी भी विदेशी व्यवहार बनाये रखा। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि क्या ऐसे विभेदी व्यवहार विशेषरूप से उस समय बनाये रखे जाने की आवश्यकता है जबकि पूंजी लाभ कर को निगमित क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अब यदि पूंजी लाभ कर व्यक्तिगत स्तर पर 20 प्रतिशत तथा निगमित स्तर पर 30 प्रतिशत लगाया जाता है तो निःसंदेह कर की दर कराधान की सामान्य दर से काफी कम होगी।

लेकिन मेरे विचार से सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 54 (ङ) के पूर्व उपबन्ध को पुनः लागू किए जाने की आवश्यकता है। धारा 54 (ङ) के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि पूंजी परिसम्पत्तियों के हस्तातंरण से कोई पूंजी लाभ होता है तथा यदि विक्रय की पूरी आमदनी या उसके एक हिस्सा को कुछ विशिष्ट परिसम्पतियों में लगाया जाता है तो

कोई पूंजी लाभ नहीं होगा। इसके दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। एक लाभ है कि विक्रय की सम्पूर्ण आमदनी को यूनिट ट्रस्ट या सरकारी बाड़ों जैसी विशिष्ट परिसम्पतियों में लगाया जायेगा जिससे सरकार का निधि के निवेश पर पूरा नियंत्रण हो और इसके साथ ही यदि इस धनराशी का एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो इसका पूरा विचार करने पर संव्यवहार पर असर पड़ने की प्रवृत्ति पैदा होगी और पूंजी परिसम्पत्तियों के निपटान में अन्दरूनी लेनदेन का अवसर या प्रवत्ति होंगी।

प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में यह एक प्रयास किया जाना चाहिए कि करों की वसूली के लिए उचित प्रयास किया जाए। कर वसूली तंत्र को न केवल सुचारू बनाया जाए बल्कि कर की चोरी की समस्या को आपातकालीन आधार पर निपटाया जाना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या स्वैच्छिक रूप से बताने जैसी योजना, जोकि समय-समय पर अवैध धन को लगाने तथा बाद में इसे उत्पादक कार्यो या अन्य कार्यों में लगाने के लिए प्रारंभ की गई थी। वास्तव मैं लाभप्रद होंगी। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि लोगों के पास पर्याप्त अवैध धन है, जैसा कि इनके पास आज है, तो उनमें विलासता और उपभोग की वस्तुएं पर पैसा खर्चने की प्रवृत्ति होगी, ; ानके मूल्य बढ़ने जरूरी हैं। लेकिन यदि इस धन को निकाला जाता है तथा उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है और यदि लोग इन उपभोक्ता वस्तुओं और ऐशो आराम की वस्तुओं पर निर्थक पैसा न खर्चें तो इससे मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगेगी।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कुछ नए उपाय किए जाते रहे हैं जिनके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। हमेशा से यह आलोचना होती रही है कि अप्रत्यक्ष कर भूल-भुलैया की हालत में हैं। वे अनिश्चय की स्थिति में है। छूट देने या छूट वापस लेने के लिए समय-समय पर कई अधिसूचनायें जारी की गई हैं और निर्धारिती यह नहीं जानता कि किसी विशेष मद को कर से छूट दी गई है या कुछ समय बाद छूट वापस ले ली गई। वस्तुओं की विभिन्न मदों के लिए कर की दरें अलग-अलग हैं तथा मूल्य सूची का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और इस कारण कानूनी विवाद की स्थिति बनती है जिसके कारण कई वर्षों तक भी वस्तुओं की मदों का ठीक तरह से वर्गीकरण नहीं किया गया है। इस समय राजा-वैल्लया समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों की दरों का सरलीकरण किया है। जिन मदों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है उनमें से केवल 10 मदों पर कर की विभिन्न दरों में कमी गई है। यहां तक कि आयात शुल्क के मामले में भी केवल 14 मदों पर ही करों में कमी की गई है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के प्रत्येक अध्याय में कर की एक दर दी गई है। इसलिए इससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के यौक्तिकरण और अधिरोपण में सरलीकरण होता है। केवल यही नहीं यथा मूल्य शुल्क और मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू करने के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह पाया गया है कि मूल्स संवर्धित कर प्रणाली जो 1986 में प्रारम्भ की गई थी को कई अन्य वस्तुओं पर लागू किया गया है। इस साल मूल्य संबर्धित कर प्रणाली को पूंजीगत माल पर भी लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत माल के आयात को भी और प्रोत्साहन मिलेगा। गत वर्ष आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क से आय के घटने का एक कारण यह था कि पूंजीगत माल का आयात वांछित स्तर तक नहीं था। इसलिए औद्योगिक विकास की दर में 1.4 प्रतिशत की कमी हुई। अब चूंकि पूंजीगत माल की देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता

[डा० देवी प्रसाद पाल]

होती है इसलिए मूल्य संवर्धित कर प्रणाली से पूंजीगत माल के आयात में काफी तेजी आयेगी। किन्तु मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दें। आजकल अधिकतर जिस पूंजीगत माल का आयात किया जाता है उसमें से 30 प्रतिशत आयात लीज फाइनेसिंग कम्पनियों द्वारा किया जाता है। यदि लीख फाइनेसिंग कम्पनियां माल का आयात करती हैं तो वे विनिर्माता जो इस माल को लीज के आधार पर लेते हैं प्राप्त करने के हकदार वे मूल्य संवर्धित कर प्रणाली का लाभ नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि यदि पूंजीगत माल का अयात किया जाना है तो लीख फाइनेन्सिग कम्पनियों को उन विनिर्माताओं को जो लीज के आधार पर पूंजीगत माल का आयात करेंगे। मूल्य संवर्धित कर प्रणाली का लाभ देना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 ज ज ग जैसा उपबंध लागू किया जाना चाहिए जिसके द्वारा जब निर्यातकर्ता विनिर्माण। माल का विनिर्माण करता है और निर्यात केन्द्रों के माध्यम से निर्यात करता है तो धारा 500 ज ज ग के अधीन उसे भी छूट का लाभ दिया जाता है यद्यपि वह निर्यातक नहीं रहा है लेकिन वह निर्यात केन्द्रों या व्यापार केन्दों के माध्यम से निर्यात करता रहा है। ऐसी कोई पद्धति लागू की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप जो विनिर्माता लीज फाइनेसिंग कम्पनियों के माध्यम से माल का आयात करते हैं वे भी मूल्य संवर्धित कर प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सके और इस प्रकार पूंजीगत माल के आयात को प्रोत्साहन दिया जा सके।

कई अन्य उपाय भी शुरू किये गये थे। आयात शुल्क कम किया गया है। उदाहरण के लिए मशीनरी, पूंजीगत माल और कई अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया गया है। भारतीयों को एक खतरे की आशंका है कि यदि इतनी ऊंची दर से आयात शुल्क में कमी की जाती है तो इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में आने से भारत के द्वार खुल जायेंगे और इससे भारतीय उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

किन्तु इस झूठी आशंका को शांत करने के लिए अन्य क्षेत्रों में समान शुल्क भी लगाया गया है जिससे अतः आयात शुल्क में कमी के कारण भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में भी भारी मात्रा में वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क तथा पूंजीगत माल सहित वातानुकूलित मशीनों, रेफ्रीजेटर्स और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जिनका उपभोग आम व्यक्ति द्वारा किया जाता है, पर उत्पाद शुल्क के यौक्तिकरण तथा सरलीकरण में पर्याप्त कमी की गई है।

वास्तविक बात यह है कि जब उत्पाद शुल्क में कमी की जा रही है, तो इसका प्रभाव उन उपभोक्ताओं पर भी पड़ना चाहिए जिन्हें अतः उत्पाद शुल्क में कमी के कारण लाभ होने की आशा है। अनुभव बताते हैं कि यद्यपि गत वर्ष भी उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी किन्तु इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला। इसलिए यदि उत्पाद शुल्क में कमी की जाती है तो उसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए और साथ-ही-साथ उद्योगों के विकास को भी उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि वे उद्योग जिन्हें उत्पाद शुल्क में कमी के कारण लाभ मिल रहा है, वे उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। अन्यथा उत्पाद शुल्क में कमी करने का सारा प्रयास एक भ्रामक हो जायेगा।

ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संशक्त नवीन उपाय लागू किये गये हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में इसे लागू करने के परिणामस्वरूप में नवीन उपाय किये गये हैं। निश्चित रूप से उत्पाद शुल्क की वसूली में कमी होगी। प्रत्यक्ष कर लाभों को लागू करने के कारण वित्त मंत्री को कर राजस्व की वसूली में 688 करोड़ रुपये की कमी होगी। किन्तु उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है अर्थात, यदि करों में कमी भी की गई यदि उनका अच्छी तरह अनुपालन भी हुआ, यदि कर राजस्व का उचित भुगतान भी हुआ, तो सम्भव है कि राजकोष को उससे लाभ होगा और इससे उद्योगों को विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह सदैव उचित प्रक्रिया नहीं है कि यदि वित्तीय घाटा भी है, तो सरकार के लिए दो विकल्प खुले हुए हैं या तो वह सम्पूर्ण व्यय में कमी करे और इस प्रकार व्यय कम कर आर्थिक विकास में वृद्धि को निष्प्रभावी करे या आर्थिक विकास में वृद्धि को तेज करने के लिए जोखिम उठाये और इसके द्वारा औद्योगिक विकास को तेज करे तथा यह कर राजस्व की वसूली पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं वित्त विधेयक के उन उपायों का स्वागत करता हूं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में राहत दी गई है। यद्यपि इससे कर राजस्व वसूली में कमी होगी। किन्तु प्रारम्भ में सरकार द्वारा कर दरों में कमी करने से उठायी जाने वाली हानि की प्रतिपूर्ति उद्योगों के विकास और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, भारत सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, उससे इस देश की मुद्रा-स्फीति निरंतर बढ़नी है, पूंजी-निवेश घटना है, देश में जो पूंजी बाहर से आनी है, उस पर प्रश्न-चिह्न लगना है देश की तरक्की का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसमें बहुत कमी आनी है, इस देश का आयात बढ़ना है और निर्यात घटना है। व्यापार का अंतराल बढ़ना है और भुगतान संतुलन में भी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। जो वित्त विधेयक हमारे सामने आया है, इससे नए संकल्प की खासतौर से काले धन को खत्म करने का और उसके ऊपर अंकुश लगाने का कोई संकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। एक मजबूत चीज है कि किन क्षेत्रों से उगाही की जाए। राज्य के विकास और तरक्की के लिए धन की आवश्यकता है। वह धन किन क्षेत्रों से आए? इसका विवेक सरकार के पास नहीं है नतीजा यह है कि धन उगाही के जितने मकसद रखे जाते हैं उनमें कमी आ जाती है। सारा महल अगले साल तक गिरने लगता है। आंकलन के अनुसार पिछले साल जो हमने उत्पाद कर में आमदनी सोच रखी थी उसमें कमी हुई। इस साल जो हमने सोचा है उसमें और कमी होने वाली है, जिन नीतियों के आधार पर हम चल रहे हैं, इसलिए वित्त मंत्री जी का रोना बिल्कुल वाजिब लगता है कि सारी छूट देने के बाद भी इस देश में पूंजी निवेश नहीं हुआ। आज से एक महीने पहले यह विलाप भारत के वित्त मंत्री ने किया था और अभी विदेशी निवेश के बारे में आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमारे मुकाबले चीन में विदेशी पूंजी निवेश सौ गुना ज्यादा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? उनकी नीतियों के स्थामित्व के बारे में पूंजी निवेश का विश्वास जग रहा है और आपकी वित्त नीतियों के टिकाऊपन के बारे में दुनिया के और इस देश के निवेशको को कोई विश्वास नहीं है। इसलिए, भारत उसे लोकतांत्रिक देश में जो राष्ट्रीय सहमति से आर्थिक नीतियां तैयार हो जाती हैं उनके टिकाऊ होने के बारे में देशी और विदेशी निवेश में विश्वास पैदा हो सकता था। भारत

[श्री मोहन सिंह]

सरकार ने उस राष्ट्रीय सहमति को तैयार करने की कोई कोशिश इस देश में नहीं की है। नतीजा यह है कि देशी और विदेशी निवेश हमारे देश में कम हो रहा है। हमारे देशी निवेशक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को खरीदकर उसमें पूंजी निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जो विदेशी निवेशक हैं वे हमारे देश के जो पुराने देशी निवेशक थे उन्हीं की कंपनियों पर कब्जा करके उसके जरिए अपनी पूंजी इस देश में लाना चाहते हैं। इससे नए उद्योग लगाने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही हैं इसलिए विकास की संभावना और कोशिश खत्म हो रही है। जापान के अर्थ मंत्री का ब्यान छपा है कि उनके देश के मुकाबले अमेरिका में उनके सामान को ले जाने के ऊपर भारी रोक-टोक है। केवल दरवाजे खोल देने से आपने उदारवादी नीतियां तैयार कर दीं। इससे विदेशी निवेशक हमारे देश में पूंजी लगाएंगे और हमारे देश के देशी निवेशक पूंजी लगायें, ऐसी संभावना नहीं है। उसकी तमाम शर्तें होती हैं। उनको पूरा किए बिना भारत सरकार ने उदारवादी नीतियों को इस देश में प्रारंभ कर दिया है। हमारे देश के निजी क्षेत्र को अपने बल पर खड़ा करने की कोशिश 40-45 वर्षों में सरकार से नहीं हुई। बाहर से तकनीकी लाना और उनके साथ समझौता करने जैसे अवरोधकों के बाद 40-45 साल बाद उदार हो गए। आपने कहा कि हमने सीमा खोल दी और यहां पूंजी लगाए और जो हमारे औद्योगिक घराने हैं, वे विदेशी कंपनियों के मुकाबले जल्दी से जल्दी मुकाबला करने को तैयार हो जाएं। यह मुकाबला एक दो दिन में नहीं होगा। उसके कई कारण होते हैं। हमारे देश में संसाधन होते हैं लेकिन आपने सबसे अधिक महंगा निवेश हमारे देश में कायम किया है। औद्योगिक देशों के अंदर 7 प्रतिशत दर पर बैंकों से और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मिलता है। मैं पिछले महीने विदेश गया था वहां पर कनफंडरेशन आफ इंडस्ट्रीज का सम्मेलन हुआ। उसमें वहां के आटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि यह उद्योग बन्द हो रहा है, क्योंकि हमें बैंकों से पैसा अधिक सूद पर मिलता है। इस पर वहां के वित्त मंत्री ने उदारतापूर्वक एक पर्सेंट ब्याज की घटा कर 6 प्रतिशत कर दी। हमारे यहां 17, 18 से लेकर 20, 22 प्रतिशत तक लिया गया और कहीं तो कोई सीमा ही नहीं है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमने दरवाजे खोल दिये और प्रतियोगिता में हमारे उद्योग दुनिया के उद्योगों के सामने खड़े हो जायेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जापान के वित्त मंत्री गर्व के साथ कहा कि हमारे माल को अमेरीका अपने यहां रोक लगा रहा है, जबकि अमेरीका का सामान जापान के अंदर बिक रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जापान का माल तेजी से बिक रहा है जिससे अमरीका की सरकार परेशान है। जब उद्योग में कौशल पैदा होगा, जब उत्पादन में कुशलता पैदा होगी, वैज्ञानिक टैक्नीकल नोहाऊ पैदा होगा तो अपने आप अपने देश का सामान दुनिया में फैलेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र में हम अपने देश को अपने पांव पर खड़ा कर सकते थे, कृषि क्षेत्र, उसको हम धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। दो साल पहले संसद में राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि हमारे देश में 132 लाख टन चीनी पैदा हुई है, हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हो गये हैं। लेकिन दो साल में ही वह ढकोसला खत्म हो गया और इस साल हम 12 लाख टन चीनी का आयात करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें 626 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। आने वाले मानूसन से पहले इस देश में चीनी के दाम स्थिर रहे, उपभोक्ता को सही कीमत पर चीनी मिल सके इसलिए हमें बाहर से चीनी आयात करने का फैसला

करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और थाइलैंड जैसे छोटे देशों से हमें चीनी मांगनी पड़ रही है। 410 डालर प्रति टन के हिसाब से यह चीनी हमें मिलेगी और भारत में बिना कस्टम के 1310 रुपये प्रति क्विंटल पड़ेगा। आप कहां से इस देश में चीनी के भाव को स्थिर रखेंगे, यह कहना मुश्किल है।

4.02 म०प०

[श्री पीटर जी मरबनियांग पीठासीन हुए]

व्यापार में हमारा आयात-निर्यात का अंतराल बढ़ रहा है। इस साल आपने कस्टम में छूट देकर 65 प्रतिशत रेशो कर दी है। इसकी वजह से मार्च के महीने में आयात बढ़ा है। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में आयात बढ़ा है। हमें विदेशी व्यापार के मामले में 1.04 मिलियन डालर का घाटा होने वाला है। इसको आप कैसे पूरा करेंगे, इसकी कोई दूरगामी सोच हमारे देश की सरकार और वित्त मंत्री के पास क्या आज की तारीख तक है? इसका एक ही रास्ता है। यदि भारत सरकार नये कर नहीं लगा सकती, उगाही के नये स्रोत पैदा नहीं कर सकती, यदि आप कालाधन नहीं रोक सकते तो केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि सादगी के युग की आप शुरूआत करें। लेकिन इसका भी कोई संकल्प दिखाई नहीं पड़ता। सरकारी खर्च बढ़ रहे हैं और विदेश से आये सामान के प्रति लालच बढ़ रहा है। विदेश से आये सामान की मृगतृष्णा है, उससे हमारे देश की सारी वस्तुओं पर एक वज्रपात हो रहा है, हमारे देश के अर्थतंत्र पर वज्रपात हो रहा है। इसके ऊपर सरकार संकल्प शक्ति के साथ विचार करे और सादगी के लक्षण और योजनायें शीघ्रातिशीघ्र चालू करे जिससे देश के अर्थतंत्र को स्थायित्व की ओर ले जा सकें। इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी अपने कान में तेल डालकर बैठे हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उपक्रम हैं, उनकी समस्याओं की ओर मुखातिब होने को तैयार नहीं हैं। इस देश के आधा सैकड़ा पी० यू० एस में पिछले ढाई सालों से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है और केवल वेतन दिया जा रहा है। यह इतने दिन तक किस प्रकार से चलेगा? इसके बारे में एक समन्वित नीति नहीं बनायेंगे तो उस देश में नया पूंजी निवेश नहीं कर सकेंगे। आपको इसके बारे में सोचना होगा।

सभापति महोदय, अभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी जब रिजर्व बैंक ने राज्यों के संसाधनों पर केन्द्र ने रोक लगा दी थी। अभी 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार पर रोक लगा दी गयी और इससे सारे विकास कार्य रुक गये और जितने चैक आये वे सारे डिसआनर हो गये। राज्य सरकार पैसा देने की स्थिति में नहीं रह गयी है। कारण, हिसाब-किताब में घोटाला था। बाद में वित्त मंत्री ने कहा कि यह क्लेरिकल मिसटेक थी। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात हो गयी। इतनी बड़ी सरकार है, रिज़र्व बैंक है, स्टेट बैंक है और एक क्लैरिकल मिसटेक ने पूरे राज्य का ओवर ड्राफ्ट रोक दिया। इसमें 350 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं था। तो राज्य सरकार पर केन्द्र ने संसाधन के नाम पर और इन वित्तीय संस्थाओं पर अपनी दादागिरी का राज्य और साम्राज्य चलाना चाहती है। यदि ऐसा चलाना कहते हैं तो राज्य के अपने आर्थिक संसाधन हैं। उनके बारे में क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने और राजनैतिक कारणों और राज्य सरकारों पर सरकार गैर जिम्मेदारी के तरीके से अपने संसाधन के माध्यम से यह होड़ लगा रही है? हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारों ने कहा दिया कि हमने बिक्री

[श्री मोहन सिंह]

कर खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार रोजाना घोषणायें कर रही है कि वे भी सेल्ज टैक्स खत्म कर देंगे। इसके लिये कोई मर्यादित नीति होनी चाहिये। आपने मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनायी उसने निर्णय किया कि हम चुंगी कर को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। कई राज्यों ने खत्म भी कर दी है। इसके साथ ही कुछ राज्यों ने सेल्ज टैक्स पर अधिभार लगाया हुआ है यह तो वित्त मंत्री को चाहिये कि इसके बारे में एक कमेटी बनायें जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के वित्त मंत्रियों को बुलाये और बतायें कि बिक्री कर के बारे में समग्र देश के लिये क्या नीति होनी चाहिये। बिक्री कर की दरों में एकरूपता कैसी होनी चाहिये? दिल्ली में इसकी दर अलग है तो उत्तर प्रदेश में दूसरी है, गुजरात में और है। इसका नतीजा यह होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की तस्करी होती है। एक राज्य का संसाधन दूसरा राज्य हड़पने लगता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ क्रेडिट डिपाज़िट रेशो का महत्वपूर्ण सवाल है जो समन्वित राज्य है, उनके प्रति बैंकों की नीति दूसरी है और जो पिछड़े हैं, उनके प्रति कहा जाता है कि हमने मारग्रेट प्रणाली चालू कर दी है लेकिन केवल टैक्स हालिडे करने से जो पिछड़े हुये राज्य हैं उनके लिये मेरा सुझाव है कि बैंकों की जो दरें हैं, यदि पिछड़े हुये इलाकों में कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उन दरों में छूट होनी चाहिये और इसको 6 से 9 प्रतिशत कर देना चाहिये। इसके साथ-साथ पिछड़े राज्यों में पूंजी निवेश में छोटे-छोटे लोग अपनी पूंजी लगा सकते हैं। इसके बारे में बैंकों का रवैया उदार होना चाहिये। खासकर पिछड़े इलाकों के लिये होना जरूरी है। यह भी कोशिश करनी चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान के हर राज्य के लिये एक रेट होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और यह विषमता में चली जायेगी। परिणाम यह होगा कि इससे देश के अंदर झगड़े हो रहे हैं वे निरंतर बढ़ते जायेंगे और इससे देश में हम एकरूपता पैदा नहीं कर सकेंगे। इन्हीं थोड़े से सुझावों के साथ चूंकि हमारी पार्टी की ओर से जॉर्ज फर्नान्डीज साहब को भाषण करना है इसलिए सारी बातों की ओर ध्यान न दिलाते हुए संक्षेप में कुछ बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं।

आपने खास तौर से मोडवेट प्रणाली नये सिरे से शुरू करने की बात कैपिटल गुड्ज़ के बारे में, टैक्सटाइल्स के बारे में, पेट्रो कैमिकल्स के बारे में की। इसके दुरुपयोग की पूरी संभावनाएं हैं। पिछले साल जब आटोमोबील इंडस्ट्री में सरकार की ओर से ऐक्साइज पर छूट दी गई और बहुत सारे क्षेत्रों में उत्पाद पर छूट दी गई तो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस छूट का लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए और नहीं मिलने पर सरकार को छूट वापस लेने का विचार करना पड़ेगा लेकिन पिछले साल भर में सारी आटोमोबील इंडस्ट्री ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने का काम किया है। आपने कोई निगरानी की कि क्यों उपभोक्ता को इसका लाभ नहीं मिला? जितनी इलैक्ट्रोनिक गुड्ज़ हैं सबकी कंपनियों ने अपने दाम लगातार साल भर में बढ़ाए हैं। आपने उसकी कोई निगरानी की कि हमारे और से देश की जनता को जो आश्वासन है कि हमने अपनी ओर से उत्पाद कर में

उपभोक्ता को छूट दी है, उपभोक्ता को यह पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा मगर वह राहत नहीं मिली। उसी तरह से मोडवेट प्रणाली है। टैक्सटाइल के ऊपर आपने छूट दी। आपके कर प्रस्ताव आने के बाद बाज़ार में टैक्सटाइल के दाम 22 फीसदी बढ़े हैं जिसके चलते इनफ्लेशन रेट एक अंक से बढ़कर दो अंकों में पहुंच गया है। फिर आप कह रहे हैं कि यह सीजनल है। हर बार जब इनफ्लेशन का अंक बढ़ता है तो वित्त मंत्री जी की ओर से एक उत्तर मिलता है कि यह टैम्पोरेरी है, सीजनल है। यह जो महीने मार्च, अप्रैल, मई के होते हैं ये वस्तुओं के दामों के गिरने के महीने हैं। मैंने अर्थशास्त्र के दाम के घटने और बढ़ने से यह समझा है। जो घटने का महीना है जब उसमें दाम बढ़ रहे हैं तो जो बढ़ने का महीना है जुलाई, अगस्त, सितंबर उसमें क्या होगा? चीनी के दाम कहां पहुंचेंगे? 16 रुपए किलो भी चीनी उपभोक्ता को बाजार में मिलेगी या नहीं इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है? टैक्सटाइल के दाम इसी तरह 22 फीसदी बढ़े हैं। आपकी ओर से जो छूट पैट्रो कैमिकल्स पर दी जा रही है, उस छूट का लाभ उपभोक्ता को मिल रहा है या नहीं? आपके सारे आश्वासन ढपोरशंखी हो रहे हैं जनता के बीच में। वित्त मंत्री की घोषणाएं बेमतलब हो रही हैं। इसके बारे में कुछ सोचा है?

उसी तरह कहा गया कि हम सीमा कर में इसलिए छूट दे रहे हैं कि स्मगलिंग खत्म होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि स्मगलिंग बढ़ रही है। चांदी के घरौंदे के भीतर सोने की स्मगलिंग हो रही है और मैंने पूछा कि इसको रोकने के लिए क्या हुआ है। चांदी ऊपर से रहती है और भीतर सोना रहता है। मंत्री जी ने कहा कि हम ड्रिलिंग मशीनें लगाने जा रहे हैं, उसकी जांच करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं ड्रिलिंग मशीन नहीं लगी। पहले एक नियम चलता था कि बाहर से आने वाले जो एन० आर० आई थे, उन पर टी० बी० आर (टैक्स बैगेज री ऐक्सपोर्ट) पकड़ती थी। आते समय उसके सामान को उसके पासपोर्ट पर लिखा जाता था और जाते समय उसके पासपोर्ट देखने वाला अधिकारी देखता था कि जाते समय वह उस सामान को ले जा रहा है या नहीं। उसकी चैकिंग होती थी और जो सामान हिन्दुस्तान में रखता था उसके ऊपर कस्टम लगता था और अपना बैगेज लेकर जाता था। आपने टैक्स में छूट दे दी कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी। इस बहाने ज्वैलरी आने लगी है लेकिन फिर वह री ऐक्सपार्ट हो रही है या नहीं इसके बारे में कोई प्रणाली आपने नहीं निकाली। नतीजा यह हो रहा है कि इस देश में स्मगलिंग हो रही है। जो आने वाले यात्री हैं अपने साथ सामान भी ला रहे हैं और ज्वैलरी भी ला रहे हैं और उसके ऊपर कस्टम को अवौयड कर रहे हैं। उसे देने की उनकी स्थिति नहीं है। इसलिए जो टूरिस्ट बैगेज री ऐक्सपोर्ट की प्रणाली है इसके बारे में आप नये सिरे से विचार करें वरना स्मगलिंग को नये सिरे से चालू करने का यह एक दरवाजा है। उसी तरह आपने कुछ टैक्स लगाए हैं। जिस दिन बजट पेश किया, जितने लघु उद्योग हैं सबके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। बीच में कुछ में राहत दे दी। आयुर्वेदिक दवाओं पर जिस दिन भाषण पढ़ा गया उससे पहले दवाओं पर भी शुल्क लगा दिया गया। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर छूट दे दी लेकिन बढ़े हुए रेशियों में जिन कंपनियों ने अपनी दवाओं के दाम बढ़ा दिये, जिस तारीख से आपने घटाया, उन्होंने अपने दाम में कमी नहीं की। उपभोक्ता वही दाम आज भी दे रहा है। ...**(व्यवधान)** ...

[श्री मोहन सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश गांधी जी का देश है। गांधी जी के अनुसार लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर, कम पूंजी से अधिकतम लोगों को रोजगार देने की, कम बिजली खर्च करके अधिकतम पैदावार करने की गुंजाइश हमारे ग्रामीण और लघु उद्योगों में है जिन्हें आप टाइनी सैक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि उस क्षेत्र को भी हमारे वित्त मंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी लगाने से छोड़ा नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य यहां अपनी ज़बान से गांधी जी पर कटाक्ष कर देता है तो कांग्रेस पार्टी उसे काफी उद्वेलित हो जाती है लेकिन जब गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और उनकी नीतियों को लागू करने का सवाल आता है तो हर काम यह सरकार उनकी विचारधारा के खिलाफ करती है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने टाइनी सैक्टर के उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं या हाथ से काम करने वाले उद्योग हैं, उन सब उद्योगों पर जो नये सिरे से उत्पाद कर लागू किया गया है, उस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिये जिससे कि इस देश की आने वाली पीढ़ी को हम रोजगार उपलब्ध करा सकें, हमारे उद्योग बढ़ सकें, तभी देश के लोगों की कर देने की क्षमता बढ़ेगी, देश तरक्की कर सकेगा, देश में पूंजी बढ़ेगी और जब पूंजी बढ़ेगी तो पूंजी-निवेश भी बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ सभापति जी, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री अमल दत्ता बोलेंगे। आपके दल का आवंटित समय 22 मिनट है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं 22 मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वह 20 मिनट लेंगे। दूसरा वक्ता मैं हूं। मैं 40 निमट लूंगा।

सभापति महोदय : इस सभा को आप नहीं चलाते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह आपके सहयोग से चलेगा।

सभापति महोदय : मैं तो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आवंटित समय बता रहा हूं। खैर, अब श्री अमल दत्ता बोल सकते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस वित्त विधेयक में सरकार करों में काफी राहत देने का विचार रखती है जो उनके पूर्व वित्त विधेयकों और अर्थव्यवस्था चलाने के ढंग के बारे में किएं गए उनके पूर्व वायदों के अनुरूप है। करों में दी जहा रही राहत उनके अनुरूप है। वे पूर्व बजटों में कर वसूली के बारे में अनुमान लगाते रहे हैं और उन्होंने इस बजट के लिए भी भविष्यवाणी की है। इससे पूर्व, 1993-94 के बजट में यह भविष्यवाणी की थी कि वे लगभग 62,000 रुपए एकत्र करेंगे। मैं पूर्ण आंकड़े दे रहा हूं। संशोधित अनुमानों में केवल 54,000 करोड़ रुपए की वसूली दिखायी गयी है। यदि कोई 1992-93 के आंकड़े देखे और जब वास्तविक आंकड़ों का पता चलेगा तो यह संशोधित अनुमान भी कम हो जाएगा। परन्तु ऐसा अब से एक वर्ष बाद होगा।

इस वर्ष में भी, कर वसूली के मामले में भी वही बजट अनुमान लगाया गया है जो 1993-94 में था अर्थात यह पुनः 6274 करोड़ रुपए दिखाया गया है। यह 1993-94 में लगाए गए अनुमान से केवल 3 करोड़ रुपए कम है।

उनकी सरकार बहुत भद्र पुरुषों की सरकार है। इसलिए उनका केवल एक ही कहना है और एक ही दावा है और वे हर समय दावा करते रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने पहले कर वसूली का आकलन 15 प्रतिशत अधिक किया। इस वर्ष, राहत कटौती देने के पश्चात वे पुनः अनुमान लगा रहे हैं कि कर वसूली में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। और हर बार वित्त मंत्री कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और वह कर राहत देने का उद्देश्य है अर्थात् उससे उद्यमियों के पास अधिक धन रहेगा तथा अपने हाथों में अधिक धन होने और कम कर होने के कारण अधिक लाभ कमाने की स्थिति में लोग कारोबार शुरू कर देंगे। तब वे आर्थिक गतिविधि में कूद पड़ेंगे, वे संयंत्र और मशीन खरीदेंगे और कोई उद्योग शुरू करेंगे। दुर्भाग्यवश, गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष दर वर्ष में भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई हैं। परन्तु उसके उपरांत वे बहुत आशाजनक रूप से आशा लगाए बैठे हैं कि वही स्थिति आएगी। यह वित्त मंत्री और सरकार का बिल्कुल अव्यावहारिक दृष्टिकोण है। कि यदि आप कर राहत देते हैं तब आप अधिक कर एकत्र करेंगे। शायद भारत जैसे देश में, जहां अब हम कर वसूली के लिए बहुत लघु क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, अधिक कर वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रदत्त कर बहुत कम है। यद्यपि सरकार कर आधार व्यापक करने की बात करती है परन्तु अपना कर आधार व्यापक बनाने के मामले में इस सरकार के प्रयास बहुत अपर्याप्त और कमजोर हैं।

महोदय, एकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। सेवा क्षेत्र पर इस वर्ष केवल मामूली कर लगाए जा रहे हैं अधिक नहीं। परन्तु वह सेवा क्षेत्र काफी कर राजस्व अर्जित करेगा, जिसे सरकार छोड़ रही है। परन्तु उससे भी अधिक, यद्यपि सरकार से कर व्यवस्था के भीतर कृषि क्षेत्र में उच्च आय करने का अनुरोध किया गया है एक वर्ष पश्चात् की भी, सरकार ने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यहां तक कि कृषि आय भी लाखों रुपए में है। उन पर, केवल इसलिए कर नहीं लगाया जा रहा है कि वह आय कृषि से है। यदि सरकार की स्थिति ऐसी है, तो वह कर राहत देकर कभी भी अधिक कर एकत्र नहीं कर सकती है। अतः, वे अपनी विचारधाराओं से अलग कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि सरकार व्यय को नियंत्रित नहीं कर पाई है। वास्तव में व्यय में अधिक-से-अधिक वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1992-93 में यह बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया था और 1993-94 में यह बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया है। इन दो प्रवृत्तियों के देखाई देने के बावजूद सरकार फिर यह आशा करती है कि व्यय में केवल 5.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी जोकि एक अत्यंत आशावादी रवैया है। मैं नहीं जानता कि आशावाद का आधार क्या है। केवल आशावाद के इसका कोई और वास्तविक आधार नहीं है।

इसलिए, होने यह जा रहा है कि खाई एक पारिभाषिक नई शब्दावली जो 1991 में उस समय उछाला गया था जब नई आर्थिक नीति घोषित की गयी थी, चौड़ी हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा

[श्री अमल दत्त]

कोष ने हमें वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने तथा इसे सकल घरेलू उत्पादन के 5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए कहा और 1991 में बजट में घोषित नई आर्थिक नीति का यही मूल मंत्र था। किन्तु दुर्भाग्य से हम यह 5 प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारा घाटा बढ़ता ही जा रहा है। मेरे विचार से 1993-94 में यह 7 प्रतिशत पहुंच गया है और इस वर्ष इसके 7 प्रतिशत से भी अधिक हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार सरकार का अपने ही व्यय को सीमित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। जिस प्रकार उनका कराधार को व्यापक करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसी प्रकार लोगों को नियोजित करके अपने व्यय को सीमित करने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वे लोगों को लाभदायक तथा उत्पादक क्षेत्रों में नियोजित कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। परिस्थिति को काबू से बाहर जाने दे रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा था सेवाओं और कृषि के अलावा ऐसा अनौपचारिक क्षेत्र भी है जो काफी योगदान दे सकता है। यद्यपि मैं लघु उद्योग क्षेत्र की ओर से बाद में बोलूंगा किन्तु लघु उद्योग क्षेत्र, जिसमें सूक्ष्य क्षेत्र और कुटीर क्षेत्र भी शामिल है भी प्रत्यक्ष कर के जाल से बाहर है या इस प्रयोजन के लिए इनमें से कुछ उत्पाद शुल्क के जाल से बाहर हैं। उन्हें इस बार इसके भीतर लाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु वे अभी भी अधिकांशतः इसके बाहर हैं। सरकार को यह पता लगाने के लिए कि धन कहां उपलब्ध है और उस पर ठीक प्रकार से कर लगाने के लिए मेहनत करनी होगी। कर राहत भी एक ऐसा तरीका है जिससे बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। निचले स्लैब के लिए कर की कम दर इस प्रवृत्ति से कर राहत के रूप में प्राप्त धन को व्यय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से अधिक बचत करनी हो, हालांकि हमारी बचत पश्चिमी देशों से अधिक है—यह कभी-कभी लगभग 22 प्रतिशत तक है—किन्तु यह और भी अधिक हो सकती है। वास्तव में सभी एशियाई देश जिन्होंने उल्लेखनीय और चमत्कारिक परिणाम दिखाए हैं उनकी बचत 29 से 30 प्रतिशत है, इसका उदाहरण कोरिया और जापान हैं। हम यह उद्देश्य अपने सामने रखते हैं। इसके लिए हमें कर दर ऊंची रखनी पड़ेगी और स्लैब भी ऊंचा होना चाहिए। किन्तु हम बचत कर कटौती दे सकते हैं। यदि विनिर्दिष्ट बचतों से धन जमा किया जाता है तो उस पर कर से छूट की अनुमति होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह धन सरकार तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सरकार अपना व्यय सीमित नहीं कर पा रही है जो आगामी वर्ष में 5.5 प्रतिशत होगा। मुझे बताया गया है कि इसका एक कारण यह है कि वर्ष 1994-95 में सरकारी रोज़गार 40 प्रतिशत तक बढ़ने वाला है। कोई विशेष किफायत का कार्यक्रम नहीं चल रहा है और मुद्रा स्फीति भी बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि मुद्रा स्फीति पहले ही दो अंकों में पहुंच चुकी है। मैं नहीं जानता कि वे इसे कैसे काबू में लायेंगे। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह सरकार बहुत ही भाग्यशाली है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मानसून असफल नहीं रहा है। मौसम बहुत अच्छा रहा है और खाद्य उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा है हालांकि यह स्थिर हो गया है। यह भी,

अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र को विकास के मार्ग की दिशा में बढ़ाने में सरकार की असफलता के कारण ही हुआ है।

सरकार की वित्तीय गैर ज़िम्मेदारी के कारण हम किस स्थिति में पड़ गये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रटे रटाये वाक्य दोहराने के बावजूद सरकार की वित्तीय गैर-ज़िम्मेवार साबित हो चुकी है। जो कुछ वे कहते हैं वैसा वे नहीं करते हैं।

राष्ट्रीय कर्ज़-आन्तरिक तथा विदेशी दोनों-बढ़ गया है। मुद्रा की चालू विनमय दर के हिसाब से यह 6,30,284 करोड़ रुपये है। यह कुल देनदारी है। आर्थिक सर्वेक्षण और परिसम्पत्तियों के बारे में सरकार के अपने मूल्यांकन के अनुसार इस कुल कर्ज का लगभग 44 प्रतिशत इसमें शामिल नहीं होगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि हम ब्याज की अदायगी के लिए उधार ले रहे हैं। इस तमाम ब्याज के लिए हमें उधार लेना पड़ता है, तथा मूल धन का जो भी भाग सरकार अदा कर रही है उसके लिए भी हमें उधार लेना पड़ रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप वित्त मंत्री आदि की भांति अन्य परिसम्पत्तियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

श्री अमल दत्त : सरकार अत्यंत भाग्यशाली है कि पिछले वर्ष के दौरान मानसून सफल रहा है। किन्तु इसके अलावा कोई बाहरी कारण भी नहीं थे। 1990-91 में एक अनिश्चित-सी स्थिति उत्पन्न हुई और चार पांच महीने तक जारी रही। यह अगस्त में उत्पन्न हुई और जनवरी, 1990-91 तक चली। इन चार अनिश्चित महीनों के दौरान मूल्यों में विशेषकर पेट्रोल के मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई। किन्तु इसके अलावा विदेशों से बहुत कम या ना बराबर प्राप्ति हुई। वास्तव में देश को प्रत्यावर्तियों को देश वापस लाने और उनकी देखभाल पर खर्च करना पड़ा। स्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है। आज स्थिति यह है कि कमोबेश लगभग शत प्रतिशत प्रत्यावासी वापिस जा चुके हैं। वे धन भेज रहे हैं। हमें यह फायदा है। इसीलिए सरकार अत्यंत भाग्यशाली है कि कोई बाहरी कारण नहीं है। तेल की कीमतें भी कम हुई हैं। हमारे आयात का आधा भाग तेल पर खर्च होता है। तेल की कीमतें बढ़ने से यह स्थिति किसी भी समय बिगड़ सकती है। सरकार को नकारात्मक कारणों के लिए, जिनके कारण मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति संभव हुई है, अपने आपको दोष देना होगा।

अर्थव्यवस्था में मांग में मन्दी के साथ वास्तव में, अब सरकार के अधिकांश प्रयत्न संयंत्र और मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहन देने वाले प्रतीत होते हैं और वह संयंत्र और मशीनरी द्वारा उत्पादन में कमी को मुख्य कारण के रूप में दोष लगाते हैं जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार का निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। किन्तु ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार यह देखने में असफल रही है कि मांग पर दबाव है जिसके बिना कारखानों में संयंत्र और मशीनरी बंद पड़ी रहती हैं। अधिकांश क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उस उत्पाद की मांग कम होने के कारण अधिकांश निष्क्रिय क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किन्तु सरकार निर्यात में हुई वृद्धि का इस्तेमाल भी नहीं कर पायी है क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करने में असफल रही है कि निर्यात, व आयात प्रधान न होने पाएं। शायद कतिपय हितों को खुश करने के लिए सरकार की नीति असफल

[श्री अमल दत्त]

रही है। लोग मुझे यही बताते हैं, इसीलिए वह सप्लायरों को कर्ज नहीं दे रहे हैं। जो निर्यात कर रहे हैं, उनके लिए यह बिना परेशानी के निर्यात हैं और जो कुछ वह विशेष आयात सुविधा के रूप में दे रहे हैं वह नगण्य है और यह इन लोगों के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम नहीं कर सकती। यदि निर्यातकों के सप्लायरों को उचित प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाती है, तो शायद इसमें कुछ सीमा तक सुधार हो सकता है और आयात में वृद्धि को रोका जा सकता है। इसका राजनैतिक पहलू यह है कि सरकार के नजदीकी लोगों को रियायतें देना एच० डी० पी० ई०, एल० डी० पी० ई, पी० वी० सी० आदि जैसे प्लास्टिक स्क्रैप पर वास्तव में प्रतिबन्ध लगाने जैसा ही है क्योंकि यह रिलायंस इन्डस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं। यह मेरे लिए एक नई बात है क्योंकि वित्त मंत्री ने रिलायंस इन्डस्ट्रीज का समर्थक नहीं माना जाता, इसकी इस प्रकार की सहायता की है जिससे उन्हें वास्तव में लाभ पहुंचे। इस आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप भारत में विदेशों से आयात किए गए इस स्क्रैप के पुनः प्रयोग से पैकेजिंग उद्योग विकसित नहीं हो सकता। जनवरी में प्रगति मैदान में आयोजित प्लास्टिक इण्डिया प्रदर्शनी में यह एक महत्वपूर्ण मद थी। किन्तु रिलायंस उद्योग ने मैदान मार लिया है।

मुख्य क्षेत्र जिनमें सरकार असफल रही है वह है कृषि और लघु उद्योग तथा रुग्ण उद्योगो में अभी भी मौजूद क्षमता को हिसाब में न लेना। उन्होंने रुग्ण उद्योग को बी० आई० एफ० आर० द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल में भेज दिया। यह सरकार की एक सांकेतिक असफलता है और इससे देश के आर्थिक वातावरण विशेषकर श्रमिक वर्ग के उत्पाद में कमी आयी है क्योंकि एग्जिट नीति को कभी भी ठीक तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है सिवाय इसके कि छंटनी किए जाने वाले श्रमिक को सेवानिवृत्ति के समय लाभ देने के लिए कुछ धन उपलब्ध कराया गया है। सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन-सी कम्पनियां बन्द होने जा रही हैं? किन-किन उद्योगों को बी० आई० एफ० आर० या अन्य किसी तंत्र, जिसे सरकार उपयुक्त समझे, के माध्यम से पुर्नजीवित किया जा रहा है? इस बारे में कोई नीति नहीं है। इसलिए, तैयार की गई बहुत सारी क्षमता के साथ बहुत सारे कारखाने उचित निर्देशन के अभाव में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ध्यान आता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कारखाना है जहां असमान्य रूप से एक सहकारी समिति में 9000 श्रमिक रखे गये हैं। यह एक जूट मिल है। इस जूट मिल का नाम न्यू सेन्ट्रल जूट मिल है। वित्त मंत्री को शायद इसकी जानकारी हो। पहले इसमें अधिक श्रमिक हुआ करते थे। लगभग 11000-12000 श्रमिक। किन्तु अब इसमें केवल 9000 श्रमिक हैं। इसके अलावा वहां 2000-3000 नैमितिक श्रमिक हो सकते हैं। यह सहकारी रूप से चलाई जा रही हैं। सरकार हमेशा ही यह कहती रही है और मंत्री महोदय ने इस सदन में भी कुछ ऐसे कहा है : "यदि यह सहकारी समिति है तो हम सभी पुराने कर्ज़ माफ कर देंगे और हम आपको सहायता देंगे। किन्तु असली कहानी यह है कि बैंको से कोई सहायता नहीं मिली है, कार्यचालन पूंजी तक नहीं मिली है। सदन में यह सब कहने के पश्चात् वह मुकर गए और शायद सो गए और उन्होंने श्रमिकों द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी समिति को बैंक से वित्त दिलाने में कोई सहायता नहीं की। वित्त मंत्री कृपया इस बात को नोट करें। यदि आप थोड़ा समय निकाल सकें तो अच्छा है। मैंने अभी

बताया कि वित्त मंत्रालय और सरकार ने श्रमिक सहकारी समिति को उद्योग चलाने के लिए ऋण दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए, शायद यह एक ऐसी बात है जिसका आसानी से सुधार किया जा सकता है किन्तु नहीं किया गया हालांकि यह सहकारी समिति पिछले चार वर्ष से श्रमिकों के वेतन से धन काट कर चल रही है। यह सरकार, देश को इस स्थिति तक ले आयी है। दूसरा बड़ा कारखाना, जिसका यही हाल होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में है। इसे इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी के नाम से जाना जाता है। इसका एक लम्बा इतिहास है। और इसकी इसी लम्बी परम्परा के कारण ही हम इसे सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं और इसे निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहते और मुझे बताया गया है कि इसे उपहार के रूप में निजी क्षेत्र को देने के बारे में विचार किया जा रहा है। जब कभी भी हम सरकार के पास गए हैं, हमें कई ...**(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : क्या आप पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे ?

श्री अमल दत्त : मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है और पश्चिम बंगाल के और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं किन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं।

इस मामले में तो यह रहा है कि जब हम वित्त मंत्री या इस्पात मंत्री के पास जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है; कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए उनके पास 6000 करोड़ रुपए नहीं है। किन्तु जब वह इसे गैर-सरकारी कम्पनी को देने की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कम्पनी द्वारा कुल परियोजना लागत केवल 3000 करोड़ रुपए की तैयार की गई है। दूसरे, कम्पनी केवल 200 करोड़ या 300 करोड़ रुपए लाने जा रही है। तब वह और अधिक धन एकत्र करने के लिए कुछ वर्ष तक कम्पनी को चलाएंगे और तत्पश्चात् वह बाजार से इक्विटी पूंजी के रूप में 3000 करोड़ रुपए एकत्र करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार को सही स्थिति मालूम नहीं है कि अपने वित्त के रूप में यह कम्पनी कितना पैसा लाएगी। यह है स्थिति। इसीलिए, मैंने यह कहा है कि सरकार बिल्कुल उलझी हुई है। यह कम-से-कम 20000 करोड़ रुपए की सम्पत्ति है। यदि 6000 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े तो कुछ नहीं। 1989 में, श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में औपचारिक रूप से निर्णय लिया गया और उन्होंने 350 करोड़ रुपए खर्च किए। कुछ राशि परामर्श शुल्क के रूप में एक जापानी कम्पनी को भुगतान करने और कुछ राशि इस प्रयोजन को पूरा करने पर खर्च की गई मैं यह जानना चाहता हूं सरकार द्वारा वास्तव में कोई निर्णय लिए बिना यह कैसे किया गया।

अब निर्णय लिया गया है और धनराशि खर्च की गई है। वे इतने फिजूल खर्चे क्यों हैं? इस बीच में क्या हो गया है। वे 6000 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। आज हम हल्दिया पेट्रो केमिकल्स की स्थिति देख रहे हैं, इसके बारे में रोज समाचार पत्रों में आ रहा है। विदेशी लोग आ रहे हैं, वे 40-50 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं और उन्हें सरकार से 3000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। ऐसा क्यों है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद इस मुहिम को चलाने वाले लोगों को ही वरीयता दी जा रही है। सरकार प्रत्येक उद्योग को प्रोत्साहन देने व बढ़ावा देने का

[श्री अमल दत्त]

प्रयास करती है। लेकिन इसके बाद भी किसी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सरकार को इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि सरकार द्वारा कतिपय क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास हो। लेकिन उनके पास इस प्रकार की रूप-रेखा नहीं है। उनका विचार प्रत्येक क्षेत्र को उपहार देने या सहायता करने या प्रोत्साहन देने का है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। वे यह नहीं जानते कि क्या हमें घरेलू उत्पादन के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए? या निर्यात संवर्धन के लिए वे यह नहीं जानते कि हमें कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। वे किस तरह की कृषि करते हैं? बजट में या वित्त विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इस संबंध में क्या सोच रही है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्त : सरकार पूर्णतया असमंजस में है कि वह देश आन्तरिक विकास और निर्यात संवर्धन जोकि बहुत महत्वपूर्ण है—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है—या नए 'गेट' प्रस्तावों तथा अन्य बातों पर तर्क-वितर्क करने के प्रयोजानार्थ कौन-सा रास्ता अपनाए। उनके पास कोई रूप-रेखा नहीं है। एक तथ्य जिससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, एक समान **मूल्यानुसार** कर प्रणाली जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के उत्पादों पर बड़ी सहजता से उत्पाद शुल्क लगा दिया है। यह व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आपको चुनिन्दा उत्पादों को लेना होगा। आपको कुछ उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप पूर्ण कर राहत दे सकते हैं, यहां तक कुछ अवधि के लिए उत्पाद शुल्क और आयकर से भी छूट दे सकते हैं। यह सिद्धान्त प्रारम्भिक अवस्था वाले उद्योग पर लागू होता है। भारत में प्रारम्भिक व्यवस्था वाले उद्योग का सिद्धान्त पिछले चालीस सालों से प्रचलित है। यह आवश्यक नहीं है। मेरा कहना है कि आप यह सुविधा तीन या चार या पांच वर्ष की अवधि के लिए दे सकते हैं।

इस देश में हम कृषि आधारित विकास का मार्ग अपना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। सर्वप्रथम हमारी कृषि में, जो कुछ भी हरित क्रान्ति हुई, वह समाप्त हो चुकी है। यह बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। लेकिन पिछले तीन-चार वर्षों में कृषि के विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में किसी अन्य प्रकार के कृषि विकास अथवा उस तरह के कृषि विकास, जिसने पंजाब और हरियाणा को सम्पन्न बनाया है, को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे ऐसा कर सकते थे। आज जैव-प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यह भारत के सभी भागों में गेहूं और धान की खेती के लिए उपलब्ध है। मैं स्वयं कटक चावल उत्पादन केन्द्र में गया था जो कि एक अखिल भारतीय स्तर का केन्द्र है, उन्होंने बताया कि यदि सरकार चाहे तो भारत के किसी भी भाग में प्रति हैक्टेयर सात से दस टन तक चावल का उत्पादन किया जा सकता है। सरकार की ऐसा करने की इच्छा ही नहीं है। मैं इन लोगों पर यह आरोप लगा रहा हूं कि उन्हें यह पता नहीं है कि यह देश कृषि के क्षेत्र में क्या कर सकता है। वे इस तथ्य को नहीं समझते।

श्री मुरली देवरा : आप ऐसा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं करते ?

श्री अमल दत्त : आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं ? वे इस बात को नहीं समझते यह उनके छिछोरेपन के लक्षण हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमल दत्त : आज सरकार के लिए परम आवश्यक बात यह है कि वह स्वयं यह सुनिश्चित करे कि वह उद्योग परक मार्ग अपनाए या कृषि उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित कृषि परक मार्ग है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहां तक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई योजना नहीं बना पाया है कि उसे अब क्या करना है। क्या आप बता सकते हैं कि यहां किस तरह के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चलाए गए हैं।

इसलिए, यदि लोग यह समझते हैं कि इन वित्तीय प्रस्तावों से भारत को स्थायित्व के मार्ग या विकास के पथ पर प्रगति मिलेगी तो मैं तो कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे आन्तरिक स्थिरता नही आएगी, मूल्य बढ़ेंगे और मुद्रास्फीति पर अंकुश नहीं लगेगा। कुछ समय के लिये निर्यात बढ़ सकते हैं लेकिन मुद्रा स्फीति की दर अधिक होने के कारण यह स्थिति कायम नहीं रह पाएगी। इससे निरन्तर मुद्रा का अवमूल्यन होगा और विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना वे अनुमान लगा रहे हैं। पिछले 20-30 वर्षों से वार्षिक विकास की जो दर चली आ रही है। हम उसी विकास पथ पर चलेंगे। इन वित्तीय प्रस्तावों से देश में यही सब होने जा रहा है।

मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री के०टी० वान्डायार (थंजावुर) : महोदय, मैं वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किए वित्त विधेयक, 1994-95 का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री ने लघु औद्योगिक इकाइयों को रियायतें दी हैं। यद्यपि बजट प्रस्तावों में मंत्री जी ने जूतों, साबुन आदि के कुटीर उद्योगों पर कुछ उत्पाद शुल्क लगाया था। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् मंत्री जी ने इन मूल्यों को हटा दिया है।

एक उत्तरदायी सरकार की यह प्रतिक्रिया है। उन्होंने बुने हुए कपड़ों के लिए मूल्य ढांचे को भी सदन बना दिया है। और 10 प्रतिशत का एक समान शुल्क लगा दिया है।

अब मैं कुछ उन विकासात्मक मुद्दों की बात करूंगा जिनका वित्त पोषण राजस्व संग्रहण से किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं के ग्रामीण विकास परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्यों को इन योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि पर ईमानदारी से निगरानी रखी जानी चाहिए अन्यथा समूची परियोजना में अव्यवस्था फैल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण प्रणाली स्वागत योग्य है। साहूकार लोग जरूरतमन्द गरीब जनता को लूटते हैं और उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है उन्हें उससे वंचित कर देते हैं। सरकार को उन सामाजिक शोषकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

[श्री के० टी० वान्डायार]

उदारीकरण के नाम पर छात्रों और नागरिकों को चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिवर्ष 2000 डालर की राशि दी गई है। यह राशि पर्याप्त नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा खर्चों के मामले में सरकार को उदार होना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को अर्थात् सही मामलों में उक्त राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

अयोध्या में कई बार विश्वासघात हुआ है जिससे समूचे देश को और विश्व को धक्का लगा। अब हम धीरे-धीरे सामान्य आर्थिक स्थिति की ओर लौट रहे हैं। हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार जो 1991 में, जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी लगभग एक विलियन डालर था अब बढ़कर सन्तोषजनक स्थिति में पहुंच गया है अर्थात 13 बिलियन डालर हो गया है। इससे भारतीय उद्यमों में अन्तराष्ट्रीय विश्वास बढ़ा है और विदेशी संस्थाओं ने भारत में अपना निवेश बढ़ा दिया है। यद्यपि मुद्रास्फीति, जो 1991 में 17 प्रतिशत थी, घटाकर अब 8 प्रतिशत कर दी गई है परन्तु फिर भी आम आदमी आर्थिक तंगी की शिकायत करते हैं। मुझे आशा है कि मुद्रास्फीति को कम करके 6 प्रतिशत से भी नीचे ला दिया जाएगा।

उदारीकरण की नीति के नाम पर बेइमान विदेशी व्यापारियों को हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के अवांछित कूड़ा-करकट फैंकने का स्थान नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

मंत्री महोदय ने एक जैसी वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क की एक समान दरें लागू करने की बात कही है। मुझे आशा है कि इस एक सामन दर से जो एक जैसी वस्तुओं पर समान रूप से लागू होगी, उनके दुरुपयोग तथा नौकरशाहों द्वारा दिखाए जाने वाले पक्षपात की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। इससे वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में विवादों और मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी।

अनेक कर सुधार समितियां बनीं जिन्होंने कर प्रणाली को न्याय संगत और सरल बनाने तथा कर प्रशासन को यथासंभव आसान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त मंत्री को यह भली-भांति ज्ञात है कि यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसकी कमियों को दूर करने और प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी निरंतर समीक्षा करने और अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

4.54 म०प०

मंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के इक्विटी इम्यूज की बिक्री के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि शेयरों का अप निवेश करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य विवकपूर्ण ढंग से किया जाए ताकि किसी भी सरकारी क्षेत्र की इकाई को घाटा नहीं हो। इस उद्देश्य के लिए एक क्रियाविधि बनाई जा सकती है। ताकि इक्विटी शेयरों के प्रबंधकों द्वारा कोई कदाचार न किया जा सके।

आयकर के लिए कर स्लैब के समायोजन का स्वागत करते हुए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुद्रास्फीति, जो बहुत अधिक अर्थात 8 प्रतिशत है, के कारण रुपए के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखकर छूट की सीमा 35000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी जाए तथा वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी जाए।

मानव संसाधन विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए केन्द्रीय राजस्व से काफी धनराशि जाती है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम पर प्राथमिक स्तर से ही गैर-सरकारी वाणिज्यिक स्कूलों की संख्या मशरूम की तरह बढ़ती जा रही है तथा वे ऐसे निर्धन और मध्यम श्रेणी के अभिभावकों को शौषण करते हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जैसा कि आपको ज्ञात है, उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों को यह निदेश जारी किए जाने चाहिए कि स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही एक माध्यम से रूप में अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि हमारी राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित नवोदय विद्यालयों को चलाने के लिए सहमत क्यों नहीं हैं। यह बहुत दुर्भाग्पूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र के जिन गरीब बच्चों के लिए जो नवोदय स्कूल खोले गये हैं, उन्हें ही इन स्कूलों से अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण पाने के अवसर से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने तमिलनाडु में इन स्कूलों को चलाने की अनुमति नहीं दी है। इसमें तुच्छ राजनीति आ गई है क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से एक विषय हिन्दी है और शायद इसीलिए राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों की अनुमति नहीं दी है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे राज्य सरकार से तत्काल नवोदय विद्यालय शुरू करने का आग्रह करें क्योंकि उन्होंने पांच-छह वर्ष तो पहले ही गंवा दिए गए हैं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसका नाम सरस्वती महल है और उसमें दुलर्भ पांडुलिपियां और प्राचीन पुस्तकें हैं। आने वाले वर्षों में इस पुस्तकालय के अनुरक्षणा तथा प्राचीन पुस्तकों और दुलर्भ पांडुलिपियों को सही हालत में रखने के लिए समीप के विश्वविद्यालय के परिसर में एक आधुनिक भवन का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि हमें गरीबों की और जनता की सहायता करने का प्रयास करके वास्तविकता का सामना करना चाहिए।

डा० मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कतिपय कारणों तथा वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट कतिपय उपबंधों के आधार पर वित्त विधेयक, 1994-95 का विरोध करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका समर्थन किया जाना है, परन्तु मैं वित्त विधेयक के शेष सभी उपबंधों का विरोध करता हूं क्योंकि वे अत्यंत अप्रिय और आपत्तिजनक हैं।

सर्वप्रथम, वित्त मंत्री ने यहां जितने भी बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार सभी लघु उद्योगों पर भारी कर लगा दिया गया है या इस क्षेत्र पर भी सीमा शुल्क लगा दिया गया है जिसका कतिपय संगठित क्षेत्र द्वारा विरोध किया गया था। बहुत-सी एसोसिएशनों, संघों या लघु उद्योगों के व्यक्ति समूहों से बहुत से अभ्यावेदन भेजे गए हैं; और उन्होंने वित्त मंत्री को अपने अभ्यावेदन दिए हैं; और वित्त मंत्री ने अब बड़ी दयालुता से सिद्धांत रूप में या व्यवहार में भी सभी

[डा० मुमताज अंसारी]

उत्पाद शुल्कों को कम करना स्वीकार कर लिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि लघु उद्योगों के कतिपय संगठित क्षेत्र हैं और लघु उद्योगों के असंगठित क्षेत्र भी हैं। मंत्री महोदय को संगठित क्षेत्र या एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों या लघु उद्योगों के व्यक्ति समूहों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है।

5.00 म०प०

बड़ी संख्या में असंगठित लघु उद्योग हैं जिनको घाटा हुआ है तथा इस प्रकार की नीति के प्रचार और अंगीकरण और वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट इस प्रकार के बजट प्रावधानों के परिणामस्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन सभी लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, हथकरघा उद्योग, विद्युत करघा उद्योग, धागा और रील बनाने वाली इकाइयां तथा अन्य छोटी इकाइयां हमारी अर्थव्यवस्था के अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वे अत्यधिक रोजगार परक हैं और वे देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 30 से 35 प्रतिशत का उल्लेखनीय अंशदान कर रहे हैं। इसीलिए, मैं इस तथाकथित उदारीकरण की नीति, अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति, टाइगराइजेशन नीति या जो कुछ भी उसे कहें, का विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारे लघु उद्योगों पर बुरा प्रभाव डालती है। हमारे वित्त मंत्री या भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से हथकरघा क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र, रील बनाने वाले कारखानों आदि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री देश की वित्त व्यवस्था के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं और वित्तीय पहलुओं की उन्हें गहन जानकारी है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे कदम उठाएं जिनसे हमारे लघु और छोटे उद्योगों को सरकार से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सके और इस प्रकार वे फले-फूलें और वे हमारे युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान कर सकें। तटस्थीकरण की नीति के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्री ने सीमा-शुल्क कम कर दिया है और उन्होंने बड़ी संख्या में उद्योगों तथा बाहर से आयात किए जा सकने वाले औद्योगिक उत्पादों को कतिपय छूटें दी हैं। मेरे विचार से इससे विदेशी माल के लिए हमारे द्वारा खुल जाएंगे और उसके परिणामस्वरूप हमारी सक्षमता पर और नए उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे पूर्व हमने अपने उदीयमान और नए उद्योगों के प्रति संरक्षण की नीति अपनाई थी। परन्तु विदेशी माल के लिए अपने दरवाजे खोलकर हमारे वित्त मंत्री ने उक्त नीति को त्याग दिया है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि चमड़ा उद्योग या फार्मास्यूटिकल्स उद्योग जैसे रोजगार सघन उद्योगों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। परन्तु मुझे यह देखकर दुःख होता है कि कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य ऐसी ही बातों पर कहीं अधिक बल और महत्व दिया गया है। इस देश में कम्प्यूटरीकरण की क्या उपयोगिता है जबकि यहां बेरोजगारी की विकट समस्या है और जहां बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में गलियों में भटक रहे हैं? वित्त मंत्री ने कम्प्यूटरों पर छूट दी है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण होने जा रहा है। विदेशों से बड़ी संख्या में कम्प्यूटर आयात किए जाएंगे और उन्हें हमारे उद्योग के प्रचार लोग बेरोजगार होंगे। मैं इन सभी प्रस्तावों के परिणामों के बारे में बहुत चिंतित हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए और ऐसी मदों पर सीमा शुल्क में कमी नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक चिकित्सा उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों पर सीमा शुल्क में कमी के बारे में वित्त विधेयक में किए गए प्रावधान का संबंध है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत अच्छा प्रावधान है, किंतु साथ ही मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं इस प्रावधान का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए और इसे इस्पात, चमड़ा और ऐसे अन्य उत्पादों जैसे अन्य सभी उद्योगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे बजट प्रस्ताव समाज के संपन्न वर्ग के पक्ष में है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए बजट प्रस्तावों से समाज के संपन्न वर्ग को काफी लाभ दिये जा रहे हैं साथ ही माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए बजट प्रस्तावों के कारण गरीब, दलित और देश के दूर-दराज भागों में रहनें वाले लोगों को कष्ट उठाने पड़ेंगे।

इसी प्रकार वित्त मंत्री ने निगमित सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष करों और आयकर में कुछ छूट दी हैं किन्तु यह छूट छोटे सेक्टर या वेतनभोगी लोगों या निश्चित आय वाले लोगों को नहीं दी गई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कर योग्य आयात की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये की है, वे उसे 35,000 रुपये से बढ़ाकर कम-से-कम 50,000 रुपये कर दें जिससे वेतनभोगी कर्मचारी लाभ प्राप्त कर सकें।

कृषकों की भी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। जहां तक उपकरणों, उपस्करों और ट्रैक्टरों का संबंध है, इन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ट्रैक्टर महंगे हो गये हैं। कृषि के प्रयोजन में प्रयुक्त उपकरण और औजार महंगे हो गये हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। कम-से-कम ये कृषक समुदाय और उन इकाईयों को, जो अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के लिए उपकरणों और औजारों का निर्माण करते हैं, ये रियायतें दी जानी चाहिए।

मैं पांच साल तक कर छूट का स्वागत करता हूं। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत पूरे देश के जिलों में से कुछ पिछड़े जिलों को चुना जायेगा। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस सम्मानीय सदन के समक्ष पेश किये गए कई प्रस्तावों के लिए उन्हें स्पष्ट मानदंड अपनाने चाहिए जिससे इन्हें बिना भेदभाव और पूर्वाग्रह के अपनाया जा सके, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर के रूप में श्री मनमोहन सिंह ने एस० आर० सेन समिति का गठन किया था, इस समिति से कहा गया था कि वह पिछड़े राज्यों की पहचान करे जिससे समिति के सिफारिशों के अनुरूप इन राज्यों का औद्योगिक और आर्थिक विकास किया जा सके। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एस० आर० सेन समिति की एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई है। इस समिति की सभी सिफारिशें ठंडे बस्ते में रख दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास में अभी भी काफी पिछड़े हैं। मंत्री महोदय को इन सभी सिफारिशों पर गौर करना चाहिए जिससे ये राज्य भी अपना उचित हिस्सा प्राप्त कर सकें।

[डा० मुमताज अंसारी]

माननीय वित्त मंत्री ने यह प्रावधान भी किया है कि जो भी लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम को प्राप्त है वही लाभ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचित और घोषित निगम को भी प्राप्त होने चाहिए। मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं। यदि इसी प्रकार की सुविधायें पिछड़ी जातियों के निगमों को भी दी जायें तो वे पिछड़ी जाति के लोगों की उन्नति में बहुत सहायक होंगी।

ये कुछ विनम्र विचार मेरे मन में आ रहे हैं, माननीय मंत्री को मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। आशा है वे उस पर विचार करेंगे। नालीदार संदूक बनाने वालों और छोटे पैमाने के विनिर्माताओं को दी जाने वाली रियायतें प्रशंसनीय हैं।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक के आपत्तिजनक प्रावधानों का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : समय देने के लिये सबसे पहले अध्यक्ष जीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ ही घंटों की चर्चा के बाद इस वर्ष का वित्त विधेयक पारित कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतना बहुमत है मगर जब वित्त विधेयक पारित होगा तो उसके साथ-साथ इस देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के सामने, छोटे-छोटे उद्योगपतियों के सामने कुछ प्रश्नवाचक चिह्न छोड़ जायेगा। पिछले 47 सालों से ऐसा होता आया है कि जब भी सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है, बजट पेश किया जाता है तो लोग आशा-भरी निगाहों से देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में अगला साल अच्छा होगा, महंगाई कम होगी, किसानों के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को रोजी-रोटी मिलेगी, इंफ्लेशन कम होगा, लोगों की खरीद शक्ति बढ़ेगी और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार लोगों की आशाओं के अनुकूल खरी उतरने में विफल रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, मैं यहां किसी व्यक्ति या किसी पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता हूं और न मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता हूं जबकि हमारे वित्त मंत्री जी एक पारंगत अर्थशास्त्री हैं परन्तु पिछले 40 सालों से मैं जो कुछ देखता आया हूं उसी के आधार पर यहां बातें करना चाहता हूं। मेरे सामने प्रश्नवाचक चिह्न है। वर्ष 1992-93 में हमारा एस्टीमेटिड बजटरी डैफिसिट 5,389 करोड़ रुपये था जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में बढ़कर 7,202 करोड़ रुपये हो गया परन्तु 1992-93 तक आते-आते एक्चुअल बजटरी डैफिसिट 12,312 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस बार वर्ष 1994-95 का एस्टीमेटिड बजटरी डैफिसिट 6,000 करोड़ रुपये है। रिवाइज्ट एस्टीमेट्स में यह कहां तक पहुंचेगा और एक्चुअल फीगर्स जब सामने आयेंगी तो यह कहां तक बढ़ेगा, 15 हजार करोड़ रुपये होगा या 20 हजार करोड़ रुपये होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हमारा बजटरी डैफिसिट इतना बढ़ जायेगा तो मैं अपने विद्वान वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं? क्या उससे देश के मध्यम वर्ग के लोगों की खरीद शक्ति नहीं घटेगी और देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी?

जब अध्यक्ष जी, ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो मन में कुछ शंका पैदा होती है कि जहां सुधार की दिशा में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सही अर्थ में सुधार के ध्येय तक हम पहुंचेंगे या नहीं? हमने बड़ी कोशिश की कि आजादी का फल हर गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचे मगर वह आज तक नहीं पहुंच पाया। आज प्रातः हाउस के भोजनावकाश के लिये उठने से पहले जब वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक यहां पेश कर रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी थी और वित्त विधेयक पेश करते हुये उन्होंने कुछ लघु उद्योगों को रियायतें दीं।

5.15 म०प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल–डी 4 (ए०एस०एल०वी० डी०-4 का प्रक्षेपण)

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मुझे माननीय सदन को आज सुबह ए० एस० एल० वी० की सफल उड़ान की सूचना देते हुए खुशी हो रही है।

संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट को आज श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। प्रारंभिक कक्षा निर्धारण के आधार पर ए० एस० एल० वी–डी०4 राकेट ने 113 किलोग्राम भार के श्रोस-सी०2 उपग्रह को 46 डिग्री के झुकाव पर लगभग 437 किलोमीटर की उप-भू और 938 किलोमीटर की अप-भू कक्षा में स्थापित कर दिया। यह ए० एस० एल० वी० की दूसरी अनवरत सफल उड़ान थी। इसरो के दूरमिति, अनुवर्तन और कमाण्ड केन्द्रों में श्रोस-सी०2 से प्राप्त आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि उपग्रह सामान्य रूप में कार्य कर रहा है।

ए० एस० एल० वी० – डी०4 का प्रमोचन दो स्ट्रैप-ऑन बूस्टरों के प्रज्वलन के साथ भारतीय समयानुसार प्रातः 0530 बजे किया गया तथा इसके 44.1 सैकेण्ड के बाद ऑन-बोर्ड वास्तविक काल निर्णय प्रणाली द्वारा प्रथम चरण की मोटर का प्रज्वलन शुरू किया गया। स्ट्रैप-ऑन बूस्टर 55.1 सैकेण्ड पर पृथक हो गए। उड़ाने के 93 सैकेण्ड के पश्चात् प्रथम चरण के प्रथक्करण तथा द्वितीय चरण के प्रज्वलन के लिए कमाण्ड भेजी गई और तब से बंद पाश मार्गदर्शन योजना शुरू हो गई। पूर्व निर्धारित 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर राकेट के सघन वायुमण्डल को पार करने के पश्चात् योजनानुसार 142.9 सैकेण्ड पर ताप कवच जेटिशन किया गया। द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन उड़ान के 148.1 सैकेण्ड पर हुआ। तृतीय चरण के 195.6 सैकेण्ड पर प्रज्वलन के बाद दीर्घ तवनुगमन चरण द्वारा अनुसरण किया गया तथा योजनानुसार 488.9 सैकेण्ड पर तृतीय चरण का पृथक्करण हुआ। उपग्रह के साथ-साथ चतुर्थ चरण का प्रचक्रण किया गया और 491.7 सैकेण्ड पर चतुर्थ चरण प्रज्वलित हुआ। उड़ान के बाद लगभग 641.6 सैकेण्ड पर चतुर्थ चरण से श्रोस-सी०2 उपग्रह पृथक् हो गया।

शार, बेंगलूर, तिरुवनन्तपुरम और कारनिकोबार स्थित दूरमिति और अनुवर्तन केन्द्रों के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए सभी घटनाओं का मॉनीटरन किया गया। कारनिकोबार में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि चतुर्थ चरण से श्रोस-सी०2 उपग्रह का पृथक्करण सामान्य रूप में हुआ।

[श्री पी० वी० नरसिम्हा राव]

ए० एस० एल० वी० डी० 4 की सफल उड़ान ने राकेट की उपप्रणालियों की आवर्तनता को सिद्ध कर दिया तथा इसने ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन में भी सहायता की है, जिनका इसरो के पी० एस० एल० वी० और जी० एस० एल० वी० जैसे उन्नत प्रमोचक राकेटों में उपयोग किया जाता है। इन उप-प्रणालियों में दूरमिति, अनुवर्तन और कमाण्ड प्रणालियों सहित स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रौद्योगिकी, बंद-पाश मार्गदर्शन प्रणाली, वास्तविक काल ऑन-बोर्ड निर्णय प्रणाली इत्यादि शामिल हैं।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ अन्तरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य सभी को बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में हमें गौरवान्वित किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री हम सब की ओर से बोले हैं और सारा सदन प्रसन्न है। अलग-अलग बोलकर प्रसन्नता को प्रकट करना अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो दोनों तरफ से कहा गया है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० नरसिंह राव : मैं विपक्ष के नेता के सुझाव और सारे सदन की प्रसन्नता व प्रशंसा को वैज्ञानिकों तक पहुंचा दूंगा।

5.18 म०प०

वित्त विधेयक, 1994–जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं यह कहने जा रहा था कि जब सुबह भोजनावकाश से पहले हमारे वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक पेश कर रहे थे, तब कुछ रियायतें उन्होंने लघु उद्योगों में दीं। हम सब साथियों ने मेजें थपथपा कर उनका स्वागत किया, लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि वे जो कागज पढ़ रहे थे उसमें टाइप करने वाले कर्मचारी के अश्रु की बूंदें भी पड़ी हुई थीं।

5.19 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए कि यह वह कर्मचारी हैं जो इन सारी रियायतों से बिल्कुल अलग रहा है। इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का सरकारी कर्मचारी, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, हरेक के साथ इन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। बार-बार उद्योगों को विदेशियों के साथ कम्पटीशन करने के लिए इम्पोर्ट

ड्यूटी में एग्जम्पशन्स दे दिए गए। बाकी के जो छोटे-मोटे उद्योगों के लोग हैं उनको कुछ रियायतें दी गईं, परन्तु प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी जो कर्मचारी वर्ग हैं, वह है। एक स्कूल टीचर, चपरासी, सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक निश्चित आय है, दो नम्बर की इनकम नहीं है, वह दो एकाउंट बुक नहीं रखता, जो तनख्वाह मिलती है उससे वह अपना गुजारा चलाता है और उसमें से उसका इनकम टैक्स कट जाता है। उनपर उतना बड़ा अन्याय हुआ है और जब वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स की लिमिट 30 हजार से 35 हजार कर दी गई है तो हम मेज़ें थपथपा रहे थे। लेकिन उनको जो 5 हजार की छूट मिली है, उसके पूर्व 6,200 करोड़ का बोझ सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर थोपा गया। चीनी, पैट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के भावों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके बाद भी रेल के किराए, फ्रेट में भी वृद्धि हुई। यह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को असर नहीं करेगा, गरीब लोगों पर थोड़ा-बहुत असर करेगा लेकिन 6,200 करोड़ के बोझ से मध्यम वर्ग के एक परिवार पर 700 रुपये प्रतिमास का नया बोझा बढ़ गया। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिया।

मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूं कि यदि यह नीति 10 साल तक चलती रही तो जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, वह और ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति गरीब बन जाएगा और गरीब आदमी, जो इस समय झोंपड़ी में रहता है, वह रोड पर रहने लगेगा। यदि इस देश की आर्थिक नीति को बनाना है तो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति को समझना होगा।

सत्तरवीं शताब्दी में यूरोप के मध्यकाल में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस समय की स्थिति अलग थी। वह बर्फीला प्रदेश था, वहां जमीन नहीं थी, बर्फ और पत्थर थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना उचित था। लेकिन हमारे देश की स्थिति अलग है। मैं मानता हूं कि आने वाले सैंकड़ों सालों में वही देश दुनिया में सीना तानकर खड़ा रह सकेगा जो खाद्यान्न के मामले में अपने पैरों पर खड़ा होगा। फ्रिज नहीं होगा तो चलेगा, एयर-कंडीशन नहीं होगा तो चलेगा, कार नहीं होगी तो चलेगा लेकिन यदि गेहूं नहीं होगा, बच्चों के लिए दूध नहीं होगा तो नहीं चलेगा।

हमारी पार्टी यह चाहती थी कि इस देश के अन्दर जो लिबरलाइजेशन करना है, वह करना चाहिए। देश के अन्दर ही उद्योगों में कम्पीटीशन हो, बाबूशाही निकल जाए, डीसैन्ट्रलाइजेशन हो जाए। मीडियम लाइसैंस सिस्टम करना चाहिए था लेकिन हमने वह करते-करते एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिससे देश की मौलिकता नष्ट हो जाएगी।

ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल किसी रिंग में से निकाली जा सकती थी। मैं अहमदाबाद से आता हूं। अहमदाबाद को एक जमाने में मैनचैस्टर कहा जाता था। मैंने उस शहर की आबादी अपनी आंखों से देखी है और बरबादी भी देखी है। सुबह होते ही 65 टैक्सटाइल मिलों की बड़ी-बड़ी चिमनियों से धुंआ निकलता था और लोगों को रोजी-रोटी मिली थी। बिहार, यू०पी०, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि देशभर के 6 लाख लोग उस शहर में आकर बसे। वहां उनको रोजी-रोटी मिलती थी। लेकिन पिछले दस सालों से मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक टैक्सटाइल मिल को बन्द होते देखा है। यू०पी० और बिहार का जो मजदूर दिन-रात मेहनत करके अपने परिवार

[श्री हरिन पाठक]

को पालता था, वह आज भूखों मर रहा है। वह खोमचा लगा कर बेलपूड़ी बेच रहा है। आज स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वहां 65 में से 17 मिलें ही काम कर रही हैं। जो नई आर्थिक नीति आप लेकर आये हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे हैं। आप विदेशी व्यापार को यहां लाना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम अपने यहां के उद्योगों को विदेशी उद्योगों के बराबर लाना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह काम आसान नहीं है। एक अपाहिज लड़का जो कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, धीरे-धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है, उसको किसी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ दौड़ के लिये खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से वह उसके आगे खड़ा नहीं हो सकेगा।

आज छोटे-छोटे उद्योगों के पास इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो अपने छोटे-छोटे घरों में मोमबत्तियां, दियासिलाई बनाते थे, उनको आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्किट के आगे खड़े हो। मेरे साथी दोस्त मोहन सिंह जी ने ठीक कहा कि दुनिया में 5-6 परसैंट के हिसाब से इंडस्ट्रियल ऋण मिलता है और हमारे देश में 20-22 परसैंट के हिसाब से ऋण मिलता है। ऐसे में वे कैसे खड़े हो सकते हैं? जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा होना सम्भव नहीं है। आपकी आर्थिक नीतियों का दूरगामी असर पड़ने वाला है। आप देश की मौलिकता को तोड़ने वाले हैं और देश के अर्थ तंत्र को तबाह करने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में हमने ज्यादा प्रगति की है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 15-16 मिलियन डालर तक बढ़ गया है, लेकिन जब तक आम आदमी की पर-कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। आम आदमी की खरीद शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है, तभी वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। आप गैट के साथ समझौता करके एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिससे एग्जम्शन और सब्सिडी मिलनी बंद हो जायेगी। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

जिस विषय को मैंने पहले छोड़ा था, उसको मैं फिर छेड़ना चाहता हूं। मध्यम वर्ग की आय वालों को बाजार में किताबें, दवाइयां और कपड़े महंगे मिल रहे हैं। आप आयकर में छूट की सीमा को 35,000 से बढ़ा कर 50,000 तक कर दें। मध्यम वर्ग की आय वालों के पास दो नम्बर की एकाउन्ट बुक नहीं है। वह तो चैक से तनख्वाह लेते हैं। इसकी ओर आप अवश्य ध्यान दें।

गुजरात की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की लिस्ट में से 398 कारखानों को बिना सोचे समझे वित्त मंत्रालय ने एग्जम्शन लिस्ट में से निकाल दिया। तब देश भर में एक हंगामा हुआ और सारे प्रतिनिधि मण्डल आये। जिस ढंग से हमारे वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले और आज कुछ रियायतें दीं, इससे स्पष्ट साबित होता है कि एग्जम्पशंस विथड्रा करने का काम जल्दबाजी में किया गया था, उसके दूरगामी असरों के बारे में सोचा नहीं गया था। आज भी फाउण्ड्री इण्डस्ट्री, इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री, हैण्डलूम इण्डस्ट्री, पावरलूम इण्डस्ट्री, यह जो छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, वह बन्द पड़ी हुई हैं। वह अपनी बात वित्त मंत्री के दिमाग तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि इस पर गौर किया जाय। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो यह जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिनमें 4 करोड़ 80 लाख लोगों से भी ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, वह बेरोजगार हो जायेंगे। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं।

मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि राजा चेलैया कमेटी ने जो कुछ रिकमेण्डेशंस दी हैं, मुझे दुख के साथ कहना है कि उन रिकमेण्डेशंस को सरकार ने पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं है। दो, चार या पांच रिकमेण्डेशंस उन्होंने स्वीकार कर ली हैं। मेरी आपसे मांग है कि चेलैया कमेटी की रिकमेण्डेशंस को पूर्ण रूप से स्वीकारा जाय। जो सैल्यूटरी प्रपोजल्स हैं, जिनका सम्बन्ध सीधे डायरैक्ट टैक्सेज से है, उनको पूर्ण रूप से स्वीकारा जायेगा तो कुछ राहत हमारे देश के सैलरीड पीपल क्लास को, जो तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनको मिलेगी।

इसके साथ-साथ मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह भी प्रार्थना है कि देश के लघु उद्योगों को बचाया जाय, देश की खेती को बचाया जाय और एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी जाय, जिसमें भारत की जो मौलिकता है, भारत जिन आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर खड़ा है, वह बने रहें।

पिछले 40 सालों में गांव धीरे-धीरे टूटते गये हैं और गांवों से शहरों में दौड़ बढ़ी है। फलस्वरूप गांवों का विकास नहीं हो पाया और शहरों में लोगों को रोजी नहीं मिली इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जहां आदमी रहता है, उसके आसपास ही उसे रोजी-रोटी मिले। अगर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके ऐसी नीति बनती है, जिसमें गांवों और तहसीलों में छोटे-छोटे कारखाने डाले जायेंगे और उन कारखानों को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती ब्याज दर से ऋण दिया ज़ायेगा तो मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है।

अन्त में मैं एक बात आपके सामने रखकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। वह है–

[अनुवाद]

आय कर में छूट दिया जाना–परियोजना निर्यात में भेदभाव

विदेशों में लगायी गई परियोजनाओं से अर्जित लाभ पर आय कर अधिनियम की धारा 80 एच॰ एच॰ सी॰ के अन्तर्गत उनमें लगी केवल 50 प्रतिशत धनराशि पर ही छूट दी जाती है।

दूसरी ओर, माल के निर्यात से अर्जित लाभ पर आय-कर की धारा एच॰ एच॰ सी॰ के अंतर्गत आयकर से पूर्ण छूट दी जाती है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि परियोजनाओं के निर्यात में माल का निर्यात भी एक अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस भेदभाव को समाप्त करना होगा।

इन शब्दों के साथ ही, महोदय मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के॰ प्रधानी–अनुपस्थित। श्री अशोक आनन्दराव देशमुख–अनुपस्थित। डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया–अनुपस्थित। श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन–तैयार नहीं है। श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये–अनुपस्थित।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी-अभी कुछ ऐसे वक्ताओं के नाम लिए जिनके नाम उनके संबंधित दलों द्वारा वित्त विधेयक पर बोलने के लिए दिए गये थे।

[श्री जसवन्त सिंह]

अब, जबकि वे सदस्य, जिनको आपने चर्चा में बुलाया, यहां उपस्थित नहीं हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक ऐसी व्यवस्था दें जिससे कि उन सदस्यों को, जो सभा को गंभीरता से नहीं लेते, फिर से बोलने का मौका न दिया जाये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सीधे अपनी व्यवस्था दे दें क्योंकि सभा के प्रति ऐसी लापरवाही और अवमानना का भाव नहीं रखा जा सकता है। या तो दलों द्वारा दिये गये नामों का कोई महत्व नहीं है अथवा यदि नाम दिए जाते हैं तो अपना दायित्व निभाना चाहिए और इस चर्चा का कुछ महत्व देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीटर जी० मरबनिआंग—अनुपस्थित।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप व्यवस्था दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी ने एक सुझाव दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभा में नाम पुकारे जाने पर जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उन्हें बाद में बोलने का अवसर न दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मुझे केवल सूची के अनुसार नाम पुकारने होते हैं। मैं अपने मन से किसी का नाम नहीं पुकार सकता।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, यदि कोई उपस्थित नहीं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं।

मेजर जनरल आर०पी० विलियम्स : (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक 1994-95 का समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री ने आज कुछ और कर रियायतों की घोषणा की है। दुर्भाग्यवश, इनसे आम आदमियों को कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिली है जैसा कि उनके पिछले बजट प्रस्तावों से उम्मीद थी। हालांकि इस बात का उल्लेख किया गया था कि समग्र आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है और कुछ मामलों में तो जबरदस्त सुधार और प्रगति हुई है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। दुर्भाग्यवश, नये कर प्रस्तावों से हमारे उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है और शेयर बाजारों में मंदी का दौर व्याप्त है। पिछले वर्ष में पैदा हुआ उत्साह बिल्कुल समाप्त हो गया है और मायूसी का दौर छाया हुआ है। विदेशी मुद्रा के भंडार में संतोषजनक वृद्धि होने, हमारे निर्यात में असाधारण वृद्धि होने, विदेशी मुद्रा के भारी मात्रा में प्राप्त होने तथा विदेशी निवेश में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोत्तरी होने के बावजूद स्थिति अच्छी नहीं है। देश में, मुद्रास्फीति, जिसकी दर पिछले वर्ष घटकर बहुत नीचे आ गई थी, मैं अब चिंताजनक प्रवृति दिखाई दे रही है तथा यह दो अंकों की सीमा पार कर चुकी है। यह स्थिति सबसे अधिक विक्षुब्धकारी है।

अनेक माननीय सदस्यों ने सावधान करते हुए यह कहा है कि यदि हमें सार्थक और रचनात्मक आर्थिक उत्थान का लक्ष्य प्राप्त करना है तो 6,000 करोड़ रुपये के भारी बजट घाटे को 1994-95 के दौरान निर्धारित सीमा के अन्दर रखना होगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बारंबार हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि उद्योग और कृषि की सहायता से तथा सरकारी व्यय पर कड़ा नियंत्रण रख कर इस घाटे के संकट को दूर किया जाएगा। लेकिन इन दावों पर सरकार द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

भारत के पास विशाल वैज्ञानिक क्षमता है तथा उसने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, स्टेट ऑफ दी आर्ट उपग्रह तथा नियंत्रित मिसाईल पद्धति जैसी अनेक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने अत्याधुनिक सैनिक हार्डवेयर के विकास में अपूर्व क्षमता का प्रदर्शन किया है तथा मुझे विश्वास है कि निजी उद्योग में इस जैसे संगठन भी उतने ही सक्षम हैं तथा अपने विशिष्ट क्षेत्र के कार्य में लगे हैं। उनकी उपलब्धियों का पूरी तरह से दोहन किया जाना चाहिए तथा जहां भी संभव हो आयातित प्रौद्योगिकी तथा 'टर्न-की' परियोजनाओं पर कम--से-कम निर्भर करें जिससे कि विदेशी मुद्रा के निर्गम को रोका जा सके। अनुसंधान तथा विकास कार्य को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके परिणाम सीमित समय के भीतर मिलने चाहिए ताकि यह हमारी पुनरुत्थानशील अर्थव्यवस्था के लिए एक किफायती तथा सार्थक आस्ति बन सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के उस भाग पर कुछ टिप्पणियां तथा सुझाव देना चाहूंगा जो कि मध्यम आम वर्ग के लोगों पर लागू होता है। यह वर्ग राष्ट्र की रीढ़ है और यह एक ऐसा कार्य बल और बुनियादी आवश्यकता है जो 1994-95 के इस महत्वकांक्षी बजट की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

मैं विगत वर्षों के कुछ निष्ठावान, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का भी जिक्र करना चाहता हूं जिन्हें वित्तीय स्वार्थपरायणता के बीच भुला दिया गया है। कर छूट की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह असंगत और कम है। विगत कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि को देखते हुए इस सीमा को 50,000 रुपये करना उचित होता तथा इससे मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ होता। वास्तव में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम कर योग्य सीमा को निर्धारित करने का यही तरीका अपनाया जाना चाहिए।

इसी तरह कर-स्लैब भी मनमाने तरीके से पुनःसमायोजित किये गये हैं। कर सुधार संबंधी चेल्लया समिति की सिफारिशों के अनुरूप कर-स्लैब समायोजन तथा कर की दर निर्धारित करने का अधिक संगत तरीका यह होता अगर 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के पहले स्लैब के लिए 20 प्रतिशत, एक लाख से दो लाख रुपये तक के दूसरे स्लैब के लिए 30 प्रतिशत तथा दो लाख रुपये से अधिक की राशि पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता।

पिछले वर्ष किये गये वादे के अनुसार गैर-निगमित आय पर 12 प्रतिशत का अधिभार वापस लेने, का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। निवासी व्यक्तियों के दीर्घावधि पूंजी लाभ पर इस समय 20 प्रतिशत के आधार पर कर लगाया जाता है जबकि अनिवासी भारतीयों पर लगने वाली कर की यह दर मात्र 10 प्रतिशत है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस असमानता को दूर किया जाये तथा निवासी

[मेजर जनरल आर० पी० विलियम्स]

व्यक्तियों के संबंध में भी कर की दर घटाकर कर 10 प्रतिशत की जाये। ऐसा करने से कुछ हद तक 1992-93 में आयकर अधिनियम की धारा 54 (अ) को वापस लिए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। इस धारा के अधीन दीर्घावधि पूंजी लाभ पर आय कर से छूट का उपबंध उसी दशा में उपलब्ध था जबकि मूल राशि पर अर्जित की गई पूंजी लाभ को छः महीने के अंदर तीन वर्ष तक के लिए किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों में जमा कराया जाता।

महोदय, अब मैं धारा 80 (ठ) के अन्तर्गत दी जाने वाली कर छूट, के बारे में कहूंगा जिसे पिछले वर्ष 10,000 रुपये पर वापस लाया गया था और अनेक वर्षों तक यह सीमा बनी रही। जैसा कि आप जानते हैं, यह धारा बैंकों में जमा राशियों के लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर लगने वाले कर के बारे में है। जहां तक लाभांश का संबंध है, संबंधित कम्पनी पहले ही अपने सकल लाभ पर कर अदा कर चुकी है अतः अंश धारकों में वितरित निवल लाभ कर से मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह कहा जाता सकता है कि धारा 80 (ठ) के अन्तर्गत छूट की सीमा के बढ़ाकर 20,000 रुपये तक किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि घरेलू कम्पनियों के शेयरों में लोगों की रुचि काफी बढ़ेगी।

जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 194 के अधीन शेयरों के लाभांश के मामले में स्रोत पर कटौती करने का संबंध है, मेरा विचार है कि इसे वर्तमान 2,500 रुपये की सीमा से बढ़ाकर, बिना किसी जोखिम के, 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है तथा ऐसा करके छोटे शेयर धारकों को होने वाली असुविधा से बचाया जा सकता है। ऐसा करके इसे धारा 194 (ग) में विनिर्दिष्ट सीमा के अनुरूप लाया जा सकेगा।

अन्त में महोदय मैं आपको उस उदार विचार के लिए धन्यवाद देता हूं जिसके अन्तर्गत आपने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूटी की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया है और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया है जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक है। यद्यपि, विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह छूट सकल आय पर लागू होती है, इस कारण वे धारा 16 (1), 80 (ठ) तथा 80 (छ) के अधीन छूट के लाभ जो औसतन प्रतिवर्ष 37,000 रुपये हैं, से वंचित रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कर में दी गई इस छूट का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलें जिनकी कर योग्य आय एक लाख रुपये से कम है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक छः महीने पर दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की ओर दिलाता हूं जो बढ़ी हुई जीवन-निर्वाह लागत को देखते हुए दिया जाता है।

कुछ अस्पष्ट कारणों से सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की राशि का भाग 50 प्रतिशत ही पेंशनभोगियों को दिया जाता है। शायद इसकी सराहना कभी नहीं की जा सकती क्योंकि जब पेंशनभोगी अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने बाजार जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलती और उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर में जो असमानता है उसे दूर किया जाए।

महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री को इस जटिल समस्या को कुशलतापूर्वक सुलझाने के लिए बधाई देता हूं। मैं 1994-95 की वित्त विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति की मुख्य समस्या वित्तीय घाटा है। 1993-94 में वित्तीय घाटा 58,000 करोड़ रुपये होगा, जबकि चालू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 802,00 करोड़ रुपये है। इसका अभिप्राय है, 4.7% की मूल योजना की तुलना में इसका अनुपात लगभग 7.3% है। 1993-94 के लिए राजस्व घाटे का मूल अनुमान 17,630 करोड़ रुपये था, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार यह 3,4000 करोड़ रुपये है। 93.2% का अन्तर है। संशोधित अनुमान 9060 करोड़ रुपये है। यहां अन्तर 110% है। वित्तीय घाटे का मूल अनुमान 37,000 करोड़ रुपये है जबकि संशोधित अनुमान 57,000 करोड़ रुपये है। यह भी लगभग 60% हो जाता है। आप इससे देख सकते हैं कि कैसे उनके पास संसाधन होने के बावजूद भिन्नता के मानदण्ड उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं जबकि वे आकलन के समय कम्पनियों और व्यक्तियों पर अग्रिम कर देने के लिए जोर देते हैं क्योंकि अन्यथा वहां पर दण्ड कर लगाया जाएगा। मेरा केवल विनम्र अनुरोध है कि उन्हें कुछ विचार करने के लिए सक्षम होना चाहिए क्योंकि वर्तमान स्थिति में विभिन्न स्तरों पर भिन्नता नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसलिए हमें अनुमानित आय के कर पर दण्ड ब्याज में कुछ छूट देनी चाहिए।

आज 46,000 करोड़ रुपये का ब्याज उत्तरदायित्व होने जा रहा है। बजट में 23,000 करोड़ रुपये का घाटा है। गैर-योजना व्यय को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अन्यथा हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा .

आज एक अन्य महत्वपूर्ण बात, उदारीकरण की है। यह अच्छा है और हम देखना चाहेंगे कि ग्लाबेलाइजेशन से पहले देश के भीतर अधिक-से-अधिक उदारीकरण किया जाए। बड़े उद्योग, अधिक क्षमता वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विशेषकर रसायन उद्योग में घाटे के कारण हम इन प्रयासों के परिणाम देख सकते हैं। कम ब्याज दर और कम विद्युत लागत से वे वास्तव में अपने तैयार माल को थौंप रहे हैं। जबकि हम भारतीय कम्पनियों के लिए पर्याप्त संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे हैं जो कि कम क्षमता के साथ 45 वर्ष के लिए प्रतिबंधित हैं। कच्चे माल की कीमत बहुत अधिक है। इसी कारण आप देखेंगे कि कच्चे माल की कीमत काफी कम की जाए और विद्युत के रूप में उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए। हम देखेंगे कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि उद्योगों में रुग्णता नहीं रहे ब्याज दरें कम की जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप कास्टिक सोडा उद्योग को लें, शुल्क कम हो गया है जबकि विद्युत दरें बढ़ गई हैं तथा अपना उत्पाद शुल्क भी बढ़ा दिया है। पेयजल के लिए आवश्यक क्लोरीन को अब 120 रु० से बढ़ाकर 1200 रुपया कर दिया है, जो कि सामान्य पेयजल प्रणाली के नियंत्रण से परे है। मेरा केवल विनम्र अनुरोध है कि इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। क्योंकि वर्तमान स्थिति के कारण आप देख सकते हैं कि राजस्व पहले ही घटना प्रारंभ हो गया है। उद्योग में रुग्णता के कारण यह आपके बजट अनुमान के अनुसार नहीं आ रहा है।

[श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या]

उद्योगों का रुग्णता के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। विभिन्न कारकों के कारण अन्य देशों में भी रुग्णता एक समान हो सकती है। लेकिन रुग्णता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम केवल बी० आई० एफ० आर० के बारे में नहीं सोच सकते हैं जोकि बहुत धीमी और बहुत निष्क्रिय है। विलय के लिए हमें वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को विशेषता देनी होगी ताकि रुंग्णता कम की जा सके और वित्त मंत्रालय विलय को मान्यता दे यदि वे कराधान के सभी उद्देश्यों हेतु अनुमोदित किए गए हैं। तभी हम इस देश में रुग्णता को कुछ कम करने में सक्षम होंगे।

हटाये गए अधिभार के कारण व्यक्तियों या व्यक्तिगत कराधान हेतु छूट कम कर दी जानी चाहिए थी लेकिन जहां एक देश का कराधान कम है, विकास तेजी से हो रहा है। अतः हमें 35 से 30 प्रतिशत के बीच व्यक्तिगत कराधान करना चाहिए निगम कर के बारे में हालांकि आपने पहले वादा किया था लेकिन अभी तक आपने अधिभार नहीं हटाया है। इसपर आपके तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आप तुरन्त कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि निगमित कर भी कम हो जाए।

लाभांश कर के बारे में आप हमेशा कहते हैं कि दोहरा कराधान अच्छा नहीं है। लेकिन जहां तक एक कंपनी ने एक बार कर दे दिया है, आप लाभांश पर कर लगा रहे हैं। उद्योग में निवेश बढ़ाने तथा इस प्रणाली द्वारा स्थानीय तौर पर उद्योग के विस्तार की दृष्टि से इस मामले की जांच की जानी चाहिए। जब आप ग्लोबेलाइजेशन कहते हैं आप देख सकते हैं उच्च तकनीक वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप यह नहीं कह सकते कोका कोला कंपनी इस देश में आए और पेय पदार्थों का अधिग्रहण करे। इससे इस देश को कोई लाभ नहीं होगा। हमें ऐसे उद्योगों के विस्तार और विकास हेतु व्यापक क्षमता की आवश्यकता है तथा हमें उनकी सहकता और सहयोग तथा ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है।

पूंजी लाभ एक महत्वपूर्ण मद है जहां मुद्रास्फीति दर बढ़ती जा रही है। हम पहले ही 10 प्रतिशत से अधिक की सीमा पार कर चुके हैं। पूंजी लाभ को कम किया जाए ताकि उद्योग और विकास में वृद्धि भी बड़े। काफी देर से कई देश दो वर्ष के बजट के बारे में सोच रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या हम भी दो वर्ष के बजट की योजना बना सकते हैं। हमें दीर्घावधि योजना बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए तथा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

कृषि में निर्यात के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए जहां हमें उनके लिए कराधान, ब्याज मुक्त ऋण या आसान ऋणों के रूप में काफी सहकता की आवश्यकता होगी क्योंकि इस वृद्धि ने गैट समझौते के आने के बाद व्यापक होने की संभावना है। कृषि देश में रोजगार के अवसर सृजित करती है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर आधारित उद्योग को विकसित करना वास्तव में जरूरी है, लेकिन कृषि आधार पर उर्वरकों को दी गई राज सहायता गैर-अनुपाती है। अकेले नाइट्रोजन उर्वरकों से ही गैर-अनुपातिक भूमि व्यवस्था हो रही है। इसी कारण हमें राज-सहायता का आवंटन करना होगा। नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाश को एक समान रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

ताकि उर्वरक वृद्धि को बना सके और कृषि पर आधारित उद्योग को विकसित करने में हमारी सहायता कर सके।

शिक्षा और स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकताएं हैं तथा जो सहायता राशि हमने उन्हें दी है उसे सुधारने की आवश्यकता है। इस देश में प्रजातंत्र के मूल ढांचे को बनाए रखने तथा विकास के उद्देश्य हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे उर्वरक और कीटनाशक तथा प्रयोग में आय आधुनिक उपकरणों जैसी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए आज कृषि के लिए शिक्षा अति आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम बोलने वाले कुछ और सदस्यों को ध्यान में रखते हुए सभा का ममय आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं। हमें, उन्हें बोलने के अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप प्रत्येक को पांच मिनट की इजाजत दे दें। फिर हम कल चर्चा जारी रखेंगे।

6.00 म०प०

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मैं इस पूरे वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं किन्तु इसके एक खण्ड जो सिक्किम के लोगों को प्रभावित करता है, का समर्थन नहीं करती हूं। मैं अपने भाषण को इसी बिन्दु पर केन्द्रित करूंगी।

महोदय विधेयक के खण्ड 6 के उपखण्ड (3) में सिक्किम को 1 अप्रैल, 1995 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 26 में सम्मिलित करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार इस खण्ड में जनजातियों को, जिनमें मुख्यतः भोटिया और लेफ्वा सम्मिलित है, आयकर की अदायगी से छूट देने का प्रावधान है।

मैं सिक्किम के अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आयकर में दी जा रही छूट का स्वागत करती हूं जिसमें तीन मूल समुदायों में से दो को सम्मिलित किया गया है, सिक्किम राज्य की प्रतिनिधि के रूप में यह मेरा दायित्व है कि मैं इस सम्मानीय सदन, माननीय मंत्री जी और अपने उन मित्र सदस्यों के ध्यान में इस बात को लाऊं, जो सिक्किम की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। अन्यथा सरकार इतनी सहजता से ऐसा निर्णय नहीं लेती। सिक्किम राज्य को रेल, वायु और यहां तक कि हेलीकॉप्टर सेवा से भी नहीं जोड़ा गया है। आप राज्य की आर्थिक स्थिति का अन्दाज लगा सकते हो। राज्य में आयकर वसूली की लागत कुल वसूल किये गए आयकर से अधिक होगी।

आप जानते हैं कि सिक्किम भारतीय संघ का एक सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है, जिसकी भिन्न राजनैतिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारतीय संघ में सिक्किम का विलय 1975 में हुआ, विलय से पूर्व वहां मुख्यतया तीन मूल समुदाय थे अर्थात् भोटिया, लेप्चा और नेपाली, जो पूर्व राज्य की प्रजा थीं। 1948 में चौग्याल ने सिक्किम आयकर नियमावली तैयार की जिसके अन्तर्गत करारोपण के मामले में तीनों समुदायों को समान माना गया, आज तक यही नियमावली लागू है। मैं इस बात का

[श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी]

उल्लेख यहां मात्र यह बताने के लिए कर रही हूं कि सिक्किम के तत्कालीन राजा, जो स्वयं भोटिया थे, ने भी सिक्किम के तीनों समुदाय के लोगों को करारोपण के मामले में समान माना था। यह राज्य में तीनों मूल समुदाय के लोगों में घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। वास्तव में सिक्किम के समाज और राजनीति में जातीय मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन सिक्किम के चौग्याल जो अपनी सम्पूर्ण प्रजा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों, में समानता प्रदान करने के लिए प्रगतिशील कदम उठा रहे थे, इसके बावजूद तत्कालीन सिक्किम के महाराजा ने तीन मुख्य मूल जातियों अर्थात् भोटिया, लेप्चा और नेपालियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए बार-बार कई कदम उठाये। सिक्किम के लोगों में असंतोष फैलने लगा और विद्रोह शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप अंत में सिक्किम का भारत में विलय हो गया। श्री बी० एस० दास सिक्किम सहायक राज्य के पहले कार्यकारी अधिकारी थे। भारतीय संघ में पूर्ण विलय होने के अन्तराल के दौरान इसे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। श्री बी० एस० दास की पुस्तक 'सिक्किम सागा" से मैं कुछ अंश उद्धृत करती हूं :

> "1973 का चौग्याल के विरुद्ध विद्रोह प्रजा के बहुत बड़े भाग, जिसमें सभी जातीय वर्ग सम्मिलित थे, में व्याप्त आर्थिक निराशा का परिणाम था।"

ऐसी निराशा का क्या कारण था? नेपाली, सिक्किमी प्रजा में इतनी अधिक असमानताएं व्याप्त थी कि उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से अन्य प्रजा के समकक्ष लाना असंभव था। इसे 1973 के विद्रोह का मुख्य कारण मानते हुए भारत सरकार और चौग्याल; सिक्किम के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य 8 मई को समझौता हुआ।

अन्य बातों के साथ इस समझौते में सिक्किमियों, लेप्चाओं और नेपाली मूल के भोटिया जिनमें सोंग और अनुसूचित जाति के लोग भी सम्मिलित थे, के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में भी सोचा गया ताकि समाज का कोई भी वर्ग, जातीय मूल स्थाम के आधार पर विशिष्ट दर्जा न पा सके। यह भावना सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 की धारा 7 (2) में समाहित है और अन्ततः इसे संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (छ) में सम्मिलित किया गया और इसकी गारंटी दी गई, इस अनुच्छेद के खण्ड ज में, प्रावधान है :

> "सिक्किम के राज्यपाल का, शांति के लिए और सिक्किम की जनता के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु साम्यपूर्ण व्यवस्था करने का विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निदेशों के अध्यधीन जो राष्ट्रपति समय-समय पर देना ठीक समझे, अपने विवेक से कार्य करेगा।"

विगत बीस वर्षों में इन जातीय असमानताओं को कम करने के प्रयासों के कुछ सकारात्मक एवं कारगर परिणाम निकले हैं।

अनुसूचित जनजातियों सहित नेपाली मूल के सिक्किमियों ने हाल ही में आर्थिक और

सामाजिक भागीदारी में स्वस्थ परम्परा का निर्वहन किया है, यह इस सामान्य तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि विलय के बाद सिक्किम भारत का सर्वाधिक शांतप्रिय और राजनीतिक स्थिरता वाला राज्य रहा है। यदि सिक्किम के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की परम्परा जीवन्त रही तो हमें विश्वास है कि परम्परागत रूप से चली आ रही जातीय असमानता शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी।

किन्तु इस विधेयक का विद्यमान प्रावधान, जैसा कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री एल० डी० कोजी ने माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में ठीक ही कहा है, तीनों जातीय समुदायों की मिल्लित जीवन शैली का विभाजन पैदा कर देगा। नेपाल मूल के सिक्किमी देश के अन्य भागों में रहने वाले भारतीय नेपालियों से भिन्न हैं। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से उनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची।

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और नेपाली मूल के लोगों को भी केन्द्रीय आयकर, नियमों से छूट दें। यह नीति गरीबी का उन्मूलन करने, असमानता समाप्त करने और उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी बनाये रखने में सहायक होगी।

महोदय, अपने प्रारम्भिक भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि वे इससे संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कुछ समय के लिए इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं। यहां मैं कहना चाहती हूं कि सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है और इसको मिलने वाली धनराशि भी कम होगी।

इसलिए, मैं भारत सरकार और वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि इस संबंध में वे मेरे संशोधन पर विचार करें जिससे इस प्रावधान को वापस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इस विधेयक से राज्य के उन सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिलेगा जो नागरिकता अधिनियम, 1975 के द्वारा भारत के नागरिक बने हैं।

अन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि आयकर में छूट की ऐसी ही सुविधा लद्दाख के लोगों को भी दी गई थी। लेकिन हाल ही में इस सुविधा को वापस ले लिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि यह सुविधा लद्दाख के लोगों को उपलब्ध कराई जायं क्योंकि यह सिक्किम और पूर्वोत्तर परिषद के राज्यों की भांति भारत को सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है–अब सदन में गणपूर्ति है, माननीय सदस्य श्री आर० जीव रत्नम बोल सकते हैं।

***श्री आर० जीव रत्नम** (अलेनिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत 1994-95 के वित्त विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। थोड़ा सावधान करते हुए मैं आपसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रायः किए जाने वाले .अपने अनुरोध को आपके समक्ष रखूंगा।

मैं अपने इस अनुरोध को महत्वपूर्ण मानता हूं तथा आपसे इस पर विचार करने तथा शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। मैंने पहले अनेक बार यह कहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के योग्य हैं वे हमारे बीच ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 वर्ष तक रहने वाले हैं। जहां सरकार मूल्य सूचकांक के अनुपात में महंगाई भत्ता को मूल वेतन के स्तरीय 70 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर वेतन का संदाय करती है तो पेंशन भोगी स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में भी उसी अनुपात से बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। सरकार से स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पेंशन पाने वालों की पेंशन में एक मुश्त 1,000 रुपये की वृद्धि करनी चाहिए। यह अतिरिक्त व्यय केवल कुछ और वर्षों के लिए ही होगा। अतः मैं वित्त मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बढ़ी हुई पेंशन का संदाय करने पर उदारतापूर्वक विचार करें। आज हम जिस स्वतंत्रता का आनन्द ले रहे हैं वह हमें इन निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से ही प्राप्त हुई है। यह केवल उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है कि आज हम एक ऐसे स्वतंत्र देश में रहे जो विश्व में एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के रूप में अंपना शासन चला रहा है।

मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री हमारे स्वतंत्रता संग्राम से अच्छी तरह परिचित हैं। वह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से पूरी तरह अवगत होंगे। हजारों लोगों को अंग्रेजों की जेलों में रहना पड़ा तथा असंख्य बलिदान दिए। उस संग्राम में अनेक लोगों ने अपनी जान दी। उनमें से अनेक लोगों को फांसी दे दी गई। 1940 के दशक के पूर्वाद्ध में, विशेषकर 1943 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जबरदस्त अभियान छेड़ा गया तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व किया। दो बहादुर स्वतंत्रता सेनानी खराब समुद्र को पणडुब्बी से पार कर मद्रास के समुद्री किनारे पर पहुंचे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह के आरोप में तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजाये मौत दी गई। उस समय मैं मद्रास जेल में उनके साथ था। उनका अनुरोध था कि "शायद हम स्वतंत्रता देखने तक जीवित नहीं रहें। अतः हम अभी आप सभी को मिठाई बांटकर स्वतंत्रता मनायेंगे। इसलिए हमें कुछ मिठाई ला दें जिसे हम आपको दे सकें।" हम ने उन्हें मिठाई लाकर दी जिसे उन्होंने जेल के सभी कर्मचारियों तथा कैदियों में बांटा। उन्हें उसी दिन फांसी पर चढ़ाया जाना था और वे पूरे समय बंदे मातरम का गान कर रहे थे। यहां तक कि जब उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था तब भी वे लोग 'बंदे मातरम' का ही गान कर रहे थे। बाद में जब हमने जेल वार्डन से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सभी आखिरी दम तक निरंतर बंदे मातरम का गान करते रहे। इस प्रकार हजारों स्वतंत्रता सेनानी आगे आये और अपने प्राण न्योच्छावर किए और असंख्य बलिदान दीये। उन्हीं लोगों के बलिदान के परिणामस्वरूप हमें आजादी मिली। हमारे

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारा नेतृत्व किया। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ न्योच्छावर कर दिया। उन्हें प्रति वर्ष श्रद्धांजलि देना केवल औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी भूमिका की सराहना करना ही काफी नहीं है। मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, दोनों से अनुरोध करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मैं स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन संबंधी लम्बित आवेदनों पर विचार करने के लिए सम्बन्धित मंत्रियों से अनुरोध करता रहा हूं। मैं नहीं जानता कि स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त लम्बित पड़े आवेदनों पर कब तक कार्यवाई पूरी होगी। अनेक स्वतंत्रता सेनानी मेरे पास आकर इस दिशा में कुछ किए जाने का अनुरोध करते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह उनकी सहायता करें।

अब आयकर सीमा 35,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह बढ़ौतरी मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अध्यापकों जैसे मध्यम आय वर्गों के लोगों तथा निम्न आय वर्गों के लोगों को इससे लाभ नहीं मिलता। मूल्य वृद्धि को देखते हुए ये 35,000 रुपये की वर्तमान सीमा, जो मात्र 3,000 रुपये प्रतिमाह है, पर्याप्त नहीं है।

वर्तमान मंत्रिमंडल में अपना उत्तरदायित्व संभालने के पश्चात् से ही हमारे वित्त मंत्री रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में लगी पूंजी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्य अभी भी अपूर्ण है। जो पैसा इस तरह पड़ा हुआ है वह केवल लाखों रुपए की बात नहीं है बल्कि यह मामला तो लगभग एक लाख करोड़ रुपए का है। यदि हम इस धनराशि को वापस ले सके तो हमें ऋण लेने हेतु कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः मेरा वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में अन्तर्गस्त इस भारी धनराशि को वापस लेने हेतु व्यवहार्य साधनों और उपायों का पता लगाए।

विभिन्न राज्य सरकारों की समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु लगभग 200 करोड़ और 300 करोड़ रुपए या इससे भी अधिक धनराशि आवंटित की। लेकिन तमिलनाडु में मैंने देखा कि इन विकासात्मक कार्यों को कार्यान्वित करने में संसद सदस्यों से किसी प्रकार का परामर्श या उन्हें इनमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं किया जाता है। मैंने इस मामले को परामर्शदात्री समिति की विभिन्न बैठकों में कई बार उठाया है लेकिन हमें अभी तक कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हम ही लोग यानि संसद सदस्य यह वित्त विधेयक पारित करते हैं जिससे विभिन्न राज्य सरकारों को धनराशि का आवंटन विनियमित होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी में हम लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब भी राज्यों में सूखा पड़ता है। अकाल पड़ता है और बाढ़ व तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो हम उन राज्य सरकारों को राहत के लिए पर्याप्त धनराशि आंवटित करते हैं। केवल धनराशि के रूप में ही नहीं बल्कि वस्तु आदि के रूप में भी राज्यों को सहायता दी जाती है।

[श्री आर० जीव रत्लम]

लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं है कि उक्त धनराशि समुचित प्रयोजनार्थ ही खर्च की जाती है।

एक माननीय सदस्य : आपको यह मामला तमिलनाडु में उठाना चाहिए।

***श्री आर० जीव रत्लम** : निसन्देह, मैं तमिलनाडु की बात करता हूं। मैं इसलिए इस मामले को तमिलनाडु में नहीं ठठा सकता क्योंकि जहां हमारे अधिकारों में कटौती कर दी गई है। मैं इस मामले को यहां उठाना पसन्द करूंगा। केरल राज्य से एक सदस्य मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इस मामले को यहां लोक सभा में क्यों उठा रहा हूं। निसन्देह यह किसी राज्य का सदन नहीं है लेकिन यह सभा समूचे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं इस मामले को यहां उठा रहा हूं।

सरकार कालेजों में उच्च शिक्षा पर खर्च करती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए हमें विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से सहायता मिलती हैं ताकि हम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आधारभूत सुविधाओं और भवन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इनमें सुधार कर सकें। प्रत्येक जिले को लगभग 4-5 करोड़ रुपए की सहायता मिलती है। लेकिन मेरे राज्य के प्राधिकारी दावा करते हैं कि वे धनराशि मंजूर करते हैं और आवंटित करते हैं। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि उन्हें यह वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है। मैं यह भी नहीं जानता कि विश्व बैंक का जिक्र कैसे आता है। पुनः यहां हमारे पास कारगर निगरानी तंत्र नहीं है।

हाल ही में मैं उन सम्भाव्य परियोजनाओं का पता लगाने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थानों पर गया जो मुझे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और इस महान सभा द्वारा अनुमोदित संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित एक करोड़ रुपए की राशि से कार्यान्वित करनी है। अपने दौरे में मैंने पाया कि कालेजों और प्राथमिक स्कूलों के अपने भवन हैं। उन्हें राज्य से अनुदान मिलता है लेकिन मैंने कई हाई स्कूल ऐसे देखे जिनके पास भवन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कक्षाएं छापरों में लगती हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिक और प्रारम्भिक स्कूलों की तरह हाई स्कूलों को भी भवन निर्माण के लिए अनुदान देने हेतु एक ठोस नीति तैयार करे। केन्द्र को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना चाहिए।

तमिलनाडु में हमारी मैडम रोजमर्रा 20-30 हजार करोड़ रुपए की लागत पर औद्योगिक विकास की घोषणा करती है। उन निधियों का क्या होता है जिन्हें विश्व बैंक से प्राप्त होने का दावा किया जाता है? केन्द्र को इन बातों की छानबीन करनी चाहिए।

मेरा सरकार और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि तमिलनाडु में एक टकसाल खोली जाय जिससे वहां रोजगार के कुछ अवसर पैदा होंगे और मुद्रा व सिक्कों की कमी भी दूर हो जाएगी। यह टकसाल चिंगलपुर जिले में अराक्कोनाम या पाल्लिपट में खोली जा सकती है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आप भूतपूर्व सैनिकों और शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जा रही पेंशन में भी वृद्धि कर सकते हैं।

मैं आपसे मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भी अनुरोध करता हूं। इस समय सीमेंट की कीमत 135 रुपये प्रति बोरी है। सीमेंट फैक्ट्री मालिकों ने इच्छानुसार कीमतों को बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यदि सीमेंट का वर्तमान मूल्य अधिक है, हमें सीमेंट के मूल्य में और वृद्धि की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यदि यह वृद्धि का दौर बिना किसी अंकुश के जारी रहता है तो इससे मकानों का निर्माण प्रभावित होगा। मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए मैं सरकार से इस प्रदर्शन को रोकने का अनुरोध करता हूं। हमें मध्यम वर्ग के लोगों को आवास वित्त निगम के माध्यम से लगभग 50,000 रुपये तक का ऋण देकर अपने मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन्हें तमिलनाडु में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में कई सहकारी कताई मिलें और चीनी मिलें हैं। आपने उनके कार्यकरण के बारे में भी रिपोर्टें पढ़ी होंगी। उनमें से अधिकांश मिलें घाटे में चल रही हैं। आपको राज्य सरकारों पर उन्हें कुशलता से चलाने हेतु दबाव डालना चाहिए। अन्यथा आपको उनमें निवेश नहीं करना चाहिए जैसा कि आपने रुग्ण औद्योगिक एककों में करने की मंशा जाहिर की है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई सूखा प्रवण क्षेत्र हैं तथा वहां पेयजल समस्या प्रबल है। केवल कृष्णा-गोदावरी योजना के क्रियान्वित होने के बाद ही हमारी पेयजल समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

मैं पालर क्षेत्र से हूं। पालर नदी को पानी मैसूर की वेदामंगलम् झील से मिलता है। जब मैसूर से पानी छोड़ा जाता है तो यह पानी बंगाल की पहाड़ी में सम्प्रभावित होने से पहले पालर नदी से अरक्कोनम, वनियमपड़ी, रानीपेट और चिगलपेट होते हुए बहता है। अब पालर में पानी कभी-कभी पाया जाता है। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लोग अपने कृषि जैसे व्यवसाय नहीं चला पाते। लोगों में अभी भी धैर्य है। इसकी भी एक सीमा है। यदि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती वे हिंसक आंदोलन का सहारा ले सकते हैं। मुझे आशंका है कि इन लोगों का धैर्य खोने पर हम इन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। इसी प्रकार आपको हमारे बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कार्यकरण पर निगरानी रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठकों में इसका बार-बार जिक्र किया है। बीमा कंपनियां ऐसे कार्य करती हैं मानो उन्हें इस देश की जनता की कोई परवाह हो। संसद सदस्य जब कम्पनियों से कोई जानकारी मांगते हैं तो उन्हें इनसे समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। वे उन्हें अपने समारोहों में नहीं बुलाते। वे मांगी गई सूचना शीघ्र और शिष्ट तरीके से देने की कभी परवाह नहीं करते चाहे वह जानकारी जन प्रतिनिधियों द्वारा ही क्यों न मांगी गई हो। उनके पास काफी पैसा आता-जाता है। इतनी अधिक धनराशि के प्रबन्धन पर कारगरता से निगरानी रखी जानी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए कारोबार की एक उच्चतय सीमा होनी चाहिए।

हाल ही में इस सभा ने बैंककारी विनियमन अधिनियम पारित किया है। विधेयक पर चर्चा

[श्री आर० जीव रत्नम]

के दौरान मैं भी बोला था। तब मैंने अपना समर्थन दिया था। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि अधिनियम को ईमानदारी से लागू किया जाए। ब्याज की दरों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए और ऋण दरों को सुचारू बनाया जाना चाहिए और उसे एक समान बनाया जाना चाहिए ताकि ब्याज की उच्च दरों को समाप्त किया जा सके। विभिन्न स्लैबों में 2 लाख रुपये और इससे अधिक पर 17% से 18% तक ब्याज लगता है। यदि यह 2 लाख रुपये से कम है तो ब्याज 13% से 15% तक होता है। आपा इसे या तो 14% या 15% कर के एक समान कर सकते हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे विभिन्न क्षेत्रों में अन्ततः आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कई अन्य बैंक औद्योगिक तथा कृषि फर्मों के लिए ऋण सहायता देते हैं। मैं नहीं समझता कि कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन दी जाती है। भूमि विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक कृषकों को ऋण देते हैं। अन्य बैंक कृषि या विनिर्माण उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों की बजाय औद्योगिक क्षेत्र को अधिक ऋण देते हैं। जब औद्योगिक एककों को ऋण दिया जाता है तो उसकी वसूली भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुछ एकक ऐसे हैं जिन्होंने पांच वर्ष और इससे अधिक समय से देय ब्याज की राशि अदा नहीं की हो, ऐसे दोषी एककों को उनके पूर्व ऋण की अदायगी होने तक अग्रिम नहीं मिलना चाहिए। आपको तीन साल की सीमा रखनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। ऐसे बाकीदार को और ऋण नहीं मिलन चाहिए, यदि आवश्यकता हो तो आप आवश्यक कानून बनायें और इसे उत्साह से लागू करें। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए।

यदि किसी उद्यमी को कोई उद्योग स्थापित करना है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह स्वयं 30 से 40 प्रतिशत पूंजी जुटा सके व निवेश कर सके। आपको इस पूर्व शर्त को विहित करने पर विचार करना चाहिए। यदि हम बिना पर्याप्त पूंजी वाले लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने की अनुमति देंगे तो साख संकुचन अधिक होगा, इसी के कारण हमारे देश में अधिक रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं, ऋण देने से पूर्व उद्योगपति की सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें सम्पत्तियों के अनुपात में ही अग्रिम दिया जाना चाहिये।

बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संघ बार-बार हड़ताल की घोषणा करते हैं। बैंक उद्योग की तरह यह प्रवृत्ति हमेशा के लिए सेवा क्षेत्र में भी की सकती है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सही नीति विकसित करनी चाहिए। बैंको में लाभकारी कार्य का वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमने स्वतंत्रता काफी संघर्ष के बाद प्राप्त की है। हमने अंग्रेजी साम्राज्य के शिकंजों से मुक्ति पाने के लिए कठोर संघर्ष किया है। अंग्रेज भारत में बड़ी संख्या में नहीं आये वे देश के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे समूहों में व्यापारियों के रूप में आये। उनके वाणिज्यिक हित बाद में साम्राज्य में परिवर्तित हुए। इसलिए उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उन्हें 40 से 60 प्रतिशत के मध्य निवेश तक सीमित किया जाना चाहिए। उनके परिचालन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए।

इसी प्रकार यदि सरकार यहां विदेशी बैंकों को देश में शाखायें खोलने की अनुमति देती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे बैंक उद्योग को प्रभावित नहीं करेंगे। हमारे बैंकों की कीमत पर उन्हें देश में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था व्यापक है, हमारा बैंकिंग क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, विदेशी बैंकों के परिचालन से हमारे बैंकों के विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। हमें उन्हें उनकी इच्छानुसार परिचालन की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो उद्योग हमारे बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेते हैं विदेशी बैंकों के पास भी ऋण के लिए जाते हैं, जो हमारे बैंकों को क्षति पहुंचायेंगे, बकाया न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सामंजस्य होना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी बैंकों को बाकीदारों की सूची भेजनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दोनों ओर से ऋण प्राप्त न करें और वे अपने उद्योगों को और रुग्ण बना दें। हमें विदेशी बैंकों को यह बता देना चाहिए कि उन्हें ऐसे उद्योगों के साख की गारंटी देनी चाहिए जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया है, हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था के हित में मैं इस बात को वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का स्वागत करता हूं कि जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है उनका विनिवेश न किया जायेगा। यह बड़ी राहत है कि उनका पुनः निजीकरण नहीं किया जायेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की योजना हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की महान् धरोहर है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के दर्शन को क्षति न पहुंचे। मैं उन दिनों का स्मरण करता हूं जब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य था जिसका सत्र बंगलौर में हुआ था। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण का संकल्प पर की इस सत्र में विचार किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कभी भी किसी भी कारण से राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं किया जना चाहिए। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन का स्वागत करता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए इस साहसिक कदम और विभिन्न अन्य कदम उठाने के लिए पुनः मैं उनको बधाई देता हूं। मुझे इस वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक या दो सदस्य अब बोल लें ताकि माननीय सदस्यों को समय देने के संबंध में कल कोई कठिनाई न हो। बहुत से माननीय सदस्यों को इस प्रकार के वाद-विवाद में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसलिए यह बेहतर होगा कि हम आज आधे घण्टे के लिए बैठें ताकि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय मिले। क्या सभा आधा घण्टा अधिक बैठना चाहती है ?

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा आप पहले बढ़ा चुके हैं। दो बार कोरम का सवाल उठ चुका है। इसलिए फिर वही बात हो जाएगी।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : आधे घण्टे में सब भाग नहीं ले सकते और फिर कोरम का सवाल उठेगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : नहीं, हम वाद-विवाद कल जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक गणपूर्ति का संबंध है, इसकी कोई समस्या नहीं है। यहां बहुत से सदस्य उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सहमत नहीं हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : सहमत तो हम लोग भी नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपसे कल बोलने को कहा जाये और पीठासीन अधिकारी आपको अपना भाषण पांच मिनट के भीतर समाप्त करने को कहें, तो क्या आपके लिए सभी पहलुओं पर बोल पाना संभव होगा? कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनकी आवाज बड़ी धीमी है, कई बार वह नजरन्दाज हो जाते हैं। इसलिए, पीठासीन अधिकारी को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं तो केवल आपका ध्यान इस ओर दिला रहा हूं। निर्णय आपने करना है।

ठीक है, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम अनुदानों की मांगें पारित करने के तुरन्त बाद वित्त विधेयक पर विचार करेंगे। तत्पश्चात् सभा व्यय की एक निश्चित राशि मंजूर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा, कल, 5 मई, 1994 को 11 बजे म०पू० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.35 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 5 मई, 1994/15 वैशाख, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

ɜr Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
ıth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.